इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

Indian Overseas Bank

Central Office:763,Anna Salai, Chennai-600 002

वार्षिक रिपोर्ट 2013-14

ANNUAL REPORT 2013-14

निदेशकगण (31.03.2014 को) BOARD OF DIRECTORS (as on 31.3.2014)

श्री एम नरेन्द्र
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (01.11.2010 से)

श्री ए डी एम चावली
कार्यपालक निदेशक (28.12.2011 से)

श्री अतुल अग्रवाल
कार्यपालक निदेशक (27.09.2013 से)

डॉ. आलोक पांडे
भारत सरकार के नामिती निदेशक (22.07.2011 से)

श्री निर्मल चंद
भा.रि. बैंक के नामिती निदेशक (13.03.2014 से)

श्री आर. संपत कुमार
कामगार कर्मचारी निदेशक (24.01.2014 से)

श्री जे.डी.शर्मा
अधिकारी कर्मचारी निदेशक (02.05.2013 से)

श्री निरंजन कुमार अग्रवाल
सनदी लेखाकार निदेशक/ अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक (01.11.2011 से)

श्री चिन्नय्या
अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक (13.11.2013 से)

श्रीमती एस. सुजाता
अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक (05.12.2013 से)

श्री ए.बी.डी. बादुशास
अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक (12.12.2013 से)

श्री अजीत वसन्त सरदेसाई
शेयरधारक निदेशक (08.12.2011 से)

प्रो. एस सडगोपन
शेयरधारक निदेशक (08.12.2011 से)

Shri. M.Narendra
Chairman & Managing Director (from 01.11.2010)

Shri. A.D.M. Chavali
Executive Director (from 28.12.2011)

Shri. Atul Agarwal
Executive Director (from 27.09.2013)

Dr. Alok Pande
Govt. Nominee Director (from 22.07.2011)

Shri. Nirmal Chand
RBI Nominee Director (from 13.03.2014)

Shri. R. Sampath Kumar
Workmen Employee Director (from 24.01.2014)

Shri. J.D.Sharma
Officer Employee Director (from 02.05.2013)

Shri. Niranjan Kumar Agarwal
Chartered Accountant Director/Part-Time Non-Official Director(from 01.11.2011)

Shri. Chinnaiah
Part-time Non – Official Director (from 13.11.2013)

Smt. S. Sujatha
Part-time Non – Official Director (from 05.12.2013)

Shri. A.B.D.Badushas
Part-time Non – Official Director(from 12.12.2013)

Shri. Ajit Vasant Sardesai
Shareholder Director (from 08.12.2011)

Prof. S.Sadagopan
Shareholder Director (from 08.12.2011)

श्री एस एन मिश्र
मुख्य महा प्रबंधक एवं बोर्ड सचिव (01.11.2012 से)

Shri S N Mishra
Chief General Manager & Board Secretary (from 1.11.2012)

लेखा परीक्षक

1. बदरी मधुसूदन एंड श्रीनिवासन, बैंगलोर
2. बी. त्यागराजन एंड कं. चेन्नै
3. शंकर एंड मूर्ति, तिरुवनंतपुरम
4. पी आर मेहरा एंड कं., नई दिल्ली
5. दास खन्ना एंड कं., लुधियाना

AUDITORS

1. Badari Madhusudhan & Srinivasan, Bangalore
2. B. Thiagarajan & Co. Chennai
3. Sankar & Moorthy, Thiruvananthapuram
4. P R Mehra & Co New Delhi
5. Dass Khanna & Co., Ludhiana

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि.
(यूनिट - आइ ओ बी) सुब्रमणियन बिल्डिंग,
पहली मंज़िल, न.1, क्लब हाउस रोड
चेन्नै - 600 002
टेलिफोन -044- 28460390 (6 लाइन)
28460395, 28460084
फैक्स- 044-28460129
ई-मेल : cameo@cameoindia.com

Registrar & Share Transfer Agent

M/s Cameo Corporate Services Ltd
(Unit – IOB) Subramanian Building,
1 Floor, No 1 Club House Road,
Chennai 600 002.
Tel : 044-28460390 (Six Lines)
28460395, 28460084
Fax 044-28460129
E mail: cameo@cameoindia.com

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

वार्षिक रिपोर्ट 2013-14

विषय वस्तु

विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
अध्यक्ष की डेस्क से	3
शेयरधारकों को सूचना	7
एक झलक में	16
निदेशकों की रिपोर्ट	18
प्रबंधन विचार- विमर्श और विश्लेषण	22
वर्ष 2013-14 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	48
कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र	98
वार्षिक लेखे	100
नकदी प्रवाह विवरण एवं लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र	164
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	224
प्राक्सी फार्म	229
उपस्थिति पर्ची	231
ईसीएस अधिदेश फार्म	236

(यदि इस वार्षिक रिपोर्ट के हिंदी रूपांतरण में कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी रूपांतरण सही माना जाएगा)

वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक

लेखाबंदी की तारीखें-	21.06.2014(शनिवार) से 27.06.2014 (शुक्रवार) (दोनों तारीखें शामिल)
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	31.05.2014 से 03.06.2014
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21.06.2014 (शनिवार) 14.00 बजे
वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख	27.06.2014 (शुक्रवार) सवेरे 10.00 बजे
लाभांश की घोषणा	27.06.2014 (शुक्रवार)
लाभांश भुगतान की तारीख	16.07.2014 अथवा उसके बाद
लाभांश वारंट प्रेषण की संभावित तारीख	16.07.2014 अथवा उसके बाद

Indian Overseas Bank

Central Office:763,Anna Salai, Chennai-600 002

ANNUAL REPORT 2013-14

Contents

Contents	Page No.
From the Chairman's desk	3
Notice to Shareholders	7
At a Glance	17
Directors' Report	19
Management Discussion and Analysis	23
Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the Year 2013-14	49
Auditors' Certificate on Corporate Governance	99
Annual Accounts	101
Cash Flow Statement & Auditors' Certificate	165
Auditors' Report	225
Proxy Form	230
Attendance Slip	231
ECS Mandate Form	237

(In this Annual Report, in case of any discrepancy found in Hindi Version, English Version will prevail)

Financial Calendar

For the Financial year 1st April, 2013 to 31st March 2014

Book Closure Dates	21.06.2014(Saturday) to 27.06.2014(Friday) (both days inclusive)
Posting of Annual Report	31.05.2014 to 03.06.2014
Last date for Receipt of Proxy Forms	21.6.2014(Saturday) 14:00 hrs
Date of AGM	27.06.2014(Friday) 10.00 A M
Declaration of dividend	27.06.2014(Friday)
Dividend Payment Date	On or after 16.07.2014
Probable Date of Despatch of Dividend Warrants	On or after 16.07.2014

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का पत्र

LETTER FROM THE CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

श्री एम.नरेंद्र
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारको,

मुझे आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट तथा वर्ष 2013-14 के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं वर्ष के दौरान बैंक के कार्य निष्पादन तथा वित्तीय संकेतकों के मुख्य पहलुओं को आपके साथ साझा करना चाहूँगा।

आर्थिक परिदृश्य:

पिछले दो वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति तथा कम वृद्धि की दोहरी समस्या का सामना करते हुए चुनौतीपूर्ण दौर से गुज़र रही है। परिणामस्वरूप जीडीपी 2011-12 के 6.7% से गिरकर 2012-13 में 4.5% हो गया। वर्ष 2013-14 के लिए जीडीपी विकास 5.3% अनुमानित था। बैंक ने सामान्य आर्थिक स्थितियों में मंदी के कारण धीमी विकास गति के माहौल में वर्षभर काम किया है। कृषि क्षेत्र ने संतोषजनक मानसून तथा अनुकूल मौसम की वजह से अच्छा निष्पादन किया है। औद्योगिक गतिविधियों को पुन: सक्रिय करने, कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह को सुधारने, रुपए की व्युत्पन्नता तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदम से अर्थव्यवस्था के सुधार के पथ पर लौटने तथा कारोबार वातावरण सुधरने तथा उपभोक्ता के आत्मविश्वास के बढ़ने की उम्मीद है।

कार्यनिष्पादन की झलक 2013-14

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के कार्य निष्पादन के ब्योरे निम्नवत हैं-

कारोबार मापदंड (रु. करोड़ में)

	31.03.2014	31.03.2013	वृद्धि 2013-14	
			राशि	%
वैश्विक कारोबार	4,09,057	3,66,501	42,556	11.61
वैश्विक जमाएँ	2,27,976	2,02,135	25,841	12.78
वैश्विक अग्रिम	1,81,081	1,64,366	16715	10.17
परिचालनगत लाभ	3,997	3,817	180	4.72

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का निवल लाभ 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के रुपए 567.23 करोड़ की तुलना में रुपए 601.74 करोड़ रहा।

31 मार्च 2014 तक बैंक का निवल निवेश 31.3.2013 के रुपए 61,417 करोड़ से बढ़कर रु. 70,237 करोड़ हो गया।

Shri. M. Narendra
Chairman and Managing Director

Dear Shareholders,

I have great pleasure in presenting your Bank's Annual Report and financial statements for the year 2013-14. I would like to share with you the performance highlights and financial indicators of the Bank during the year.

Economic Scenario:-

The Indian economy has been through challenging times for the past two years, faced with the twin problem of prolonged high inflation and low growth. The consequence of this resulted in decline of GDP growth from 6.7 percent in 2011-12 to 4.5 percent in 2012-13. The GDP growth for 2013-14 is projected at 5.3%. Bank had operated in an environment of subdued growth caused by slump in general economic conditions throughout the year. Agriculture sector performed well due to satisfactory monsoon and the absence of extreme climatic conditions. The concrete steps taken by the Government to revive industrial activities, improve the flow of credit to agricultural sector, contain rupee volatility and inflation are expected to put the economy on recovery path and improve the business climate and boost consumer confidence.

Performance Highlights – 2013-14

The performance details of the Bank during the year under review are as under:

Business Parameters (₹. in Crores)

	31.03.2014	31.03.2013	Growth 2013-14	
			Amount	%
Global Business	4,09,057	3,66,501	42,556	11.61
Global Deposits	2,27,976	2,02,135	25,841	12.78
Global Advances	1,81,081	1,64,366	16715	10.17
Operating Profit	3,997	3,817	180	4.72

Net Profit of the Bank for the year ended 31.03.2014 stood at Rs 601.74 crore against ₹. 567.23 Crore for the year ended 31.03.2013.

Net investments of the Bank increased to ₹. 70,237 crore as on 31.03.2014 from ₹. 61,417 crore as on 31.03.2013.

Branch Expansion:-

The domestic branch net work of the Bank crossed the milestone mark of 3000 on 17.08.2013. As on 31.03.2014, the Bank had 3265 domestic branches, as against 2902 branches as on 31.03.2013, comprising of 985 rural branches (30.17% to total branches), 904 Semi Urban branches (27.68%), 728

शाखा विस्तार

बैंक के घरेलू शाखा नेटवर्क ने 17.08.2013 को 3,000 के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार किया। 31.03.2013 की 2902 शाखाओं की तुलना में 31.03.2014 को बैंक की 3265 घरेलू शाखाएँ हैं जिनमें 985 ग्रामीण शाखाएँ (कुल शाखाओं का 30.17%), 904 अर्द्ध शहरी शाखाएँ (27.68%), 728 शहरी शाखाएँ (22.30%) तथा 648 महानगरीय शाखाएँ (19.85%) हैं।

31.03.2014 तक 3265 शाखाओं के अलावा बैंक के 59 क्षेत्रीय कार्यालय, 3 उपशाखाएँ, 20 सैटेलाइट कार्यालय, 39 सिटी बैक कार्यालय, 33 त्वरित खुदरा केंद्र (आरएलपीसी), 18 एमएसएमई संसाधन केंद्र तथा 6 निरीक्षणालय हैं।

देशभर में अपने शाखा नेटवर्क को बढ़ाने तथा आंगिक संवृद्धि के लिए बैंक द्वारा किए गए प्रमुख रणनीतिगत कदमों में त्वरित शाखा विस्तार एक है। वर्ष के दौरान बैंक ने देशभर में 363 शाखाएँ खोली हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान खुली 363 शाखाओं में से 232 शाखाएँ (63.91%) ग्रामीण व अर्द्ध शहरी केंद्रों में स्थित हैं जिनमें से 98 शाखाएँ बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में स्थित हैं। इन नई शाखाओं ने नए संबंध बनाने तथा हमारी उपस्थिति के प्रसार व नेटवर्क को व्यापक करने और आगे बढ़ाने में बैंक को समर्थ बनाया। 31.03.2014 तक भारत के सभी राज्यों में बैंक का शाखा नेटवर्क है। नई शाखाओं में औसत कासा लगभग 45 प्रतिशत है। वर्ष के अंत तक बैंक के पास 222 शाखा लाईसेंस थे। इनका इस्तेमाल वर्तमान वर्ष के दौरान किया जाएगा जो हमारी घरेलू शाखा नेटवर्क को 3,500 के पार ले जाएगा।

निर्णय लेने की प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण, ऋण सुपुर्दगी हेतु टर्न अराउंड समय को कम करने तथा लेन-देन प्रबंधन में क्षमता बढ़ाने की दिशा में बैंक ने वर्ष के दौरान 19 त्वरित खुदरा केंद्र, 9 एमएसएमई संसाधन केंद्र तथा 8 सिटी बैक ऑफिस खोले हैं।

अन्य झलकियाँ

- समायोजित निवल बैंक ऋण को **प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम** का प्रतिशत आरबीआइ लक्ष्य के न्यूनतम 40 प्रतिशत की तुलना में 40.03% रहा।
- बैंक के **कृषि ऋण** पोर्टफोलियो ने समीक्षाधीन वर्ष में रुपए 23393 करोड़ से रुपए 26,254 करोड़ तक जाते हुए रुपए 2861 करोड़ (12.23%) की वृद्धि दर्ज की है। समायोजित निवल बैंक ऋण से कृषि अग्रिम का बैंक अनुपात 18.10% रहा तथा 18% के मानदंड को पार कर लिया। बैंक ने कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए।
- 31 मार्च 2014 तक **एसएमई क्षेत्र** में बैंक का कुल जोखिम 23.02% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2013 के रु. 19,976 करोड़ के प्रति रु. 24,575 करोड़ रहा।
- **कारोबार प्रति कर्मचारी** 31.03.2013 के 12.88 करोड़ रुपए की तुलना में 31.03.2014 को बढ़कर 13.67 करोड़ रुपए हो गया।
- **सकल एनपीए** 31.03.2013 के रु.6607.96 करोड़ के प्रति 31.03.2014 को रु. 9020.48 करोड़ हो गया तथा प्रतिशतता में सकल एनपीए अनुपात 31.03.2013 के 4.02% के प्रति 31.03.2014 को 4.98% था।
- **निवल एनपीए** 31.03.2013 के रु.4027.21 करोड़ के प्रति 31.03.2014 को रु. 5658.12 करोड़ हो गया तथा प्रतिशतता में निवल एनपीए अनुपात क्रमश: 3.20% तथा 2.50% प्रतिशत था।

Urban branches (22.30%) and 648 Metropolitan branches (19.85%).

Apart from 3265 branches, as on 31.03.2014, the Bank had 59 Regional Offices, 3 Extension Counters, 20 Satellite Offices, 39 City Back Offices, 33 Rapid Retail entres (RLPCs), 18 MSME Processing Centres and 6 Inspectorates.

Rapid branch expansion continues to be one of the major strategic initiatives taken by the Bank for augmenting its pan India branch net work and organic growth. During the year, the Bank opened 363 branches across the country. Out of 363 branches opened during 2013-14, 232 branches (63.91%) are located in Rural and Semi Urban centres, of which 98 branches are located in Unbanked Rural Centres. These new branches have enabled the Bank to enhance new relationships and spread our presence and net work farther and wider. As on 31.03.2014, the Bank has branch network in all the States in India. The average CASA in the new branches is about 45%. As at the end of the year, the Bank had 222 branch licenses in hand. These would be utilized during the course of the current year, which would take our domestic branch network beyond 3500.

In order to decentralize the decision making process, reduce the turnaround time for credit delivery and increase efficiency in transaction handling, the Bank opened 19 Rapid Retail Centres, 9 MSME Processing Centres and 8 City Back Offices during the year.

Other Highlights:-

- The percentage of **priority sector advances** to Adjusted Net Bank Credit stood at 40.03% as against RBI norms of minimum 40%.
- **The agricultural credit** portfolio of the Bank registered a growth of ₹. 2,861 crore (12.23%) from ₹. 23,393 crore to ₹. 26,254 crore in the year under review. The Bank's ratio of agricultural advances to Adjusted Net Bank Credit stood at 18.10% and exceeded the 18% norm. The Bank took a number of initiatives to increase the flow of credit to the Agri sector.
- The total exposure of the Bank as on March 31, 2014 to **SME sector** stood at ₹. 24,575 crore as against ₹. 19,976 crore as on 31.03.2013 registering a growth of 23.02%.
- **Business per employee** increased from Rs 12.88 crore as on 31.03.2013 to ₹. 13.67 crore as on 31.03.2014.
- **Gross NPA** stood at ₹. 9020.48 crore as on 31.03.2014 as against ₹. 6607.96 crore as on 31.03.2013 and in percentage terms, the Gross NPA ratio was 4.98% as on 31.03.2014 as against 4.02% as on 31.03.2013.
- **Net NPA** stood at ₹. 5,658.12 crore as on 31.03.2014 as against ₹. 4027.21 crore as on 31.03.2013. In percentage terms, the Net NPA ratio was 3.20% and 2.50% respectively.
- **A final dividend** of 5% has been recommended by the Board of Directors for the year 2013-14 in addition to interim dividend of 7% paid during Feb 2014.
- **Provision Coverage Ratio** stood at 54.94% as on 31.03.2014

- फरवरी 2014 के दौरान प्रदत्त 7% के अंतरिम लाभांश के साथ वर्ष 2013.14 के लिए निदेशक मंडल द्वारा 5% के **अंतिम लाभांश** को संस्तुति दी गई।
- 31.03.2014 को **प्रावधान कवरेज अनुपात** 54.94% रहा।
- **पूँजी पर्याप्तता अनुपात**

31.03.2014 को बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात बासेल III मापदंड के अनुसार 10.78% रहा जो कि आरबीआइ द्वारा निर्धारित 9% की आवश्यकता से काफी अधिक है।

पैरा बैंकिंग

पैरा बैंकिंग के क्षेत्र में बैंक बीमाकृत उत्पादों तथा आईटी समर्थित उत्पादों के विपणन पर ध्यान दे रहा है। बैंक ने गैर जीवन बीमा उत्पादों के संवितरण के लिए यूनिवर्सल सोंपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (गैर-जीवन बीमा संयुक्त उपक्रम कंपनी) के साथ किए गए अपने कॉर्पोरेट एजेंसी करार को जारी रखे हुए है।

लाभप्रदता को सुधारने के उपाय :

लाभप्रदता को सुधारने के प्रयासों के अंश के रूप में बैंक कासा अनुपात सुधारने, निवल ब्याज मार्जिन सुधारने, निरंतर लोक अदालत, वसूली शिविर आयोजित करने, सरफेसी अधिनियम के तहत एकमुश्त निपटान तथा कानूनी कार्रवाई करने और पात्र खातों में वित्तीय आस्तियों की बिक्री करने जैसे गहन वसूली उपायों के माध्यम से बड़े स्तर पर एनपीए की कमी करने पर नए सिरे से जोर देता है।

विदेशी परिचालनः

हमारे विदेशी परिचालनों के संबंध में हमारे पास 7 संपूर्ण विदेशी शाखाएँ - दो हांगकांग तथा श्रीलंका में, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया तथा बैंकॉक में 1-1 हैं। बून ले एवं सेरेनगून, सिंगापुर में हमारे विप्रेषण केंद्र भी हैं। अगस्त 2013 के दौरान बैंक ने श्रीलंका में विस्तार काउंटर का उन्नयन कर उसे पूरे विनियामक अनुमोदन के साथ शाखा बना दिया जिससे श्रीलंका में शाखाओं की संख्या बढ़कर 2 हो गई है।

बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय गुआंझू(चीन), हो ची मिन सिटी (वियतनाम) तथा अल करामा (दुबई) में स्थित हैं। दुबई, वियतनाम तथा चीन में अपने प्रतिनिधि कार्यालयों का संपूर्ण शाखा के रूप में उन्नयन करने के लिए बैंक आरबीआइ की अनुमति की प्रतीक्षा में है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंक द्वारा विदेशी जेवाई/ डब्ल्यूओएस के आरंभ हेतु निम्नलिखित विदेशी केंद्र आबंटित किए हैं। 1. थाईलैंड, 2. वियतनाम, 3. मंगोलिया, 4. श्रीलंका, 5. कोरिया गणतंत्र।

हमारे बैंक ने मलेशिया में बैंककारी अनुषंगी खोलने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा तथा आंध्रा बैंक के साथ संयुक्त उपक्रम करार किया है। यह संयुक्त उपक्रम 'इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) लि.' के नाम से 13.08.2010 को मलेशिया में निगमित हुआ है। बीएचडी तथा बैंककारी संयुक्त उपक्रम ने जुलाई 2012 से काम करना शुरू कर दिया है।

फरवरी 2013 के दौरान बैंक को सुखुमवित, थाईलैंड में शाखा खोलने के लिए आरबीआइ से अनुमति मिल गई है। इस शाखा के अगस्त 2014 से पूर्व अपना काम शुरू कर देने की उम्मीद है। कोलंबो में एफसीबीयू ने जनवरी 2014 से अपना परिचालन आरंभ कर दिया है।

आइओबी द्वारा जीते गए पुरस्कारः

- 2011-12 के लिए एमएसई उधार में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार- द्वितीय रैंक
- वर्ष 2011-12 के लिए दक्षिण क्षेत्र में पीएमईजीपी योजना कार्यान्वयन के लिए असाधारण निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।

- **Capital Adequacy Ratio**

The Bank's Capital Adequacy Ratio as on 31.3.2014 stood at 10.78% as per Basel III norms which is well above the requirement of 9% prescribed by RBI.

Para banking:-

In the area of Para-banking, Bank is concentrating on marketing of insurance products and IT enabled products. The Bank continues with its Corporate Agency arrangement entered into with Universal Sompo General Insurance Company Limited (the Non-Life Insurance Joint Venture Company) for distribution of non-life insurance products.

Steps to improve Profitability:-

As part of the efforts to improve profitability, bank lays renewed emphasis on improving the CASA ratio, improve Net Interest Margin, reduction of NPAs to a large extent through intensive recovery measures like conducting frequent Lok Adalats / Recovery Camps, One-Time Settlements and resorting to legal action under SARFAESI Act and sale of financial assets in eligible accounts.

Overseas Operations:-

As regards our overseas operations, we have seven full-fledged overseas branches – two in Hong Kong and Sri Lanka and one each in Singapore, South Korea and Bangkok. We also have remittance Centers operating at Boon Lay and Serangoon, Singapore. During August 2013, bank has upgraded the Extension Counter at Sri Lanka into a branch with due regulatory approvals increasing the number of branches at Sri Lanka to two.

The Bank's Representative Offices are located in Guangzhou (China), Ho Chi Minh City (Vietnam) and Al Karama, (Dubai). Bank is taking up for/awaiting RBI permission for upgrading its representative office at Dubai, Vietnam and China into full fledged branches.

Ministry of Finance, Government of India has allocated the following overseas centres for opening of overseas JV/WOS by the Bank: 1. Thailand, 2. Vietnam, 3.Mongolia, 4. Srilanka and 5. Republic of Korea.

Our Bank has signed a joint venture agreement with Bank of Baroda and Andhra Bank to open a Banking subsidiary in Malaysia. The Joint venture has been duly incorporated at Malaysia on 13.08.2010 by name **"India International Bank (Malaysia) Ltd." BHD** and the banking Joint Venture has started functioning from July 2012.

During February 2013, Bank has obtained RBI permission for opening a branch at Sukhumvit, Thailand. This branch is expected to commence operations before August 2014. FCBU in Colombo has commenced operations from January 2014.

Awards won by IOB:-

- National Award for Excellence in MSE Lending for 2011-12 – Second Rank
- National Award for outstanding performance in implementing PMEGP in South Zone for 2011-12.
- National Award for the in-house Magazine in Hindi for 2012-13 – First Prize under "C" Category

- 2012-13 के लिए हिंदी गृह पत्रिका को राष्ट्रीय पुरस्कार - "ग" क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार
- वर्ष 2012-13 के लिए दक्षिण क्षेत्र में पीएमईजीपी योजना कार्यान्वयन के लिए असाधारण निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।
- वर्ष 2011-13 के लिए स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए तमिलनाडु सरकार से सर्वोत्तम बैंक पुरस्कार
- भारतीय बैंक संघ ने आइबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2012-13 दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में "व्यवसाय ज्ञान का सर्वोत्तम प्रयोग" क्षेत्र में आइओबी को द्वितीय पुरस्कार मिला
- डन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट - पोलरिस वित्तीय प्रौद्योगिकी बैंकिंग पुरस्कार 2013 में प्राथमिकता क्षेत्र उधार के तहत सर्वोत्तम सार्वजनिक क्षेत्र बैंक पुरस्कार प्राप्त हुआ
- एसोचेम सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2013 - रनर अप
- स्कॉच पुरस्कार 2013 - कागजहीन बोर्ड और वैन की अधिक उपलब्धता के लिए
- कृषि नेतृत्व पुरस्कार के तहत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2013
- तीन वर्गो के अन्तर्गत आइपीई बीएफएसआइ पुरस्कार - पीएसयू क्षेत्र में सर्वोत्तम बैंक, ग्रामीण पहुँच में सर्वोत्तम बैंक और सर्वोत्तम सीएसआर पद्धति
- द संडे स्टैंडर्ड बेस्ट बैंकर्स अवार्ड 2013
    - सर्वश्रेष्ठ भारतीय बैंक - वृहद
    - सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक - वृहद
    - सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक - ग्राहक उन्मुखता
- इण्डिया बिजनेस जरनल का आइबीजे बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2013 - ग्राहक केन्द्रित पुरस्कार

हमारी वचनबद्धता

बैंक, हमारे सभी शेयरधारकों को प्रतिफल और मूल्यों में सुधार के लिए और हमारे बाजार शेयर में वृद्धि करने के क्रम में उद्योग क्षेत्र में चुनौती-पूर्ण माहौल और प्रतियोगियों के बीच प्रौद्योगिकी और अपने वृहद शाखा नेटवर्क क्षमता और अपने मानव संसाधन का प्रभावी प्रयोग करके सतत और अर्थपूर्ण वृद्धि हासिल करने हेतु प्रतिबद्ध है । हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए कुछ और दिलों को छूना और कुछ और मुस्कान बिखेरना जारी रखेंगे ।

अभिस्वीकृति :

मैं भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बोर्ड सदस्यों का उनके बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ । मैं अपने सभी ग्राहकों को उनके सतत संरक्षण और हमें सेवा देने का अवसर प्रदान करने और कारोबार संबंध बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूँ । मैं, कार्य-निष्पादन में बैंक को नई उँचाईयों तक पहुँचाने में सक्षम बनाने के लिए हमारे स्टाफ सदस्यों द्वारा निभाई गई प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए उनकी सराहना करता हूँ ।

हमारे शेयरधारकों के बहुमूल्य समर्थन और बैंक पर उनके विश्वास के फलस्वरूप हम साल दर साल कारोबार निष्पादन में सुधार के लिए नए उत्साह से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित होंगे ।

सादर

भवदीय

एम नरेन्द्र

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

- National Award for Outstanding Performance in Implementing PMEGP in South Zone level for 2012-13
- Tamil Nadu Government's Best Bank Award for Excellence in Credit Linking Self Help Groups for 2011-12
- Indian Banks' Association gave IBA Banking Technology Awards 2012-13, in which IOB has been adjudged the First Runner Up in the category of "Best Use of Business Intelligence" among Public Sector Banks
- Dun & Bradstreet - Polaris Financial Technology Banking Awards 2013 – Best Public Sector Bank under Priority Sector lending
- ASSOCHAM's Social Banking Excellence Awards 2013 – Runner-up
- Skoch Awards 2013 – for High Availability of WAN and Paperless Board
- Development Leadership Award 2013 under Agriculture Leadership Awards
- IPE BFSI Awards 2013 under three categories – Best Bank in PSU Sector, Best Bank in Rural Outreach and Best CSR Practices.
- The Sunday Standard Best Bankers Awards 2013
    - Best Indian Bank – Large
    - Best Public Sector Bank – Large
    - Best Public Sector Bank – Customer Orientation
- India Business Journal's IBJ Business Excellence Award 2013 – Customer Focus Award

Our Commitment:-

The bank resolves to achieve continuous and meaningful growth by making effective use of its human resources and leveraging its large network of branches and technology amidst the competitive and challenging environment in the industry in order to expand our market share and to improve values and returns to all our stakeholders. We will continue to touch more hearts and spread more smiles as we march along with confidence.

Acknowledgements:-

I take this opportunity to thank the members of the Board, the Government of India and the Reserve bank of India for their valuable support and guidance. I thank all our customers for their continued patronage and the opportunity given to us to serve them and nurture business relationship. I also place on record my appreciation for the dedication and commitment put in by our staff members for enabling the Bank to scale new heights in performance.

The valuable support of our shareholders and the confidence they repose on the bank will motivate us to work with renewed vigour to improve business performance year after year.

With warm regards,

Yours sincerely,

M NARENDRA

Chairman and Managing Director

शेयरधारकों को सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की चौदहवीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार 27 जून, 2014 को पूर्वाहन 10.00 बजे रानी सीतै हॉल,603,अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006 में निम्नलिखित कार्यों हेतु आयोजित की जाएगी:

1. 31 मार्च, 2014 की स्थिति अनुसार बैंक के तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते, लेखा अवधि के दौरान बैंक के क्रियाकलापों और कार्य-व्यवहार पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन और स्वीकार करना ।

2. वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश घोषित करना।

3. आगे और शेयरों को जारी करना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि सही समझा गया तो संशोधन रहित या फिर संशोधन सहित उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु :

"**संकल्प किया गया है कि** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, **(अधिनियम)** राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 **(योजना)** और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 **(विनियमन)** के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक **(आरबीआइ)**, भारत सरकार **(जीओआइ),** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(सेबी)** और / या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंजूरियों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिसपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2009 **(आइसीडीआर विनियम)**/ दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशानिर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित हैं, और जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर निर्धारित हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टिंग करार की शर्त पर वे आधारित हैं, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्द्वारा सहमति बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे "**बोर्ड**" कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में ईक्विटी/वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित) / प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय है, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमन किया जाएगा - से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और / या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज / या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज़ के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु.10 /- प्रति शेयर होगा और किसी भी हालत में कुल शेयर 55,23,20,014 (पचपन करोड़ तेईस लाख बीस हजार चौदह) की संख्या और रु. 552,32,00,140/- (रुपये पाँच सौ बावन करोड़ बत्तीस लाख एक सौ चालीस मात्र) की राशि का अधिगमन

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the Fourteenth Annual General Meeting of the shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on Friday, the 27th June 2014 at 10.00 A.M. at Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai – 600 006, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2014, Profit and Loss account of the Bank for the year ended 31st March 2014, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To declare dividend for the financial year 2013-14.

3. To further issue of shares.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification the following Resolution as a Special Resolution

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 **(Act)**, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 **(Scheme)** and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (**Regulations**) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI(Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 **(ICDR Regulations)** / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI , specifying the class of preference shares , the extent of issue of each class of such preference shares , whether perpetual or redeemable or irredeemable and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of ₹. 10 each and in any case not exceeding 55,23,20,014 shares (Fifty five crore twenty three lac twenty thousand and fourteen only) and aggregating to not more than ₹. 552,32,00,140/- (Rupees Five hundred and fifty two crore thirty two lac and one hundred and forty only) which together with the existing Paid-up Equity share capital of Rs 1,235.35 crore amounts to ₹. 1,787.67 crore within the total authorized capital of the bank ₹. 3,000 crore, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section

नहीं होगा व यह राशि रु. 1,235.35 करोड़ की विद्यमान प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी के साथ रु.3000 करोड़ की बैंक की कुल प्राधिकृत पूँजी में रु. 1787.67 करोड़ की होगी, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, बढ़ाई गई प्राधिकृत पूँजी की हद तक, निर्धारित सीलिंग है, वह भी इस तरह कि केन्द्रीय सरकार का बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी में धारण सभी समय 51% से कम नहीं रहेगा, चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर, जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों **(एनआरआइ)**, निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों **(क्यूआइबी)** जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक **(एफआइआइ)**, बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पूँजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों /दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी/वरीयता शेयरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

"**यह भी संकल्प किया गया कि** ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम, राइट निर्गम या ऐसा अन्य निर्गम जो कि लागू विधि द्वारा उपलब्ध किया जा सके,अधिमान निर्गम के ज़रिए और / या निजी स्थानन के आधार पर अति आबंटन विकल्प सहित या विकल्प रहित किया जाएगा और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, **सेबी** (पूँजी एवं प्रकटीकरण अपेक्षाओं का निर्गम) विनियमन, 2009 (**"आइसीडीआर विनियमन"**) और **भा.रि.बैं, सेबी** द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों तथा लागू अनुसार किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धति में, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो ।"

यह भी संकल्प किया गया कि अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहाँ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तों पर होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत **आइसीडीआर विनियमनों**, अन्य विनियमनों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा ।"

आगे यह भी संकल्प किया गया कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टिंग करार के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयरों और बैठकों) के विनियमन 2003 के प्रावधानों, आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनिमय अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर रहनेवाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) विनियमन 2000 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड (एफआइपीबी), औद्योगिक नीति व प्रवर्तन विभाग, (डीआइपीपी) वाणिज्य मंत्रालय और यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका "समुचित प्राधिकारीगण" के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) को दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और / या मंजूरियों, की शर्त पर और उन शर्तों पर

3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank , whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("**NRIs**"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") like Foreign Institutional Investors ("**FIIs**"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (**"ICDR Regulations")** and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible

जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति और/या मंजूरी प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत निश्चित करता है, ईक्विटी शेयरों या किन्ही भी प्रतिभूतियों को एक या अधिक भागों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोड़कर जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते है या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार का धारण बैंक की ईक्विटी पूंजी में 51% से कम न हो और यह स्थानन या आबंटन क्यूआइबियों (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII में परिभाषित अनुसार) को, योग्यतागत संस्थात्मक स्थानन होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के तहत प्रावधानित किया गया है और जो स्थानन दस्तावेज़ और/या ऐसे अन्य दस्तावेज़ों / लेखनों / परिपत्रों / ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर , जो कि आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान है , निश्चित किये गये हैं , बशर्ते इस प्रकार निर्गमित ईक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो ।"

"**यह भी संकल्प किया गया कि** आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के क्रम में योग्यतागत संस्थात्मक स्थानन के मामले में प्रतिभूतियों का आबंटन आइसीडीआर विनियमनों के अध्याय VIII की परिभाषा के भीतर ही योग्यतागत संस्थागत खरीददारों को किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्णत: प्रदत्त होंगी और इन प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तिथि से 12 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा ।"

"**यह भी संकल्प किया गया कि** क्यूआइपी निर्गम के मामले में प्रतिभूतियों के शुरुआती मूल्य के निर्धारण की संबंधित तिथि को आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार रखा जाएगा ।"

"**यह भी संकल्प किया गया कि** क्यूआइपी जारी करने के मामले में बैंक उपर्युक्त न्यूनतम कीमत से 5 प्रतिशत से अनधिक डिस्काउंट पर शेयरों को आमंत्रित करने के प्राधिकार संबंधी आईसीडीआर के विनियमन 85(1) के प्रावधानों का पालन करता है।"

यह भी संकल्प किया गया कि बोर्ड के पास भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के शेयर लिस्ट किये गये हैं, ऐसे अन्य किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और निर्गमों से संबंधित मंजूरियों, आबंटन और तदनुसार लिस्टिंग, जैसा कि बोर्ड द्वारा सहमत हो, वांछित अथवा निर्देशित अनुसार प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार व अधिकार होगा।"

यह भी संकल्प किया गया कि अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और /या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये ईक्विटी शेयरों/ वरीयता शेयरों /प्रतिभूतियों , यदि कोई हों, को आबंटन और निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समवेत सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा ।"

"**यह भी संकल्प किया गया कि** कथित नये ईक्विटी शेयर इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयरों और बैठकों) के विनियमन 2003 के संशोधित रूप के अनुसार जारी किये जाएंगे तथा ये शेयर सभी दृष्टि से ऐसी घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश , यदि कोई हो, सहित बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों के समरूप होंगे ।"

"**यह भी संकल्प किया गया कि** ईक्विटी शेयरों/अधिमान्य शेयरों/प्रतिभूतियों के आबंटन या निर्गम हेतु प्रभाव देने के लिए सार्वजनिक निर्गम के निबंधनों का निर्धारण करने, निवेशकों वह प्रवर्ग सहित जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानेवाली हैं, हर बार आबंटित किए जानेवाले

into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement, as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at the time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a **Qualified Institutional Placement** pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue the **relevant date** for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue, the Bank is persuant to proviso to Regulation 85 (1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the aforesaid floor price".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / preference shares/ securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations,

शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि आदि मंडल के विवेकाधिकार में जैसे उचित समझें उन कार्यों, मामलों और विषयों को करने और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और करारों को निष्पादित करने जिन्हें वे आवश्यक,उचित या वांछनीय समझें और सार्वजनिक प्रस्ताव,निर्गम, आबंटन और निर्गम राशि की उपयोगिता के संबंध में

कोई संदेह या प्रश्न हो तो उन्हें सुलझाने या अनुदेश देने या निदेश देने हेतु तथा निबंधनों व शर्तों के संबंध में किए जानेवाले ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, बदलावों, जोड़, विलोपनों आदि पर बैंक के हित हेतु अपने विवेकाधिकार में कार्रवाई करने, जिसके लिए बैंक और मंडल को दिए गए सभी या किसी अधिकारों के अनुसार सदस्यों से और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और इस संकल्प पर मंडल द्वारा कार्य करने हेतु मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।"

"**यह भी संकल्प किया गया कि** ईक्विटी/अधिमान्य शेयरों / प्रतिभूतियों के ऐसे निर्गम से संबंधित अग्रणी प्रबंधक/ों, बैंकर/ों, अधोलेखक/ों, डिपाज़िटरीस और ऐसे सभी अभिकरणों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं निष्पादित करने और ऐसी सभी संस्थाओं और अभिकरणों को कमीशन, दलाली, शुल्क के संबंध में ऐसे अभिकरणों के साथ ऐसे सभी प्रबंधन, करार, ज्ञापन, दस्तावेज़ आदि निष्पादित करने के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए। "

"**यह भी संकल्प किया गया कि** उपर्युक्त विषय को प्रभावी करने के उद्देश्य से अग्रणी प्रबंधकों,हामिदारों, सलाहकारों और / या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके,निर्गम(ों) के निबंधनों व प्रकार निर्धारित करने, निवेशकों के संवर्ग सहित जिन्हें शेयर/प्रतिभूति आबंटित किए जानेवाले हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग को आबंटित किए जानेवाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि प्रीमियम हो तो वह भी शामिल है), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि / प्रतिभूतियों का परिवर्तन / वारंट बदलना / प्रतिभूतियों की परिपक्वता राशि लेना, ब्याज दर, परिपक्वता अवधि, प्रतिभूतियों का परिवर्तन या परिपक्वता या निरसन पर ईक्विटी शेयरों / अधिमान्य शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य,प्रतिभूतियों का निर्गम/परिवर्तन पर प्रीमियम / बट्टा, ब्याज दर,परिवर्तन की अवधि, लेखा बंदी और संबंधित या विविध मामलों हेतु रिकार्ड तारीख का नियतन करने, भारत में और /या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज मे सूचीबद्ध करने,जैसे मंडल उचित समझे,के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।"

"**यह भी संकल्प किया गया कि** शेयर / प्रतिभूति जिनको सबस्क्राइब नहीं किया गया है, उन्हें मंडल अपने विवेकाधिकार में जैसे उचित समझे और कानून द्वारा जैसे अनुमत है, उसके अनुसार निपटाया जाए। "

"**यह भी संकल्प किया गया कि** उपर्युक्त संकल्प को प्रभावित करने के उद्देश्य से, मंडल अपने विवेकाधिकार में जैसे उचित समझे वैसे उन कार्यों, मामलों और विषयों को करे और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और करारों को निष्पादित करने जिन्हें वह आवश्यक,उचित या वांछनीय समझे और शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में कोई संदेह, कठिनाई या प्रश्न हो तो संबंधित कार्यों, विषयों को समाप्त या निष्पादित करने के लिए आगे, बिना शेयरधारकों की सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के, और ऐसा समझकर कि संकल्प के प्राधिकार के रूप में शेयरधारक ने अपना अनुमोदन दिया है, इनके निपटान के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए।"

"**यह भी संकल्प किया गया कि** उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावित करने के उद्देश्य से बोर्ड को दिए गए सभी अधिकारों या किसी भी अधिकार को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक (ों) को प्रदान करने के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए।"

निदेशक मंडल की ओर से

चेन्नै
29.04.2014

(एम नरेन्द्र)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board" .

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/ securities are to be allotted, number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/ exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Chennai
29.04.2014

(M NARENDRA)
Chairman and Managing Director

नोट

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के लिए पात्र शेयरधारक स्वयं अपने स्थान पर उपस्थित होने और वोट करने के लिए किसी प्राक्सी को नियुक्त करने के लिए पात्र है और प्राक्सी बैंक का शेयरधारक हो, यह ज़रूरी नहीं है।

बहरहाल प्रतिनिधि की नियुक्ति के संबंध में पत्र, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में बैठक प्रारंभ होने के चार दिन पहले अर्थात् शनिवार दिनांक 21 जून 2014 को अपराह्न 2.00 बजे तक या पहले जमा कर देना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे किसी कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की सत्य प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की हो,जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के केंद्रीय कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से चार दिन पहले अर्थात शनिवार दिनांक 21 जून 2014 को अपराह्न 2.00 बजे तक या पहले जमा नहीं की जाती है।

3. बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को किसी भी शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

4. उपस्थिति पर्ची

शेयर धारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयर धारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे पर्ची में प्रदत्त जगह में अपने हस्ताक्षर करें और बैठक के स्थान में अभ्यर्पित करें ।प्रॉक्सी /प्रतिनिधि धारकों को उपस्थिति पर्ची में 'प्रॉक्सी/प्रतिनिधि धारक', जो भी लागू हो, अंकित कर देना है और उनके पास अपनी पहचान के प्रमाण स्वरूप शेयरधारक द्वारा उनके हस्ताक्षर अभिप्रमाणित होने चाहिए।

5. शेयर धारकों के रजिस्टर को बंद करना

लाभांश के उद्देश्य के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए शेयरधारकों केरजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ 21.06.2014 (शनिवार) से 27.06.2014 (शुक्रवार) (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेंगी । लाभांश वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से एक महीने के अंदर भेज दिया जाएगा।

6. लाभांश के लिए बैंक-अधिदेश या इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सर्विस (इसीएस)

बैंक नेशनल इलेक्टॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) / नेशनल इलेक्टॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस)सुविधा, जहाँ भी संभव हो, के द्वारा शेयर धारकों के बैंक खातों में लाभांश राशि जमा करेगा । शेयर धारक, जो इलेक्ट्रॉनिक फार्म में शेयर रखे हुए हैं, इसलिए, उनसे अनुरोध किया जाता है कि डिपॉजिटरी सहभागियों को अपने नवीनतम पते और बैंक के अनिवार्य ब्यौरे (नए खाते की संख्या , यदि कोई हो, बैंक को एमआइसीआर और आइएफएस कोड संख्या सहित) के बारे में तुरन्त सूचित करें, जिससे एनईएफटी / एनईसीएस के द्वारा लाभांश राशि शीघ्र जमा करना सुनिश्चित किया जा सके। शेयर धारक जो डिमेट फार्म में

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 2.00 p.m. on Saturday, 21st June 2014.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting i.e., on or before 2.00 p.m. on Saturday, 21st June 2014.

3. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

4. ATTENDANCE SLIP:

For the convenience of the shareholders, attendance slip is annexed to this notice. Shareholders/proxy holders/ representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders / representatives should state on the attendance slip as "proxy or representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

5. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 21.06.2014 (Saturday) to 27.06.2014 (Friday) (both days inclusive) for determining eligibility of shareholders for the purpose of dividend. Dividend shall be mailed within one month from the date of Annual General Meeting.

6. BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR ELECTRONIC CLEARING SERVICE (ECS):

The Bank will credit the dividend amounts to the bank accounts of the shareholders through National Electronic Funds Transfer (NEFT) / National Electronic Clearing Service (NECS) facility, wherever possible. The shareholders, who are holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their Depository Participants about their latest change of address and bank mandate details (including new account number, if any, bank's MICR and IFS Code numbers) immediately to ensure prompt crediting of the dividend amounts through NEFT / NECS. The shareholders

अपने शेयर रखे हुए हैं वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क कर सकते हैं।

शेयर धारक जो अपने शेयर भौतिक रूप से रखे हुए हैं उनको अपने अद्यतन बैंक के अनिवार्य ब्यौरे **पैरा (8)** में नीचे दिए गए पते पर बैंक के शेयर अंतरण ऐजेंट को 19 जून 2014 तक या उससे पहले भेजना चाहिए।

बैंक लाभांश वारंट तभी जारी करेगा जब इलेक्टॉनिक फार्म में भुगतान करने के लिए अपेक्षित आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं है या भुगतान अनुदेश असफल हुए हैं या बैंकर्स द्वारा निरस्त किया गया है। ऐसे मामलों में, बैंक ऐसे लाभांश वारंटों पर निवेशकों के बैंक खाता विवरणों का अनिवार्य रुप से मुद्रित करेगा । बैंक के ब्यौरे उपलब्ध नहीं होने के मामले में, बैंक शेयर धारकों को लाभांश वारंट प्रेषण नहीं करने में विवश हो सकता है।

लाभांश वारंटों के धोखाधड़ीपूर्ण नकदीकरण से बचने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे नकदीकरण के लिए लाभांश वारंटों को जिस बैंक शाखा में जमा करवाना चाहते हैं, उस बैंक का नाम और अपने खाते की संख्या का उल्लेख करें। ये ब्योरे, शेयरधारक के नाम के अलावा, लाभांश वारंट के चेक वाले हिस्से में मुद्रित किए जाएँगे ताकि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन वारंटों का नकदीकरण न किया जा सके। उपर्युक्त ब्योरे प्रथम/एकल शेयरधारक द्वारा

सीधे शेयर अन्तरण एजेंट/ डीपी को दिए जाने चाहिए जिसमें कि फोलियो संख्या अथवा डीपी आइडी संख्या एवं क्लाइंट आइडी संख्या और धारित शेयरों की संख्या 20.06.2014 तक या पहले दी जानी चाहिए।

यदि शेयर धारक कोई आशोधन प्रस्तुत करने का चयन नहीं करता, ऐसी स्थिति में डीमैट शेयर धारकों के लिए 20.06.2014 को रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त पूर्व में बैंक के अधिदेश अथवा एनएसडीएल / सीडीएसएल से डाउनलोड किए गए आकड़ों पर आधारित वारंट मुद्रित किया जाएगा। यह सभी शेयर धारकों पर लागू होगा जिन्होंने इसीएस अधिदेश प्रस्तुत नहीं किया है ।

7. अदावी लाभांश, यदि कोई हो

पिछले वर्षो जैसे 2000-2001 से जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वॉरण्ट को नहीं भुनाया/ लाभांश नहीं प्राप्त किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अनुलिपि वारंट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेण्ट से संपर्क करें। बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी में हुए संशोधन के अनुसार अदावी लाभांश खाते में अन्तरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए भुगतान न किए गए या अदावी शेष लाभांश की रकम कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आई ई पी एफ) में अन्तरित करनी है।

8. पते में परिवर्तन और लाभांश अधिदेश

जिन शेयरधारकों के शेयर भौतिक रूप में हैं, उन मामलों में, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पते में परिवर्तन, लाभांश अधिदेश और बैंक, शाखा और बैंक खाता संख्या के विवरण, जिसे शेयरधारक लाभांश वारंट पर उल्लिखित करना चाहते हैं, उन सब की जानकारी दिनांक

19.06.2014 (गुरुवार) तक या पहले निम्नलिखित पते पर, रजिस्ट्रार-व

who are holding the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details to **Share Transfer Agent** of the Bank at the address given **in Para (8)** below on or before 19th June, 2014.

The Bank will issue dividend warrants if and only if, necessary information required for making payment in electronic form is not available or payment instructions have failed or have been rejected by the Bankers. In such cases, the Bank will mandatorily print the bank account details of the investors on such dividend warrants. In case no bank details are available, the Bank may be constrained not to dispatch the dividend warrants to the shareholders.

In order to get protection from fraudulent encashment of warrants, shareholders are requested to furnish their bank account number, the name of the bank and the branch where they would like to deposit the dividend warrants for encashment. These particulars along with the name of the shareholder will be printed on the cheque portion of the dividend warrants, so that these warrants cannot be encashed by anyone else. The above mentioned details should be furnished by the first / sole shareholder directly to the share transfer agent / DPs quoting the Folio No. or DP ID No. & Client ID No. and the number of shares held on or before 20.06.2014. If shareholders choose not to submit any modification, the warrants will be printed based on bank mandate earlier received by the Registrar or data downloaded from NSDL / CDSL as on 20.06.2014 for demat shareholders. This is applicable for all shareholders who have not submitted ECS mandate(s).

7. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend from previous year's viz. 2000-2001 onwards are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate warrants.

Pursuant to the amendment of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Section 10B provides that the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C of The Companies Act, 1956.

8. CHANGE OF ADDRESS AND DIVIDEND MANDATE:

In case of shareholders holding shares in physical form, they are requested to intimate to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank any change in their address,

शेयर-अंतरण एजेंट को भेज दें:

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि.
(आइओबी-यूनिट)
पहला तल, सुब्रमणियन बिल्डिंग,

नं.1 - क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002

शेयर इलेक्ट्रानिक फार्म अर्थात डीमैट खाते के माध्यम से रखने वाले जो शेयरधारक, अपने लाभांश वारंट इत्यादि पर अपने पते में हुए परिवर्तन, लाभांश अधिदेश, बैंक शाखा के ब्योरों और बैंक खाता संख्या में कोई परिवर्तन करवाना चाहते हैं, वे इसकी सूचना 19.06.2014 या उससे पूर्व अपने डिपाज़िटरी प्रतिभागी को दे दें क्योंकि लाभांश का वितरण और इसके भुगतान के लिए दिनांक 20.06.2014(शुक्रवार) को डिपाज़िटरी द्वारा उपलब्ध करवाई गई उपर्युक्त जानकारी पर ही विचार किया जाएगा ।

9. फोलियो का समेकन

यह पाया गया है कि कई शेयरधारक एक से अधिक फोलियो यानि विविध फोलियो रखते हैं । शेयरधारकों को कुशल सेवा प्रदान करने तथा ऐसे फोलियो का समेकन करने हेतु, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे फोलियो का समेकन करें और शेयर प्रमाण-पत्र को पंजीयक और शेयर अंतरण एजेण्ट को पंजीयक के रिकार्डों में आवश्यक सुधार हेतु भेजें ।

10. निदेशकों के संक्षिप्त विवरण

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित लिस्टिंग करार के परिशोधित खण्ड 49 IV जी के तहत अपेक्षितानुसार कार्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट में निदेशकों के संक्षिप्त विवरण दिए गए हैं ।

11. शेयरधारकों से अनुरोध

(क) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संलग्न वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियाँ साथ लेते आएँ।

(ख) शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक-स्थल में किसी तरह के उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएँगे।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(एम. नरेंद्र)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

चेन्नै
29.04.2014

dividend mandate and the particulars of the bank, branch and bank account number which the shareholder desires to incorporate on the dividend warrant, on or before 19.06.2014 (Thursday) at the following address:

Cameo Corporate Services Ltd.
(IOB – unit)
1st floor, Subramanian Building,
No. 1, Club House Road, Chennai 600 002

In case of shareholders holding shares in Electronic form i.e. through Demat account, they are requested to intimate to their depository participant, on or before 19.06.2014 (Thursday) for any change in their address, dividend mandate and the particulars of the bank, branch and bank account number which the shareholder desires to incorporate on the dividend warrant etc., as the aforesaid information provided by the Depository as on 20.06.2014 (Friday) would only be considered for the purpose of payment and distribution of dividend.

9. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

It has been found that many shareholders maintain more than one folio (i.e.) multiple folios. In order to provide efficient service, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to Registrar and Share Transfer Agents for necessary corrections in their records.

10. BRIEF PROFILE OF DIRECTORS:

As required under the revised Clause 49 IV G of the Listing Agreement executed with the Stock Exchanges, brief profiles of Directors are given in the Report on Corporate Governance.

11. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

(a) Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report enclosed herewith.

(b) Shareholders may kindly note that no gifts / coupons will be distributed at the venue of the meeting.

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

(M NARENDRA)
Chairman and Managing Director

Chennai
29.04.2014

नोटिस की कार्यसूची मद सं.3 के व्याख्यात्मक विवरण:

1. मार्च 2014 में, बैंक ने अधिमान्य आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रति शेयर रु 10 की दर पर रु 38.84 प्रीमियम पर 8,15,00,000 ईक्विटी शेयर आबंटित किये हैं और इसके द्वारा रु.398.04 करोड़ हासिल किए हैं ताकि प्रमुख रूप से सुदीर्घ संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सके और वांछित स्तर के टायर-। पूँजी पर्याप्तता अनुपात को बनाये रख सके।

2. 31 मार्च 2014 को बेसल III के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.78% है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% से ज़्यादा है । फिर भी, बैंक की कुछ विस्तार योजनाओं के कारण, बेसल III मानदंड के कार्यान्वियन व तत्पश्चात पूंजी प्रभार के कारण पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और सुदृढ़ करने हेतु पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है।

3. प्रदत्त पूंजी बढ़ाने के लिए बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण)अधिनियम 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के निबंधनों के अनुसार बैंक भारत सरकार का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा। तथापि, केन्द्रीय सरकार का धारण, बैंक की प्रदत्त पूंजी में किसी भी समय में इक्यावन

प्रतिशत से कम नहीं होगा।

4. सूची करार (बैंक व स्टॉक एक्सचेंज के बीच) के खण्ड 23 के उप-खण्ड (अ) के अनुसार बैंक द्वारा निर्गम या कोई नया निर्गम जारी किया जाता है और शेयरधारकों द्वारा सामान्य बैठक में कोई दूसरा निर्णय नहीं लिया गया है तो वर्तमान शेयरधारकों को भी समानुपातिक रूप से दिया जाना चाहिए। यह संकल्प यदि पारित हो तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक रूप से करने के अलावा, प्रतिभूति आबंटित व जारी करने हेतु बैंक की ओर से मंडल को अनुमति है।

5. संकल्प से यह अपेक्षित है कि बैंक यह सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम ,या पात्र संस्थागत प्लेसमेंट अधिमानी निर्गम के द्वारा और/या निजी तौर पर आबंटन के ज़रिए ईक्विटी शेयरों /अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन किया जाए । निर्गम राशि के कारण बैंक यह सुनिश्चित कर सकेगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएँ सुदृढ़ हो जाए ।

6. संकल्प से यह अपेक्षित है कि आइसीडीआर विनियमन में उल्लिखितानुसार योग्य संस्थागत खरीदारों में से योग्य संस्थागत नियुक्ति करने हेतु निदेशक मंडल को अधिकार दिया जाए । शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना, बैंक निधि हासिल करने के लिए निदेशक मंडल आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के तहत उल्लिखित इस तंत्र को अपने विवेकाधिकार में अपनाएं। क्यू आइ पी निर्गम के मामले में, आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के निबंधनों के अनुसार प्रतिभूतियों का निर्गम क्यू आइ पी के आधार पर उस मूल्य पर किया जा सकता है जो कि संबंधित तारीख के पूर्व दो सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में सूचित साप्ताहिक उच्च व निम्न अंतिम मूल्यों के आनुपातिक मूल्य से कम न हो ।

'**संबंधित तारीख**' का अर्थ है कि जिस तारीख को बैठक में बैंक क्यू आइ पी निर्गम खोलने के लिए बैंक का मंडल या समिति निर्णय लेता है ।

7. प्रस्ताव के विस्तृत निबंधन व शर्तें वर्तमान बाज़ार स्थितियों व अन्य नियंत्रक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकारों, अग्रणी

EXPLANATORY STATEMENT to Agenda item No. 3 of the Notice.

1. In March 2014, the Bank has issued and allotted 8,15,00,000 equity shares of ₹. 10 each at a premium of ₹. 38.84 each to LIC of India on a Preferential Basis and raised ₹. 398.04 crore primarily to augment long term resources and maintain a Tier I capital adequacy ratio of desired level.

2. The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2014, as per Basel III is 10.78%, and well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

3. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-one per cent of the paid – up equity capital of the Bank.

4. Sub-Clause (a) of Clause 23 of Listing Agreement (between Bank and stock exchanges) provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

5. The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of public issue, rights issue,QIP, preferential issue and/or on a private placement basis. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

6. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made only at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date".

"Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

प्रबन्धकों और अधोलेखकों और ऐसे अन्य प्राधिकार या प्राधिकारों जैसे आवश्यक है, के साथ परामर्श करके निर्धारित किए जाएंगे ।

8. चूंकि प्रस्ताव के मूल्यांकन का निर्णय बाद की तारीखों के अलावा नहीं लिया जा सकता, अत: जारी किए जानेवाले शेयरों का मूल्य बताना संभव नहीं है।

तथापि यह आइसीडीआर विनियमन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2003 के प्रावधानों, जो समय समय पर संशोधित हैं या अन्य दिशानिर्देशों/ विनियमनों / सहमतियों जो लागू या आवश्यक हो, के अनुसार होगा ।

9. उक्त कारणों से, एक संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है जिससे मंडल को निर्गम के निबंधन निर्धारित करने हेतु पर्याप्त अधिकार दिया जा सकेगा ।

10. आबंटित ईक्विटी शेयर बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के सभी प्रकार के समान हितों जिनमें लाभांश भी शामिल है, के पात्र होंगे । इस प्रयोजन के लिए, बैंक को आवश्यक है कि एक विशेष संकल्प के ज़रिए शेयरधारकों की सहमति ली जाए । अत: उक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति का अनुरोध है ।

नोटिस में उल्लिखित संकल्पों को पारित करने हेतु निदेशक मंडल सिफारिश करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक को बैंक की शेयरधारण सीमा के अलावा उक्त संकल्प(ों) में कोई हित या उनसे कोई संबंध नहीं है ।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

चेन्नै
29.04.2014

(एम. नरेंद्र)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

7. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

8. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

9. For reasons aforesaid, an enabling resolution is proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

10. The equity shares allotted shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s) except to the extent of their shareholding in the Bank.

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Chennai
29.04.2014

(M NARENDRA)
Chairman and Managing Director

एक नज़र में

(रु करोड़ों में)

	मार्च 2014	मार्च 2013	मार्च 2012	मार्च 2011	मार्च 2010
वैश्विक जमा-राशियाँ	**227,976**	**202,135**	**178,434**	**145,229**	**110,795**
घरेलू जमा -राशियाँ	**219,731**	**195,457**	**172,219**	**140,381**	**105,434**
वैश्विक निवल अग्रिम	**161,998**	**144,894**	**125,064**	**101,270**	**71,327**
घरेलू सकल अग्रिम	**175,888**	**160,364**	**140,724**	**111,833**	**79,003**
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	**58,090**	**51,056**	**42,265**	**32,648**	**27,237**
कृषि उधार	**26,254**	**23,393**	**19,416**	**16,056**	**12,597**
निवल निवेश	**70,237**	**61,417**	**55,566**	**48,610**	**37,651**
सकल लाभ	**3,997**	**3,817**	**3,534**	**2,861**	**1,845**
निवल लाभ	**602**	**567**	**1,050**	**1,073**	**707**

AT A GLANCE

(₹. In Crore)

	March 2014	March 2013	March 2012	March 2011	March 2010
Global Deposits	**227,976**	**202,135**	**178,434**	**145,229**	**110,795**
Domestic Deposits	**219,731**	**195,457**	**172,219**	**140,381**	**105,434**
Domestic Gross Advances	**161,998**	**144,894**	**125,064**	**101,270**	**71,327**
Global Net Advances	**175,888**	**160,364**	**140,724**	**111,833**	**79,003**
Priority Sector Advances	**58,090**	**51,056**	**42,265**	**32,648**	**27,237**
Agricultural Credit	**26,254**	**23,393**	**19,416**	**16,056**	**12,597**
Net Investments	**70,237**	**61,417**	**55,566**	**48,610**	**37,651**
Gross Profit	**3,997**	**3,817**	**3,534**	**2,861**	**1,845**
Net Profit	**602**	**567**	**1,050**	**1,073**	**707**

निदेशकों की रिपोर्ट 2013-14

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते के साथ साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मण्डल को हर्ष का अनुभव हो रहा है।

वैश्विक कारोबार निष्पादन

यह गर्व की बात है कि बैंक ने पिछले साढ़े तीन वर्षों में (कारोबार लगभग दोगुना हो गया) कारोबार मिश्रण में 21.64% सीएजीआर वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण वृद्धि की है जो भावी भविष्य के लिए मजबूत आधार बनाता है। बैंक का कारोबार स्तर रुपए 4,00,000 करोड़ बिन्दु को पार कर गया है। इसी अवधि के दौरान बैंक ने 1200 से अधिक शाखाएँ खोली हैं और 3000 शाखाओं का महत्वपूर्ण पड़ाव पार करते हुए 31 मार्च 2014 तक घरेलू शाखाओं का नेटवर्क 3,265 तक पहुंच गया है। बैंक के इतिहास में अब तक की यह सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि है।

पूरी अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से ऋण के मोर्चे पर वर्ष 2013-14 के दौरान धीमी वृद्धि रही है। तदनुसार, बैंक की कुल जमा 12.78% की औसत वृद्धि के साथ मार्च 2013 में रुपए 2,02,135 करोड़ से बढ़कर मार्च 2014 में रुपए 2,27,976 करोड़ हो गई है। 10.17% वृद्धि के साथ कुल अग्रिमें पिछले वर्ष के रुपए 1,64,366 करोड़ के स्तर से बढ़कर रुपए 1,81,081 करोड़ हो गई हैं। कारोबार मिश्रण के मामले में, 2011 से ही सभी 19 राष्ट्रीय बैंकों में बैंक 7वें स्थान पर बरकरार है। पूरे वर्ष के लिए बाज़ार अंश 2.67% बना हुआ है।

वित्तीय निष्पादन

वैश्विक परिचालनगत लाभ 2012-13 के रुपए 3,817 करोड़ की तुलना में थोड़ा बढ़कर 2013-14 में रुपए 3,997 तक करोड़ पहुंच गया। चूंकि इस वर्ष के दौरान भी प्रावधानों का दबाव रहा, बैंक को रुपए 3,395 करोड़ की राशि का अधिक प्रावधान करना पड़ा जो बैंक के कुल परिचालनगत लाभ का 85% है। इसके फलस्वरूप, बैंक ने 6.2% की मामूली वृद्धि के साथ 2012-13 के रुपए 567 करोड़ की तुलना में 2013-14 में रुपए 602 करोड़ का कुल लाभ दिखाया। फरवरी 2014 में बैंक पहले ही 7% अंतरिम लाभांश अदा कर चुका है। कुल मिलाकर बैंक ने पूरे 2013-14 वर्ष के लिए कुल 12% लाभांश अदा करने का प्रस्ताव रखा है।

आय और व्यय विश्लेषण

घरेलू मोर्चे पर, 2013-14 के दौरान, जमाओं की लागत, पिछले वर्ष की तुलना में 7.80% की जगह 7.81% पर बरकरार है। यह इस वास्तविकता के बावजूद संभव हो पाया कि औसत घरेलू कासा पिछले वर्ष के 24.78% के स्तर की तुलना में गिरकर 24.25% पर आ गया है। बैंक ने मियादी जमाओं पर कार्ड दरें बाज़ार प्रवृत्ति के अनुसार जारी रखी हैं। मियादी जमाओं की कार्ड दरों में भी मामूली बढ़ोतरी हुई है। औसत कोर मियादी जमाओं में 39% की वृद्धि महत्वपूर्ण रही जिससे कासा में 0.53% की कमी का असर कम हो गया। यद्यपि, बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान 38 लाख कासा खाते खोले हैं, वे कासा खाते एक समय अंतराल के बाद ही कासा में बढ़ोतरी सृजित करेंगे।

फरवरी 2013 से बेस दर में कुल 50 आधार अंक की कटौती की हुई थी। चूंकि बैंक के कुल अग्रिमों में से 80% बैंक के बेस दर से जुड़े हैं, इससे ब्याज आय पर रुपए 600 करोड़ की हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिससे समीक्षा वर्ष में बैंक के कोर परिचालनगत लाभ के साथ कुल ब्याज मार्जिन भी प्रभावित हुआ। जो भी हो, सार्थक वसूलियों से बैंक वृद्धिशील प्रतिफल कायम रख पाया। अत: अग्रिमों पर घरेलू प्रतिफल पिछले वर्ष के 11.26% की तुलना में 10.95% रहा। अत: 2013-14 के लिए अग्रिमों पर वैश्विक प्रतिफल पिछले वर्ष 10.34% की तुलना में 10.04% रहा।

बाज़ार की अस्थिर परिस्थितियों के बावजूद, पूरे वर्ष में, निवेशों से आय 2012-13 के 7.37% की तुलना में 2013-14 में 7.39% पर स्थिर रही। जो भी हो, मुख्यत: पूर्व के 8.50% की रेपो दर की तुलना में 8% के वर्तमान स्तर तक वृद्धि के कारण, समीक्षा वर्ष में घरेलू उधार लागत पिछले वर्ष के 9.17% की तुलना में बढ़कर 9.65% हो गया। साथ ही, बैंक दर और एमएसएफ पिछले वर्ष की तुलना में 8.50% की तुलना में बढ़कर 9% हो गये। फलस्वरूप फंड की घरेलू लागत 2012-13 में 7.90% की तुलना में 2013-14 में बढ़कर 7.93% हो गई। इसके अतिरिक्त वृद्धिशील एनपीए और अग्रिमों की पुन:संरचना पर ब्याज प्रतिगमन के साथ निवल आय मार्जिन पर दबाव जारी रहा। इस कारणवश, वर्ष 2013-14 के लिए घरेलू स्तर पर बैंक का एनआइएम 2.34% रहा और वैश्विक स्तर पर 2.28% पर कायम रहा।

पूँजी पर्याप्तता अनुपात

31.03.2014 को बैसल III मानदंडों के अनुसार बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 10.78% रहा। भारत सरकार को अधिमानीय आधार पर रुपए 1200 करोड़ की राशि के बराबर 22,97,53,015 ईक्विटी शेयर जारी किए गए जिनका अंकित मूल्य रुपए 10 प्रति शेयर और प्रति ईक्विटी शेयर रुपए 52.23 (रुपए 42.23 प्रति ईक्विटी शेयर का प्रीमियम शामिल है) की दर थी। जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर रुपए 398.05 करोड़ की राशि के बराबर 8,15,00,000 ईक्विटी शेयर जारी किए गए जिनका अंकित मूल्य रुपए 10 प्रति शेयर और रुपए 48.84 प्रति ईक्विटी शेयर (रुपए 38.84 प्रति ईक्विटी शेयर का प्रीमियम शामिल है) की दर थी। अत: बैंक की प्रदत्त पूँजी रु. 924.10 करोड़ से बढ़कर रु.1235.35 करोड़ हो गयी और भारत सरकार की शेयरधारिता रु. 681.96 करोड़ (73.80 प्रतिशत) से बढ़कर रु. 911.71 करोड़ (73.80 प्रतिशत) हो गयी है, 31 मार्च 2014 को भारत सरकार की शेयरधारिता 73.80 प्रतिशत पर बनी रही।

शाखा नेटवर्क

भारत भर में शाखा का विस्तार करने व वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण उपायों में से एक त्वरित शाखा विस्तार जारी रहेगा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने देश भर में 363 शाखाएं खोलीं। वर्ष 2013-14 के दौरान खोली गई 363 शाखाओं में से 232 शाखाएं (63.91%) ग्रामीण व अर्द्धशहरी क्षेत्रों में स्थित हैं जिनमें से 98 शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। ये नई शाखाएं बैंक को नए संबंध बनाने और हमारे प्रसार को बढ़ाने के साथ ही नेटवर्क के दायरे को सभी राज्यों तक पहुंचाने में मददगार होंगी। नई शाखओं में कासा का औसत करीब 45% है।

वर्ष के दौरान ऋण प्रदान करने के लिए विकेंद्रीकरण करने व निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने और टर्नअराउंड समय को कम करने के लिहाज से बैंक ने 19 रैपिड रीटेल केंद्र, 9 एमएसएमई संसाधन केंद्र और 8 सिटी बैंक कार्यालय खोले। 31 मार्च 2014 को बैंक की देश में 3265 शाखाएं थीं जबकि 31 मार्च 2013 को यह संख्या 2902 थी। इनमें से 985 ग्रामीण शाखाएं (कुल शखाओं का 30.17%), 904 अर्द्धशहरी शाखाएं (27.68%), 728 शहरी शाखाएं (22.30%) और 648 महानगरीय शाखाएं (19.85%) हैं। इनके अतिरिक्त बैंक में 7 राष्ट्रीय बैंकिंग महाप्रबंधन कार्यालय, 59 क्षेत्रीय कार्यालय, 3 उप-शाखाएं, 20 सेटेलाइट कार्यालय, 39 सिटी बैंक कार्यालय, 33 रैपिट रीटेल केंद्र, 18 एमएसएमई संसाधन केंद्र और 6 निरीक्षणालय भी हैं।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अर्थ उस प्रणाली से है जिससे संगठन निर्दिष्ट व नियंत्रित किए जाते हैं। गवर्नेंस का ढांचा संगठन के प्रतिभागियों जैसे निदेशक मंडल, प्रबंधक, शेयरधारक, लेनदार, लेखापरीक्षण नियंत्रक और अन्य हितधारकों के बीच अधिकार व दायित्व को निर्दिष्ट करता है। साथ ही कॉर्पोरेट मामलों में निर्णय लेने के लिए नियम व प्रक्रियाओं को भी निर्दिष्ट करता है।

बैंक का कॉर्पोरेट गवर्नेंस व्यवहार कारोबार के संचालन, सभी हितधारकों के मूल्यों में बढ़ोतरी करने, उच्चतम स्तर के प्रकटन को बनाए रखने के लिए व विधियों व विनियमों का पालन करने में नैतिक व्यवहार के प्रति संपूर्ण प्रतिबद्धता पर आधारित होता है। बैंक ने विनियामकों के दिशानिर्देशों का

DIRECTORS' REPORT 2013-14

The Board of Directors have pleasure in presenting the Annual Report together with audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2014.

Global Business Performance

It is a matter of pride that the Bank has made a significant growth in Business Mix during the last 3½ years (business almost doubled) with a CAGR growth of 21.64%, which forms a strong base for future prospects. The business level of the Bank now crossed ₹. 4,00,000 crores mark. During the same period, the Bank has opened more than 1,200 branches and crossed the milestone of 3,000 branches taking the domestic branch network to 3,265 as of 31st March 2014. This is a remarkable achievement ever made in the history of the Bank.

During the year 2013-14, there was a sluggish growth in the credit front due to slowdown in the economy as a whole. Accordingly, the Bank's total deposits increased from ₹. 2,02,135 crores in March 2013 to ₹. 2,27,976 crores in March 2014 with a moderate growth of 12.78%. The total advances increased to ₹. 1,81,081 crores with a growth of 10.17% from the last year level of ₹. 1,64,366 crores. In terms of business mix, the Bank has been maintaining its 7th position among all the 19 nationalized banks since 2011. The market share is maintained at 2.67% for the year as a whole.

Financial Performance

The global operating profit marginally increased to ₹. 3,997 crores in 2013-14 compared to ₹. 3,817 crores in 2012-13. As the constraints on provisions continued during this financial year also, the Bank has to make higher provisions to a sum of ₹. 3,395 crores constituting 85% of total operating profit. As a result, the Bank has posted ₹. 602 crores Net Profit in 2013-14 with a marginal growth of 6.2% compared to ₹. 567 crores in 2012-13. The Bank has already paid an interim dividend of 7% in February 2014. As a whole, the Bank has proposed to pay a total dividend of 12% for the whole year 2013-14.

Income and Expenditure Analysis

In the domestic front, during 2013-14, the cost of deposits was maintained at 7.81% compared to 7.80% in last year. This was possible despite the fact that the average domestic CASA has come down to 24.25% compared to last year level of 24.78% domestically. The Bank was maintaining the card rates on term deposits in line with the market trend. There was a moderate increase in card rates on term deposits also. The growth in average core term deposit was significant at 39% which had offset the impact of the above 0.53% CASA reduction. Though the Bank has opened around 38 lakhs CASA accounts during the year 2013-14, those CASA accounts will generate more volume in CASA only over a period of time.

There was a reduction in base rate by overall 50 basis points with effect from February 2013. As about 80% of total advances are linked to Bank's base rate, there was an adverse impact on interest earnings to the tune of ₹. 600 crores affecting the Bank's core operating profit as well as Net Interest Margin for the year under review. However, the Bank was able to maintain the incremental yield apart from substantial recoveries. Hence, the domestic yield on advances stood at 10.95% when compared to 11.26% last year. As such, the global yield on advances for the year 2013-14 stood at 10.04% compared to 10.34% in last year.

Despite volatile market conditions, the yield on investments was steady at 7.39% for the whole year 2013-14 compared to 7.37% in 2012-13. However, the domestic cost of borrowings increased to 9.65% in the period under review when compared to 9.17% last year mainly due to increase in repo rate to the present level of 8% compared to 7.50% earlier, Also, Bank rate & MSF increased to 9 % compared to 8.50% last year. As a result, the domestic cost of funds increased to 7.93% in 2013-14 compared to 7.90% in 2012-13. Apart from this, the constraints on Net Interest Margin continued with incremental NPAs and interest reversal on restructured advances. With this, the Bank maintained the NIM at 2.34% domestically and 2.28% globally for the year 2013-14.

Capital Adequacy Ratio

The Bank's Capital Adequacy Ratio as on 31st March 2014 stood at 10.78% as per Basel III norms. The Bank has issued 22,97,53,015 Equity Shares, of face value ₹. 10/- each, at the rate of ₹. 52.23 per equity share (including premium of ₹. 42.23 per equity share) amounting to ₹. 1200 crores to Government of India on Preferential Basis and 8,15,00,000 Equity shares, of face value ₹. 10/- each, at the rate of ₹. 48.84 per equity share (including premium of ₹. 38.84 per equity share) aggregating to ₹. 398.05 crores to LIC of India on Preferential Basis. Hence, the Paid-up Capital of the Bank has increased from ₹. 924.10 crores to ₹. 1235.35 crores and Government of India's shareholding has increased from ₹. 681.96 crores (73.80%) to ₹. 911.71 crores (73.80%), retaining their holding level at 73.80% as on 31st March 2014.

Branch Network

Rapid branch expansion continues to be one of the strategic initiatives taken by the Bank for augmenting its pan India branch net work and organic growth. During the year under review, the Bank opened 363 branches across the country. Out of 363 branches opened during 2013-14, 232 branches (63.91%) are located in Rural and Semi Urban centres, of which 98 branches are located in Unbanked Rural Centres. These new branches have enabled the Bank to enhance new relationships and spread our presence and net work farther and wider now covering all states. The average CASA in the new branches is about 45%.

In order to decentralize the decision making process and reduce the turnaround time for credit delivery, the Bank opened 19 Rapid Retail Centres, 9 MSME Processing Centres and 8 City Back Offices during the year. As on 31st March 2014, the Bank had 3,265 domestic branches, as against 2,902 branches as on 31st March 2013, comprising of 985 rural branches (30.17% to total branches), 904 Semi Urban branches (27.68%), 728 Urban branches (22.30 %) and 648 Metropolitan branches (19.85%). In addition, the Bank has 7 National Banking General Managers Offices, 59 Regional Offices, 3 Extension Counters, 20 Satellite Offices, 39 City Back Offices, 33 Rapid Retail centers (RLPCs), 18 MSME Processing Centres and 6 Inspectorates.

Corporate Governance

Corporate Governance refers to the system by which organizations are directed and controlled. The governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the organisation such as the Board of Directors, Managers, Shareholders, Creditors, Auditors, regulators and other stakeholders and specifies the rules and procedures for making decisions in corporate affairs.

Bank's Corporate Governance Practices are based on total commitment to ethical practices in the conduct of business,

अनुपालन किया है जिसका परीक्षण सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है। बैंक सुपरिभाषित आचार संहिता का पालन करता है जो निष्ठा के मुद्दों, हितों के टकराव, गोपनीयता के विवाद का निवारण करता है और नैतिक आचरण की आवश्यकता पर जोर देता है जो उत्तम गवर्नेंस का आधार होता है। हमारे मंडल द्वारा अनुमोदित आचरण सम्यता मंडल के सभी सदस्यों व वरिष्ठ प्रबंधन (बैंक के महाप्रबंधकों तक) पर लागू है।

बैंक विनियामक प्राधिकरणों और भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सभी मानदंडों का पालन कर रहा है। सूची करार के उपबंध 47 के अंतर्गत एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति सेबी के विभिन्न प्रावधानों और जहां बैंक के शेयर लिस्ट हैं उस स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूची करार के अनुपालन की निगरानी करने के लिए किया जाता है। सूची करार के उपबंध 49 के अनुपालन में बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति के अलावा बोर्ड को भी उसके सूचनार्थ प्रस्तुत करता है। बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरधारकों की शिकायतों का निवारण तत्काल कर लिया जाता है।

विज़न-अभियान 2013-2020

बैंक ने प्रतिस्पर्धी माहौल में बदलते परिदृश्य के मद्देनज़र 2013-2020 की अवधि के लिए मध्यम अवधि विजन-अभियान खाका तैयार किया है। बैंक ने 4 व 5 अप्रैल 2013 को चन्नै में कारोबार प्रायोजना सम्मेलन आहूत किया। तदोपरांत दिनांक 6 व 7 नवंबर 2013 को कारोबार प्रायोजना समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। बैंक ने उत्पादों व बाज़ार, कारोबार में नवोन्मेष और ई-गवर्नेंस समेत कारोबार प्रायोजना की रणनीति पर चर्चा हेतु दिनांक 14 मार्च 2014 को मंडल निदेशकों की विशिष्ट बैठक आयोजित की।

पुरस्कार व सम्मान

- बैंक को ग्रीनटेक फाउंडेशन नई दिल्ली से वर्ष 2011-12 के लिए "ट्रेनिंग एक्सेलेंस एचआर अवार्ड" वर्ग में प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान किया गया।
- बैंक को आईपीई बीएफएसआई पुरस्कार 2013 तीन वर्गों यथा सार्वजनिक क्षेत्र में उत्कृष्ट बैंक, ग्रामीण पहुंच वाला बेहतर बैंक और उत्कृष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत प्राप्त हुआ।
- बैंक को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट- पोलरिस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बैंकिंग पुरस्कार 2013 में प्राथमिकता क्षेत्र उधार के तहत उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के रूप में पुरस्कृत किया गया।
- डब्ल्यूएएन की उच्च उपलब्धता और कागज रहित बोर्ड के लिए बैंक को स्कॉच अवार्ड 2013 प्राप्त हुआ।
- बेस्ट इंडियन बैंक - वृहद, उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र बैंक- वृहद और उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र बैंक क- ग्राहक उन्मुखता नामक तीन वर्गों के तहत द संडे स्टैंडर्ड बेस्ट बैंकर्स अवार्ड्स 2013 प्राप्त किया।
- एसोचैम के सोशल बैंकिंग एक्सेलेंस अवार्ड्स 2013 में बैंक को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।
- एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स के अंतर्गत बैंक ने डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड जीता।
- बैंक को हिन्दी मे गृह- पत्रिका के लिए वर्ष 2012-13 के लिए भारत सरकार से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त - "ग" क्षेत्र के तहत प्रथम पुरस्कार।
- पेमेंट गेटवे एकीकरण परियोजना के लिए बैंक को एफआइपीएस पुरस्कार 2013 के लिए विजेता नामित किया गया है।
- आरएसइटीआई पुरस्कारों के तहत बैंक की 2 आरएसइटीआई को "एए" रैंक मिला है और 3 आरएसइटीआई को "ए" रैंक प्राप्त हुआ है।
- सीआईएमएसएमई ने तीन वर्गों, वित्तीय समावेशन पुरस्कार, नए उपायों के लिए ज्यूरी पुरस्कार और एमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार (रनर अप) के तहत बैंक को एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2013 से पुरस्कृत किया।
- इंडियन बैंक असोसिएशन द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आइएबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार के तहत "कारोबार इंटेलिजेंस का उत्तम प्रयोग" वर्ग में बैंक को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।
- वॉल कैलेंडर तथा सीएसआर पहलों के लिए पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने कोलैटरल पुरस्कार 2013 में बैंक को विजेता घोषित किया है।
- तमिलनाडु सरकार ने बैंक को वर्ष 2011-12 के लिए स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने में उत्कृष्टता हेतु उत्कृष्ट बैंक के रूप में घोषित किया है।
- दक्षिणांचल स्तर में वर्ष 2012-13 के लिए पीएमइजीपी के कार्यान्वयन में अभूतपूर्व निष्पादन के लिए बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- बैंक ने इंडिया बिजनेस जर्नल का आइबीजे बिजनेस उत्कृष्टता पुरस्कार 2013 - ग्राहक फोकस पुरस्कार।

बोर्ड के निदेशक

श्री ए. के. बंसल, कार्यपालक निदेशक दिनांक 31 मई 2013 को अधिवर्षिता के आधार पर सेवानिवृत्त होने के पश्चात अब निदेशक नहीं हैं। श्री अतुल अग्रवाल ने 27 सितंबर 2013 को बैंक में कार्यपालक निदेशक के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया। श्री जे. डी. शर्मा को दिनांक 02 मई 2013 को अधिकारी अधिकारी कर्मचारी निदेशक के तौर पर नामित किया गया। 13 नवंबर 2013 को श्री चिन्नैया अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया। श्रीमती सुजाता 5 दिसंबर 2013 को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित की गईं। 12 दिसंबर 2013 को श्री ए. बी. डी. बादुशास अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किए गए। श्री एस. एल. लखोटिया दिनांक 8 अगस्त 2013 को अपना तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त कर कर्मकार कर्मचारी निदेशक के कार्यभार से मुक्त हो गए। श्री आर. संपत कुमार 24 जनवरी 2014 को कर्मकार कर्मचारी निदेशक नामित किए गए। श्री एस. वी. राघवन 12 मार्च 2014 को आरबीआई नामित निदेशक के पद से कार्यमुक्त हुए। श्री निर्मल चंद को 13 मार्च 2014 को आरबीआई नामित निदेशक नामित किया गया है। निदेशक मंडल ने निवर्तमान निदेशकों के सराहनीय योगदान को दर्ज किया और नवागंतुक निदेशकों का स्वागत किया।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंजों, विभिन्न राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं एवं अंतरराष्ट्रीय विनियामकों से प्राप्त मूल्यवान सहयोग को दर्ज करता है। निदेशक मंडल बैंक के बहुमूल्य ग्राहकों, कर्मचारी संघ, अधिकारी संघ, घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय, शेयरधारकों, अन्य स्टेकधारकों को उनकी सद्भावना, उनके संरक्षण व बैंक पर उनके विश्वास को दर्ज करता है।

बैंक अपने सभी स्तर के स्टाफ सदस्यों के मूल्यवान योगदान के प्रति अपनी प्रगाढ़ प्रशंसा भी दर्ज़ करना चाहता है और अपेक्षा करता है कि भविष्यगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वे टीम के प्रयासों में लैस व लिप्त रहेंगे।

कृते और निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

एम. नरेंद्र
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

चेन्नै
29 अप्रैल 2014

striving hard to enhance all stakeholders' value, maintaining a high degree of disclosure levels and adhering to the Laws and Regulations. Bank has complied with the guidelines of the regulators and the same has been examined by the Statutory Central Auditors. The Bank follows a well-defined Code of Conduct, which fairly addresses the issues of integrity, conflict of interest and confidentiality and stresses the need of ethical conduct, which is the basis of good Governance. This code of conduct as approved by our Board is applicable to all the members of the Board and the Senior Management (i.e. up to General Managers of the Bank).

Bank is complying with all the norms laid down by Regulatory Authorities and Government of India. A compliance Officer under Clause 47 of the Listing Agreement is appointed to oversee the compliance with various provisions of SEBI and the Listing Agreement entered with the Stock Exchanges, where the Bank's shares are listed. The Bank is also submitting a quarterly compliance report on Corporate Governance in compliance of Clause 49 of the Listing Agreement besides putting up the same to Audit Committee of the Board for their information. Bank also ensures that all the shareholders' complaints are duly resolved then and there.

Vision-Mission: 2013-2020

Taking in to consideration the changing dynamics in the competitive environment, the Bank formulated its medium term Vision-Mission outlook for the period 2013 – 2020.

The Bank convened a Business Plan Conference at Chennai on 4th & 5th April 2013, The Business Plan Conference was followed by a Business Plan Review Conference on 6th & 7th November 2013. The Bank also convened an exclusive meeting of the Board of Directors on 14th March 2014 to discuss the Strategic Business Plan including products & markets, Innovation in Business and e-governance.

Awards & Accolades

- Bank won the Platinum Award for the category "Training Excellence HR Award" for the year 2011-12 from the Greentech Foundation, New Delhi.
- Bank won IPE BFSI Awards 2013 under three categories namely Best Bank in PSU Sector, Best Bank in Rural Outreach and Best CSR.
- Bank has been accorded as the Best Public Sector Bank under Priority Sector lending in Dun & Bradstreet - Polaris Financial Technology Banking Awards 2013.
- Bank has won the Skoch Awards 2013 – for High Availability of WAN and Paperless Board.
- Bank has won The Sunday Standard Best Bankers Awards 2013 under three categories namely Best Indian Bank – Large, Best Public Sector Bank – Large and Best Public Sector Bank – Customer Orientation.
- Bank was declared Runner up in the ASSOCHAM's Social Banking Excellence Awards 2013.
- Bank won Development Leadership Award 2013 under Agriculture Leadership Awards.
- Bank won National Award for the in-house Magazine in Hindi for 2012-13 – First Prize under "C" Category.
- Bank was nominated as winner of FIPS Awards 2013 for the project of integration of Payment Gateway.
- 2 RSETIs were awarded "AA" ranking and 3 RSETIs were awarded "A" ranking in RSETI Awards.
- CIMSME gave the Bank "MSME Banking Excellence Award 2013" in three categories namely Financial Inclusion Award, Jury Award for New Initiatives & MSME Excellence Award (Runner up)
- Bank was adjudged as the First Runner Up in the category of "Best Use of Business Intelligence" among Public Sector Banks in IBA Banking Technology Awards 2012-13 by Indian Banks Association.
- Public Relations Council of India in their Collateral Awards 2013 declared Bank winner for Wall Calendar and CSR Initiatives.
- Tamil Nadu Government declared the Bank as the Best Bank Award for Excellence in Credit Linking Self Help Groups for 2011-12.
- Bank won National Award for Outstanding Performance in Implementing PMEGP in South Zone level for 2012-13.
- India Business Journal's IBJ Business Excellence Award 2013 – Customer Focus Award.

Board of Directors

Shri A.K.Bansal, Executive Director who retired on superannuation on 31st May 2013 ceased to be Director. Shri Atul Agarwal joined the Bank as Executive Director on 27th September 2013. Shri J. D. Sharma has been nominated as Officer Employee Director on 2nd May 2013. Shri Chinnaiah has been nominated as Part time Non Official Director on 13th November 2013. Smt. Sujatha has been nominated as Part time Non Official Director on 5th December 2013. Shri A.B.D.Badushas has been nominated as Part time Non Official Director on 12th December 2013. Shri S.L.Lakhotia, Workmen Employee Director, ceased to be Director on completion of his 3 years term on 8th August 2013. Shri R. Sampath Kumar has been nominated as Workmen Employee Director on 24th January 2014. Shri S.V. Raghavan, RBI Nominee Director, demitted office on 12th March 2014. Shri Nirmal Chand has been nominated as RBI Nominee Director on 13th March 2014. The Board of Directors places on record their appreciation for the valuable contributions made by the erstwhile Directors and welcome the new Directors.

Acknowledgement

The Board of Directors acknowledge with gratitude, the valuable guidance received from the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, State Governments, Financial Institutions& Overseas Regulators. The Board of Directors is thankful to the valued Customers, Employees Union, Officers Association, its domestic and international banking community, the shareholders & other stake holders for their valued support, continued patronage and confidence exhibited with the Bank.

The Board also wishes to place on record its deep appreciation for the valuable contribution of the Bank's Staff at all level and look forward to their continued involvement and spirited team effort towards achieving the future goals.

For and on behalf of the Board of Directors

Chennai
April 29, 2014

M. NARENDRA
Chairman and Managing Director

प्रबंधन विमर्श व विश्लेषण

आर्थिक वातावरण व बैंकिंग परिदृश्य

विगत वित्तीय वर्ष में 4.5% वृद्धि की तुलना में 2013-14 में प्रत्याशित वृद्धि 4.9% थी। यद्यपि मूल्य स्फीति पक्ष में नहीं थी वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.6% के आस पास रहा। फॉरेक्स आरक्षिति फरवरी 2014 के दौरान यूएस डॉलर 295 बिलियन थी। तथापि मार्च 2013 में खुदरा स्फीति 8.31% तक बढ़ी जबकि मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में 5.7% रही। क्रिसिल के पूर्वानुमान के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ने के आसार हैं। यद्यपि अर्थव्यस्था में ठीक ठाक वसूली हुई है, बचत दर में तेजी की आवश्यकता है क्योंकि मुद्रास्फीति का रुझान सकारात्मक नहीं हो पाया है।

यूएस के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वह अपने मासिक यूएस डॉलर 85 बिलियन के बांड खरीद कार्यक्रम में यूएस डॉलर 10 बिलियन की कमी करेगा जो जनवरी 2014 से लागू होगा लेकिन एफईडी ने वादा किया है कि वह बाज़ार की प्रत्याशा से अधिक अवधि तक निम्न ब्याज दर बनाए रखेगा। अब देश यूएस बॉन्ड खरीद के मासिक बॉन्ड खरीद कार्यक्रम में कमी से उपजी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत के फॉरेक्स आरक्षिति में बढ़ोतरी के लिए केंद्रीय बैंक ने एफसीएनआर (बी) जमाओं को आकर्षित करने के लिए विशिष्ट रियायती डॉलर स्वैप विंडो खोला, परिणामस्वरूप सितंबर और नवंबर के बीच देश में 34 बिलियन यूएस डॉलर की बढ़ोतरी हो गई। एफआइआइ ने भी सितंबर से रुपए 45,000 करोड़ से अधिक पूंजी अंतरवाह किया है। विदेशी विनिमय आरक्षिती जो सितंबर 2013 की शुरुआत में तीन वर्ष के न्यूनतम स्तर पर घट चुकी थी, वह आठ माह के उच्चतम स्तर यानि 295.7 बिलियन यूएस डलर तक पहुंच चुकी है। निर्यात में कमी रही और सोने के आयात में भी गिरावट हुई परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा 5.2 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्थिति को कायदे से संभाला और वस्तुत: गिरावट के समाचार के कारण सभी उभरती बाज़ार मुद्राएं लुढ़कने से बच गईं।

बैंकिंग क्षेत्र में पूर्व में एससीबी की समग्र जमाओं में 14% और क्रेडिट में 15% की बढ़ोतरी का अनुमान किया गया था। 21 मार्च 2014 को समाप्त पखवाड़े को जमाओं में 14.63% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि सिस्टम में दर्ज़ की गई और अग्रिमों में 14.26% वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष 2013-14 के दौरान पॉलिसी दरों में महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नवत रहे:

1. रेपो दर मई 2013 में 7.25%, सितंबर 2013 में 7.50% और अक्तूबर 2013 में 7.75% से बढ़कर वर्तमान में 8% है।
2. एमएसएफ दर- वर्तमान में 9%। जो जुलाई 2013 के 10.25%, सितंबर 2013 के 9.5% और अक्तूबर 2013 के 8.75% से घट गया।
3. सीआरआर और एसएलआर क्रमश: वर्ष भर 4% और 23% पर बने रहे।
4. औसत आधार दर- पिछले वर्ष के 9.75% - 10.50% की तुलना में 10 - 10.25% रहा।
5. एक वर्ष से अधिक की मियादी जमा पिछले वर्ष के 8.50% - 9.25% के स्तर से वर्तमान में 8%- 9.10% पर सामान्य रहा।
6. कॉल दरें अगस्त 2013 से 8% के आसपास बनी हुई हैं।

   कुछ अन्य उपायों में यूएस डॉलर-रुपए में अदला-बदली की सुविधा, ईसीबी पर पुनरीक्षा की सीमा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहन, एनआरआई जमाओं पर ब्याज दरों को विनियमन से परे रखना, बैंकों के लिए विदेशी निधियां जुटाने के लिए संभावनाएं तलाशने के लिए विदेशी उधारियों की सीमा टीयर I कैपिटल की सीमा बढ़ाकर 50% से 100% तक करना, सोने पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी, एफडीआई नीति में परिवर्तन, ब्याज रियायत योजनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को विस्तारित करना, रुपए के अवमूल्यन को कम करने के उपाय करना आदि शामिल हैं।

फिच रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पुनर्संरचित क़र्ज समेत घरेलू बैंकों के ऋणों के दबाव में बढ़ोतरी जारी रहकर 2014-15 के अंत तक 15% पहुंच सकता है जो कि 2013-14 में 10% से अधिक था जिसके कारण बैंक की लाभप्रदता को लेकर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है।

बैंक के परिचालन

घरेलू जमाएं

बैंक की कुल घरेलू जमाएं मार्च 2013 में रुपए 1,95,457 करोड़ से 12.42% की वृद्धि के साथ मार्च 2014 में रुपए 2,19,731 करोड़ हो गईं। बैंक की घरेलू कासा जमाएं 7.94% की सामान्य वृद्धि के साथ रुपए 56,884 करोड़ पहुंच गईं फलस्वरूप कासा अनुपात 25.89% हो गया। बैंक ने कुल मिलाकर पूरे वर्ष में 38 लाख कासा खाते खोले हैं। इससे बैंक अपनी बाज़ार हिस्सेदारी 21 मार्च 2014 को वर्ष दर वर्ष पखवाड़ा आधार पर 2.73% पर कायम रख पाया।

घरेलू अग्रिम

देशी सकल अग्रिम 11.80% की वृद्धि के साथ मार्च 2013 को रुपए 1,44,894 करोड़ की तुलना में सुधरकर मार्च 2014 में रुपए 1,61,998 करोड़ हो गई। घरेलू सीडी अनुपात पिछले वर्ष में 74.13% की तुलना में मार्च 2014 को 73.73% पर कायम रहा। 2.59% की बाज़ार हिस्सेदारी से बैंक की स्थिति ठीक रही।

विदेशी निष्पादन

अगस्त 2013 के दौरान बैंक ने श्रीलंका में स्थित अपनी उप शाखा को शाखा के रूप में उन्नत किया जिसके लिए श्रीलंका में शाखाओं की संख्या बढ़ाकर दो करने संबंधी विनियामक अनुमोदन विधिवत रूप से प्राप्त किया गया। कोलंबो स्थित एफसीबीयू ने जनवरी 2014 से परिचालन प्रारंभ कर दिया है। बैंक सुखमवित, थायलेंड में कार्यालय खोलने की प्रक्रिया में है जिसका परिचालन अगस्त 2014 में प्रारंभ होने के आसार हैं।

मार्च 2014 के अंत तक विदेश में बैंक के 13 प्रतिष्ठान थे जिनमें 7 विदेशी शाखाएं, 3 प्रतिनिधि कार्यालय, 2 विप्रेषण केंद्र और 1 संयुक्त उपक्रम अनुषंगी इकाई शामिल है। हॉन्गकॉन्ग और श्रीलंका में एक-एक शाखाएं हैं और सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और बैंकॉक में एक-एक शाखाएं हैं।

फॉरेक्स परिचालन

टर्नओवर

एडी शाखाओं सहित 2013-14 के लिए कुल वाणिज्यिक टर्नओवर पिछले वर्ष के रुपए 1,10,553 करोड़ की तुलना में 17.88% की वृद्धि दर्ज़ करते हुए रुपए 1,30,319 करोड़ रहा। इसमें पिछले वर्ष रुपए 2538 करोड़ (8751 किलोग्राम) की तुलना में रुपए 1470 करोड़ (5768 किलोग्राम) का वर्ष 2013-14 के लिए बैंक का बहुमूल्य धातु कारोबार शामिल है।

विनिमय पर लाभ

बैंक ने वर्ष 2013-14 के लिए विनिमय पर कुल लाभ रुपए 221 करोड़ अर्जित किया और घरेलू बहुमूल्य धातु कारोबार से रुपए 8 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Economic Environment & Banking Environment

The economy is expected to report a growth of 4.9% in 2013-14 compared to 4.5% in the previous fiscal. Though the price inflation was not comfortable, the Fiscal deficit was contained around 4.6% of GDP. Forex reserves stood at US $ 295 billion during Feb 2014. However, the retail inflation in March 2013 increased to 8.31% where as the inflation measured in terms of WPI stood at 5.7%. As per CRISIL forecast, the GDP may grow higher at 6% in the current fiscal 2014-15. Although there is a modest recovery in the economy, savings rate is yet to pickup as inflationary trends are not easing favorably.

The US central bank earlier said that it would reduce its monthly US $ 85 billion bond-buying program by US $ 10 billion a month starting January 2014. But the Fed promised to keep the low-interest-rate regime longer than the markets anticipation. Now, the country is better prepared to deal with the situation arising out of the tapering of US bond-purchase program. The country raised about US $ 34 billion between September and November when the central bank opened a special concessional dollar-swap window to attract FCNR (B) deposits, adding to India's forex reserves. FIIs have also pumped in a little over Rs 45,000 crore since September. Foreign exchange reserves, which had dropped to a three-year low in early September 2013, edged to an eight-month high of US $ 295.7 billion. There was a turnaround in exports and decline in gold imports narrowing current account deficit (CAD) to US $ 5.2 billion. RBI handled the situation carefully and as a matter of fact that the tapering news have not collapsed all emerging market currencies.

In the Banking sector, aggregate deposits of SCB's are earlier projected to grow by 14% and credit by 15%. As of fortnightly ending 21st March 2014, The System recorded 14.63% Y-o-Y growth in deposits and 14.26% in the advances.

The following were the key changes in the policy rates during the year 2013-14.

1. Repo rate increased to 8% as of now from 7.25% in May 2013, 7.50% in Sept 2013 & 7.75% in Oct 2013.
2. MSF rate presently at 9%, however reduced from 10.25% in July 2013, 9.50% in Sept 2013 & 8.75% in Oct 2013.
3. CRR and SLR are maintained at the same level of 4% and 23% respectively for the whole year.
4. The average Base Rate is between 10-10.25% against the last year level of 9.75%-10.50%.
5. Term Deposits of more than 1 year moderated to 8 % - 9.10% at present from the last year level of 8.50% - 9.25%.
6. Call Rates is hovering around 8% since Aug 2013.

Some of the other measures include swap facility on US dollar – Rupee, Reviewing the limits on ECB, encouraging overseas Direct Investments, De regulation of Interest rates on NRI deposits, raising overseas borrowing limits of Banks from 50% of unimpaired Tier I capital to 100% with an objective to create more room for banks to raise overseas funds, Increasing the import duty on gold, changes in the FDI policy, extension of interest subvention scheme, Broadening the infrastructure schemes, Steps to contain the rupee depreciation etc.

As per Fitch rating agency report, the stress loans of domestic banks including restructured debt may continue to rise to reach 15% by end of 2014-15 from over 10% in 2013-14 which causes concern as far as the profitability of the banks is concerned.

Bank's Operations.

Domestic Deposits

The Bank's total domestic deposits increased from ₹. 1,95,457 crores in Mar 2013 to ₹. 2,19,731 crores as of Mar 2014 with a growth of 12.42%. The Bank's domestic CASA deposits increased to ₹. 56,884 crores with a moderate growth of 7.94% resulting in CASA ratio of 25.89%. The Bank has opened around 38 lacs CASA accounts for the year as a whole. This enabled the Bank to maintain the market share of 2.73% as on 21st March 2014 on a year on year fortnightly basis.

Domestic Advances

The Domestic gross Advances improved to ₹. 1,61,998 crores as of March 2014 with a growth of 11.80% as compared to ₹. 1,44,894 crores in March 2013. The domestic CD Ratio was maintained at 73.73% by March 2014 compared to 74.13% in the previous year. The Bank was comfortable with the market share of 2.59%.

Overseas Performance

During August 2013, Bank upgraded its Extension counter in Sri Lanka into a branch, with due regulatory approvals taking the number of branches in Sri Lanka to two. FCBU at Colombo has commenced operations from January 2014. Bank is in the process of establishing the office at Sukhumvit, Thailand and is expected to commence operations before August 2014.

As at the end of March 2014, the Bank had 13 establishments abroad, including 7 overseas branches, 3 Representative offices, 2 Remittance Centres and 1 Joint Venture Subsidiary. There are two branches each at Hongkong and at Sri Lanka and one each at Singapore, South Korea and Bangkok.

Forex Operations

Turnover

The total merchant turnover for 2013-14 including AD branches is ₹. 1,30,319 crores as against ₹. 1,10,553 crores in last year recording a growth of 17.88%. This includes the precious metal business of the Bank for 2013-14 to the tune of ₹. 1,470 crores (5,768 kgs) as against ₹. 2,538 Crores (8,751 kgs) in the previous year.

Profit on Exchange

The Bank has achieved a total Profit on Exchange at ₹. 221 crores for 2013-14 and ₹. 8 crores from the Precious metal business domestically.

MSME

The Bank's MSME advances increased to ₹. 28,978 crores as of March 2014. The share of MSME credit on gross domestic credit increased from 16.02% in 2012-13 to 17.56% in 2013-14. This includes advances to Micro and Small Enterprises (MSE) to the tune of ₹. 24,575 crores. Priority

एमएसएमई

मार्च 2014 को बैंक का एमएसएमई अग्रिम बढ़कर रुपए 28,978 करोड़ हो गया। सकल घरेलू ऋण में एमएसएमई की हिस्सेदारी 2012-13 में 16.02% से बढ़कर 17.56% हो गई। इसमें सूक्ष्म व लघु उद्यमों को दिया गया रुपए 24,575 करोड़ का ऋण शामिल है। 31 मार्च 2014 को एमएसएमई क्षेत्र के तहत प्राथमिकता क्षेत्र उधार रुपए 23,488 करोड़ रहा। बैंक ने एमएसई क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों में 23.02% की बढ़ोतरी करते हुए 20% की अनिवार्य अपेक्षा को पार कर लिया। वर्ष के दौरान सूक्ष्म क्षेत्र को ही दिया गया ऋण रुपए 10,000 करोड़ 27.16% की वृद्धि दर्शाता है। बैंक ने वर्ष के दौरान 1,39,894 नए सूक्ष्म क्षेत्र को वित्तपोषण प्रदान किया। वर्ष के दौरान सूक्ष्म क्षेत्र खातों की संख्या में 43.94% की वृद्धि हुई जबकि अनिवार्य अपेक्षा 10% की है। वर्ष के दौरान सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत रुपए 879 करोड़ के बराबर 16,365 नए ऋण खाते कवर किए गए।

बैंक ने आइओबी एसएमई डेबिट कार्ड की शुरुआत की जिसमें एसएमई उधारकर्ताओं के लिए विशिष्टताएं हैं। बैंक ने विशेष रूप से ठेकेदारों के लिए रुपए 5 करोड़ की ऋण सीमा के साथ आइओबीएसएमई कॉन्ट्रैक्टर योजना शुरू की। मौजूदा एमएसएमई उधारकर्ताओं को शाखा स्तर पर ही रुपए 25 लाख तक की सीमाओं के साथ अतिरिक्त सावधि ऋण प्राप्त करने के लिए साथ ही अविलंबित ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आइओबी एसएमई एडऑन योजना शुरू की गई है। पूर्व में शुरू की गई आइओबी माइक्रो वन योजना काफी सफल रही जिसके तहत तकरीबन 2150 नए सूक्ष्म क्षेत्र के उधारकर्ताओं को वित्तपोषित किया गया। आइओबी एसएमई कनका योजना जो पहले क्षेत्र विशेष तक सीमित थी को वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया। बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार की टैक्सी रिप्लेसमेंट योजना के तहत नए अंबेसडर कार और स्विफ्ट डिज़ायर कार खरीदने के लिए रियायती ऋण सीमा प्रदान की।

बैंक ने ऋण सुविधा हेतु भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (बीवाईएसटी), चेंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़(सीआइएमएसएम ई) और महिला उद्यमी कल्याण संघ तमिलनाडु के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया। बैंक ने सिडबी ऋण सुलभ सेवा के तहत नेचुरल्स के साथ उनकी स्पा सलून की फ्रेंचाइज़ी वित्तपोषण हेतु समझौता ज्ञापन निष्पादन किया है। बैंक को आशा है कि वह इन इंतजामों सको अच्छी प्रकार से प्रयोग में लाकर एमएसएमई क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण में बढ़ोतरी करेगा।

खुदरा बैंकिंग व विपणन

आवास ऋण, शिक्षा ऋण, आदि सहित खुदरा ऋण में वर्ष के दौरान 21.61% की बढ़ोतरी हुई। बैंक ने पुष्पक वाहन ऋण के तहत निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 109.93% की उपलब्धि दर्ज की।

गैर जीवन वर्ग के अंतर्गत हुई आय, जो 2012-13 के दौरान रुपए 771 लाख थी वो मौजूदा वर्ष 2013-14 में 9.71% की वृद्धि दर्ज कर रुपए 846 लाख हो गई है। जीवन बीमा कारोबार के अंतर्गत आय, जो वर्ष 2012-13 के दौरान रुपए 754 लाख थी वो वर्ष दर वर्ष 4.56% की वृद्धि के साथ 2013-14 में रुपए 788 लाख हो गई है। आइओबी हेल्थ प्लस के अंतर्गत हुई आय जो वर्ष 2012-13 के दौरान रुपए 274 लाख थी वो वर्ष दर वर्ष 16.13% की वृद्धि के साथ 2013-14 में रुपए 319 लाख हो गई है।

बैंक ने एक दिन से लेकर 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए विशेष बचत बैंक खाता एसबी लिटिल स्टार की शुरुआत की। बच्चों को और आकर्षित करने के लिए, बैंक रुपए 10,000 शेष के साथ खुलने वाले खातों को एक पिगी बैंक की पेशकश कर रहा है। उत्पाद को ग्राहकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

मिड कॉर्पोरेट

मिड कॉर्पोरेट समूह कृषि / एमएसएमई उधारकर्ताओं से इतर उधारकर्ताओं की उधार आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। रुपए 40 करोड़ से अधिक और रुपए 100 करोड़ तक की ऋण सीमा वाले उधारकर्ता केंद्रीय कार्यालय स्थित मिड कॉर्पोरेट समूह वर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। बैंक में 16 विशिष्ट मिड कॉर्पोरेट शाखाएं हैं जो कि भारत भर में पूर्णत: परिचालनीय हैं (अहमदाबाद, बैंगलुरू, बड़ौदा, चेन्नै, चंडीगढ़, कोयम्बत्तूर, दिल्ली, फरीदाबाद, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, लुधियाना, मदुरै, मुंबई, पुणे, विजयवाड़ा)। मिड कॉर्पोरेट शाखाएं त्वरित निपटान के लिए क्रेडिट प्रस्ताव सीधे केंद्रीय कार्यालय को भेजती हैं। इन शाखाओं के पास ऋण के शीघ्र निपटान हेतु क्रेडिट मूल्यांकन हेतु आवश्यक विशेषज्ञता है और 31 मार्च 2014 को निधि आधारित ऋण के लिए रु.5,370 करोड़ और गैर निधि आधारित ऋण के लिए रु. 978 करोड़ का योगदान दिया है । 31 मार्च 2014 को मिड कार्पोरेट खण्ड के तहत बैंक का कुल ऋण में निधि आधारित ऋण रु.9,472 करोड़ और गैर निधि आधारित ऋण रु. 2,236 करोड़ शामिल है। वर्ष के दौरान मिड कार्पोरेट समूह ने भारत भर से रु. 12,387 करोड़ की कुल मंजूर ऋण सीमा के साथ 265 प्रस्ताव मंजूर किये हैं।

वृहत कार्पोरेट

ऋण से संबंधित वृहत कार्पोरेट समूह एक अन्य वर्टिकल है जो कृषि से इतर उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण अपेक्षाओं की पूर्ति करता है जिनकी ऋण अपेक्षाएं रु. 100 करोड़ से अधिक होती हैं । इस वर्टिकल के तहत 31 मार्च 2014 को बैंक का निधि आधारित ऋण रु. 46,095 करोड़ है और गैर निधि आधारित ऋण रु. 17,598 करोड़ है । वर्ष के दौरान एल सी जी ने भारत भर से कार्पोरेट ग्राहकों से प्राप्त रु. 26,242 करोड़ की समग्र ऋण सीमा के नए व बढ़े हुए 145 प्रस्ताओं की मंजूरी की है ।

वृहत कार्पोरेट खातों पर ध्यान केन्द्रित रखने के लिए बैंक भारत भर में (अहमदाबाद , बैंगलोर , कोयंबत्तूर , दिल्ली , हैदराबाद , कोलकाता और मुंबई) 7 स्थानों पर विशिष्ट वृहत कार्पोरेट शाखाएं परिचालित कर रहा है । 31 मार्च 2014 को इन विशिष्ट वृहत कार्पोरेट शाखाओं का ऋण रु. 12,308 करोड़ रहा । इनके अलावा महानगरों में स्थित 15 मौजूदा शाखाओं को वृहत कार्पोरेट शाखा के रूप में चिह्नित किया गया है ।

ये विशिष्ट शाखाएं वृहत कार्पोरेट वर्ग के तहत आने वाले उधारकर्ताओं को उधार देने पर जोर दे रही हैं साथ ही ऋण मूल्यांकन में आवश्यक विशेषज्ञता उपलब्ध करा रही हैं और ऋण की त्वरित सुपुर्दगी कर रही हैं । त्वरित निपटान के लिए ये शाखाएं ऋण प्रस्तावों को सीधे केन्द्रीय कार्यालय को भेजती हैं ।

प्राथमिकता क्षेत्र उधार

मार्च 2014 के अंत में प्राथमिकता क्षेत्र के तहत सकल ऋण में 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बैंक ने रु. 58,090 करोड़ की बढ़ोतरी की । समायोजित निवल बैंक ऋण अनुपात की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र की 40.03% की उपलब्धि दर्ज करते हुए आगामी वर्षों में भी बैंक 40 % के राष्ट्रीय लक्ष्य को पार करते रहने के लिए कटिबद्ध है ।

कृषि

वर्ष के दौरान कृषि ऋण में मार्च 2013 के रु. 23,393 करोड़ की तुलना में मार्च 2014 को रु. 2,861 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए 26,254 करोड़ हो गया । समायोजित निवल बैंक ऋण की तुलना में बैंक का अनुपात अपेक्षित मानदण्ड 18% के प्रति 18.10% रहा । वर्ष के दौरान बैंक ने विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के तहत रु. 35,492 करोड़ का संवितरण किया जबकि लक्ष्य रु. 33,594 का था ।

sector credit under MSME sector as on 31st March 2014 stood at ₹. 23,488 crores. The Bank increased advances to MSE sector by 23.02 % surpassing the mandatory requirement of 20%. Credit to Micro sector alone surpassed ₹. 10,000 crores during the year reflecting a growth of 27.16%. The Bank financed 1,39,894 new micro sector accounts during the year. The number of Micro sector accounts increased by 43.94% during the year, as against the mandatory requirement of 10%. During the year, 16,365 new loan accounts aggregating to ₹. 879 crores were covered under the Credit Guarantee Scheme of CGTMSE.

The Bank introduced IOB SME Debit Cards with unique features for the benefit of SME borrowers. The Bank launched IOB SME Contractor Scheme, exclusively for contractors with credit limits up to ₹. 5 crores. IOB SME ADD ON scheme was introduced to enable the existing MSME borrowers to get their additional term loan requirement up to ₹. 25 lacs at the branch level itself, thereby making the credit available without delay. IOB MICRO ONE scheme launched earlier has been quite successful with nearly 2150 new Micro sector borrowers were financed under the scheme. IOB SME Kanaka Scheme, which was earlier a regional specific scheme, was extended to all regions during the year. The Bank also extended concessional credit terms for purchase of new Ambassador Cars and Swift- Dezire cars under Taxis Replacement Scheme by Government of West Bengal.

The Bank entered into an MOU with Bharatiya Yuva Shakthi Trust (BYST), Chamber of Indian Micro Small and Medium Enterprises (CIMSME) and Women Entrepreneurs Welfare Association-Tamil Nadu (WEWA) for credit facilitation. The Bank entered in to MoU with Naturals, for financing the franchisees of their Spa Saloons under the SIDBI Loan Facilitation Service (LFS). Bank expects to utilize these arrangements in the best manner to boost credit to MSME sector.

Retail Banking and Marketing

Retail Loans including Housing Loans, Educational Loans, etc., as major segments improved by 21.61% during the year. Bank surpassed the target set under Pushpaka Vehicle loans with 109.93% achievement.

The income earned under Non Life category, which was at ₹. 771 lacs during 2012- 2013, is at Rs 846 lacs for the current year 2013-14 registering a YoY Growth 9.71%. The income earned under Life Insurance Business, which was at ₹. 754 lacs during 2012- 2013, is at Rs 788 lacs for the current year 2013-14 with a YoY growth 4.56%. The income earned through IOB Health Care Plus, which was at ₹. 274 lacs during 2012- 2013, is at ₹. 319 lacs for the current year 2013-14 with YoY Growth 16.13%.

The Bank introduced an exclusive Savings Bank account, SB Little Star for the kids from Day one to 18 years of age. To attract the kids further, a Piggy Bank has been offered for the accounts opened with a balance of ₹. 10,000/- . The product elicited good response from the customers.

Mid Corporate

Mid Corporate Group takes care of the lending requirements of borrowers other than Agriculture/MSME borrowers. Borrowers enjoying credit limits of above ₹. 40 crores and upto ₹. 100 crores are taken care by Mid Corporate Group Vertical at Central office. The Bank has 16 Specialized Mid Corporate branches which are fully operational all over India (Ahmedabad, Bangalore, Baroda, Chennai, Chandigarh, Coimbatore, Delhi, Faridabad, Hyderabad, Indore, Kolkata, Ludhiana, Madurai, Mumbai, Pune and Vijayawada). Mid Corporate branches send the credit proposals directly to Central Office for speedy disposal. These branches possess necessary expertise in credit appraisal for quicker delivery of credit and have contributed ₹. 5,370 crores of Fund Based exposure and ₹. 978 crores of Non Fund based exposure as on 31st March 2014. Total Bank exposure under Mid Corporate segment as on 31st March 2014 include Fund Based exposure of ₹. 9,472 crores and Non Fund based exposure of ₹. 2,236 crores. During the year, Mid Corporate group has sanctioned 265 proposals from all over India with total sanctioned limit of ₹. 12,387 crores.

Large Corporate

Large Corporate Group is yet another vertical in Credit front taking care of Credit requirement of borrowers other than Agriculture borrowers whose Credit requirement is above ₹. 100 Crores. Under this vertical, Bank has a fund based exposure of ₹. 46,095 Crores and Non Fund Exposure of ₹. 17,598 crores for the year ended 31st March 2014. During the year, LCG has sanctioned 145 proposals with Fresh and Enhanced credit limits of ₹. 26,242 crores received from Corporate Clients all over India.

To promote focused attention on Large Corporate accounts, the Bank is operating Specialized Large Corporate branches at 7 places all over India (Ahmedabad, Bangalore, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Kolkata and Mumbai). These Specialized Large Corporate Branches have exposure of ₹. 12,308 crores as on 31st March 2014. Apart from the above, 15 existing branches in Metropolitan Centres are identified as Large Corporate Branches.

These Specialized branches are focusing in lending to borrowers coming under Large Corporate segment, making available necessary expertise in Credit Appraisal and quick delivery of credit. These branches are sending the credit proposals directly to Central Office for expedite disposal.

Priority Sector Credit

Gross Credit under Priority Sector increased to ₹. 58,090 crores at the end of March 2014, registering a growth of 18%. With the achievement of Priority Sector Advances to Adjusted Net Bank Credit(ANBC) Ratio at 40.03%, Bank has further plans to continue and surpass the National Goal of 40% in the coming years also.

Agriculture

During the year, the Agricultural credit registered an incremental growth of ₹. 2,861 crores from ₹. 23,393 crores as of March 2013 to ₹. 26,254 crores as of March 2014. The Bank's ratio of agricultural advances to Adjusted Net Bank Credit was 18.10% as against the required norm of 18%. The Bank disbursed ₹. 35,492 crores under Special Agriculture Credit Plan (SACP) as against the target of ₹. 33,594 crores during the year.

The Bank has granted loans to Weaker Section of the society and the outstanding as at the end of March 2014 was ₹. 21,968

बैंक ने समाज के कमजोर तबके को ऋण दिया और मार्च 2014 के अंत में बकाया रु. 21,968 करोड़ का रहा जो ए एन बी सी का 15.14% रहा जबकि लक्ष्य 10% है । मार्च 2014 के अंत में प्राथमिकता क्षेत्र के तहत अजा / अ ज जा को बकाया रु.6,802 करोड़ रहा जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों का 11.68 % है। मार्च 2014 के अंत में अल्पसंख्यक समुदाय को दिए गए ऋणों का बकाया रु. 8,822 करोड़ रहा जो कि 15.00% के लक्ष्य के प्रति 15.18 % है।

माइक्रोफाइनेंस

वर्ष के दौरान बैंक ने 47,470 स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंक किया जिन्हें रु.846करोड़ का परिव्यय किया गया । मार्च 2014 तक स्वयं सहायता समूहों को बैंक द्वारा प्रदत्त कुल क्रेडिट लिंक 5,22,642 जिनको कुल संवितरण रु.5792 करोड़ किया गया । संस्थापक दिवस 10 फरवरी 2014 और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2014 के साथ संबद्ध करके फरवरी और मार्च 2014 में एस एच जी लिंकेज सप्ताह मनाया गया ताकि प्रत्यक्ष खण्ड के तहत एस एच जी लिंकेज में पर अधिक ज़ोर दिया जा सके।

महिलाओं को ऋण प्रवाह

31 मार्च 2014 को महिलाओं को प्रदत्त बैंक का ऋण प्रवाह रुपए 22,365 करोड़ रहा जो बैंक के समायोजित निवल ऋण का 15.41% रहा जबकि मानदंड 5% है।

नए उत्पादों को शुरू करना

निवेश ऋण और स्वर्ण आभूषण की प्रतिभूति की प्रति के लिए कृषि सावधि ऋण मंजूर करने हेतु एक नई ऋण योजना और अनुषंगी कार्यकलापों के लिए 11 सितंबर 2013 को बैंक द्वारा शुरू की गई।

अग्रणी बैंक योजना

बैंक, तमिलनाडु के 13 जिलों और केरल के एक जिले में अग्रणी बैंक के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। साथ ही तमिलनाडु राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक भी है। समीक्षाधीनवर्ष के दौरान एसएलबीसी तमिलनाडु का संयोजक होने के नाते बैंक ने एसएलबीसी की चार बैठकें आयोजित की है।

इसके अलावा बैंक ने एसएलबीसी तमिलनाडु का संयोजक होने के नाते अनेक विशेष बैठकों का आयोजन किया जैसे : 1) तमिलनाडु के बैंकों के जरिए एमजीएनआरईजीएस पारिश्रमिक के भुगतान पर कार्यकारी समूह की बैठक 2) टीएएचडीसीओ योजना ऋण 3) वित्तीय समावेशन व प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली 4) तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आर्थिक विकास निगम के (टीएबीसी ई डी सी ओ) जरिए लागू एनबीसीएफडीसी की शैक्षिक ऋण योजना 5) तमिलनाडु में सूक्ष्म व लघु उद्यम विकास 6) मुर्गीपालन के लिए तमिलनाडु सरकार की योजना पर उपसमिति - त्रिपक्षीय करार में संशोधन, 7) टीएएचडीसीओ के विभिन्न ऋण योजनाओं पर बैठक 8) पीएमइजीपी/ यूवाईईजीपी योजनाओं के प्रगति की पुनरीक्षा हेतु बैठक 9) किसान उत्पादक कंपनियों को ईक्विटी अनुदान व क्रेडिट गारंटी फंड योजना पर चर्चा के लिए बैठक 10) अनुसूचित जाति के लाभभोगियों को विभिन्न ऋण योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हेतु बैठक 11) कारोबार संवादियों की कार्यप्रणाली पर अध्ययन/ सर्वे पर चर्चा करने के लिए उपसमिति की बैठक और 12) ग्राम पंचायतों के बैंक खातों की निगरानी पर बैठक।

राज्य में वित्तीय समावेशन हेतु पहलें : एसएलबीसी तमिलनाडु का संयोजक

- ➢ एसएलबीसी ने तमिलनाडु में 2000 व अधिक जनसंख्या वाले बैंक रहित 4,445 गावों की पहचान की और विभिन्न बैंकों को आबंटित किया। सभी 4,445 गाँवों को वित्तीय मंत्रालय द्वारा दी गई समय सीमा (मार्च 2012) से काफी पहले ही वित्तीय समावेशन के तहत बैंकिंग सुविधा प्रदान की गई।
- ➢ एसएलबीसी ने 2000 से कम जनसंख्या वाले 7,816 गावों की पहचान कर विभिन्न बैंकों को आबंटित किया। बैंकों ने सभी 7,816 गावों को वित्तीय समावेशन के तहत बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की।
- ➢ एसएलबीसी ने 4 अग्रणी बैंकों द्वारा सभी 31 जिलों में ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना में सहयोग दिया।
- ➢ एसएलबीसी ने चेन्नई सहित सभी 32 जिलों में वित्तीय साक्षरता और क्रेडिट काउंसिलिंग केंद्रों की स्थापना में सहयोग दिया।
- ➢ एसएलबीसी तमिलनाडु ने उक्त सभी पहलों में 100% लक्ष्य प्राप्त किया है।

तमिलनाडु में ऋण सहायता पर एसएलबीसी की पहलें

- तमिलनाडु में दिसम्बर 2013 को 120.28% सीडी अनुपात का लक्ष्य प्राप्त किया तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले कुछ राज्यों में से एक रहा।

- तमिलनाडु ने वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) तहत दिसम्बर 2013 तक 101% लक्ष्य हासिल किया जो मात्र कुछ ही राज्यों द्वारा हासिल किया गया।

- प्राथमिकता क्षेत्र उधार के अंतर्गत तमिलनाडु ने दिसम्बर 2013 तक राष्ट्रीय मानदंड के 40% के प्रति 42.64% का लक्ष्य हासिल किया।

-दिसम्बर 2013 तक राष्ट्रीय मानदंड 18% के प्रति तमिलनाडु ने कृषि अग्रिमों में 18.90% लक्ष्य प्राप्त किया गया।

- दिसम्बर 2013 तक कमज़ोर तबके को अग्रिमों के लिए राष्ट्रीय मानदंड 10% के प्रति तमिलनाडु ने 12.09% का लक्ष्य प्राप्त किया।

-एसएलबीसी तमिलनाडु ने उक्त सभी पहलों में 100% लक्ष्य प्राप्त किया है।

तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक लाभांतरण पर एसएलबीसी की पहलें -

- दिसंबर 2013 तक तमिलनाडु सरकार की वृद्ध पेंशन योजना के तहत राज्य में 6105 गाँवों में बैंकों द्वारा लगाये गए कारोबारी संवादी द्वारा परिचालित स्मार्ट कार्ड के जरिए 7.19 लाख लाभ भोगियों को पेंशन का भुगतान किया गया है।

- राज्य में बैंक ऋण के जरिए 1.91 लाख मछुआरों को क्षीण अवधि में सहायता के रूप में रु.4000/- का सहयोग दिया गया।

- बैंक के क्रेडिट के जरिए डॉ मुत्तुलक्ष्मी शिशु लाभार्थ योजना के अंतर्गत करीब 8 लाख गर्भवती महिलाओं को 12,000/-का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

- कारोबार संवादियों के माध्यम से बैंकों के जरिए तमिलनाडु के 18 जिलों में मनरेगा के लगभग 33 लाख मजदूरों को वेतन का भुगतान किया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक ने दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, यथा तमिलनाडु में पाण्डियन ग्राम बैंक और ओडिशा में ओडिशा ग्राम्य बैंक को प्रायोजित किया है। पाण्डियन ग्राम बैंक ने 1997-98 से लगातार टैक्स के उपरांत निवल लाभ अर्जित किया और पिछले ग्यारह वर्षों से लगातार शून्य निवल एनपीए दर्जक्रता रहा है।

दोनों ग्रामीण बैंकों ने वर्ष के दौरान निवल लाभ दर्ज़ किया। दोनों ग्रामीण बैंकों की सभी शाखाएँ सीबीएस का अनुपालन करती है और दोनों आरआरबी में नेफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।

crores which is 15.14% of the ANBC as against the target of 10%. The loans outstanding to SC/ST under priority as at the end of March 2014 were ₹. 6,802 crores which is 11.68 % of Total Priority Sector loans. The loans outstanding to Minority community as at the end of March 2014 were ₹. 8,822 crores which is 15.18% against the target of 15.00%.

Microfinance

During the year, the Bank credit-linked 47,470 Self Help Groups (SHGs) with a credit outlay of ₹. 846 crores. The cumulative number of SHGs credit linked by the Bank is 5,22,642 with a total disbursement of ₹. 5,792 crores as of March 2014. SHG Credit Linkage Week was observed in February and March 2014 coinciding with Founder's Day on 10th February, 2014 and International Women's Day on 8th March, 2014 to give further thrust to SHG linkage under the direct segment.

Credit flow to Women

Bank's credit flow to women stood at 22,365 crores as of March 31, 2014 constituting 15.41 % of the Bank's Adjusted Net Bank Credit, as against the norm of 5%.

New Product Introduction:

A new credit scheme for granting agricultural term loans for investment credit and allied activities against security of gold ornaments was introduced by the Bank on 11th September 2013.

Lead Bank Scheme

The Bank has Lead Bank responsibility in 13 districts in Tamil Nadu and one district in Kerala. The Bank is also the Convenor of State Level Bankers' Committee of Tamil Nadu (SLBC). During the year of review, as Convenor of SLBC, Tamil Nadu, the Bank has conducted four meetings of the SLBC.

In addition, the Bank as convenor of SLBC, Tamil Nadu convened the many special meetings during the year namely 1) Meeting of working group on payment of MGNREGS wages through Banks in Tamil Nadu, 2) TAHDCO scheme loans, 3) Financial Inclusion & Direct Benefit Transfer System, 4) Educational Loan Scheme of NBCFDC implemented through Tamil Nadu Backward Classes Economic Development Corporation (TABCEDCO), 5) Development of Micro and Small Enterprises in Tamil Nadu, 6) Subcommittee on Tamil Nadu Government's Scheme for Poultry Development-Modifications to the Tripartite Agreement, 7) Meeting on various loan schemes of TAHDCO, 8) Meeting to review progress of PMEGP/UYEGP schemes, 9) Meeting to discuss Equity Grant & Credit Guarantee Fund Scheme to Farmer Producer Companies, 10) Meeting to discuss issues relating to various loan schemes to Scheduled Caste Beneficiaries, 11) Sub Committee meeting to discuss study/survey on the functioning of Business Correspondents and 12) Meeting on monitoring bank accounts of village panchayaths.

Initiatives for Financial Inclusion in the State: As Convenor of SLBC, Tamil Nadu.

- SLBC identified 4,445 unbanked villages in Tamil Nadu with a population of 2,000 and above and allotted to various banks. All the 4,445 villages have been provided with banking facilities under Financial Inclusion well ahead of the timeline given by MOF(March 2012).
- SLBC identified 7,816 villages with population of below 2,000 and allotted to various banks. Banks have provided banking facilities under Financial Inclusion to all the 7,816 villages.
- SLBC facilitated establishment of Rural Self Employment Training Institutes in all the 31 districts by the 4 Lead Banks.
- SLBC facilitated establishment of Financial Literacy & Credit counseling centers in all the 32 districts including Chennai.
- SLBC, Tamilnadu has achieved 100% in all the above initiatives.

SLBC initiatives on Credit Flow in Tamil Nadu

- Tamil Nadu achieved a CD ratio of 120.28% as of December 2013 and stands one among the very few states who achieved this feat.
- Tamil Nadu achieved 101% achievement of target under Annual Credit Plan (ACP) as of December 2013 which is achieved by only a very few states.
- Tamil Nadu achieved 42.64% under Priority Sector as of December 2013 against the national norm of 40%.
- Tamil Nadu achieved 18.90% of Agricultural Advances as of December 2013 against the national norm of 18%.
- Tamil Nadu achieved 12.09% of advances to weaker sections as of December 2013 against the national norm of 10%.
- SLBC, Tamil Nadu has achieved 100% in all the above initiatives.

SLBC initiatives on Electronic Benefit Transfer in Tamil Nadu

- 7.19 lakh beneficiaries are being paid pension through Smart Cards operated by Business Correspondents engaged by banks in 6,105 villages in the State under Tamil Nadu Government Old Age Pension Scheme by December, 2013.
- 1.91 lakh fishermen are paid lean period assistance of ₹. 4,000/- through bank credit in the State.
- Around 8 lakh pregnant women are being paid grant of ₹. 12,000/- under Dr. Muthulakshmi maternity benefit scheme through bank credit.
- Nearly 33 lakh workers of MGNREGS are paid wages in 18 districts of Tamil Nadu through banks through Business Correspondents.

Regional Rural Banks

Bank has sponsored two Regional Rural Banks viz., Pandyan Grama Bank in Tamil Nadu and Odisha Gramya Bank in Odisha. Pandyan Grama Bank has been earning Net Profit after Tax continuously since 1997-1998 and its net NPA continues to be NIL for the past 11 years. Both the RRBs have recorded Net Profit during the year. All the branches of

वित्तीय समावेशन

बैंकिंग इकाइयों के जरिए गाँवों तक पहुंच: बैंक ने वित्तीय समावेशन के तहत विभिन्न जनसंख्या श्रेणियों के साथ 3,726 आबंटित ग्रामों को कवर किया है जिनमें से 3,667 गाँव स्मार्ट कार्ड बैंकिंग के जरिए तथा देशभर में 59 गाँव भौतिक शाखाओं के तहत कवर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बैंक ने 154 अन्य गाँवों को भी कवर किया है। अब स्मार्ट कार्ड बैंकिंग 56 क्षेत्रों के 21 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 3,838 गांवों में 2,456 कारोबार संवादियों को शामिल कर क्रियान्वित की जा रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने 21,94,854 बुनियादी बचत बैंक जमा खाते खोले हैं जिनके बाद ऐसे खातों की कुल संख्या 59,21,110 हो गई है। अब तक बैंक ने 11,05,215 स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं तथा स्मार्ट कार्ड टर्मिनल में किए गए लेनदेनों की संख्या 1,28,66,639 है।

विशेष वित्तीय समावेशन शाखाएँ:

वित्तीय समावेशन के प्रयासों को सुदृढ करने की दिशा में तथा कारोबार संवादियों के करीबी पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने तमिलनाडु प्रदेश में तीन विशेष वित्तीय समावेशन शाखाएँ खोली हैं। इसकी अवधारणा यह है कि कुछ शाखाओं से जुड़े विशेष क्षेत्र में सक्रिय कारोबार संवादियों का एक समूह (8-10 कारोबार संपर्की) बनाए जाए तथा इस विशेष व्यवस्था के तहत उनकी मूलभूत आवश्यकताओं यथा नकद आवश्यकता, पासबुक मुद्रण, खाता खोलना, ऋणों की मंजूरी, ग्राहक शिकायत, आवेदन प्रपत्र, नकद, एचएचडी के लिए पेपर रोल आदि में आने वाली समस्याओं को दूर करने में मदद की जाए।

अल्ट्रा स्माल शाखा (यूएसबी) स्थापित करना

वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार 1,278 वित्तीय समावेशन गाँवों में अल्ट्रा स्माल शाखाएँ खोली गयी हैं। जिनमें से 7 यूएसबी का संपूर्ण शाखा के रूप में अद्यतन किया गया।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसइटीआइ):

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक ने किसानों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, एसजीएसवाई के लाभ भोगियों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं, कारीगर और कमजोर तबके लाभ भोगियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सभी अग्रणी जिलों में आरएसइटीआइ की स्थापना की है। उपर्युक्त के अतिरिक्त हमने आदिवासियों के लाभार्थ भी नीलगिरि जिले में एक आरएसइटीआइ की स्थापना की है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इन प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से बैंक ने 673 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनका लाभ 17,217 प्रशिक्षार्थियों को हुआ। बैंक द्वारा (नाबार्ड तथा इंडियन बैंक के साथ संयुक्त रूप से) एक ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कारैकुड़ी (जिला शिवगंगा तमिलनाडु) में की गई।

वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफ एल सी) जैसे स्नेहा :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने केरल में सात एफएलसी की स्थापना की है। एफएलसी का नाम स्नेहा रखा गया है। बैंक ने अब तक कुल 22 एफएलसी की स्थापना की है। ये केंद्र ग्रामीण और शहरी लोगों को विभिन्न वित्तीय उत्पादों/ औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से उपलब्ध सेवाओं की जानकारी के संदर्भ में प्रशिक्षित करते हैं, व्यक्तिगत रूप से जाकर वित्तीय काउंसिलिंग सेवा देते हैं और कर्जदारों को कर्ज काउंसिलिंग सेवा देते हैं। एफ एल सी वित्तीय सेवाएं / उत्पाद के संबंध में प्रयोक्ता जनता को सूचित विकल्प प्रदान करते हैं ताकि वे अधिकतम लाभ उठा सकें।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

आइओबी संपूर्ण परियोजना - संपूर्ण ग्राम विकास परियोजना

आइओबी संपूर्ण, संपूर्ण ग्राम्य विकास के लक्ष्य वाली एक नवोन्मेषी ग्रामीण विकास परियोजना है। आइओबी संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या की सर्व समावेशित वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए गाँवों में अनेक जीविकोपार्जन पहलों वाली अनोखी परियोजना है। इसके अंतर्गत क्रेडिट और गैर क्रेडिट घटक जैसे वित्तीय समावेशन, कारोबारी संवादी मॉडल के तहत बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड सहित सूचना प्रौद्योगिकी युक्त बैंकिंग परिचालन, वृक्षारोपण और समाजिक वानिकी, जल निकायों की सफाई, स्वास्थ्य की देखभाल, कंप्यूटर में युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, ग्रामीण कारोबार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग, गैर परंपरागत ऊर्जा का प्रोत्साहन और ग्रामीण पर्यटन शामिल है।

जनजातियों को शिक्षित करना :

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने मेसर्स फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसायटी, जो 'एक शिक्षक विद्यालय' या एकल विद्यालय जैसी विशिष्ट अवधारणाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर निरक्षरता को दूर करने के लिए प्रयासरत गैर सरकारी संगठन है, के साथ 98 एकल विद्यालय स्कूल को प्रायोजित किया है। मैक्स अकादमी के सहयोग से बैंक ने 2013-14 के दौरान पाँच गाँवों में वंचित बच्चों में शिक्षा के मापकों के उत्थान वाली परियोजना को कार्यान्वित किया है।

शक्ति- इण्डियन ओवरसीज बैंक चिदम्बरम चेट्टियार मेमोरियल ट्रस्टः

श्री एम सी टी एम चिदंबरम चेट्टियार - बैंक के संस्थापक के स्मरण में बैंक के प्रबंधन, इण्डियन ओवरसीज बैंक अधिकारी संघ और अखिल भारतीय ओवरसीज बैंक कर्मचारी संघ द्वारा ट्रस्ट की स्थापना संयुक्त रूप से की गई, जो महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक अधिकार प्रदान करने हेतु उनकी व्यावहार कुशलता में सुधार करने हेतु उन्हें उद्यमी विकास प्रशिक्षण दे रहा है। वर्ष 2013-14 के दौरान शक्ति- आइओबी चिदम्बरम चेट्टियार मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वावधान में विभिन्न क्षेत्रों में 9 कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए, 245 महिलाएँ प्रशिक्षित की गईं। अब तक, ट्रस्ट ने विशेषकर महिलाओं के लिए विभिन्न केन्द्रों पर 71 उद्यमी विकास कार्यक्रम (ईडीपी) एवं कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें 3576 महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं।

निवेश

पिछले वर्ष में 12.97 % की वृद्धि दर्ज करते हुए दिनांक 31-03-2013 तक रु.60,195 करोड़ के मुकाबले दिनांक 31 मार्च 2014 तक सकल घरेलू निवेश रु.68,006 करोड़ रहा। वर्ष के दौरान एसएलआर प्रवर्ग में निवेश में रु.5,011 करोड़ या 9.22 % की वृद्धि दर्ज की गयी जबकि गैर-एसएलआर निवेश रु.2800 करोड़ के साथ 47.68% तक बढ़ा।

वर्ष 2013-2014 के दौरान, रु.5,349 करोड़ की प्रतिभूतियाँ, बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) प्रवर्ग से परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) प्रवर्ग में अंतरित की गईं और रु. 5,786 करोड़ की राशि परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) प्रवर्ग से बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) प्रवर्ग में अंतरित की गयीं।

31 मार्च 2014 तक, परिपक्वता तक धारित के अंतर्गत रखी गयी एसएलआर प्रतिभूतियाँ 31.03.2013 तक 22.92% की तुलना में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 24.50% की सीमा के प्रति माँग व समय देयताओं का 21.69% रहीं।

वर्ष के दौरान बांड बाजार ने कई बाहरी तथा आंतरिक कारकों की वजह से अस्थिरता का सामना किया जिसकी वजह से लाभ 7.95% की शुरुआत

both the RRBs are CBS compliant and NEFT facility has been provided to both RRBs.

Financial Inclusion

- **Covering Villages with Banking Outlets:** The Bank has covered 3,726 allotted villages with various population categories under Financial Inclusion. Of which, 3,667 villages are covered under Smart Card Banking and 59 villages under Brick & Mortar Branch across the country. Apart from this, Bank has covered 154 other villages also. Smart Card Banking is now being implemented in 3,838 villages spread over 21 States and 2 Union Territories covering 56 Regions by engaging 2,456 Business Correspondents. During the year under review, the Bank has opened 21,94,854 Basic Savings Bank Deposit Accounts taking the total number of such accounts to 59,21,110. So far, Bank has issued 11,05,215 smart cards and the number of transactions undertaken in the smart card terminal is 1,28,66,639.
- **Special Financial Inclusion Branches:** In order to strengthen the Financial Inclusion efforts and ensure close supervision of the Business Correspondents (BCs), Bank has opened 3 Special Financial Inclusion Branches in the State of Tamil Nadu. The concept is that BCs operating in a particular area assigned to a few Branches are clustered (8-10 BCs) and assisted to operate under this special arrangement which will overcome the problems encountered by the BCs in getting their basic requirements viz., cash requirement, passbook printing, account opening, sanction of loans, customer grievances, application forms, cash, paper rolls for HHDs etc.
- **Setting up Ultra Small Branch (USB):** As per the guidelines of Ministry of Finance, the Bank has set up Ultra Small Branches in 1,278 Financial Inclusion villages. Of which 7 USBs has been upgraded to full fledged branches.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

In line with the guidelines issued by Ministry of Rural development, Govt of India, the Bank had set up RSETIs at all Lead Districts to provide training to farmers, members of SHGs, beneficiaries under SGSY, Educated unemployed youths, artisans and beneficiaries belonging to weaker sections. In addition to the above, the Bank has set up one RSETI in the Nilgiris District for the benefit of the tribals. During the year under review, through these RSETIs, the Bank had conducted 673 training programmes benefiting 17,217 persons. A Rural Training Centre was set up by the Bank (jointly with NABARD and Indian Bank) at Karaikudi (Sivaganga Dist, Tamil Nadu).

Financial Literacy Centre (FLC) viz., SNEHA:

During the period under review the Bank has set up 7 FLCs at Kerala. FLC is named as SNEHA and the Bank has set up 22 FLCs as of now. These centres educate the people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from formal financial sector, provide face to face financial counseling services and offer debt counseling to indebted individuals. FLCs enable the user public to make informed choices regarding financial services/ products to derive the maximum benefits.

Corporate Social Responsibility

IOB-Sampoorna Project – A Total Village Development Project

IOB Sampoorna is an innovative rural development project aimed at Total Village Development. IOB-Sampoorna is a unique Project encompassing several livelihood initiatives in the villages to ensure all-inclusive growth of rural population. It comprises of credit and non-credit components such as Financial Inclusion, I.T. Enabled banking operations with Bio-metric Smart Cards under Business Correspondent model, Tree Planting and Social Forestry, Cleaning Water Bodies, Health Care, Skill Training for youth in computer, Rural Business Process Outsourcing, Promotion of non-conventional energy and Rural Tourism.

Educating Tribals

During the year 2013-14, the Bank has sponsored 98 Ekal Vidyalaya School in association with M/s Friends of Tribals Society, an NGO to attack illiteracy at the grass root level through a unique concept viz. "One teacher School" or Ekal Vidyalaya. The Bank in association with Max Academy implemented the project on uplifting educational standards of the under privileged children in 5 villages during the year 2013-14.

Sakthi - Indian Overseas Bank Chidambaram Chettyar Memorial Trust

The Trust, set up jointly by the Management of the Bank, Indian Overseas Bank Officers Association and All India Overseas Bank Employees Union to perpetuate the memory of Bank's Founder Shri M. Ct. M. Chidambaram Chettyar, continued to provide Entrepreneurial Development Training to women, thereby empowering them socially and financially to meet the challenges. During 2013-14, 9 Skill Development Programmes were conducted in various Regions under aegis of Sakthi - IOB Chidambaram Chettyar Memorial Trust, 245 women have been trained. The Trust has so far conducted 71 Entrepreneurship Development Programmes (EDP) and skill based training programmes exclusively for women at various centres, benefitting 3,576 women.

Investments

Gross domestic investments as of 31st March 2014 stood at Rs 68,006 crores as against ₹. 60,195 crores as on 31st March 2013 registering a growth of 12.97% over the previous year. The investments in SLR segment registered a growth of Rs 5,011 crores or 9.22% during the year while Non-SLR investments increased by ₹. 2,800 crores or 47.68%.

During the year 2013-14, securities for Rs 5,349 crores were transferred from Available for Sale category (AFS) to Held to Maturity (HTM) segment, and ₹. 5,786 crores from Held to Maturity (HTM) to Available for Sale (AFS).

As on 31st March 2014, the extent of SLR securities held in HTM stood at 21.69% of DTL against the limit of 24.50% prescribed by RBI compared to 22.92% as on 31st March 2013.

The bond market experienced extreme volatility during the year, due to a host of external and internal factors which saw the yields move upto 8.80% at the close of the year

के बाद वर्षांत पर 8.80% तक बढ़ा। द्वितीयक बाजार में वर्ष 2013-14 के दौरान वर्ष 2012-13 के 97132 करोड़ के टर्नओवर के प्रति 71,919 करोड़ रुपए था। 2013-14 के दौरान प्रतिभूतियों की बिक्री पर कुल लाभ वर्ष 2012 के रुपए 307 करोड़ के प्रति रुपए 489 करोड़ दर्ज किया गया। वर्ष के लिए परिशोधन से पूर्व कुल निवेश पर रिटर्न वर्ष 2012-13 में 7.53% के प्रति 7.60% है।

रुपया व्युत्पन्न

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने रुपया ब्याज स्वैप में से कारोबार किया और किसी नये प्रतिरक्षा स्वैप में प्रविष्ट नहीं किया। परिपक्वता के कारण ब्याज दर स्वैपों में बकाया 31.03.2014 को रु.823 करोड़ तक गिर गया जबकि 31.03.2013 को यह रु.998 करोड़ था।

मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियाँ

अस्बा (इश्यू गतिविधि के लिए बैंकर) भारत की सभी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को सेबी द्वारा अपेक्षित आइपीओ, एफपीओ और राइट्स इश्यू के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए अस्बा सक्षम शाखाएँ बनाया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने नेट बैंकिंग सुविधा का प्रयोग करने वाले ग्राहकों द्वारा असबा आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए ई-असबा की शुरुआत की है। जहाँ न केवल उनके अस्बा आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं बल्कि प्रस्तुति पर उनके बैंक खाते उनके द्वारा ब्लॉक किए जाते हैं। बैंक ब्रोकरों से आइपीओ/ एफपीओ/ राईट्स आवेदन स्वीकार करने के लिए सिंडीकेट अस्बा बैंक के रूप में भी कार्यशील है।

मर्चेंट बैंकिंग के तहत अन्य गतिविधियाँ डिबेंचर न्यासी, गैर अस्बा निर्गमों के लिए समाहरण बैंकर, लाभांश / ब्याज अदाकर्ता बैंकर शेयर आदि के मर्चेंट बैंकर के रूप बैंक अपनी जिम्मेदारी जारी रखे हुए है।

डिपॉज़िटरी परिचालन

बैंक एनएसडीएल का डिपॉज़िटरी प्रतिभागी (डीपी) है और अपनी 56 सेवा केन्द्र शाखाओं के ज़रिये डिपॉज़िटरी सम्बन्धी सेवायें प्रदान कर रहा है। डीमैट खातों की संख्या में सुधार करने की दृष्टि से बैंक 13 सेवा केन्द्रों के द्वारा सेवा प्रदान करते हुए वर्ष 2012-13 के दौरान सीडीएसएल का डीपी बन गया है।

पूंजी बाजार सेवाएँ शाखा

स्टॉक ब्रोकरों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से स्टॉक ब्रोकर्स को ऋण सुविधाएँ प्रदान करने तथा स्टॉक एक्सचेंजों के दैनिक समाशोधन दायित्वों को संभालने के लिए, उनके समाशोधन और निपटान करने के लिए निपटान बैंक के रूप में बैंक को नामित करने के लिए बैंक ने पहले से ही मुंबई में पूंजी बाजार सेवाएं शाखा स्थापित की हुई है।

ग्राहक सेवा

बैंक बैंकिंग कोड व स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआइ) का सदस्य है। बीसीएसबीआई ने बैंकिंग के सभी क्षेत्रों को विस्तारपूर्वक कवर करने वाले विभिन्न उचित व्यवहार मानक को संशोधित किया। संशोधित मानकों के अनुसार 'ऋणदाता के लिए उचित व्यवहार मानक' समाविष्ट कर लिए गए हैं। बीसीएसबीआई द्वारा भारतीय बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा पर किए गए सर्वे के अनुसार बैंक को औसत रेटिंग से अधिक अंक मिले हैं और इसे 26 पीएसबी में चौथा स्थान मिला है।

एसपीजीआरएस (स्टैंडर्डाइज्ड पब्लिक ग्रीवैंसेज़ रिड्रैसल सिस्टम) नामक नई वेब आधारित ऑनलाइन प्रणाली पहले से ही सक्रिय है और यह वेब आधारित ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें ग्राहक स्टैटस ट्रैकिंग सुविधा के साथ ऑनलाइन शिकायत दर्ज़ कर सकते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं को सिस्टम में शिकायतें देखने और उनका तुरंत निपटान करने के लिए समर्थ किया गया है। ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के लिए 24 X 7 के आधार पर ग्राहक शिकायत निवारण के लिए 48 घंटों के अन्दर निपटान हेतु टोल फ्री टेलीसेवा (नंबर 1800-425-4445) उपलब्ध कराई गई है।

नवम्बर 2013 के दौरान सभी शाखाओं में ग्राहक पखवाड़ा मनाया गया और केन्द्रीय कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यपालकों ने शाखाओं का दौरा किया और ग्राहकों से मिले। बैंक ने शाखाओं द्वारा ग्राहकों को दी गई सेवा के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 2013-14 के लिए ग्राहक सेवा सर्वे किया है।

वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त ग्राहक शिकायतों और किए गए निवारणों के विवरण निम्नांकित हैं :

क्र.सं.	विवरण	केंद्रीय कार्यालय में	क्षेत्रीय कार्यालय में
1.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	114	89
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	4030	2141
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	4050	2158
4	वर्षांत पर लंबित शिकायतों की संख्या	94	72
	निपटान अनुपात	97.73%	96.77%

शिकायतों के ब्यौरे निम्नवत विश्लेषित हैं:

शिकायतों की प्रकृति	संख्या	प्रतिशतता
अग्रिम संबंधी शिकायतें	893	14.47
एटीएम संबंधी शिकायतें	1299	21.05
ग्राहक सेवा संबंधी शिकायतें	879	14.24
डीमैट सेवाएँ संबंधी शिकायतें	21	0.34
जमा संबंधी शिकायतें	546	8.85
सामान्य बैंकिंग शिकायतें	1349	21.86
सरकारी कारोबार संबंधी शिकायतें	38	0.64
एनआरआई सेवाओं से संबंधित शिकायतें	39	0.65
विप्रेषण संबंधी शिकायतें	177	2.86
इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित शिकायतें	490	7.93
क्रेडिट कार्ड संबंधी शिकायतें	140	2.27
पेंशन संबंधी शिकायतें	300	4.84
कुल	6171	100.00

बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णय और बैंक द्वारा कार्यान्वित निर्णयों की संख्या निम्नवत है :

1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित निर्णयों की संख्या	0
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयों की संख्या	0
3.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए गए निर्णयों की संख्या	0
4.	ग्राहक द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण व्यपगत निर्णयों की संख्या	0
5.	वर्ष की समाप्ति पर कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	0

after opening at 7.95%. The turnover (book value) in the secondary market was Rs 71,919 crores during the year 2013-14 as against Rs 97,132 crores in 2012-13. Total profit on sale of securities amounted to ₹. 489 crores during the year 2013-14 as against Rs 307 crores of 2012-13. The return on total investments before amortization for the year is 7.60% as against 7.53% in 2012-13.

Rupee Derivatives

During the year 2013-14, Bank has traded in Rupee interest swaps and had not entered into any fresh hedging swaps. Due to maturity, the outstanding in interest rate swaps has come down to ₹. 823 crores as on 31st March 2014 as against ₹. 998 crores as on 31st March 2013.

Merchant Banking Activities

- ASBA (Banker to Issue activity): All general banking branches in India have been made ASBA enabled branches to accept ASBA applications for IPO, FPO and Rights Issues as required by SEBI. During the year 2013-14, Bank introduced e-ASBA for lodging ASBA applications online by customers using net banking facility, whereby not only their ASBA applications are lodged but also their bank accounts are blocked by themselves upon submission. The Bank is also acting as a Syndicate ASBA bank to accept IPO/FPO/Rights applications from Brokers.
- Other activities under Merchant Banking: The Bank continues to act as Merchant Banker for issues, Debenture Trustee, Collecting Bankers to Non ASBA Applications, Paying Banker for Dividend/Interest Warrants etc.

Depository Operations: The Bank is a Depository Participant (DP) of NSDL and is extending depository related services through 56 service centre branches. In order to improve the number of demat accounts, the Bank became a DP of CDSL during 2012-13 by offering the service through 13 service centres.

Capital Market Services Branch

In order to cater to the financial requirements of Stock Brokers, the Bank has already set up a Capital Market Services Branch at Mumbai to extend credit facilities to Stock Brokers and to nominate the Bank as their Clearing and Settlement Bank for handling their daily Clearing Obligations of Stock Exchanges.

Customer Service

The Bank is a member in Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI). BCSBI has revised various Fair Practice Codes which is elaborate covering all the areas of Banking. As per the revised codes, 'Fair Practice Code for Lenders' have been incorporated. As per the survey on Customer service redered by Indian Banks by BCSBI, the Bank has been assigned above average rating and is rated fourth amongst the 26 PSBs.

A web based online system called SPGRS (Standardised Public Grievance Redressal System) assisting customers to logde complaint online with status tracking facility is already in place. The Regional offices and Branches are enabled to view the complaints in the system and resolve the same immediately. Toll Free Teleservices for Redressal of Customer Grievances (No.1800-425-4445) is provided on 24x7 basis for receiving the complaints from the customers to resolve within 48 hours.

Customers Fortnight was observed in all branches during November 2013 and Executives from the Central Office and Regional Offices have visited the branches and met the customers. The Bank has conducted the Customer Service Survey for the year 2013-14 to assess the level of customer service rendered by the branches.

The details of customer complaints received and redressed during the year 2013-14 are detailed below.

Sl.No.	Details	At Central Office	At Regional Offices
1.	No. of complaints pending at the beginning of the year	114	89
2.	No. of complaints received during the year	4030	2141
3.	No. of complaints redressed during the year	4050	2158
4.	No. of complaints pending at the end of the year	94	72
	Settlement Rate	97.73%	96.77%

Details of Complaints are analysed below :

NATURE OF COMPLAINTS	NUMBER	PERCENTAGE
Advances related complaints	893	14.47
ATM related complaints	1299	21.05
Customer service related complaints	879	14.24
Demat services related complaints	21	0.34
Deposit related complaints	546	8.85
General Banking complaints	1349	21.86
Complaints related to Government business	38	0.64
Complaints related to NRI services	39	0.65
Complaints related Remittances	177	2.86
Internet banking related complaints	490	7.93
Credit card related complaints	140	2.27
Pension related complaints	300	4.84
TOTAL	6171	100.00

No. of awards passed by the Banking Ombudsman and implemented by the Bank are as follows.

1. No. of awards pending at the beginning of the year 0
2. No. of awards passed by Banking Ombudsman during the year 0
3. No. of awards implemented during the year 0
4. No. of awards lapsed due to non acceptance by customer 0
5. No. of unimplemented awards at the end of the year 0

बैंक ने चेन्नै शहर में ग्राहक सेवा केंद्र के संयोजक है के रूप में वर्ष के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान किया।

वसूली प्रबंधन

बैंक ने एनपीए खातों की वसूली में सुधार हेतु 16 विशेषीकृत आस्ति वसूली प्रबंधन शाखाएँ खोली हैं। वसूली में सुधार के लिए वसूली एजेंटों की सेवाओं का भी उपयोग लिया गया।

रु. 5.00 करोड़ और उससे अधिक के उच्च मूल्य फिसलन की समीक्षा निदेशक मण्डल द्वारा हर मण्डल की बैठक में की गई।

रु. 1 करोड़ और उससे अधिक के उच्च अनर्जक आस्ति (एनपीए) खातों का प्रबोधन कार्पोरेट कार्यालय से नियमित रूप से किया जाता है और अधिकतर उधारकर्ताओं को महा प्रबंधक (विधि व वसूली) व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं। उच्च प्रबंधन ने नियमित आधार पर सभी उच्च मूल्यवाले एनपीए खातों की समीक्षा क्षेत्राधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से वीडियो कान्फ्रेन्स के जरिए की है।

शाखा प्रबंधकों को रु.1 लाख से कम वाले सभी एनपीए खातों तथा रु. 1 लाख से 5 लाख तक के छोटे मूल्य के अनर्जक खातों में एकमुश्त निपटान को स्वीकार करने के अधिकार देने के लिए विशेष योजनाओं को पुनर्सत्यापित किया गया। रु.5 लाख से कम के बकायों के साथ छोटे मूल्य के अनर्जक आस्ति खातों में रु. 362 करोड़ की वसूली की गई। इनमें से रु. 1 लाख से कम बकाया वाले खातों में 61 करोड़ की वसूली की गई। रु.5 लाख से अधिक से रु. 1 करोड़ तक के बकाया वाले खातों में वसूली को बढ़ाने के लिए एक अन्य योजना भी आरंभ की गई। इस योजना के तहत रु. 59 करोड़ की वसूली की गई।

चूंकि एकमुश्त निपटान (ओटीएस) एक निर्बाध वसूली प्रक्रिया है, क्षेत्रीय प्रधानों/शाखाओं को सूचित किया गया कि वे बैंक की वसूली नीति के अनुसार ओटीएस प्रस्तावों की प्रस्तुति के लिए उधारकर्ताओं से संपर्क करें।सभी पात्र खातों में और बिक्री के लिए लायी गई संपत्तियों पर सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई। विशेषकर छोटे मूल्य के अनर्जक खातों के संबंध में लोक अदालतें/ वसूली अभियान बार-बार आयोजित किए गए। 23.11.2013 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक की प्रतिभागिता महत्वपूर्ण थी। रु. 68 करोड़ के 7,657 मामलों का निपटान किया गया।

वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार अपलिखित खातों में वसूली को बढ़ाने के लिए महाप्रबंधक के नेतृत्व में अलग वर्टिकल सृजित किया गया। तकनीकी रूप से अपलिखित खातों से की गई वसूली लगभग रुपए 303 करोड़ रही। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने विभिन्न केंद्रों पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं तथा उन्हें उन सभी मामलों, जिनमें आरसी जारी किया गया है, को देखने तथा बिक्री के लिए प्रतिभूतियों को लाने का निर्देश दिया गया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान रुपए 3,043 करोड़ (दावा राशि) वाले 524 डीआरटी मामलों को दर्ज किया गया है। 166 करोड़ रुपए के कुल 197 मामलों पर निर्णय लिया गया है। डीआरटी मामलों में की गई वसूली रुपए 119 करोड़ हैं। रुपए 7,663 (संचयी)करोड़ की राशि वाले 2,507 मामले लंबित हैं। कुल नकद वसूली और उन्नयन (अपलिखित खातों से तथा अनामे ब्याज की वसूली समेत) रुपए 3,334 करोड़ (एनपीए से एआरसी की बिक्री समेत) था। वर्ष के दौरान केवल एनपीए का उन्नयन ही रुपए 842 करोड़ था। वर्ष के दौरान हानि खातों में वसूली रुपए 28 करोड़ थी।

सूचना के अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम के तहत प्राप्त याचिकाओं का निपटारा

वर्ष 2013-14 के दौरान आरटीआइ अधिनियम के तहत सूचना की माँग करते हुए बैंक को कुल 1,840 आवेदन प्राप्त हुए। सभी अनुरोधों का निर्धारित अवधि के अंदर ही विधिवत उत्तर दे दिया गया और वरीयता के आधार पर निपटान कर लिया गया। बैंक के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 206 प्रथम अपीलें उन अपीलकर्ताओं से प्राप्त की गईं, जो केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। इन अपीलों का निपटान अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया। माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष 25 आवदेनों को द्वितीय अपील के रूप में रखा गया। सभी 25 आवेदनों को सीआइसी द्वारा उचित निर्णय पारित कर बैंक के विरुद्ध बिना किसी प्रतिकूल टिप्पणी के निपटा दिया गया, जिनका विधिवत अनुपालन किया गया।

जोखिम प्रबंधन

दिनांक 31 मार्च 2008 से बैंक ने नई पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) को अपना लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार बैंक ने उधार जोखिम पूँजी के परिकलन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एस ए) और परिचालनात्मक जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) और बाजार जोखिम के लिए पूँजीगत अपेक्षाओं के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) को अपनाया है। इस संबंध में बैंक विनियामक अपेक्षाओं का पूर्ण अनुपालन कर रहा है। बैंक 1.04.2013 से प्रभावी आरबीआई द्वारा जारी बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी का रखरखाव कर रहा है। तरलता कवरेज अनुपात तथा निवल स्थायी फंडिंग अनुपात, जो क्रमश: जनवरी 2015 तथा जनवरी 2018 से प्रभावी होंगे, पर दिशानिर्देशों के संबंध में बैंक उनके अनुपालन हेतु प्रणालियों को लागू करने की प्रक्रिया में है।

उधार जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उपाय के रूप में, बैंक ने विशिष्ट स्तरों पर आंतरिक उधार रेटिंग्स का वैधीकरण करने के लिए टियर प्रणाली कार्यान्वित की है, जो कि उधार विभागों में स्वतंत्र है। उधारकर्ताओं के लिए निष्पक्ष रेटिंग करने के उद्देश्य के लिए उच्च दृष्टिकोण की ओर बढ़ना आवश्यक है। बैंक के केन्द्रीय कार्यालय की शक्तियों के तहत आने वाले प्रस्तावों के संबंध में, रेटिंग्स का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग में किया जाता है। कॉर्पोरेट / पीएसई / प्राइमरी डीलरों के ऋणों को उपलब्ध बाहरी रेटिंग के आधार पर जोखिम भारित के साथ किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने छ: देशीय बाहरी उधार रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग्स इस्तेमाल करने के लिए बैंकों को अनुमति दी है और बैंक ने पूँजी राहत उद्देश्य के लिए सभी इन ईसीआरए द्वारा दी गई रेटिंग्स को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। बैंक ने किसी भी ईसीआरए द्वारा दी गई निवेदित रेटिंग का इस्तेमाल किया है। बैंक उच्च रेटिंग उधार खातों के लिए निम्न ब्याज दर के द्वारा प्रोत्साहन प्रदान करता है।

बैंक विभिन्न उद्योगों के लिए उद्योग अध्ययन करता है जहाँ भी किसी विशेष उद्योग के लिए बैंक का ऋण बैंक द्वारा निर्धारित ऋण सीमा से परे होता है । बैंक उधार पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो विश्लेषण करता है। बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को भी अद्यतन करने की प्रक्रिया में है साथ बेसल II फ्रेमवर्क के तहत निर्दिष्ट आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रक्रिया को भी अद्यतन किया जा रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन पर अंतिम दिशा निर्देश जारी किए हैं जो मार्च 2013 से लागू हैं । दिशानिर्देशों के अंतर्गत समय -समय पर देशीय परिचालनों और विदेशी परिचालनों के अलग-अलग समेकित प्रारूप की तैयारी और प्रस्तुति दी गई है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में इस संबंध में प्रणाली और प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं तथा इसने दिशानिर्देशों के अनुसार विवरणियों का सृजन भी शुरू कर दिया है तथा जून 2013 को प्रायोगिक आधार पर आरबीआई ऑनलाइन में आंकड़े जमा कर दिए हैं तथा आगे के अनुदेशों के लिए प्रतीक्षारत है।

बैंक ने ऑन लाइन क्रेडिट संसाधन प्रणाली लागू की है जिसके ज़रिए ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन और उधार खातों की रेटिंग साथ-साथ की जा सकती

The Bank in the capacity as the Convener of Customer Service Centre in Chennai City has resolved all the complaints received during the year.

Recovery Management

The Bank has 16 specialised Asset Recovery Management Branches (ARMB) to improve the recovery of NPA accounts. The services of Recovery Agents were also utilised to improve recovery. High value Slippages of ₹. 5 crores and above were reviewed by the Board of Directors in all the Board meetings.

Top NPA accounts of ₹. 1 crore and above are monitored from the corporate office on a regular basis and most of the borrowers are personally met by the General Manager (Law & Recovery). Top Management has continuously reviewed all high value NPA accounts individually on a regular basis with field functionaries through video conference.

Special schemes empowering branch managers to accept One Time Settlements in small value NPA accounts for all NPAs of less than ₹. 1 lac and ₹. 1 lakh to ₹. 5 lakhs were revalidated. An amount of ₹. 362 crores has been recovered in small value NPA accounts with outstanding less than ₹. 5 lacs. Out of this, recovery in accounts with outstanding less than ₹. 1 lakh was ₹. 61 crores. One more scheme to gear up recovery in accounts with outstanding of more than ₹. 5 lakhs upto ₹. 1 crore was also introduced. The recovery under this scheme was ₹. 59 crores.

One time settlements being hassle free recovery process, Regional Heads/Branches were advised to contact the borrowers for submitting OTS proposals as per the recovery policy of the Bank. Action under SARFAESI act was initiated in all eligible accounts and properties brought for sale. Frequent Lok Adalats/Recovery camps were conducted especially in respect of small value NPA accounts. In the National Lok Adalat conducted on 23rd November 2013, the Bank's participation was significant. 7,657 cases amounting to ₹. 68 crores were settled.

As per directives from Ministry of Finance, a separate vertical headed by General Manager is created to augment recovery in written-off accounts. Recovery from technically written off accounts was around ₹. 303 crores. As per the guidelines issued by Ministry of Finance, the Bank appointed Nodal Officers at various centres and they were directed to take up all RC issued cases and bring the securities for sale.

During the financial year, 524 number of DRT cases have been filed amounting to ₹. 3,043 crores (claim amount). 197 cases involving ₹. 166 crores have been decided. The recovery made in DRT cases is ₹. 119 crores. Cases pending is 2,507 cases amounting to ₹. 7,663 crores (cumulative). The total cash recovery and upgradation (including recovery from written off accounts and recovery of undebited interest), was ₹. 3,334 crores (including sale of NPAs to ARCs). The upgradation of NPAs alone during the year was ₹. 842 crores. The recovery in loss accounts was ₹. 28 crores during the year.

Disposal of petitions received under RTI Act

The Bank received 1,840 applications seeking information under RTI Act during the year 2013-14. All the requests were duly replied within the specified period and disposed of based on merits. The Banks First Appellate Authority received 206 First Appeals from those who were not satisfied with the reply of Central Public Information Officer and the same were duly disposed as per the provisions of the Act. 25 applications resulted as Second Appeals with the Hon'ble Central Information Commission. All 25 applications were disposed by CIC by passing appropriate decisions, without any adverse remarks against the Bank, which were duly complied with.

Risk Management

The Bank has adopted the New Capital Adequacy Framework (Basel II) with effect from March 31, 2008. In line with Reserve Bank of India guidelines, the Bank has adopted the Standardised Approach (SA) for computation of Credit Risk Capital, Basic Indicator approach (BIA) for calculating the capital for Operational Risk and Standardised Measurement Method (SMM) for Market Risk Capital computation. The Bank is in compliance with the regulatory requirements in this regard. The Bank is maintaining capital as per Basel III guidelines issued by RBI with effect from 1st April 2013. With regard to the guidelines on Liquidity Coverage ratio and Net Stable funding ratio which comes into effect from January 2015 and January 2018 respectively, the Bank is in the process of putting systems in place for complying with the same.

As a measure of robust credit risk management process, the Bank has implemented a tiered system for validation of internal credit ratings at specified levels which is independent of credit departments, in order to draw unbiased rating for borrowers necessary for moving to advanced approaches. In respect of proposals falling under powers of Bank's Central Office, the validations of ratings are done at Risk Management Department. Exposures on Corporates/PSEs/ Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of the six domestic External Credit Rating Agencies and the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs for capital relief purpose. The Bank has used the solicited ratings assigned by any of the ECRAs. The Bank provides incentive by way of lower rate of interest for better rated borrowal accounts.

The Bank also conducts industry study for various industries wherever the exposure of the Bank for a particular industry is beyond a threshold limit fixed by the Bank. The Bank conducts portfolio analysis of the credit portfolio. The Bank is also in the process of upgrading its Risk Management systems and a procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel II framework.

Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guidelines cover preparation and submission of the statements of Consolidated Operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The Bank has put in place system and procedure in this regard in compliance with the RBI guidelines and has already started generating statements as per guidelines and submitted the data to RBI online as on June 2013 on trial basis and awaiting further instructions.

The Bank has implemented On Line Credit Processing System which enables appraisal of the credit proposal and

है। यह प्रक्रिया डिफाल्ट / माइग्रेशन का अध्ययन करने के लिए और डिफॉल्ट की संभावना की गणना आदि के लिए आँकड़े प्रदान करती है ।

बैंक ने बैंक में बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और ब्याज दर जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति बनाई है। तरलता जोखिम का प्रबंधन जीएपी विश्लेषण के ज़रिए किया जाता है जो दैनिक आस्ति व देयता के अवशेष परिपक्वता / व्यवहारिकता पैटर्न पर आधारित होता है । बाजार जोखिम प्रबंधन नीति के तहत बाजार जोखिम प्रबंधन प्रकार्य व प्रक्रियाओं के लिए सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना दी गई है। जिसके द्वारा बैंक द्वारा वहन की जाने वाली बाजार जोखिम की पहचान, परिकलन, प्रबोधन व नियंत्रण बैंक की जोखिम सह्यता स्तर के अनुरूप एएलएम फ्रेमवर्क के अंदर की जाती है। नीतियों के अंतर्गत बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु विभिन्न जोखिम सीमाएँ तय की जाती हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि समुचित आस्ति देयता के ज़रिए बाजार जोखिम से प्रतिलाभ संबंधी बैंक की प्रत्याशा के अनुरूप परिचालन किए जाते हैं।

बैंक ने अल्पकालिक गत्यात्मक तरलता प्रबंधन व आकस्मिक वित्त पोषण प्रायोजना की प्रणाली बनाई है । विवेकपूर्ण (सह्यता) सीमाएँ, कुशल आस्ति देयता प्रबंधन हेतु विभिन्न अवशेष परिपक्वता अवधि बकैट के लिए निर्धारित की गई हैं। बैंक का लिक्विडिटी प्रोफाइल का मूल्यांकन विभिन्न लिक्विडिटी अनुपातों के ज़रिए किया जाता है। बैंक ने लिक्विडिटी की स्थिति पर किसी प्रकार के तनाव से निपटने के लिए विभिन्न आकस्मिक उपाय किए हैं । बैंक प्रणालीबद्ध व स्थाई निधि प्रायोजना के जरिए घरेलू ट्रेज़री द्वारा पर्याप्त लिक्विडिटी प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन दर संवेदी आस्ति व देयताओं के जीएपी विश्लेषण के ज़रिए किया जाता है और इनका प्रबोधन निर्धारित विवेकपूर्ण (सह्यता) सीमाओं के ज़रिए किया जाता है। शेयर धारक मूल्य को अधिकतम बनाने के मद्देनज़र निवल ब्याज आय और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक रूप से बैंक जोखिम पर आय और आशोधित अवधि अंतराल का आंकलन करता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अलको) / बोर्ड बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के पालन का प्रबोधन करता है और एएलएम नीति में निहित बाजार परिस्थितियों (चालू और प्रत्याशित) के आलोक में रणनीति निर्धारित करता है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित परिचालनात्मक जोखिम नीति बनायी है। परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन संबंधी बोर्ड द्वारा अपनायी गई अन्य नीतियाँ हैं:

(क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति,(ख) फॉरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति, (ग) अपने ग्राहक को जानें धन शोधन निवारण प्रक्रिया पर नीति दस्तावेज़ (घ) सूचना प्रौद्योगिकी कारोबार निरन्तरता व आपदा निवारण प्रायोजना (ड़.) अनुपालन नीति और (च) वित्तीय सेवाओं की आउट सोर्सिंग पर नीति बैंक द्वारा अपनाई गई परिचालनात्मक जोखिम नीति के तहत परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना व विस्तृत प्रक्रियाएँ की गई हैं ।

महत्वपूर्ण परिचालनात्मक हानि सहित परिचालनात्मक जोखिम ऋण की समय पर रिपोर्टिंग और परिचालनात्मक जाखिम को कम करने था नियंत्रण व प्रबोधन, मूल्यांकन, पहचान प्रभावी से करने के लिए भूमिकाओं का स्पष्ट निर्धारण करने के लिए बैंक की परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को एक साथ लाना ही नीति का मूल उद्देश्य है। बैंक में परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन व्यापक व सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क के जरिए किया जाता है। बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम के लिए दि स्टैंडर्डाइज्ड एप्रोच (टीएसए) की ओर अंतरण के लिए अपनी तैयारी पर आरबीआई के समक्ष प्रस्तुति दी है तथा वह आरबीआई द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार प्रणाली के साथ सरलता से क्रियाशील है।

ऋण प्रबोधन

समस्याओं की पहचान करके बैंक पोर्टफोलियो की गुणवत्ता का प्रबोधन करता है और कमियों को दूर करने के लिए उपाय किये जाते हैं । इसका उद्देश्य अर्जक आस्तियों के एन पी ए वर्ग में फिसलन को कम करना है। खातों का दैनिक आधार पर सेगमेंटेशन और अनुवर्तन के द्वारा खातों की सूक्ष्म निगरानी करके बैंक को फिसलन कम करने में सहायता मिलेगी। बैंक ने संभाव्य एनपीए की पहचान करने के लिए सिस्टम विकसित उपाय अपनाए हैं जो फिसलन को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय मापक की शुरुआत करने के लिए समर्थ बनाता है। चिंताजनक खातों की समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है और देयों की वसूली, पुन:संरचना / गहन संरचना, बढोत्तरी आदि हेतु आवश्यक उपाय किए जाते हैं। पुन:संरचित किए खातों की गुणवत्ता का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है और उन खातों का सख्त अनुवर्तन किया जाता है।

कार्पोरेट ऋण पुन:संरचना (सी डी आर)

आरबीआई के तत्वावधान में गठित सीडीआर प्रणाली के तहत, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान पिछले वर्ष से 2 पुनर्स्वीकरण समेत रुपए 5386 करोड़ के जोखिम के साथ 38 खातों में संदर्भ प्राप्त किए, जो पहले खाते को पूर्ण रूप देने में देरी और पैकेज के अननुमोदन के कारण सीडीआर से बाहर हो गए थे। संदर्भितों में से लगभग रुपए 600 करोड़ की जोखिम वाले 7 खाते 180 दिनों के भीतर बहुसंख्यता, आहरण तथा पुनर्संरचना योजना को पूर्ण रूप न दिए जाने के कारण सीडीआर से बाहर हो गए थे। रुपए 224 करोड़ के बकाया वाले 4 खाते वसूली मोड में रख दिए गए हैं। 31 मार्च 2014 तक बैंक का जोखिम 96 खातों में रुपए 11089 करोड़ है जो कि कुल अग्रिम का लगभग 6.12 प्रतिशत है।

कुल संदर्भित खातों का संयोजन रुपए 9,555 करोड़ के जोखिम के साथ 76 मानक खाते तथा रुपए 1,534 करोड़ के जोखिम के साथ 20 एनपीए खाते हैं। ढाँचागत सुविधा क्षेत्र, लौह व इस्पात उद्योग तथा ऊर्जा समेत बुनियादी गतिविधियों क्षेत्र से जुड़ी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) करार कार्यों में शामिल कंपनियाँ संदर्भित खातों का एक बड़ा हिस्सा बनाती है जिनकी संख्या 53 तथा जोखिम 8146 करोड़ रुपए है जो कि कुल संदर्भित खातों का 73.46% है।

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने रुपए 445 करोड़ के एनपीवी त्याग के साथ रुपए 4,218 करोड़ के मौजूदा जोखिम के साथ 26 खातों (मौजूदा सीडीआर एक द्वितीय समय पुनर्संरचना समेत) में सीडीआर के तहत पुनर्संरचना को अनुमोदित किया है। पुनर्संरचना पैकेजों तथा अनुमोदन की पूर्णता के लिए रुपए 1,692 करोड़ के जोखिम के साथ 11 खातें लंबित संदर्भ हैं।

औद्योगिक पुनर्वास

31 मार्च 2014 तक बीआइएफ़आर और एएआइएफ़आर के तहत रु.753 करोड़ के ऋण ज़ोखिमवाले कुल 24 खाते हैं । इनमें से रु.357 करोड़ की समेकित रकम वाले 9 खाते मानक और निष्पादनगत हैं व बाकी के 15 खाते एनपीए के तहत वर्गीकृत किये गये हैं । वर्ष के दौरान 6 बीआइएफआर खातों में रु.153 करोड़ की वसूली की गई । साथ ही, रु.451 करोड़ के ऋण जोखिमवाले 7 खातों को जोड़ा गया और इसके अलावा रु.22 लाख के ऋण जोखिमवाला एक खाता एसआइसीए के दायरे से बाहर हो गया ।

अनुपालन कार्यप्रणाली

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के यहाँ सुनिर्दिष्ट "अनुपालन नीति" मौजूद है और यह नीति अनुपालन जोखिम का प्रबंधन करने तथा उसे कम करने के लिए प्रक्रियाओं और प्रणालियों में भी विद्यमान है। विनियामक दिशानिर्देशों पर आवश्यक परिपत्र / अनुदेश नियमित रूप

also rating of the borrowal accounts simultaneously. The process also provides data for conducting default/migration study and to compute Probability of Default etc.

The Bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of Market risk, Liquidity Risk and Interest Rate Risk in the bank. The Liquidity risk is managed through gap analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis. The Market Risk management policy lays down well defined organizational structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance level. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management.

The Bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed for different residual maturity time buckets for effective asset liability management. Liquidity profile of the Bank is evaluated through various liquidity ratios. The Bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. The Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The Bank estimates earnings at risk and modified duration gap periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value. The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy.

The Bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems security policy (b) forex risk management policy (c) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (d) IT Business continuity and disaster recovery plan (e) compliance policy and (f) policy on outsourcing of Financial Services.

The operational risk management policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling or mitigating operational risk and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework. The Bank had made a presentation to RBI on its preparedness for migrating to The Standardized Approach (TSA) for operational risk and is fine-tuning the system as per the suggestions given by RBI.

Credit Monitoring

The Bank monitors the quality of loan portfolio, by identifying the problems and takes proactive steps to correct deficiencies. The objective is to minimize slippages of performing assets to Non Performing Assets (NPA) category. Micro monitoring of the accounts by segmentation and follow up of the accounts on daily basis helps the Bank to minimize slippages. The Bank has introduced system developed tools for identifying the potential NPAs which enables to initiate proactive measures to control the slippages. The problems in the stressed accounts are analysed and necessary steps are taken for recovery of the dues, restructuring/deep restructuring, enhancement etc. The quality of restructured accounts is monitored on a regular basis and the accounts are followed up closely.

Corporate Debt Restructuring (CDR)

Under the CDR mechanism set up under the aegis of RBI, the Bank during the financial year 2013-14 received references in 38 accounts with an exposure of ₹. 5,386 crores including 2 readmits from previous year which earlier exited CDR on account of delay in finalization and non approval of the packages. Of the referrals, 7 accounts with aggregate exposure of ₹. 600 crores exited from CDR for want of majority, withdrawal and non finalization of restructuring scheme within 180 days. 4 accounts with outstanding of Rs 224 crores have been put on recovery mode. The exposure of the Bank as on 31st March 2014 is Rs 11,089 crores in 96 accounts which is about 6.12% of the total advances. The composition of the total referred accounts are 76 Standard accounts with exposure of ₹. 9,555 crores and 20 NPAs with exposure of ₹. 1,534 crores. The companies engaged in Engineering Procurement and Construction(EPC) contract works catering to infrastructure sector, iron & steel industry and Infrastructure activities including power form the bulk of referred accounts with 53 in number and exposure of ₹. 8,146 crores accounting for 73.46% of the total referred accounts.

During 2013 -14, the Bank has approved restructuring under CDR in 26 accounts (including one second time restructuring of existing CDR account) with the existing exposure of ₹. 4,218 crores with a NPV sacrifice of ₹. 445 crores. The pending references for finalization of restructuring packages and approval are 11 accounts with exposure of ₹. 1,692 crores.

Industrial Rehabilitation

There are 24 accounts with an exposure of ₹. 753 crores as on 31st March 2014 under BIFR and AAIFR. Of this, 9 accounts aggregating to ₹. 357 crores are Standard and Performing and remaining 15 accounts are classified under NPA. During the year, recovery in 6 BIFR accounts amounting to ₹. 153 crores was made. Also, 7 accounts with an exposure of ₹. 451crores were added and 1 account with an exposure of ₹. 22 lacs was out of purview of SICA.

Compliance Function

The Bank has well laid "Compliance Policy" as per Reserve Bank of India guidelines and has in place systems and procedures for managing the Compliance Risk and mitigating the same. Necessary circulars/instructions on the regulatory guidelines are being issued. Each branch / Regional Office /

से जारी किये जाते हैं । हरेक शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय/केन्द्रीय कार्यालय के विभाग में एक अनुपालन अधिकारी मौजूद है, जो अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है । अनुपालन स्तर की समवेत रिपोर्ट बोर्ड/बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) को प्रस्तुत की जाती है । बोर्ड / एसीबी द्वारा इस संबंध में दिये जानेवाले निदेशों का पालन किया जाता है । बैंक ने अपने इन्ट्रानेट पर यूटिलिटी टूल (बैंकिंगरूल्स.कॉम) का प्रावधान कर रखा है, जिसपर एकल क्लिक मात्र से ही वित्त मंत्रालय, आरबीआइ, सेबी आदि जैसे विभिन्न विनियामकों के विनियमों, दिशानिर्देशों का संदर्भ लिया जा सकता है ।

अनुशासनिक कार्रवाई

30 सितंबर 2013 तक लंबित रहे सभी सतर्कता अनुशासनिक मामलों (जो छः महीनों से अधिक लंबित थे), जहाँ आंतरिक जाँच पड़ताल प्रक्रियारत थी, को 31 मार्च 2014 से पहले पूरा कर लिया गया (केवल दो मामलों को छोड़कर, जो कि कोर्ट में लंबित हैं) । इस बात के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं कि अनुशासनिक कार्रवाई प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाए । सतर्कता से संबंधित अनुशासनिक मामलों की औसत लंबन अवधि में काफी गिरावट आई है । वर्ष के दौरान 321 मामलों में चार्जशीट/कारण बताओ ज्ञापन/नोटिस जारी किये गये हैं और 273 मामलों में दण्ड प्रदान किया गया है । 155 मामलों में जाँच के आदेश दिये गये और 154 मामलों में जाँच पूरी कर ली गई ।

निरीक्षण

1 अप्रैल 2013 से तमिलनाडु के 9 क्षेत्रों की शाखाओं में बैंक ने प्रारंभिक तौर पर प्रणालीगत जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआइए) शुरू की और 1 जुलाई 2013 से देश की सभी शाखाओं में इसे लागू कर दिया । कुल मिलाकर 2013-14 के दौरान ऑनलाइन आरबीआइए के तहत 1406 शाखाओं को कवर कर लिया गया । दिसंबर 2013 को समाप्त तिमाही तक निर्धारित 2,091 शाखाओं के निरीक्षण को बैंक संपन्न कर पाया । वर्ष के दौरान लेनदेन लेखा परीक्षा के तहत समवेत रूप से “ए” रेटिंग हासिल करनेवाली शाखाओं की संख्या 81 रही, जब कि आरबीआइए के तहत “लो” (कम) रिस्क रेटिंग हासिल करने वाली शाखाओं की संख्या रही 576 ।

2013-14 के दौरान 36 क्षेत्रों के क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रबंधन लेखा परीक्षा संपन्न की गई । बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रबंधन लेखा परीक्षा प्रणाली को “कॉर्पोरेट गवेर्नन्स रिस्क रिव्यू (सीजीआरआर) “ नाम से प्रणाली आधारित जोखिम आंकलन के रूप में संशोधित किया है और वर्ष 2013-14 के दौरान सीजीआरआर के तहत ईरोड क्षेत्र को कवर किया गया । सूचना प्रणालीगत लेखा परीक्षा 86 शाखाओं, 43 आरसीसीयों और आइटी से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े केन्द्रीय कार्यालय के विभागों में पूरी कर ली गई । 8 जुलाई 2013 से देश की सभी शाखाओं में ऑफसाइट नियंत्रण व निगरानी प्रणाली (ओसीएएस) अमल में ला ली गई है और 45 अलर्ट्स परिचालनीय हैं ।

बैंक की कुल जमाओं के 70.07% और कुल अग्रिमों के 73.88% को कवर करते हुए 570 शाखाओं में समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली प्रभावी रूप से उपयोग में है । इसके अलावा समवर्ती लेखा परीक्षा के तहत चेन्नै डेपाज़िटरी सर्विसेस ब्रांच और केन्द्रीय कार्यालय के तीन विभागों को भी कवर किया गया ।

वर्ष के दौरान 1,916 शाखाओं में राजस्व लेखा परीक्षा पूरी की गई और 570 शाखाओं में टेस्ट चेक लेखा परीक्षा पूरी कर ली गई । चुनिंदा आधार पर 1,469 खातों में स्टॉक की लेखा परीक्षा संपन्न की गई । 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान राजस्व लेखा परीक्षा और केन्द्रीय कार्यालय के निरीक्षण के द्वारा रु.26 करोड़ की आय के स्राव की पहचान की गई । वर्ष के दौरान बैंक की 300 उच्च शाखाओं में चुनिंदा उधार खातों में ब्याज की सही दर के प्रयोजन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया जहाँ रु.12 करोड़ के कुल स्राव की पहचान की गई।

सूचना प्रणालीगत लेखा परीक्षा (आइएस ऑडिट)

प्रौद्योगिकी जोखिम को पर्याप्त मात्रा में कवर करते हुए बैंक में 1 अप्रैल 2013 से जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआइए) की शुरुआत की गई । आरबीआइए में सूचना प्रणालीगत लेखा परीक्षा (परिचालनात्मक जोखिम के तहत प्रौद्योगिकी जोखिम) के तहत 111 लेखा परीक्षा बिन्दु शामिल हैं । वर्ष 2013-14 के दौरान आरबीआइए के तहत लेखा परीक्षित शाखाओं के अलावा 43 क्षेत्रीय कार्यालयों / आरसीसीयों और इन क्षेत्रीय कार्यालयों /आरसीसीयों में से दो-दो सैंपल शाखाओं को भी आइएस लेखा परीक्षा के तहत कवर किया गया ।

केन्द्रीय कार्यालय के जिन 13 विभागों में आइएस ऑडिट किया जाता है, उनमें शामिल हैं नेटवर्क सेक्यूरिटी, आरटीजीएस/नेफ़्ट परिचालन, एएमएल कक्ष, चेन्नै स्थित डेटा केन्द्रों और हैदाराबाद स्थित आपदा प्रबंधन साइट की डीआर ड्रिल लेखा परीक्षा, इंटरनेट बैंकिंग परिचालन, क्रेडिट कार्ड परिचालन, वित्तीय समावेशन, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, एटीएम डेबिट कार्ड परिचालन/एटीएम प्रबंधित सेवाएँ, सीबीएस परिचालन, मोबाइल बैंकिंग परिचालन, पेमेंट गेटवे परिचालन । वर्ष 2013-14 के दौरान 28 जून 2012 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिमानक लेखा परीक्षा दिशानिर्देशों की तर्ज़ पर बैंक की आइएस लेखा परीक्षा नीति की समीक्षा की गई ।

कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति (एसीई)

लेखा परीक्षा उप समिति (एएससी) का “कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति” के रूप में पुनर्नामन किया गया, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा गठित “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षा सुधार विषयक कार्यान्वयन समिति” की टिप्पणियों के अनुसार है और इस पुनर्नामन का अनुमोदन चेन्नै में 28 मार्च 2013 को हुई बोर्ड की अपनी लेखा परीक्षा समिति की बैठक में किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान एसीई की 3 बैठकें आयोजित की गईं । इन एसीई बैठकों में बहुत बड़ी शाखाओं (ईएलबी), अपवादतः बहुत बड़ी शाखाओं (ईईएलबी) / विशिष्ट शाखाओं /विदेशी शाखाओं की केन्द्रीय कार्यालय निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रबंधन लेखा परीक्षा, स्टॉक लेखा परीक्षा/समवर्ती लेखा परीक्षा/टेस्ट चेक लेखा परीक्षा/राजस्व लेखा परीक्षा की समीक्षाओं को भी इन बैठकों में चर्चार्थ रखा गया । एसीई द्वारा इन समीक्षाओं में पाई गई प्रमुख खामियों तथा इनपर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को हर एक तिमाही में एसीबी के सम्मुख रखा गया ।

सतर्कता

वर्ष 2013-14 के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंक सतर्कता से जुड़े लंबित अनुशासनिक मामलों के निपटान हेतु प्रभावी कदम उठाता रहा । वर्ष के दौरान सतर्कता से जुडे 111 अनुशासननिक मामलों का निपटान किया गया और दण्ड प्रदान किये गये । 31 मार्च 2014 तक सतर्कता के 194 मामले लंबित हैं, जिनमें से केवल 3 मामले 24 महीने से भी ज्यादा पुराने हैं, क्योंकि इन पर कोर्ट का स्थगन आदेश है । 37 मामलों में जाँच-पड़ताल पूरी की जा चुकी है और प्रेज़ेन्टिंग अधिकारी/डिफेन्स की ओर से संबंधित मामलों का सारांशन प्रतीक्षित है । 53 मामलों में जाँच प्राधिकारियों द्वारा नतीजों को पूरा कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन हैं । 62 सदस्य निलंबनाधीन हैं और इन मामलों का सीवीओ द्वारा सूक्ष्म संवीक्षण व प्रबोधन किया जा रहा है।

सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में धोखाधड़ियों के विवरण बोर्ड की परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति और लेखा परीक्षा समिति के सम्मुख रखे गये और प्राप्त सुझावों / टिप्पणियों पर बैंक द्वारा कार्रवाई की गई ।

Central Office department has one Compliance Officer who is submitting compliance certificates. The overall compliance level is submitted to Board /Audit Committee of the Board (ACB). The directions from Board /ACB are carried out. The Bank provided the utility tool (bankingrules.com) in our intranet whereby all the regulations, guidelines of the various regulators like Ministry of Finance, RBI, SEBI etc. can be accessed at a single point.

Disciplinary Proceedings

All long outstanding Vigilance disciplinary cases {> 6 months} where domestic enquiry was still in progress, as on 30th September 2013 have been completed before 31st March 2014(except two cases which are pending with the courts). Efforts are made to complete the disciplinary action process within the stipulated time norms. The average pendency of Vigilance disciplinary cases has been considerably reduced. During the year chargesheets/show cause memos/notices had been issued for 321 cases and Punishment is awarded for 273 cases. Enquiries ordered for 155 cases and 154 enquires were completed.

Inspection

Bank has introduced system based Risk Based Internal Audit (RBIA) from 1st April 2013 initially in the branches of 9 regions of Tamil Nadu and extended to all the branches of the country from 1st July 2013. In total, 1406 branches have been covered under the online RBIA during 2013-14. The Bank was able to achieve inspection of 2091 branches budgeted up to the quarter ended December 2013. Number of branches which secured overall 'A' rating was 81 under Transaction Audit and 576 branches secured 'LOW' risk rating under RBIA during the year.

Management Audit of Regional Offices of 36 Regions was conducted in 2013-14. Bank has revised the system of Management Audit of Regional Offices into system driven risk assessment in the name of "Corporate Governance Risk Review (CGRR)" and Erode Region was covered under CGRR during 2013-14.

Information System Audit was conducted in 86 branches, 43 RCCs and the departments at Central Office covering IT related areas. Off site Control and Surveillance System (OCAS) has been implemented in all the branches of the country from 8th July 2013 onwards and 45 alerts are running.

Concurrent Audit System is effectively in use at 570 branches covering the 70.07% of total deposits and 73.88% of total advances of the Bank. In addition to this, Chennai Depository Services branch and 3 CO Departments were also covered under concurrent Audit.

Revenue Audit was carried out in 1,916 branches and Test Check Audit was conducted in 570 branches during the year. Stock Audit was conducted in 1,469 accounts on a selective basis. Through Revenue Audit and CO Inspection a leakage of income of ₹. 26 crores was detected during the year ended 31st March 2014. A special drive to ensure application of correct rate of interest in select borrowal accounts was conducted in top 300 branches of the bank during the year where a total leakage of ₹. 12 crores was detected.

Information Systems (IS) Audit

Risk Based Internal Audit (RBIA) was introduced in the Bank from 1st April 2013 covering Technology Risk adequately. RBIA includes 111 audit points under information system audit (Technology Risk under Operational Risk). Apart from the audited branches under RBIA, 43 RO/RCCs and 2 sample branch from each of these RO/RCCs were covered under IS audit during 2013-14.

IS Audit 13 Central Office department applications include Network Security, RTGS/NEFT Operations, AML cell, DR Drill Audit of Data Centers at Chennai and Disaster Recovery Site at Hyderabad, Internet Banking Operations, Credit Card Operations, Financial Inclusion, Cheque Truncation Systems, ATM/Debit Card Operations/ATM Managed Services, CBS Operations, Mobile Banking Operations, Payment Gateway Operations were also conducted. During the year 2013-14, the IS Audit policy for the bank was reviewed in line with the Model Audit Guidelines issued by Ministry of Finance on 28th June 2012.

Audit Committee of Executives (ACE)

Audit Sub Committee (ASC) was renamed as "Audit Committee of Executives", in line with the observations of the Implementation Committee on Audit Reforms in PSB, constituted by the Ministry of Finance which was approved by the Audit Committee of the Board in its meeting held on 28th March 2013 at Chennai.

During the Financial year 2013-14, 3 ACE Meetings were held. The Review of Central Office Inspection Reports (COIR) of Extra Large Branches (ELB), Exceptionally Extra Large Branches (EELB)/Specialised Branches/Overseas Branches including Management Audit of Regional Offices, Review of Stock Audit/Concurrent Audit/Test Check Audit/Revenue Audits were taken for discussion in the ACE Meetings. The major findings of ACE with Action Taken Report was placed before ACB once in a quarter.

Vigilance

During the year 2013-14 the Bank continued to take effective steps for disposal of pending Vigilance Disciplinary cases within the time schedule prescribed by Central Vigilance Commission. During the year 111 Vigilance Disciplinary cases were disposed and penalties awarded. As on 31st March 2014, there are 194 vigilance cases pending of which only 3 cases were beyond 24 months mainly due to court stay. In 37 cases, enquiries have been concluded and respective summing ups are awaited from Presenting Officer/Defence. In 53 cases, findings have been arrived at by the Inquiring Authority and further action is in progress. 62 members are under suspension and these cases are closely reviewed and monitored by the CVO.

आरबीआइ के मास्टर पत्र के अनुपालन में बहुत बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों (रु.100 लाख और उससे अधिक की रकमयुक्त) वाले मामलों को बहुत बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों के प्रबोधन के लिए गठित समिति के सम्मुख रखा गया और निदेशकों की टिप्पणियों पर कार्रवाई की गई तथा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट को बैंक के बोर्ड के सम्मुख रखा गया ।

निवारक सतर्कता उपायों को सीवीओ के आवधिक दौरों/शाखा निरीक्षण के जरिए सुदृढ़ किया गया । निवारक सतर्कता को सुदृढ़ करने के लिए जो उपाय किये गये, उनमें से कुछ निम्नवत हैं :

- **सावधिक/आकस्मिक निरीक्षण :** केवाइसी/एएमएल दिशानिर्देशों आदि सहित प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों के अनुपालन के संबंध में शाखाओं का सावधिक व आकस्मिक निरीक्षण किया गया ।
- **सावधानी पुरस्कार योजना :** धोखाधड़ियों को रोकने / उनकी पहचान करने / उन्हें असफल बनाने में स्टाफ सदस्यों द्वारा बरती जानेवाली सावधानी के लिए उन्हें पुरस्कार व मान्यता प्रदान करने हेतु यह विशिष्ट योजना शुरू की गई है, जिसका अनुमोदन बैंक के बोर्ड ने 20 सितंबर 2013 को किया ।
- **आइओबी विजिल :** सतर्कता जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस नये त्रैमासिक गृह-न्यूज़ लेटर की जून 2013 से शुरुआत की गई है । धोखाधडियों से सीखने के बिन्दु , सफलता की कहानियाँ, सतर्कता समाचार, उच्च प्रबंधन के संदेश आदि इसके ज़रिए स्टाफ सदस्यों में परिचालित किये जाते हैं ।
- **धोखाधड़ियों का प्रवृत्तिगत आंकलन :** बोर्ड के निर्देशों के अनुसार बाहरी विशेषज्ञ (सीबीआइ के रिटायर्ड पदाधिकारी) को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया गया है, ताकि पिछले पाँच वर्षों के दौरान हुई धोखाधड़ियों की प्रवृत्ति का गहन अध्ययन किया जा सके और धोखाधड़ियों से बचने के उपाय सुझाये जा सकें । इस समिति ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिये हैं और उनके सुझाये गये निवारक उपायों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।
- **तीसरे पक्ष की हस्तियों के विरुद्ध कार्रवाई :** बैंक ने अपने इंट्रानेट पर बैन (निषिद्ध) किये गये उन तीसरे पक्षों जैसे सनदी लेखाकारों, मूल्यांककों व वकीलों की सूची पहले ही डाल रखी है । अभी तक 5 पैनल वकीलों को पैनल से हटा दिया गया है । उन्हें इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वे बैंक के अनुदेशों का अनुपालन करने में असफल रहे जिससे उधारकर्ताओं को ऐसी संपत्तियों से संबंधित जाली हक विलेख प्रस्तुत करके बैंक के साथ धोखाधड़ी करने में मदद मिली , जो संपत्तियाँ बैंक के यहाँ प्रमुख या संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में पहले से ही बंधक थी ।
- **क्या करें व क्या न करें विषयक हस्त पुस्तिका :** बैंक ने निवारक सतर्कता के संबंध में क्या करें और क्या न करें विषय पर एक हस्त पुस्तिका जारी की जो कि परिचालन से जुड़े सभी स्टाफ सदस्यों के लिए एक गाइड का काम करेगी और जिससे निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन करने में मदद मिलेगी ।
- **जानबूझकर चूक करनेवालों की सूची :** धोखाधड़ियों को अंजाम देनेवाले उधारकर्ताओं की सूची बैंक की विलफुल डिफ़ाल्टर्स विषयक समिति को सौंप दी गई ताकि उनके नाम जानबूझकर चूक करनेवालों की सूची में प्रकाशित किये जा सकें ।
- बैंक ने ऐसे अधिकारियों की पहचान की है, जिनमें तहकीकात करने, विवरणों का आंकलन करने तथा फ़ारेनसिक आंकलन करने आदि का माद्दा है और उन्हें तहकीकात /जाँच-पड़ताल व फारेनसिक लेखा परीक्षा में समुचित प्रशिक्षण दिया गया है ।

सतर्कता से संबंधित मामलों की देख-रेख करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और उनकी कार्यभूमिका भी स्पष्टत: परिभाषित की गई है, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा शाखाओं के दौरे से जुड़ी मासिक रिपोर्ट की प्रस्तुति भी शामिल है । इनके लिए 19 अगस्त 2013 से 21 अगस्त 2013 तक तहकीकात, जाँच कार्यवाही विषयक 3 दिवसीय कार्यशाला चलायी गयी । अनुशासनिक प्राधिकारियों के लिए नवंबर 2013 के दौरान केन्द्रीय कार्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला चलायी गई । इसके अलावा चेन्नै में 20 मार्च 2014 से 22 मार्च 2014 तक क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारियों (पांडियन ग्राम बैंक और उड़ीशा ग्राम बैंक के पदाधिकारियों सहित) के लिए बैंक ने तीन दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया । प्रतिभागियों को निवारक सतर्कता उपायों और धोखाधड़ी पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित विभिन्न मामलों से अवगत कराया गया । अक्तूबर- नवंबर 2013 के दौरान अर्थात् 28 अक्तूबर 2013 से 2 नवंबर 2013 तक बैंक ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया ।

सूचना सुरक्षा

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआइएसओ) की अध्यक्षता में सूचना सुरक्षा विभाग का गठन किया । सूचना सुरक्षा समिति तिमाही में एक बार बैठक करती है ताकि बैंक में सूचना सुरक्षा की समीक्षा की जा सके और साथ ही इस समिति की संवीक्षाएँ बोर्ड को भी प्रस्तुत की जाती हैं । सूचना सुरक्षा नीति, जो बैंक में पूरी तरह से अमल में है, की हर वर्ष समीक्षा की जाती है और इसके अलावा गोपालकृष्ण समिति की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने के लिए बैंक कदम उठा रहा है । सूचना सुरक्षा की दृष्टि से आइटी उत्पादों की समीक्षा की जाती है और सिफारिशें व सुझाव संबंधित विभागों को प्रदान किये जाते हैं ।

सूचना प्रौद्योगिकी

कोर बैंकिंग सोल्यूशन

बैंक ने स्वविकसित कोर बैंकिंग सोल्यूशन अमल में ला रखा है जिसे **क्राउन** (सेन्ट्रलाइज़्ड रिसोर्सेस ओवर वाइड एरिया नेटवर्क) नाम दिया गया है और इसे आइएसओ : 9001 : 2008 प्रमाण पत्र प्राप्त है । मंत्रालय के निदेशों के अनुसार बैंक ने अपने सीबीएस को सीओटीएस सीबीएस मॉडल में परिवर्तित करने की योजना बनायी है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों में व्यापक तौर पर उपयोगित है । बैंक की सभी शाखाओं में नेफ़्ट और आरटीजीएस की सुविधा मौजूद है ।

वैकल्पिक डेलिवरी चैनल

- **एटीएम :** बैंक का एटीएम एप्लिकेशन सर्वर सन सोलारीज़ पर कार्यरत है और स्विच सिस्टम मेसर्स. वाइसीएस से परिचालित है, जो कि एआइएक्स आइबीएम सर्वर पर कार्य करता है । एटीएम पोर्ट आधारित प्रोग्रामों पर कार्यरत हैं । बैंक ने ई - कियोस्क की शुरुआत की है तथा शाखाओं और एटीएमों में 102 कियोस्क लगाये हैं । बैंक ने उच्च साख वाले ग्राहकों के लिए विज़ा इंटरनेशनल गोल्ड / प्लैटिनम / सिगनेचर कार्ड की शुरुआत की है और कृषि ग्राहकों के लिए किसान डेबिट कार्ड भी शुरू किया है ताकि वे एटीएम के ज़रिए अपने ऋण की रकम की निकासी कर सकें । स्टूडेंट कार्ड भी शुरू किये गये हैं और ग्राहकों के लिए गिफ़्ट कार्ड की भी शुरुआत की गई है, जो कि विभिन्न मूल्य वर्गों में रु.50,000 तक के लिए उपलब्ध हैं ।
- **इंटरनेट बैंकिंग :** बैंक ने स्व-विकसित इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली लागू कर रखी है, जिसके जरिए कई सामयिक कार्य जैसे मियादी जमा खोलना, आरटीजीएस का उपयोग कर निधि अंतरण करना आदि किये जा सकते हैं । इसके अलावा ऑनलाइन पर ही राज्यवार वैट का ई-भुगतान किया जा सकता है । ई-भुगतान की

In compliance to the CVC guidelines, details of frauds were placed to Operational Risk Management Committee and Audit Committee of the Board and the observations/ suggestions received have been acted upon by the Bank. In compliance of RBI Master Circular, cases of Large Value Frauds (Amount involving ₹. 100 lacs and above) have been placed to the Committee for Monitoring Large Value Frauds and the observations of the Directors are acted upon and the Action Taken Report is also placed before the Bank's Board.

Preventive Vigilance measures have been strengthened through periodical branch Inspection/visits by CVO. The following are some of the measures taken to strengthen preventive vigilance

- **Periodical/Surprise Inspections:** Periodical and surprise inspections of branches are conducted on compliance of systems and procedures including KYC/AML guidelines, etc.
- **Alertness Award Scheme:** This scheme is an exclusive scheme for recognition and reward of alertness in staff members in prevention/detection/ foiling of frauds which has been approved by the Bank's Board on 20th September 2013.
- **IOB Vigil:** A new quarterly in-house news letter to spread vigilance awareness was launched since June 2013. Learning points from frauds, success stories, vigilance news, messages from Top Management, etc. are circulated among staff members.
- **Trend analysis of frauds:** As per the Directions of the Board, a Committee has been formed with an outside expert (retired CBI official) to make an in depth study of the trend in frauds for the last five years and to give suggestions to prevent perpetration of frauds. The Committee has submitted its findings and action initiated on the remedial measures suggested.
- **Action against Third Party Entities:** Bank has already put on intranet, the list of banned third party entities viz., Chartered Accountants, Valuers and Lawyers. So far 5 Panel Advocates have been removed from the panel for their failure to comply with the Bank's instructions which enabled perpetration of fraud on the bank by the borrowers by submitting fake title deeds relating to the properties which were mortgaged to the bank either as prime or collateral security.
- **Hand book on Do's and Don'ts**: Bank has released a hand book on Do's and Don'ts on Preventive Vigilance which will serve as a guide to all the operational staff to follow the laid down systems and procedures.
- **Wilful Defaulters List:** The list of borrowers who have perpetrated frauds, has been furnished to Willful Defaulter's Committee of the Bank for the purpose of publishing their names in the Willful Defaulters List.
- Bank has identified Officers having aptitude for investigation, data analysis and forensic analysis, etc. and they are given appropriate training in investigations and forensic audit.

All the Regional Offices have been posted with Vigilance Officers to handle Vigilance matters and their role functions have been well defined which includes submission of monthly report on visit to branches. A three day Workshop on Investigation, Enquiry Proceedings, was conducted from 19th to 21st August 2013 and one day Workshop for Disciplinary Authorities was conducted at Central Office during November 2013. An intensive three day Training Programme for all Regional Vigilance Officers (and Officials from Pandyan Grama Bank and Odisha Grama Bank) was conducted by Bank at Chennai from 20th March 2014 to 22nd March 2014. The participants were refreshed on various issues relating to Preventive Vigilance measures and post-fraud follow-up action. Vigilance Awareness week was observed by the Bank in October - November 2013 i.e. from 28th October 2013 to 2nd November 2013.

Information Security

The Bank has set up Information Security Department headed by Chief Information Security Officer (CISO) as per RBI guidelines. The Information Security Committee meets every quarter to review Information Security in the Bank and reviews are submitted to Board. Information Security Policy which is in place is reviewed every year and the Bank is taking steps to fully implement recommendations of Gopalakrishna Committee. IT products review from Information Security perspective is carried out and recommendations and suggestions are provided to the respective departments.

Information Technology

Core Banking Solution

The Bank has implemented the Core Banking Solution developed in-house, christened 'CROWN' (Centralized Resources Over Wide-area Network) with ISO: 9001:2008 certification. As per Ministry directions, the Bank has planned to move to the COTS CBS model which is widely used by all other PSB's in India. All the branches of the Bank are enabled for NEFT and RTGS.

Alternate Delivery Channels

ATM: Bank's ATM application server runs on Sun Solaris and the switch is from M/s YCS on AIX IBM Server. ATMs runs on port based programs. The Bank has introduced e-kiosks and installed 102 kiosks in branches and ATMs. The Bank has launched VISA International Gold/Platinum/Signature cards for high net worth customers and had also launched Kisan debit cards to agricultural customers to enable them to draw the loan proceeds through ATMs. Student cards have also been introduced and launched Gift Cards which are issued to customers with denominations upto ₹. 50,000/-

Internet Banking: The Bank has home-grown Internet Banking suite, which has contemporary offerings like Opening of Term Deposits, Funds Transfer using RTGS through Internet Banking. E-payment of state VAT has been made online for i)Lucknow, ii)Delhi, iii)Maharashtra (GRAS) (Multi Dept. Portal), iv) Pondicherry, v)Karnataka, vi) Andhra Pradesh, vii) Tamilnadu, viii) Jharkhand and ix) West Bengal which ensures float funds for the Bank. Payment of port charges has been enabled for Chennai and Tuticorin Ports which also ensures float funds for the Bank. Multiple scheduling of payments to SB/CDCC/RD/ loan accounts on

सुविधा निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए है : 1. लखनऊ 2. दिल्ली 3. महाराष्ट्र (जीआरएएस) (मल्टी डिपार्टमेंट पोर्टल) 4. पांडिचेरी 5. कर्नाटक 6. आन्ध्र प्रदेश 7. तमिलनाडु 8.झारखंड और 9. पश्चिम बंगाल । इसके ज़रिए बैंक के लिए निधियों का आगम सुनिश्चित होता है । साथ ही, चेन्नै और तूत्तुकुडी न्यासों के लिए न्यास प्रभारों के भुगतान के जरिए बैंक के लिए निधियों के आगम को भी सुनिश्चित किया जाता है । शाखाओं के आधार पर बचत बैंक / सीडीसीसी / ऋण खातों में भुगतानों के बहुआयामी निर्धारण को भी इंटरनेट बैंकिंग के जरिए शुरू किया गया है । इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन पर जमाओं का खोलना / बंद करना / नवीकरण करना जैसे कार्य भी शुरू किये गये हैं और इसके लिए आइओबी सूपर मार्केट नाम से एक एकल-गंतव्य सूपर मार्केट प्रारंभ किया गया है, जिसपर टेलिकॉम, बीमा आदि जैसे प्रतिष्ठानों के सभी वर्गों के लिंकों को जोड़ दिया गया है । उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के शुल्क को अदा करने के लिए ई-भुगतान की सुविधा भी शुरू की गयी है ।

- **पेमेंट गेटवे :** मोबाइल, बीमा प्रीमियम, अन्य बैंकों के क्रेडिट कार्डों, टेलीफोन बिलों आदि जैसे उपयोगिता बिलों का भुगतान डेबिट कार्ड का उपयोग करते हुए करने के लिए पेमेंट गेटवे की सुविधा अमल में है । नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हुए कई संस्थानों को पेमेंट गेटवे के तहत ला लिया गया है और कॉलेज शुल्क अदा करने के लिए अन्य बैंकों के विज़ा कार्ड के उपयोग की सुविधा भी दी गई है ।

- **मोबाइल बैंकिंग :** मोबाइल बैंकिंग सोल्यूशन ओटीपी (एकबारगी पिन संख्या) के ज़रिए दोहरे प्रमाणीकरण पद्धति पर कार्यरत है और इसके ज़रिए लेनदेन दो तरीकों से किया जा सकता है - एक एसएमएस पद्धति के ज़रिए और दूसरा मोबाइल ब्राउज़र (जीपीआरएस) के ज़रिए । मोबाइल बैंकिंग के अंतर्गत जो सेवाएँ उपलब्ध हैं, वे हैं - खाता शेष की जानकारी, अंतिम कुछ लेनदेन, प्रदत्त चेक की स्थिति, ऋण शेष की जानकारी, ऋण भुगतान का इतिहास (अंतिम कुछ), जमा शेष की जानकारी, निधि अंतरण की सुविधा, आइओबी क्रेडिट कार्ड का भुगतान , शाखा का पता, एटीएम का पता , एटीएम/ डेबिट कार्ड का निबंधन, चेकबुक का अनुरोध, चेक का भुगतान रोकना, मियादी जमा खोलना , ऋण विवरण का अनुरोध, सिनेमा टिकट की बुकिंग, एअर टिकट की बुकिंग, मोबाइल टॉप-अप आदि ।

- **जेन नेक्स्ट :** टेक सैवी यानि तकनीक उन्मुख नव जवान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से चेन्नै, बैंगलूर और मणिपाल में शाखाएँ खोली गई हैं ।

- **आधार :** सरकार / एनपीसीआइ द्वारा शुरू की गई पहल से जुड़े आधार अभियान में बैंक की सक्रिय भूमिका है । विभिन्न शाखाओं में खातों की संख्या को आधार नंबर के साथ जोड़ा जा रहा है और यह प्रक्रिया पिछले डेढ़ साल से अनवरत चल रही है । इसी प्रकार एपीबीएस और एनएसीएच प्लैटफार्म भी परिचालन में हैं ।

- **वित्तीय समावेशन परियोजना :** बैंक के वित्तीय समावेशन अप्लिकेशन के जरिए रियल टाइम में अग्रिमों के प्रति विप्रेषण करने , जमा खोलने और निधि अंतरण करने जैसी सुविधा विद्यमान है । साथ ही, यह अप्लिकेशन बीसी-ग्राहक उन्मुख भी है, जिसके द्वारा कोई भी ग्राहक किसी भी कारोबारी संवादी के ज़रिए लेनदेन कर सकता है ।

- **केन्द्रीय प्रायोजना से संबंधित योजनाओं के प्रबोधन की प्रणाली (सीपीएसएमएस) :** सीपीएसएमएस भारत सरकार वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा शुरू की गई ऐसी परियोजना है, जिसका प्रमुख कार्य वास्तविक लाभ भोगियों को किए जानेवाले निधि-संवितरण का ट्रैक रखा जाना है । बैंक के जरिए इन निधियों के स्वीकरण और संसाधन के लिए ज़रूरी साफ्टवेयर पहले से ही मौजूद है ।

- **गवर्नमेंट ई-पेमेंट गेटवे : (जीईपीजी) :** बैंक के नेफ्ट प्लैटफार्म के जरिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों / विक्रेताओं को केन्द्र सरकार के विभागों से होने वाले बहुत भारी भुगतानों को संवितरित करने के लिए जीईपीजी अमल में है । तमिलनाडु राज्य में जहाँ प्रति सप्ताह तमिलनाडु सरकार द्वारा नरेगा योजना भुगतान निर्मोचित किये जाते हैं , वहाँ ईएफएमएस (इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली) के लेनदेनों को संसाधित करने के लिए जिन 5 बैंकों को चुना गया है, उनमें हमारा बैंक भी है । इसके तहत लेनदेनों को दैनिक आधार पर संसाधित किया जाता है और इंट्रा बैंक तथा इंटर बैंक दोनों ही के लाभभोगियों को क्रेडिट किया जाता है । शायद आइओबी ही एक मात्र राष्ट्रीकृत बैंक है जो काउंटरों पर चेन्नै कार्पोरेट कर का समाहरण करता है ।

इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेस

बैंक 3 डाटा केन्द्रों की स्थापना करने में अग्रणी रहा है और इन डाटा केन्द्रों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ज़ीरो डाटा लॉस को सुनिश्चित करने के लिए की गई है । इसने हमारे सभी डाटा केन्द्रों को वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान की है और साथ ही जहाँ कहीं संभव हो सका, वहाँ वैकल्पिक सेवा प्रदाताओं / माध्यमों के जरिए शाखाओं को भी प्रदान की गई है । अति लघु शााखाओं को कनेक्टिविटी का प्रावधान वैन आधारित ब्राडबैंड 3जी मोडम / डाटा कार्ड के ज़रिए किया गया है ।

आइटी का संगठनात्मक ढाँचा

साफ्टवेअर को स्व-सृजित व स्व-विकसित करने के कारण कारोबार और आइटी संभावनाओं के बीच सही तारतम्य बैठ पाया है । इसके चलते लागत में कटौती हुई है, दक्षता में वृद्धि हुई है, कार्य में तीव्रता आई है और ज्ञान के क्षेत्र में अतिप्रमुख संवर्धन हुआ है । स्थापित 3 डाटा केन्द्रों ने बैंक की बीसीपी-डीआर तैयारी की काया पलट की है । ये डाटा केन्द्र विभिन्न नेटवर्क नोडों के साथ कनेक्टेड हैं , जो कि ज्यादातर क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित हैं । यह कनेक्टिविटी बीएसएनएल से एमपीएलएस क्लाउड्स के ज़रिए (प्राइमरी लिंक-केवल मुंबई और दिल्ली को छोड़कर जहाँ एमटीएनएल प्राइमरी लिंक है) और भारतीय एयरटेल के ज़रिए प्रदान की गई है और शाखाओं को प्रत्यक्ष रूप से बीएसएनएल (प्राइमरी) क्लाउड के ज़रिए और टीसीएल/ट्यूलिप क्लाउड के सेकंडरी लिंक के ज़रिए प्रदान की गई है । टीसीएल/ट्यूलिप का सेकंडरी लिंक आरएफ़:वीसैट लिंकों के रूप में हैं । इसके अलावा नेटवर्क की विपुलता/ अतिशयता को कम करने की प्रक्रिया अमल में लाने से प्रतिस्पर्धा के चलते हमें आधी लागत पर ही दुगुने बैंडविड्थ की प्राप्ति हुई है । इस एक्सेस बैंडविड्थ का प्रयोग वीडियो कान्फ्रेन्सिंग व आइपी-वीडियो/ऑडियो टेलीफोनी के लिए किया जा रहा है ताकि अपनी पहुँच को बढ़ाया जा सके, वह भी घटी हुई लागत पर । चूँकि हमारी 3 विदेशी शाखाओं में आइपी टेलीफोनी की शुरुआत की जा चुकी है, इसीलिए इसका लाभ परिपूर्ण है । सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति आइएसओ मानकताओं का पालन करती है ।

लेनदेन बैंकिंग

- **एटीएम/कैश डिस्पेन्सर्स (सीडी) :** 31 मार्च 2014 तक बैंक के एटीएमों / सीडियों की कुल संख्या 2533 रही । इनमें से 1606 ऑनसाइट एटीएम हैं और 927 ऑफसाइट एटीएम हैं । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने 650 एटीएम / कैश डिस्पेन्सर स्थापित किये हैं । बैंक के एटीएम हर केन्द्र में मौजूद हैं - महानगर केन्द्रों में 625 एटीएम, शहरी केन्द्रों में 692, अर्ध शहरी केन्द्रों में 730 और ग्रामीण केन्द्रों में 486 एटीएम हैं । बैंक की 1606 शाखाओं से ऑनसाइट एटीएम / कैश डिस्पेन्सर जुड़े हैं जबकि 927 एटीएम ऑफसाइट हैं ।

- **डेबिट कार्ड :** 31 मार्च 2014 तक बैंक का कार्ड बेस 53 लाख है , जिनमें से 9 लाख नये डेबिट कार्ड समीक्षाधीन वर्ष के दौरान

the lines of branches has been introduced in internet banking. The Bank has introduced online opening/ closure / renewal of Deposits opened through internet banking and has a one-Stop Super market named as IOB Super Market with links to all categories of merchants like Telecom, Insurance etc. E-Payment of fees has been introduced to Ujjain Engineering College.

Payment Gateway: Payment Gateway for payment of utility bills like mobile payment, insurance premium, other banks' credit cards, telephone bill payments etc., using debit cards has been implemented. Many institutes have been brought under payment gateway with net banking, debit and credit cards and other bank VISA cards for payment of college fees.

Mobile Banking: Mobile Banking solution is two way authentication through OTP (One Time Pin) and transactions can be done through SMS Mode and Mobile Browser (GPRS). The services available in Mobile Banking includes Account Balance Enquiry, Last few transactions, Cheque paid status, Loan balance enquiry, Loan payment history (last few), Deposit balance enquiry, Funds transfer facilities, Payment to IOB Credit Card, branch locator, ATM locator, Suspend ATM/ Debit card, Cheque book request, Stop payment of cheque, opening of term deposit, Loan Statement request, movie ticket booking, air ticket booking, mobile topup etc.

GENNEXT: Branches to cater to the needs of tech savvy younger generation of customers has been opened in Chennai, Bangalore and Manipal.

Aadhaar: The Bank is actively participating in the Aadhaar related initiates of the Government / NPCI. Linking of Aadhaar numbers to account number through Branch channel is in operation for the past 1½ years. Similarly APBS and NACH platforms are in operation.

Financial Inclusion Project: Bank's Financial inclusion application enables funds transfer, deposits and remittances towards advances in real time and it is also BC-interoperable enabling any customer to transact through any Business Correspondent.

Central Plan Schemes Monitoring System (CPSMS): CPSMS is a project initiated by Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, primarily to track the disbursement of funds to the ultimate beneficiaries. The software for processing and accepting these funds through the Bank is already in place.

Government E-Payment Gateway (GePG): GePG has been implemented to disburse bulk payments from Central Government departments to Central Govt. employees/ vendors through Banks NEFT platform. The Bank is one among the 5 banks identified to process transactions of e-FMS (electronic Funds Management System) in the state of Tamil Nadu wherein NREGA scheme payments are released by Government of Tamil Nadu every week. Transactions are being processed on a day-to-day basis and credited to beneficiaries of both intra-bank and inter-bank. Perhaps, IOB is the only Nationalised Bank to collect Chennai Corporate tax across counters.

Infrastructure Space

The Bank is the pioneer in establishing 3 Data Centres which are setup to ensure Zero data loss among the Public Sector Banks. It has provided alternate connectivity to all our Data Centres and also to the branches wherever feasible through alternate service providers/medium. Connectivity for Ultra Small Branches is provided through a VAN based broadband 3G modem/ Data cards.

IT Organization Structure

Developing software in-house resulted in perfect alignment of business and IT aspirations, reduced cost, increased agility and nimble footedness and the all-important flavor of domain knowledge. 3 Data Centers has revolutionalized the BCP-DR readiness of the Bank. The Data Centers are connected to the network nodes situated mostly at our Regional Offices by means of MPLS clouds from BSNL (Primary link- except Mumbai & Delhi where MTNL is the Primary link) and Bharati Airtel and to branches directly through the BSNL (Primary) cloud and TCL/ Tulip cloud as secondary links. The last mile for secondary link from TCL/Tulip is in the form of RF/ VSAT links. Apart from introducing network redundancy, this has given us double-bandwidth at half the cost, because of competition. The excess bandwidth has been tapped to introduce Video Conferencing and IP – Video / Audio telephony thereby enhancing reach, at reduced cost. Since, IP telephony is introduced to 3 of our overseas branches, the benefit is absolute. The, Information System Security Policy conforms to ISO Standards.

Transaction Banking

ATM / Cash Dispensers (CDs): The total number of ATMs/ CDs of the Bank stood at 2,533 as on 31st March 2014. There are 1,606 onsite and 927 offsite ATMS. During the year under review, the Bank has installed 650 ATMs /CDs. The Bank's ATM are spread across 625 ATMs in Metro Centres, 692 in Urban Centres, 730 in Semi Urban Centres and 486 in Rural Centres. Bank's 1,606 branches are supported with onsite ATMs /CDs apart from 927 Offsite ATMs.

Debit Cards: The Bank has a card base of 53 lacs as on 31st March 2014 with 9 lacs new debit cards issued during the year under review. The Bank has successfully launched Rupay Kisan Debit Cards to Agriculture borrower customers which can be used in ATMs /PoS. The Bank has so far issued 1.27 lacs cards to customers under Kisan Debit Cards. The Bank has introduced VISA Connect Cards (Debit Cards) for Gen Next customers in the age group between 10 and 28 years. The RuPay Debit card under NPCI launched during the year is popularized in rural and semi urban branches to take care of the needs of the customers whose transactions are expected to be mostly domestic. SME Debit Card was also launched to cater to the needs of the SME customers. A separate working capital limit is given additionally only for card usage. Loyalty Rewards for usage of Banks Debit and Credit Cards has been launched with effect from October 2013. Upto 5% Cash Back offer launched to increase usage in PoS/Ecom channels (15.10.2013 to 31.03.2014).

Credit Cards: The Bank has 47,774 credit cards as on 31st March 2014 with 4,016 cards issued during 2013-14.

जारी किये गये हैं । बैंक ने कृषि उधारकर्ता ग्राहकों के उपयोग के लिए रूपे किसान डेबिट कार्ड की शुरुआत की है , जिनका उपयोग एटीएम/पीओएस में किया जा सकता है । बैंक ने किसान डेबिट कार्ड योजना के अंतर्गत अभी तक ग्राहकों को 1.27 लाख कार्ड जारी किये हैं । 10 से 28 साल तक के उम्र के जेन-नेक्स्ट ग्राहकों के लिए बैंक ने कनेक्ट कार्ड (डेबिट कार्ड) लाँच किया है । वर्ष के दौरान एनपीसीआइ के तहत लाँच किये गये रूपे डेबिट कार्ड को ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं में प्रचलित किया जा रहा है ताकि उन ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके जो ज़्यादातर घरेलू उपयोग के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं । एसएमई ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एसएमई डेबिट कार्ड भी लाँच किया गया । सिर्फ कार्ड के प्रयोग के लिए अतिरिक्त रूप से एक अलग कार्यकारी पूँजी सीमा प्रदान की जाती है । अक्तूबर 2013 से बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर लॉयल्टी रिवार्ड का प्रोग्राम शुरू किया गया । पीओएस पर /ई-कॉम चैनलों के ज़रिए उपयोग को बढ़ाने के लिए 5% की हद तक कैश बैक ऑफर का प्रोग्राम लाँच किया गया (15.10.2013 से 31.03.2014 तक)।

- **क्रेडिट कार्ड :** 31 मार्च 2014 तक बैंक ने 47,774 क्रेडिट जारी किये हैं , जिनमें से 4016 कार्ड 2013-14 के दौरान जारी किये गये हैं ।

- **पेमेंट गेटवे परिचालन :** बैंक के यहाँ कुल 10 एग्रिगेटर हैं , जिनके अपने बैनर तहत लगभग 7000 उप प्रतिष्ठान हैं । इनमें बीएसएनएल, भारतीय जीवन बीमा निगम आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन शामिल हैं । इसके अलावा बैंक के यहाँ कुछ प्रत्यक्ष क्लाइंट जैसे टीएनईबी, एएमईटी यूनिवर्सिटी, आइटीडीसी, आइओएसीओएन, लॉयला कॉलेज, मद्रास क्रिस्टियन कॉलेज, डॉ.एमजीआर यूनिवर्सिटी आदि भी मौजूद हैं ।

- **इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग :** वर्ष 2013-14 के दौरान इंटरनेट बैंकिंग पंजीकरणों में अच्छी वृद्धि हुई है । बैंक ने ग्राहक उन्मुख कुछ नयी सुविधाएँ प्रदान की हैं , जैसे पासवर्ड का ग्राहकों द्वारा स्वयं ही सृजन , निधि अंतरण में अधिकतम रु.2 लाख तक की सीमा आदि । बैंक ने कुछ संस्थाओं के लिए ऑनलाइन पर शुल्क समाहरण सुविधा प्रदान कर रखी है । ग्राहकगण ऑनलाइन पर खोली गयी अपनी मियादी जमाओं को बंद कर सकते हैं और नवीकृत भी कर सकते हैं और आरडी तथा ऋण किस्तों के प्रति भुगतान के लिए स्थायी अनुदेश का माड्यूल चुन सकते हैं व इसके साथ ही ग्राहकों के लिए बहुविध किस्त निर्धारण की शुरुआत भी की गई है । रु.50000 और उससे अधिक की रकम के लिए प्रमाणीकरण के वास्ते एक अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में ओटीपी पद्धति की शुरुआत की गई है , जो इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए किये जानेवाले ई-कॉमर्स लेनदेनों के लिए भी लागू हैं ।

- **चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) :** देश भर में 51 क्षेत्रों के अंतर्गत 1484 शाखाओं में सीटीएस को लागू किया जा चुका है । चूँकि आरबीआइ ने सीटीएस को अनिवार्य बना दिया है, बैंक वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सभी एमआइसीआर केन्द्रों के सभी क्षेत्रों में इस प्रणाली को कार्यान्वित करने की योजना बना रहा है , जिसे संबंधित क्लियरिंग हाउसेस के सीटीएस प्रणाली को अपनाने के आधार पर संपन्न किया जाएगा ।

- **इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन :** मार्च 2014 की समाप्ति तक बैंक के कुल लेनदेनों में इलेक्टॉनिक लेनदेनों का प्रतिशत 68.6% रहा। शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों को सावधिक रूप से ई-उत्पादों के प्रभावी विपणन तथा कागज़ आधारित लेनदेनों को कम करने के बारे मे जागरूक किया जाता है। स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों के जरिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । जो ग्राहक माँग ड्राफ़्ट/ भुगतान आदेश का अनुरोध करते हैं व जो चेक जारी करते हैं, उन्हें आरटीजीएस/नेफ्ट/इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग की सलाह दी जाती है । बैंक सभी सक्रिय बचत बैंक खातों के लिए डेबिट कार्ड जारी करता है । स्टाफ सदस्यों को केवल ई-चैनल के उपयोग की सलाह दी गई है । कारोबार प्रबुद्धता आकलन संकेतकों का विकास किया गया है और इनका उपयोग बहुविध वैकल्पिक डेलिवरी चैनलों के अंतर्गत शाखाओं के निष्पादन का प्रबोधन व आकलन करने के लिए किया जाता है । ई-भुगतान लेनदेनों में वृद्धि लाने की दृष्टि से रु.1 लाख तक के नेफ्ट विप्रेषणों को प्रभार रहित बना दिया गया है ।

सरकारी लेखा विभाग

प्रत्यक्ष कर समाहरण

भारत भर में 353 शाखाओं द्वारा आय कर व अन्य प्रत्यक्ष कर का भौतिक रूप से व ऑनलाइन कर अकाउंटिंग सिस्टम (ओल्टास) के ज़रिए समाहरण करने के लिए बैंक को प्राधिकृत किया गया है । बैंक को प्रत्यक्ष करों के ई-भुगतान की प्राप्ति हेतु भी प्राधिकृत किया गया है । डाटा प्रस्तुति 98.59% है । टैन डाटा की गुणवत्ता 99.91% और पैन डाटा की गुणवत्ता 99.83% है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने रु.8,368 करोड़ मूल्य के लेनदेनों को अंजाम दिया है और रु.2.02 करोड का एजेंसी कमीशन अर्जित किया है ।

अप्रत्यक्ष कर समाहरण

सीबीईसी द्वारा प्राधिकृत शाखाओं में उत्पाद एवं सेवा कर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम (ईज़िएस्ट) के ज़रिए अप्रत्यक्ष कर का समाहरण करने के लिए बैंक को प्राधिकृत किया गया है । बैंक को उत्पाद एवं सेवा कर के ई-भुगतान की प्राप्ति हेतु भी प्राधिकृत किया गया है । सीमा शुल्क का ई-भुगतान और ड्यूटी ड्रॉबैक की ई-प्रतिपूर्ति मार्च 2011 में शुरू की गई । बैंक ने रु.7948 करोड़ मूल्य के लेनदेनों को अंजाम दिया है और रु.1.58 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है ।

राज्य सरकार के राजस्व का समाहरण

बैंक तमिलनाडु, पांडिचेरी, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों में इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए वाणिज्यिक कर (वैट) का ई-समाहरण करता है। बैंक गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में कुछ चुनिंदा जगहों पर प्रत्यक्ष कर समाहरणों का कार्य भी संभालता है ।

पेंशन का भुगतान

बैंक ईसीएस के जरिए ऋण देने के अलावा केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे, दूर संचार, राज्य सिविल, ईपीएफ़ओ, सीएमपीएफओ, टीएनईबी, चेन्नै पत्तन न्यास, चेन्नै डॉक श्रम बोर्ड, तमिलनाडु की स्थानीय निधि लेखा परीक्षा और मलेशिया सरकार की पेंशन से जुड़े पेंशनभोगियों की सेवा करता है।

54,240 पेशन खातों के लिए केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे और दूर संचार पेंशनभोगियों को केन्द्रीकृत आधार पर पेंशन का संवितरण केन्द्रीकृत पेंशन संसाधन केन्द्र द्वारा किया जाता है । बैंक ने वर्ष के दौरान लगभग रु.790 करोड़ तक की रकम पेंशन के तौर पर संवितरित की है और सिंगिल विन्डो योजना के तहत केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे और टेलिकॉम पेंशनों के लिए संवितरण के दो-तीन दिनों के अंदर प्रतिपूर्ति प्राप्त की है । बैंक को पोस्टल पेंशन संवितरित करने का भी श्रेय प्राप्त है और बैंक तमिलनाडु राज्य के सिविल पेंशन के केन्द्रीयकरण के लिए सक्रिय रूप से अनुवर्तन कर रहा है ।

बैंक तमिलनाडु सरकार के कोष कारोबार को भी अपनी 12 शाखाओं के जरिए संभालता है और ओडिशा सरकार के कोष कारोबार को 3 शाखाओं के जरिए। योजना आयोग, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र और दूर संचार विभाग के खातों की देखरेख बैंक करता है । डाक कार्यालय समाहरण (निकासी व जमा) खाता तमिलनाडु के 59 शाखाओं में मौजूद है । वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004, 8% टेक्सेबल बॉण्ड, लोक भविष्य निधि जैसी भारत सरकार की बचत योजनाओं में भी बैंक की सक्रिय प्रतिभागिता है और बैंक इनके लिए लगभग रु.93 करोड के अंशदान का योगदान देता है ।

Payment Gateway Operations: The Bank has 10 aggregators who have nearly 7,000 sub-merchants under their banner including public sector organizations like BSNL, LIC of India etc. The Bank has direct clients like TNEB, AMET University, ITDC, IOACON, Loyola College, Ethiraj College, Madras Christian College, and Dr MGR University.

Internet Banking and Mobile Banking: The internet banking registrations have shown a good growth during 2013-14. The Bank introduced customer friendly approaches like generation of passwords by customers themselves, increasing the daily funds transfer limit to a max of Rs 2.00 lacs were introduced. The Bank has enabled online fee collection facility in internet banking for few institutions. The customers can renew and close term deposits accounts opened online and Standing Instruction Module for payment of RD and Loan Instalments and Multiple Instalment Scheduling have been introduced. The Bank introduced OTP as additional factor of authentication for amounts of ₹. 50,000 and above and for E-Commerce transactions through internet banking.

Cheque truncation System (CTS) : CTS has been implemented in 1484 branches in 51 regions across the country. As CTS has been made mandatory by RBI, the Bank plans to complete the implementation in all the regions during this FY 2014-15 in all MICR Centres as and when clearing houses takes decision to migrate to CTS.

Electronic Transactions: As at the end of March 2014, electronic transactions stood at 68.6% of the total transactions of the Bank.

Branches, Regional Offices are periodically sensitized to effectively market e-products and to reduce paper based transactions. Training is imparted through Staff Training Centres. Customers requesting DDs/POs and who issue cheques are being advised to make use of RTGS/NEFT/Internet Banking. The Bank issues Debit to all active SB accounts. Staff members have been advised to use only e-channels. Business Intelligence analytics have been developed and deployed to monitor and analyse the performance of branches in multiple alternate delivery channels. With a view to improve the e-payment transactions, NEFT remittances up to ₹. 1 Lakh are allowed free of charges.

Government Accounts Department

Direct Tax Collections

The Bank is authorized to collect Income Tax and other Direct Taxes in physical mode and through On Line Tax Accounting System (OLTAS) by 353 branches all over India. The Bank is also authorized to receive e-payment of Direct taxes. Data submission is 98.59%. TAN data quality is 99.91% and PAN data quality is 99.83%. During the year under review, the Bank handled transactions worth ₹. 8,368 crores earning an agency commission of ₹. 2.02 crores.

Indirect Tax Collections

The Bank is authorized to collect indirect taxes through Electronic Accounting System in Excise and Service Tax (EASIEST) by branches authorized by CBEC. The Bank is also authorized to receive e-payment of Excise and Service Tax. E-payment of Customs Duty and e-refunds of Duty drawback have started in March 2011. The Bank handled transactions amounting to ₹. 7,948 cores earning commission of ₹. 1.58 crores.

Collection of State Government revenues

The Bank handles e-collection of Commercial Taxes (VAT) through internet banking in the states of Tamil Nadu, Pondicherry, Andhra Pradesh, Karnataka, Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, Delhi, Gujarat, West Bengal and Maharashtra. The Bank is also handling physical collections in selected locations in Gujarat, Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal and Delhi.

Payment of Pension

The Bank is servicing pensioners belonging to Central Civil, Defence, Railways, Telecom, State Civil, EPFO, CMPFO, TNEB, Chennai Port Trust, Chennai Dock Labour Board, Local Fund Audit of TN and Malaysian Government Pension apart from credit through ECS.

Centralised Pension Processing Centre disburses pension on a centralized basis to Central Civil, Defence, Railway and Telecom Pensioners for 54,240 pension accounts. The Bank has disbursed about ₹. 790 crores during the year and received reimbursement under single window scheme for Central Civil, Defence, and Railway and Telecom pensions within 2-3 days from the date of disbursement. The Bank is accredited for disbursing Postal Pension and is actively pursuing for centralization of Tamil Nadu State Civil Pension.

The Bank also handles Treasury business of the Government of Tamil Nadu at 12 branches and Government of Orissa at 3 branches. The Bank services the account of Planning Commission, National Informatics Centre and Department of Telecommunications. Post Office Collection (Drawing and Deposit) Account is maintained at 59 branches in Tamil Nadu. The Bank actively participates in the Government of India Savings Schemes like Senior Citizens Savings Scheme 2004, 8% Taxable Bond, Public Provident Fund contributing subscriptions of about ₹. 93 crores.

NPS Lite – Swavalamban Scheme for unorganized Sector

Government of India, with a view to ensure that persons who are economically and socially backward and employed in Unorganized sector also should get income by way of pension at the age of 60 years, introduced the “Swavalamban” Pension scheme. The Bank has registered for 737 branches as NL-CC with NSDL to handle the above Scheme.

Inter Branch Reconciliation

RBI has fixed six months time for elimination of inter-branch entries. Under COMPASS (Completely Automated Settlement System) all credit entries aged more than 3 months as per Bank’s Policy Guidelines i.e. entries originated upto 31st January 2014 have been eliminated by 31st March 2014 and brought to “Nil” status. All debit entries upto February 2014 in COMPASS and Demand Draft Reconciliation accounts have been eliminated as on 31st March 2014 is well within the RBI norms of six months. No debit entries are outstanding for more than 15 days under Funds Transfer and 7 days under

एनपीएस लाइट - असंगठित क्षेत्र के लिए स्वावलंबन योजना

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को भी 60 साल की उम्र से पेंशन देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्वावलंबन नामक पेंशन योजना की शुरुआत की है । उक्त योजना की देखरेख करने के लिए बैंक ने एनएसडीएल के साथ एनएल-सीसी के रूप में 737 शाखाओं को पंजीकृत किया है ।

अंतर शाखा समाधान

आरबीआइ ने अंतर शाखा प्रविष्टियों के विलोपन के लिए छ: महीनों का समय नियत किया है । बैंक के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए कंपास (पूर्णत: स्वचालित निपटान प्रणाली) के अंतर्गत लंबित सभी क्रेडिट प्रविष्टियों अर्थात 31 जनवरी 2014 तक सृजित प्रविष्टियों को 31 मार्च 2014 तक समाप्त कर दिया गया और शून्य स्तर तक ला लिया गया । 31 मार्च 2014 तक कंपास के अंतर्गत फरवरी 2014 तक की सभी नामे प्रविष्टियाँ और मांग ड्राफ्ट समंजन खातों को समाप्त कर लिया गया, जो आरबीआइ द्वारा निर्धारित 6 महीनों के मानदंड के अंतर्गत हैं । निधि अंतरण के तहत कोई भी नामे प्रविष्टि 15 दिनों से अधिक के लिए बाकी नहीं है और टीटी प्रदत्त प्रतिपूर्ति खातों के अंतर्गत कोई भी प्रविष्टि 7 दिनों से अधिक पुरानी नहीं है, जबकि आरबीआइ की मानदंड अवधि 6 महीनों की है ।

मानव संसाधन विकास

प्रशिक्षण

बैंक को ग्राहक उन्मुख बनाने के बैंक के कार्पोरेट लक्ष्य के अनुसार बैंकिंग के मूलभूत क्षेत्रों के अलावा सामयिक विषयों पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया और यह प्रशिक्षण आंतरिक व बाहरी माध्यम से दिया गया । इस संबंध में सामान्य बैंकिंग पर नियमित प्रशिक्षण के अलावा जोखिम प्रबंधन तथा कंप्यूटर जागरूकता के साथ ऋण मूल्यांकन/ ऋण प्रबोधन, अनर्जक आस्ति प्रबंधन तथा वसूली पर ध्यान रहा। नेतृत्व विकास, ग्राहक संबंध प्रबंधन, रणनीतिगत शाखा प्रबंधन, रणनीतिगत शाखा नेतृत्व तथा संकाय विकास से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी वर्ष के दौरान चलाये गये। बैंक ने वर्ष के दौरान भर्ती किये गये नये सदस्यों के लिए प्रवेश व पुष्टि-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम और पदोन्नति के लिए पात्र अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेवानिवृत्त हुए सदस्यों के वास्ते सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श कार्यक्रम भी चलाया। बैंक ने अनुबंध आधार पर सेवानिवृत्त कार्यपालकों की सेवाएँ हासिल की ताकि बैंकिंग के विभिन्न पक्षों/क्षेत्रों में उनके अनुभव, ज्ञान और दक्षता का लाभ उठाया जा सके ।

बैंक के युवा व नये स्टाफ सदस्यों के लिए “मेंटरिंग” नाम की एक नयी एचआर अवधारणा शुरू की गई ताकि सही दिशा में उनका मार्ग प्रशस्त करने में, मदद करने में, प्रेरित करने में यह अवधारणा सहायक हो सके और उन्हें नेतृत्व सिखाने में एवं उनसे अनुदेशों का पालन करवाने में मदद मिल सके । उनमें निहित व्यावहारिक और प्रबंधकीय क्षमताओं की पहचानकर उन्हें निखारने के उद्देश्य से बैंक ने सहायक महा प्रबंधक के स्तर पर दक्षता-मैपिंग की शुरुआत की ताकि उनकी दक्षता की सही पहचान की जा सके जो कि किसी भी कार्य स्थिति में अथवा कार्य-भूमिका में सफलता की सबसे बडी आवश्यकता होती है । इस प्रक्रिया से बैंक में द्वितीय पंक्ति के अधिकारियों की पहचान करने और उनका विकास करने में मदद मिलेगी और इन लोगों को आगे जाकर प्रमुख क्षेत्रों में और भी जटिल एवं उच्च जिम्मेदारियाँ संभालने के काबिल बनाया जा सकेगा ।

बैंक की आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली में एक स्टाफ कॉलेज , 10 स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र और एक ग्रामीण बैंकिंग प्रशिक्षण केन्द्र शामिल है । वर्ष के दौरान 986 कार्यक्रमों का आयोजन कर कुल 18202 स्टाफ सदस्यों को आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमें से 8478 अधिकारी हैं, 9358 लिपिक हैं और 366 अधीनस्थ स्टाफ हैं । प्रशिक्षित कुल सदस्यों में से 4274 अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और 1300 अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं । इसके अलावा बैंक ने 556 प्रतिभागियों के लिए विभिन्न शाखाओं में 60 ऑन लोकेशन कार्यक्रम भी आयोजित किये । प्रतिष्ठित बाहरी संस्थाओं द्वारा चलाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बैंक ने 1627 कार्यपालकों / अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया । इसके अलावा 21 कार्यपालकों और 11 अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया गया । बैंक ने 3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ज़रिए पांडयन ग्राम बैंक के 126 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया । कुल प्रशिक्षत स्टाफ में से 25 अनुसूचित जाति के हैं और 6 अनुसूचित जनजाति के हैं ।

अभिप्रेरणा

अभिप्रेरणात्मक कदम के रूप में बैंक ने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनांस (आइआइबी एण्ड एफ़), मुंबई द्वारा चलाये जानेवाले दो प्रमाणन पाठ्यक्रमों यथा अड्वांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन बैंकिंग एण्ड फाइनांस और सर्टिफाइड बैंकिंग कंप्लायंस प्रोफशनल के लिए परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की शुरुआत की है । लिपिकीय स्टाफ सदस्यों के लिए एनआइएसएम परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी बैंक कर रहा है ।

भारत भर में सभी क्षेत्रों के अधिकारियों और पंचाट स्टाफ दोनों के लिए ही क्विज़ प्रोग्राम का आयोजन तीन स्तरों पर किया गया, यथा - क्षेत्रवार, अंतर क्षेत्रवार और अखिल भारतीय फाइनल । बैंक ने फाइनल राउंड के प्रतिभागी अधिकारियों और पंचाट स्टाफ के लिए मार्च 2014 के महीने में संयुक्त क्विज़ प्रोग्राम का आयोजन किया ।

भर्ती और स्टाफ़ संख्या

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने 324 विशेषज्ञ अधिकारियों (119 विपणन अधिकारी, 57 विधि अधिकारी, 36 राजभाषा अधिकारी, 81 ग्रामीण विकास अधिकारी, 2 विधि अधिकारी, 21 सनदी लेखाकार और 8 ऋण अधिकारी) की भर्ती की और इसके अलावा 2177 परिवीक्षाधीन अधिकारियों, 1373 लिपिकों की भी भर्ती की । बैंक ने बैंगलूर स्थित मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध करते हुए एक नयी भर्ती पद्धति को अपनाया है ताकि मेधावी स्नातक छात्रों को बैंकिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए आकर्षित किया जा सके और उन्हें एक सक्षम बैंकर बनने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण ज्ञान एवं कौशल प्रदान किया जा सके । बैंगलूर स्थित इण्डियन ओवरसीज़ बैंक मणिपाल स्कूल ऑफ़ बैंकिंग (आइओबी एमएसबी) कैम्पस में इस पद्धति के द्वारा चुने गये 430 उम्मीदवार प्रशिक्षण पा रहे हैं ।

31 मार्च 2014 तक देश में बैंक के स्टाफ सदस्यों की संख्या है 29716, जिसमें से 13240 अधिकारी हैं, 12236 लिपिक हैं और 4240 अधीनस्थ स्टाफ हैं । विदेश में बैंक के स्टाफ की संख्या है 209 (49 प्रवासी अधिकारी हैं और 160 स्थानीय विदेशी स्टाफ) । कुल स्टाफ संख्या में से 6336 सदस्य अनुसूचित जाति के हैं, 1799 अनुसूचित जनजाति के हैं, 5496 अन्य पिछड़े वर्ग के हैं । स्टाफ में 8293 महिला कर्मचारी हैं, 979 सदस्य भूतपूर्व सैनिक हैं और 563 शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य हैं ।

औद्योगिक संबंध

बैंक के सभी कार्यालयों में अच्छे औद्योगिक संबंध का वातारण बनाये रखने और उसका प्रबोधन करने के लिए समय-समय पर अनुशासन-पालन, भर्ती संबंधी नीतियों, पदोन्नति आदि के बारे में समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं । स्टाफ मामलों के संबंध में वित्त मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन भी तेजी से किया जाता है और इस बारे में कर्मचारियों के लाभ हेतु परिपत्र भी जारी किये जाते हैं ।

बैंक का औद्योगिक संबंधी परिवेश अत्यंत सौहार्द्रपूर्ण रहा और संगठन के उद्देश्यों को हासिल करने में मददगार रहा। वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार कोर्ट के मामलों की समीक्षा बैंक के शीर्ष स्तर पर की जाती है और प्रयास किये जाते हैं कि कोर्ट के मामलों को शीघ्रता से निपटाया/पूरा किया जाए ।

कार्य स्थलों पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न संबंधी अधिनियम 2013 (रोकथाम, निषेध एवं निवारण), 9 दिसंबर 2013 से प्रभाव में आया है । उक्त अधिनियम के अनुसार सभी प्रशासनिक कार्यालयों (केन्द्रीय कार्यालय, एनबीजीएम कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय) में आंतरितक शिकायत समितियाँ बनायी गई हैं । वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त शिकायतों / निपटायी गई शिकायतों के विवरण निम्नवत हैं :

TTs Paid Reimbursement Accounts as against RBI norms of six months.

Human Resources Development

Training

In line with the corporate goal of making the Bank a customer centric one, training has been imparted on contemporary issues of banking apart from basic areas of banking through the internal and external mode. The focus continued to be on Credit Appraisal/ Credit Monitoring, Non Performing Asset Management and Recovery in addition to Risk Management and Computer awareness apart from the regular training on general banking. Training Programme on Leadership Development, Customer Relationship Management, Strategic Branch Management, Strategic Branch Leadership, and Faculty Development Programme were conducted during the year. The Bank also conducted other training programmes like induction and pre confirmation training for new recruits, Pre promotion training for SC/ST members eligible for promotion and pre retirement counseling for members retired during the year. Bank has engaged the services of retired executives on contract basis to derive the benefit of their experience, knowledge and expertise in various facets of banking.

A New HR concept “Mentoring” has been introduced to influence, help, instruct, motivate and lead the young new staff members to the right track. To identify and describe the Behavioral and Managerial competencies which are critical for success in a work situation or work role, Competency mapping was initiated at the level of AGMs in the Bank. The process would help to identify and build up second line functionaries in the Bank who can be groomed to take up more complex & higher responsibilities in key areas in future.

The internal training system comprises of a Staff College, 10 Staff Training Centers and a Rural Banking Training Centre. Internal training was imparted to 18,202 staff comprising of 8,478 Officers, 9,358 Clerical and 366 Sub-staff by conducting 986 programmes. Of the total staff trained 4,274 belonged to Scheduled Caste (SC) and 1,300 belonged to Scheduled Tribe (ST). Bank has also conducted 60 On-location programmes across various branches for 556 participants.

The Bank has deputed 1,627 Executives/ Officers for training programmes conducted by reputed external institutes. Apart from these, 21 executives and 11 Officers were deputed for training abroad. The Bank has also trained 126 staff members of Pandyan Grama Bank through 3 training programmes. Of the total staff trained, 25 belonged to SC and 6 belonged to ST.

Motivation

As a motivational measure, the Bank has introduced a reimbursement of Exam fee for the two certification courses being conducted by Indian Institute of Banking & Finance (IIB&F), Mumbai namely, Advanced Management Programme in Banking & finance & Certified Banking Compliance Professional. The Bank has extended the reimbursement of NISM examination fees to Clerical staff members also.

Quiz Programme for both officers and award staffs across all regions pan India was conducted in three stages viz., region wise, inter region wise and all India final. The Bank has conducted a Combined Quiz Programme for the final round participants of officers and award staff in the month of March, 2014.

Recruitment & Staff Strength

During the year 2013-2014, Bank has recruited 324 Specialist Officers (119 Marketing Officers, 57 Law Officers, 36 Official Language Officers, 81 Rural Development Officers, 2 Law Officers, 21 Chartered Accountants, & 8 Credit Officers), 2177 Probationary Officers and 1373 Clerks. The Bank has initiated a new recruitment methodology through tie-up with Manipal Global Education Services Pvt Ltd, Bangalore to attract bright graduate students to pursue a career in banking and provide them with the necessary training, knowledge and skills to become a competent banker. A total of 430 candidates are undergoing the training programme at the Indian Overseas Bank Manipal School of Banking (IOBMSB) Campus at Bangalore.

The Bank’s staff strength domestically stood at 29,716 comprising 13,240 Officers, 12,236 Clerks and 4,240 Sub-staff as of 31st March, 2014. The overseas staff strength stood at 209 staffs members (49 expatriate officers & 160 local overseas staff). Of the total staff strength, 6,336 members belonged to SC category, 1,799 to ST Category, and 5,496 to OBC Category. Staff Strength includes 8,293 Women employees, 979 ex-servicemen and 563 physically challenged members.

Industrial Relations

In order to monitor and maintain good industrial Relations climate in all offices of the Bank, guidelines are issued from time to time regarding enforcement of discipline, policies to be followed in recruitment , promotion etc. The guidelines issued by the Ministry of Finance and Indian Banks Association with regard to staff matters are implemented expeditiously by issuing circulars for the benefit of the employees.

The Industrial relations environment of the Bank remained cordial and conducive for achieving organizations objectives. Court cases are reviewed by the Bank at Apex level as per Ministry of Finance guidelines and efforts are taken to settle/ get the Court cases disposed of expeditiously.

The Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 has came into force on 9th December 2013. As per the said Act, all Administrative office (Central, NBGM & Regional office) has constituted internal complaints committee. The details of the Complaints received / disposed during the year 2013 & 2014 are given below.

31.03.2013 तक लंबित शिकायतें	2013-14 के दौरान प्राप्त शिकायतें	निपटायी गई शिकायतें	लंबित शिकायतें
2	2	2 (2013 के दौरान प्राप्त)	2

सुरक्षा

बैंक की सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में सुरक्षा उपायों, अनिवार्य और अभिशंसित दोनों ही, का कार्यान्वयन पूरी तरह व सही-सही किया गया और इन उपायों की समीक्षा सावधिक रूप से की जाती रही । यह समीक्षा स्थानीय कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखकर की गई और सुरक्षा को सुदृढ़ करने के सभी आवश्यक उपाय किये गये ताकि ग्राहकों और स्टाफ के लिए एक सुरक्षित कारोबार परिवेश तैयार किया जा सके । सुरक्षा से संबंधित निवारक उपायों और अग्निशमन व्यवस्थाओं पर ज़ोर देने की प्रक्रिया बैंक ने जारी रखी है और जान व माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रति स्टाफ के बीच सुरक्षा जागरूकता सृजित की है । बैंक ने सुरक्षा जागरूकता के बारे में स्टाफ सदस्यों को संवेदनशील बनाया है । सभी शाखाओं में बर्गलर अलार्म और सीसीटीवी की स्थापना को मंजूरी दी गई और संवेदनशील शाखाओं व एटीएमों में सुरक्षा गार्ड / वाचमैन भी तैनात किये गये । इनकी तैनाती डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट द्वारा प्रायोजित एजेंसियों / प्रतिष्ठित प्राइवेट सेक्यूरिटी एजेंसियों से की गई है ।

राजभाषा (राजभाषा नीति)

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए पूरे प्रयास किए। वर्ष के दौरान 237 स्टाफ सदस्यों को, जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है, आइओबी प्रवीण तथा बैंकिंग प्राज्ञ पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया। हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त 2465 स्टाफ सदस्यों को सामान्य हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित किया गया। केंद्रीय कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को सुदृढ बनाने हेतु सभी विभाग प्रमुखों के लिए 10 सितम्बर 2013 को राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बोर्ड स्तरीय सभी बैठकों के कार्यवृत्त का हिन्दी में अनुवाद किया गया। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी यूनिकोड फॉण्ट प्रतिष्ठापित किया गया है और सभी शाखाओं में डाउनलोडिंग की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है। स्टाफ के प्रयोगार्थ ऑनलाइन पर बैंकिंग शब्दावली भी उपलब्ध करवाई गयी है। वर्ष के दौरान 1823 स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटरों पर हिन्दी में कार्य करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया। त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका "वाणी" के छह अंकों का समय पर प्रकाशन डिजिटल व मुद्रण के रूप में किया गया । बैंक की वेबसाइट हिन्दी में भी उपलब्ध करवा दी गई है।

राजभाषा विभाग,गृह मंत्रालय,भारत सरकार,दिल्ली से बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका को ग क्षेत्र के तहत वर्ष 2012-13 के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की गृह-पत्रिकाओं के लिए आयोजित अंतर बैंक प्रतियोगिता में वर्ष 2012-13 हेतु बैंक की गृह-पत्रिका "वाणी" को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। केंद्रीय कार्यालय के राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित निरीक्षण किया गया और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखाओं को राजभाषा शील्ड प्रदान की गई ।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने दिनांक 25.09.2013 को हमारे केंद्रीय कार्यालय का तथा दिनांक 18.01.2014 को हमारी वलसाड शाखा का निरीक्षण किया । संसदीय राजभाषा समिति की साक्ष्य एवं आलेख समिति द्वारा दिनांक 04 04 2013 को हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद का निरीक्षण किया गया । दोनों समितियों ने इन केंद्रों में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया । 27 वे 28 मई 2013 को क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति का जायजा लेने हेतु राजभाषा अधिकारियों के लिए वार्षिक राजभाषा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और इन सभी क्षेत्रों में राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी तौर पर लागू करने संबंधी आवश्यक जानकारी दी गयी।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2012-13 हेतु चेन्नै नगर राजभाषा कार्यानवयन समिति के संयोजक के रूप में बैंक ने चेन्नै में 10 फरवरी 2014 को आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में तमिलनाडु के राज्यपाल श्री के रोसय्या से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। समिति की ओर से बैंक द्वारा सदस्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के स्टाफ सदस्यों के लिए दो सामान्य हिन्दी कार्यशालाओं, 12 अंतर-बैंक हिन्दी प्रतियोगिताओं, संयुक्त हिन्दी माह समारोह एवं हिन्दी यूनिकोड प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाखा प्रबंधकों के लिए बैंकिंग विषय पर हिन्दी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया । 07 फरवरी 2014 को संयुक्त राजभाषा समारोह का आयोजन किया गया । इसके अलावा दो अर्ध वार्षिक बैठकें भी आयोजित की गईं। समिति द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्रिका "चेन्नै भारती" के वार्षिक अंक का प्रकाशन किया गया ।

परिचालनों की लागत

लागत और योजना कार्य प्रणालियों से कार्पोरेट स्तर के बजटीय अवधारणाओं, मासिक आधार पर लाभ व हानि संचलन, उच्च प्रबंधन को दैनिक आधार पर एमआइएस की रिपोर्टिंग, विभिन्न अध्ययन आंकलन आदि के प्रति उपयोगी परिणाम प्राप्त हुए हैं । बैंक का उच्च प्रबंधन वित्त मंत्रालय के निदेश अनुसार एसओआइ, एमओयू लक्ष्यों का प्रत्यक्ष प्रबोधन करता है । वर्ष के दौरान बैंक ने सभी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग रूप से आस्तियों पर प्राप्ति के संगणन का माड्यूल तैयार किया है ताकि उनके निष्पादन का आंकलन हो सके ओर शीर्ष स्तर के लाभ के प्रति उनके योगदान की तुलना की जा सके ।

संसदीय समिति

वर्ष के दौरान जिन समितियों ने बैंक का दौरा किया, वे हैं - क) पटल पर रखे दस्तावेज विषयक समिति - कोडैक्कानल में - 30 मई 2013 से 1 जून 2013 तक ख) श्रम विषयक संसदीय समिति का अध्ययन दौरा - तिरुपति में - 29 जुलाई 2013 को ग) राजभाषा विषयक समिति - चेन्नै में - 24 और 25 सितंबर 2013 को घ) उद्योग विषयक संसदीय स्थाई समिति से जुड़े विभाग का दौरा - चेन्नै व तिरुपति में - 3 से 5 अक्तूबर 2013 तक ड.) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण विषयक संसदीय समिति का अध्ययन दौरा - चेन्नै में - 11 व 12 नवंबर 2013 को ।

2014-15 के लिए संभावित रूपरेखा

वास्तव में भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों के चलते अर्थ व्यवस्था में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी होने लगी, जिसकी परिणिति कुछ प्राचलों के सुधार/वृद्धि में हुई, जैसे वित्तीय घाटे, चालू खाते से संबंधित घाटे पर अंकुश लगा और मुद्रा स्फीति एक सहनीय स्तर पर पहुँची।

फिर भी, यह मौसमी अनुमान लगाया जा रहा है कि एल-नीनो का प्रभाव 60% तक रहेगा जिससे सूखे की संभावना बन रही है और इससे मुद्रा स्फीति में वृद्धि होने के आसार हैं । चूँकि भारतीय अर्थ व्यवस्था बाहरी और आंतरिक दोनों ही कारकों पर निर्भर करती है, यह उम्मीद लगायी जा रही है कि आरबीआइ/नयी सरकार स्थिति को अधिक सार्थक रूप से संभालने व दिशा प्रदान करने के प्रयास जारी रखेगी । नये कदम वर्ष 2014-15 के लिए अर्थ व्यवस्था के सुधार में सहायक सिद्ध होंगे, जिससे 5.9% के मध्यम जीडीपी विकास की संभावना है ।

Complaints Pending as on 31.03.2013	Complaints received during 2013-14	Complaints Disposed	Complaints Pending
2	2	2 (received during 2013)	2

Security

Security measures, mandatory and recommendatory, were correctly strictly implemented at all Bank branches and administrative offices and were reviewed periodically keeping in view the local law and order situation and necessary steps taken to fortify security thereby creating a safe business environment for customers and staff. The Bank continued to stress on preventive measures for security and fire fighting arrangements and inculcation of security consciousness among staff to ensure safety to life and property. The Bank has sensitised staff members regarding security awareness and sanctioned installation of Burglar Alarm and CCTV in all branches and Watchmen/Armed Guards for vulnerable branches and ATMs from Director General Resettlement sponsored Agencies/reputed Private Security Agencies.

Rajbhasha (Official Language Policy)

The Bank has taken all efforts to implement the Official Language Policy of Government of India during the year 2013-14. During the year 237 staff members who do not possess working knowledge of Hindi were trained in IOB Praveen and Banking Pragya Courses. 2,465 staff members possessing working knowledge of Hindi were trained in General Hindi Workshops held during the year. Rajbhasha Sangoshthi was held on 10th September 2013 for Heads of Central Office departments to strengthen the Official Language Implementation in Central Office. Minutes of all meetings of all board level committees were translated in Hindi. As per the directives of Govt. of India, Bank has enabled Hindi Unicode font in all Regional Offices and has provided the facility of downloading the same on IOB ONLINE. Banking terminology has been provided on IOB ONLINE for the benefit of staff members. Training has been given to 1823 staff members for the use of Hindi in computers. Six issues of quarterly Hindi Magazine VANI in print as well as in digital form have been published. The Bank's website is made available in Hindi also.

Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt of India, Delhi has awarded First prize to bank's In-house Hindi magazine VANI for the year 2012-13 in C Region. Reserve Bank of India has awarded Third Prize for Hindi house magazine "VANI" for the year 2012-13 in the Inter-Bank Competition for Hindi house magazines of banks and financial institutions. Regional Offices were inspected on OL implementation by Official Language Department, Central Office and Rajbhasha Shields were awarded to Regional Offices and branches doing good work in official language implementation.

Third Sub Committee of Parliamentary Committee on Official Language inspected our Central Office on 25th September 2013 and Valsad Branch on 18th January 2014. Drafting and evidence committee on Official Language inspected the Ahmedabad Regional office on 4th April 2013. Both the committees expressed satisfaction over the implementation of Official Language in these centres. Annual Official Language Review Meeting and Unicode training for OL Officers was held on 27th & 28th May 2013 to assess the progress made in the area of OL implementation in Regional Offices and provided inputs for intensive implementation in all Regions.

As convener of Chennai Town Official Language Implementation Committee, the Bank has received the First Prize for its efforts in implementation of Official Language Policy during the year 2012-13 from Official Language Department, Ministry of Home Affairs, Government of India. The Prize was given by Shri K Rosiah, Governor of Tamil Nadu in the Regional Official Language Conference held on 10th February 2014 at Chennai. On behalf of the committee, the Bank conducted two General Hindi Workshops, 12 Inter-Bank Hindi competitions, Joint Hindi Month Celebration function and Hindi Unicode training programme for the staff members of member banks / Financial Institutions. A Joint Rajbhasha Samaroh was held on 7th February 2014. In addition to this, two half yearly meetings were also conducted. Seminars in Hindi on banking subjects were held for Branch Managers. Annual issue of magazine of "Chennai Bharathi" was brought out.

Costing of Operations

The Costing & Planning functions derived useful results towards corporate level Budgeting concepts, Monitoring P&L movement on a monthly basis, reporting Daily MIS to top Management, Various study analysis etc. The top management directly monitors SOI, MOU goals of the Bank as per the directives of Ministry of Finance. During the year, the Bank has formulated a module on computation of return on assets for all the Regions individually so as to assess their performance and compare their contribution with the macro level profit.

Parliamentary Committee:

During the year, the committees visited the Bank were A) Committee on Paper Laid on Table at Kodaikannal from 30th May 2013 to 1st June 2013, B) Study Tour of the Parliamentary Committee on Labour at Tirupathi on 29th July 2013, C) Committee on Official language at Chennai on 24th & 25th Sept 2013, D) Visit of Department related Parliamentary Standing Committee on Industry to Chennai and Tirupathi from 3rd to 5th October 2013, E) Study Tour of the Parliamentary Committee on Welfare of Other Backward Classes at Chennai 11th & 12th November 2013.

Outlook for 2014-15

As a matter of fact, the economy has started slowly picking up due to various measures taken by RBI/Govt resulting to improvement in certain parameters such as containment of fiscal deficit, current account deficit and inflation at a tolerance level.

However, the weather forecasts predict 60% of EL-nino effect which raises spectre of drought and in turn may raise inflation. As the Indian economy depends on both internal and external factors, it is hoped that the new Govt/RBI would continue to direct the situation more meaningfully. The new measures would definitely help the economy to post a moderate GDP growth of 5.9% for the year 2014 –15.

वर्ष 2013-14 के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

ए. अधिदेशात्मक आवश्यकताएँ

1. गवर्नेन्स कोड पर बैंक का दर्शन

कार्पोरेट गवर्नेंस अपने दैनिक क्रियाकलापों के संचालन में बैंक की अंतर्निहित मूल्य आधारित प्रणाली को प्रतिबिंबित करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बैंक का दर्शन सभी स्तरों पर कार्य निष्पादन व व्यवसायिक गुण, सामाजिक अनुक्रियात्मकता, स्वस्थ कारोबार व्यवहार तथा ईष्टतम क्षमता के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने एवं उसे सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही का उच्च मानक प्रदान करने का है। बैंक शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने तथा उनके हितों की रक्षा के लिए क्षेत्र के कानून के अनुपालन से कारोबार मूल्यों के उच्च स्तर को बनाए रखता है।

कार्पोरेट गवर्नेन्स का सिद्धांत व महत्व हमारे बैंक द्वारा पहचाना गया है तथा सभी संदर्भों में सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है। परिचालनों में पारदर्शिता के लिए बैंक अपनी वेबसाइट www.iob.in में सभी स्टेकधारकों के लिए महत्वपूर्ण ब्यौरे उपलब्ध करवाता है।

बैंक का कार्पोरेट विज़न:-

बैंक का उद्देश्य है कि गवर्नेंस के उच्च मानको और आचार द्वारा निर्देशित वैश्विक पहचान / मौजूदगी के साथ कारोबार और टिकाऊ लाभप्रदता के साथ शिखरस्थ पाँच राष्ट्रीयकृत बैंकों में बने रहना और "**पहली पसंद वाले बैंकिंग पार्टनर**" के रूप में उभरना ताकि अपने सभी स्टेकधारकों को मूल्य प्रदान करना ।

बैंक का कार्पोरेट मिशन

- गुणवत्ता , उत्पादों के रेंज , उपयोगिता और लागत प्रभाविता के संदर्भ में सर्वोत्कृष्ट प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करना ।
- मानव संसाधन को प्रशिक्षण, एक्सपोज़र, मेंटरिंग और प्रोत्साहन,तथा "सॉफ्ट टच "के जरिए बेहतर करना न कि "कठोर व्यवहार" से।
- गुणवत्तायुक्त बैंकरों का विकास जो कि उद्योग के भविष्य के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरेंगे ।
- समावेशित वृद्धि और ग्राहकोन्मुखी प्रयासों के जरिए देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देना ।
- उभरती जरूरतों की आपूर्ति के लिए नवोन्मेषी उत्पादों को शुरू करके समय समय पर सेवा सुपुर्दगी की प्रक्रिया को संगठित करना।
- ग्राहकों की समस्याओं के समाधान के लिए सर्जनात्मक समस्या समाधान कौशल वातावरण का निर्माण करना और यह सुनिश्चित करना कि हमारा बैंक ग्राहकोन्मुख है ।
- उभरती अपेक्षाओं की पूर्ति करने हेतु अनुपालन की नीतिगत और नियम चालित संस्कृति पर जोर देना।
- उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए सी आर एम (ग्राहक संबंध प्रबंधन) और हासिल दृष्टि का निर्माण करना ।
- सभी बैंकिंग सेवाओं / सोल्यूशन "एक बारगी" प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना चाहे ग्राहक कहीं भी हो ।
- "बैंक के अंदर बैंक" की अवधारणा के विकास के जरिए भविष्य की वृद्धि करने के लिए बहुआयामी विधि को अपनाना ।

2. निदेशक मंडल

ए. संरचना

बैंक के कारोबार का कार्यभार निदेशक मंडल पर है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा दो कार्यपालक निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में काम करते हैं। निदेशक मंडल में 31.03.2014 तक 13 निदेशक रहे, जिनमें तीन कार्यपालक पूर्ण कालिक निदेशक हैं व 10 गैर कार्यपालक निदेशक हैं जिसमें दो निदेशक शेयर धारकों द्वारा उनके हितों के विधिवत प्रतिनिधित्व के लिए चुने गए हैं।

बी. वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कार्यरत निदेशकों के विवरण

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशकता का स्वरूप	नियुक्ति की तारीख	वर्ष के दौरान सेवा निवृत्त / कार्यकाल की समाप्ति
01	श्री एम.नरेंद्र	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	1.11.2010	
02	श्री ए. के. बंसल	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	01.09.2010	31.05.2013 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त
03	श्री ए डी एम चावली	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	28.12.2011	
04	श्री अतुल अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	27.09.2013	
05	डॉ. आलोक पाण्डे	सरकारी नामिती निदेशक	आधिकारिक - गैर कार्यपालक	22.07.2011	
06	श्री एस.वी.राघवन	भा.रि.बैं के नामिती निदेशक	आधिकारिक गैर कार्यपालक	30.07.2010	30.11.2013 (सेवानिवृत्ति की तारीख) 12.03.2014 (पदत्याग की तारीख)
07	श्री निर्मल चंद	भा.रि.बैं के नामिती निदेशक	आधिकारिक, गैर कार्यपालक	13.03.2014	
08	श्री श्रीधर लाल लखोटिया	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यपालक	09.08.2010	08.08.2013 (तीन वर्ष की पूर्णता पर पद त्याग)
09	श्री आर. संपत कुमार	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यपालक	24.01.2014	

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2013-14

A. MANDATORY REQUIREMENTS:

1. Bank's Philosophy on Code of Governance:

Corporate Governance reflects the built in value system of the Bank in conducting its day to day affairs. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. The Bank maintains a high level of business ethics, by adhering to the law of the land, to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

The principles and importance of Corporate Governance have been recognized by our Bank and the statutory requirements are complied with in all respects. Towards transparency in operations, bank provides vital details to all the stakeholders in the Bank's website www.iob.in.

Bank's Corporate Vision:

Bank aims at "To be among the top five nationalized banks in terms of business volumes and sustained profitability with global recognition / presence guided by high standard of governance and ethics and emerge as the **"Most Preferred Banking Partner"** to unlock value to all its stakeholders.

Bank's Corporate Mission:

- Deliver the best of competitive products in terms of quality, range, utility and cost effectiveness.
- Optimize HR resources through training, exposure, mentoring and incentive, relying on the "soft touch" instead of the big stick.
- Develop quality bankers who would rise to be future leaders of the industry.
- Contribute to country's economic growth through dedicated efforts of inclusive growth and customer focus.
- Streamline the process of service delivery from time to time by introduction of dynamic products to meet emerging requirements.
- Nurture a climate of creative problem-solving skills to resolve customer's grievances with alacrity ensuring that the Bank is regarded as Customer Centric.
- Emphasize a policy-oriented and rule-driven culture of compliance to meet evolving requirements.
- Engineer CRM (Customer Relationship Management) and insights gained for further enhancement of products and service quality.
- Expand IT infrastructure to deliver all banking services / solutions from "one tap" irrespective of customer location.
- Adopt a multi disciplinary approach to facilitate future growth through the evolution of "Banks within the Bank".

2. BOARD OF DIRECTORS:

a.Composition:

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The CMD and two EDs function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on 31.03.2014 is thirteen directors comprising three whole time Directors and ten non-executive Directors, which includes two directors elected by the shareholders to duly represent their interest.

b. Particulars of directors who held office during the financial year 2013-2014:

Sl No.	Name of the Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointment	Retirement/demission of office during the year
01	Shri. M.Narendra	Chairman & Managing Director	Executive / Whole Time	01.11.2010	
02	Shri. A.K. Bansal	Executive Director	Executive / Whole Time	01.09.2010	Retired on superannuation on 31.05.2013
03	Shri. A.D.M. Chavali	Executive Director	Executive / Whole Time	28.12.2011	
04	Shri. Atul Agarwal	Executive Director	Executive / Whole Time	27.09.2013	
05	Dr. Alok Pande	Govt. Nominee Director	Official – Non Executive	22.07.2011	
06	Shri. S.V.Raghavan	RBI Nominee Director	Official -Non Executive	30.07.2010	30.11.2013 (Date of retirement) 12.03.2014 (Date of demission)
07	Shri.Nirmal Chand	RBI Nominee Director	Official -Non Executive	13.03.2014	
08	Shri. Sridhar Lal Lakhotia	Workmen Employee Director	Non Executive	09.08.2010	08.08.2013 (demission of office on completion of 3 years)
09	Shri. R. Sampath Kumar	Workmen Employee Director	Non Executive	24.01.2014	

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशकता का स्वरूप	नियुक्ति की तारीख	वर्ष के दौरान सेवा निवृत्त / कार्यकाल की समाप्ति
10	श्री जे.डी.शर्मा	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यपालक	02.05.2013	
11	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	सनदी लेखाकार निदेशक / अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	01.11.2011	
12	श्री चिन्नैय्या	निदेशक / अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	13.11.2013	
13	श्रीमती एस. सुजाता	निदेशक/ अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	05.12.2013	
14	श्री ए.बी.डी. बादुशास	निदेशक/ अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	12.12.2013	
15	श्री अजित वसंत सरदेसाई	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2011	
16	प्रो. एस सडगोपन	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2011	

बैक के निदेशकों की प्रोफाइल अनुबंध के रूप में संलग्न है। यह घोषित किया जाता है कि कोई भी निदेशक एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं। मंडल ने निदेशकों और सभी महाप्रबंधकों के लिए आचरण संहिता अपनाई है और अ.व.प्र.नि से इस आशय की घोषणा प्राप्त की गई है जिसमें संहिता अनुपालन की पुष्टि की गई है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। श्री एस एन मिश्र मुख्य महा प्रबंधक दिनांक 01.11.2012 से बोर्ड के सचिव हैं ।

सी. निदेशक मंडल की बैठकें

बैठक की तारीख, स्थान और कार्यसूची सभी निदेशकों को समय रहते सूचित की जाती है। निदेशकों को कार्यसूची के सभी मदों पर अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। आवश्यक स्पष्टीकरण उपलब्ध करवाने के लिए बैंक के कार्यपालकों को भी निदेशक मंडल की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने बोर्ड व समिति की बैठकों निदेशक मंडल की कम-से-कम तिमाही में एक बैठक के हिसाब से, वर्ष में न्यूनतम 6 बार आयोजित किए जाने की तुलना में, 17 बैठकें हुई ।

बोर्ड पोर्टल, एक वेब आधारित ऑनलाइन कार्यस्थान के जरिए बोर्ड के सदस्यों को सूचनाओं का समय पर और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने 2012-13 में बोर्ड व समिति की बैठकों के आयोजन के लिए ई गवर्नेंस पहल शुरू की। पोर्टल निदेशकों को आईपैड पर वास्तविक समय आधार पर एजेंडा पेपर्स के लिए गोपनीय ई एक्सेस प्रदान करता है। इस पहल से बैठकों के आयोजन में व्यापक परिवर्तन आया है , परिणामस्वरूप लागत, समय व संसाधन में उल्लेखनीय बचत होती है।

- वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित तारीखों एवं स्थानों में 17 बार मंडल की बैठकें आयोजित की गईं :

क्र.सं.	बैठक की तारीख	स्थान
01	16.04.2013	चेन्नै
02	29.04.2013	चेन्नै
03	25.05.2013 (विशेष - 1)	चेन्नै
04	28.06.2013	चेन्नै
05	25.07.2013	चेन्नै
06	16.08.2013	चेन्नै
07	20.09.2013	चेन्नै
08	20.09.2013 (विशेष - 2)	चेन्नै
09	25.10.2013	चेन्नै
10	11.11.2013 (विशेष - 3)	चेन्नै
11	14.12.2013	चेन्नै
12	26.12.2013	चेन्नै
13	13.01.2014	चेन्नै
14	29.01.2014	चेन्नै
15	26.02.2014	चेन्नै
16	14.03.2014	चेन्नै
17	14.03.2014 (विशेष - 4)	चेन्नै

Sl No.	Name of the Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointment	Retirement/demission of office during the year
10	Shri. J.D.Sharma	Officer Employee Director	Non Executive	02.05.2013	
11	Shri. Niranjan Kumar Agarwal	Chartered Accountant Director/Part Time Non- Official	Non Executive	01.11.2011	
12	Shri. Chinnaiah	Director/Part-time Non – Official	Non Executive	13.11.2013	
13	Smt. S. Sujatha	Director/Part-time Non – Official	Non Executive	05.12.2013	
14	Shri. A.B.D.Badushas	Director/Part-time Non – Official	Non Executive	12.12.2013	
15	Shri.Ajit Vasant Sardesai	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2011	
16	Prof. S.Sadagopan	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2011	

Profile of Directors of the Bank is enclosed as an Annexure. It is declared that none of the directors are related to each other. The Board has adopted a Code of Conduct for Directors and all the General Managers and a declaration has been obtained from the CMD confirming their compliance with the Code of Conduct and is attached to this report. Shri. S.N. Mishra, Chief General Manager is the Secretary to the Board from 01.11.2012.

c. Meetings of the Board:

The date and place of the meeting as well as the agenda papers are advised to all Directors well in advance. The Directors have access to all additional information on the agenda. Executives of the Bank are also invited to attend the Board meetings to provide necessary clarifications. During the year under review, the meetings of the Board were held 17 times as against the requirement of holding meetings at least once a quarter with a minimum of six times a year.

During the year 2012-13, the Bank has promoted an e-governance initiative for e-conduct of Board and Committee meetings by ensuring timely and seamless flow of information to Board members through the use of a Board Portal, a web based online workspace. The portal offers Directors confidential e-access on IPads, on a real-time basis, to agenda papers. This initiative has transformed the way meetings are conducted while resulting in substantial savings in cost, time and resources.

➢ During the financial year 2013-14 , the Board meetings were held 17 times on the following dates and places :

SL NO.	DATE OF MEETING	PLACE HELD
01	16.04.2013	Chennai
02	29.04.2013	Chennai
03	25.05.2013 (Special- 1)	Chennai
04	28.06.2013	Chennai
05	25.07.2013	Chennai
06	16.08.2013	Chennai
07	20.09.2013	Chennai
08	20.09.2013 (Special-2)	Chennai
09	25.10.2013	Chennai
10	11.11.2013 (Special-3)	Chennai
11	14.12.2013	Chennai
12	26.12.2013	Chennai
13	13.01.2014	Chennai
14	29.01.2014	Chennai
15	26.02.2014	Chennai
16	14.03.2014	Chennai
17	14.03.2014 (Special 4)	Chennai

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार, निम्नवत में से किसी एक विषय पर ध्यान देने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक विशेष बोर्ड बैठक आयोजित की गई:

1) जोखिम एवं एनपीए प्रबंधन

2) मानव संसाधन एवं उत्तराधिकार योजना

3) कोर कारोबार

   ए) शाखा परिचालन, ऑनलाइन बैंकिंग, कारोबार प्रक्रिया, री-इंजीनियरिंग, लागत एवं उत्पादकता

   बी) ग्राहक सेवाएँ

4) उत्पाद और बाजार, कारोबार में नवोन्मेष और ई- प्रशासन समेत रणनीतिक कारोबार योजना

- सभी बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बिना आयोजित की गईं।
- मंडल की उक्त बैठकों और दिनांक 28.06.2013 को आयोजित पिछली एजीएम में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गयी है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति	28.06.2013 को संपन्न पिछली एजीएम में उपस्थिति
01	श्री एम.नरेंद्र, अ व प्र नि	17/17	हाँ
02	श्री ए.के.बंसल	03/03	31.05.2013 को सेवानिवृत्त
03	श्री ए डी एम चावली	16/17	हाँ
04	श्री अतुल अग्रवाल	09/09	27.09.2013 को बैंक में कार्यभार ग्रहण किया
05	डॉ. आलोक पाण्डे	15/17	नहीं
06	श्री एस.वी.राघवन	10/16**	हाँ
07	श्री निर्मल चंद	00/01	13.03.2014 को बोर्ड में नामित
08	श्री श्रीधर लाल लखोटिया	04/05	हाँ
09	श्री आर. संपत कुमार	04/04	24.01.2014 को बोर्ड में नामित
10	श्री जय देव शर्मा	14/15	हाँ
11	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	17/17	हाँ
12	श्री चिन्नैय्या	07/07	बोर्ड में 13.11.2013 को शामिल
13	श्रीमती एस. सुजाता	07/07	05.12.2013 को बोर्ड में शामिल
14	श्री ए बी डी बादुशास	07/07	12.12.2013 को बोर्ड में शामिल
15	श्री अजित वसंत सरदेसाई	16/17	हाँ
16	प्रो. एस सडगोपन	09/17	हाँ

** 30.11.2013 को अधिवर्षिता पर आरबीआई से सेवानिवृत्त और इसके बाद बोर्ड बैठकों तथा उन अन्य बैठकों में शामिल नहीं हुए जिनमें वे सदस्य थे।

श्री निर्मल चंद को 13.03.2014 से प्रभावी भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक के तौर पर नामित किया गया है।

डी. अन्य मण्डल या मण्डल समितियों की संख्या जिनमें निदेशक सदस्य / अध्यक्ष हैं

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों की संख्या (निजी कंपनियों और आइओबी को छोड कर) जिनमें वे सदस्य / बोर्ड के अध्यक्ष हैं (वैकल्पिक / नामित निदेशक को छोड़कर)	समितियों की संख्या जिसमें सदस्य हैं (आइओबी को छोड़कर)
श्री एम नरेन्द्र, आइ ओ बी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया)बरहद के मंडल में निदेशक यूनिवर्सल सोंपो जनरल कं. लि. के मंडल में निदेशक	शून्य
प्रो. एस सडगोपन	1)नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया 2) "क्योनिक्स" - पदेन निदेशक 3)के बीआईटीएस - पदेन निदेशक 4)आइ आइ आइ टी बी - नवोन्मेषी केंद्र 5) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 6) विज्ञान इंडस्ट्रीज लि. (बीइएमएल की अनुषंगी)	शून्य

As directed by Ministry of Finance, Government of India, one Special Board Meeting was held in each quarter to focus on one of the following subjects:

1) Risk and NPA Management

2) Human Resources & Succession Planning

3) Core Business –

   a) Branch operation, on-line banking, Business Process, Re-engineering, costs and productivity

   b) Customer Services

4) Strategic Business Plan including products and markets, innovation in business and e-governance

- All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.
- Attendance of the directors at the above Board meetings and last AGM held on 28.06.2013 are furnished below:

Sl. No.	Name of Director	Number of Board Meetings attended/held	Attendance in the Last AGM 28.06.2013
01	Shri. M.Narendra, CMD	17/17	Attended
02	Shri. A.K.Bansal	03/03	Retired on 31.05.2013
03	Shri. A.D.M.Chavali	16/17	Attended
04	Shri. Atul Agarwal	09/09	Joined the Bank on 27.09.2013
05	Dr. Alok Pande	15 /17	Not attended
06	Shri.S.V.Raghavan	10/16**	Attended
07	Shri. Nirmal Chand	00/01	Nominated to the Board on 13.03.2014
08	Shri. Sridhar Lal Lakhotia	04/05	Attended
09	Shri. R. Sampath Kumar	04/04	Nominated to the Board on 24.01.2014
10	Shri. Jai Deo Sharma	14/15	Attended
11	Shri. Niranjan Kumar Agarwal	17/17	Attended
12	Shri. Chinnaiah	07/07	Joined the Board on 13.11.2013
13	Smt. S. Sujatha	07/07	Joined the Board on 05.12.2013
14	Shri. A B D Badushas	07/07	Joined the Board on 12.12.2013
15	Shri. Ajit Vasant Sardesai	16/17	Attended
16	Prof. S. Sadagopan	09/17	Attended

**Retired at RBI on superannuation on 30.11.2013 and did not attend the Board meetings as well as other committee meetings in which he is a member thereafter.

Shri. Nirmal Chand, has been nominated as RBI Nominee Director with effect from 13.03.2014.

d. Number of other Boards or Board Committees in which the Director is a member/ Chairperson:

Name of the Director	Number of other companies (excluding private companies and IOB) in which he / she is a member/ Chairperson of the Board (excluding alternate / nominee director)	Number of Committees (other than IOB) in which a member
Shri. M. Narendra CMD of IOB	1) Director on the Board of India International Bank (Malaysia) Berhad 2) Director on the Board of Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	NIL
Prof. S.Sadagopan	1) National Payment Corporation Of India 2) "KEONICS" Ex officio Director 3) KBITS – Ex-officio Director 4) IIITB Innovation Centre 5) National Stock Exchange 6) Vignyan Industries Ltd. (a subsidiary of BEML)	NIL

ई. समितियों में सदस्यता:

मंडल के निदेशकों में से कोई भी 10 समितियों से अधिक में सदस्य नहीं हैं या सभी कंपनियों में, जिसमें वे निदेशक हैं पाँच समितियों से अधिक में अध्यक्ष के रूप में पदस्थ नहीं हैं । (सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(1) (सी) की शर्तों के अनुसार सीमा की गणना के उद्देश्य से, लेखा-परीक्षा तथा शेयर धारक शिकायत समिति की अध्यक्षता/ सदस्यता पर ही विचार किया गया है)।

3. मंडल की समितियाँ:

निर्णय प्रक्रिया में सुविधा तेजी लाने के लिए मंडल ने निम्नलिखित समितियां गठित की हैं और उन्हें विशेष अधिकार भी दिए हैं। हर बैठक के कार्यवृत्त समिति की अगली बैठक के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं तथा अनुमोदन किए गये कार्यवृत्त को निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ मंडल बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। बोर्ड बैठक के समक्ष कार्यवृत्त पुष्टि के लिए भी प्रस्तुत किए जाते हैं।

3.1 मंडल की प्रबंधन समिति (एम सी बी) :

मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन व विविध प्रावधान) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। एमसीबी के निम्नानुसार कार्य एवं कर्तव्य हैं :

ए. उधार प्रस्तावों को स्वीकृत करना (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रमात्रा के अनुसार

बी. ऋण और ब्याज समझौता/बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव, बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रमात्रा के अनुसार

सी. पूंजी एवं राजस्व व्यय के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव

डी. परिसर किराए पर लेने और अधिग्रहण के संबंध में प्रस्ताव, परिसर के किराये के लिए व अधिग्रहण के लिए मानदण्डों के व्यतिक्रम सहित

ई. वाद/अपील दायर करना, उन पर प्रतिवाद करना इत्यादि

एफ. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों में हामीदारी सहित निवेश करना

जी. दान

एच. अन्य कोई विषय जो बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को सौंपा गया हो

मद (ए) से (जी), अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के विवेकाधिकार के परे प्रस्तावों के संबंध में है, जैसा भी लागू हो।

समिति वर्ष के दौरान 21 बार मिली। सभी बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं।

दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		बैठकों में उपस्थिति
			से	तक	
01	श्री एम.नरेंद्र, अ व प्र नि	अध्यक्ष	01.11.2010		21/21
02	श्री ए.के.बंसल	सदस्य	01.09.2010	31.05.2013	03/03
03	श्री ए डी एम चावली	सदस्य	28.12.2011		20/21
04	श्री अतुल अग्रवाल	सदस्य	27.09.2013		08/11
05	श्री एस.वी.राघवन	सदस्य	13.09.2010	12.03.2014	13/19
06	श्री निर्मल चंद	सदस्य	13.03.2014		00/01
07	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	सदस्य	01.11.2011	31.10.2014	19/21
08	श्री ए वी सरदेसाई	सदस्य	26.10.2012	27.11.2013	11/13
09	प्रो. एस. सडगोपन	सदस्य	29.10.2012 09.08.2013	24.05.2013 08.02.2014	04/13
10	श्री चिन्नैय्या	सदस्य	13.11.2013	12.05.2014	08/08
11	श्रीमती एस. सुजाता	सदस्य	05.12.2013	04.06.2014	05/06
12	श्री ए बी डी बादुशास	सदस्य	12.12.2013	11.06.2014	04/04
13	श्री जय देव शर्मा	सदस्य	25.05.2013	14.12.2013	11/12
14	श्री श्रीधर लाल लखोटिया	सदस्य	26.03.2013	08.08.2013	07/07

3.2 मंडल की ऋण अनुमोदन समिति (सी ए सी)

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुसार अधिसूचना सं एस ओ 2736 (ई) दिनांकित 5 दिसंबर 2011 के द्वारा निदेशक मंडल ने दिनांक 25.02.2012 को मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया । समिति को ऋण प्रस्तावों की मंजूरी व ऋण समझौतों / बट्टे खाते में डालने संबंधी विशिष्ट वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं ।

समिति के अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं। 01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान समिति की बैठकें 30 बार आयोजित की गयीं। अवधि के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नवत हैं :

e. Membership in Committees:

None of the directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as a Chairman of more than five committees across all companies in which he is a director. (For the purpose of reckoning the limit in terms of clause 49(1)(C) of the listing agreement, the chairmanship/membership of the Audit Committee and the Shareholders' Grievance Committee alone have been considered).

3. COMMITTEES OF THE BOARD:

In order to facilitate the decision-making process, Board has constituted the following committees and delegated specific powers to them. The minutes of each meeting are subsequently placed before the next meeting of the committee for confirmation. The minutes are also placed before the Board Meeting for information.

3.1 Management Committee of the Board (MCB):

MCB is constituted as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The functions and duties of the MCB are as under:

a. Sanctioning of credit proposals (funded and non funded) as per quantum fixed by the Board

b. Loan and Interest Compromise / Write off proposals – as per quantum fixed by the Board.

c. Proposals for approval of capital and revenue expenditure

d. Proposals relating to acquisition and hiring of premises, including deviation from norms for acquisition and hiring of premises.

e. Filing of suits / appeals, defending them etc.

f. Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies, including underwriting.

g. Donations

h. Any other matter referred to the Management Committee by the Board. Items (a) to (g) will be in respect of proposals beyond the discretionary powers of CMD/ powers of Credit Approval Committee, as may be applicable.

The Committee met 21 times during the year. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The Members who held office during the period 01.04.2013 to 31.03.2014 and the details of number of meetings attended during their tenure by each Committee member are as under:

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held
			From	To	
1	Shri. M.Narendra, CMD	Chairman	01.11.2010		21/21
2	Shri. A.K.Bansal	Member	01.09.2010	31.05.2013	03/03
3	Shri.A.D.M.Chavali	Member	28.12.2011		20/21
4	Shri. Atul Agarwal	Member	27.09.2013		08/11
5	Shri.S.V.Raghavan	Member	13.09.2010	12.03.2014	13/19
6	Shri. Nirmal Chand	Member	13.03.2014		00/01
7	Shri.Niranjan Kumar Agarwal	Member	01.11.2011	31.10.2014	19/21
8	Shri.A.V.Sardesai	Member	26.10.2012	27.11.2013	11/13
9	Prof.S.Sadagopan	Member	29.10.2012 09.08.2013	24.05.2013 08.02.2014	04/13
10	Shri. Chinnaiah	Member	13.11.2013	12.05.2014	08/08
11	Smt. S.Sujatha	Member	05.12.2013	04.06.2014	05/06
12	Shri. A.B.D.Badushas	Member	12.12.2013	11.06.2014	04/04
13	Shri. Jai Deo Sharma	Member	25.05.2013	14.12.2013	11/12
14	Shri. Sridhar Lal Lakhotia	Member	26.03.2013	08.08.2013	07/07

3.2 Credit Approval Committee of the Board (CAC)

The Credit Approval Committee of the Board has been constituted on 25.02.2012 by the Board of Directors in terms of the amendment of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 vide Notification No. S.0. 2736 (E) dated December 5, 2011. The Committee is empowered with specific financial powers for sanctioning of credit proposals and for settlement for Loan compromise / write off.

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met 30 times during the period 01.04.2013 to 31.03.2014. Number of Meetings attended by each Committee Member during the period:

निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि --- से	बैठकों में उपस्थिति /आयोजन
श्री एम.नरेंद्र, अ व प्र नि	अध्यक्ष	25.02.2012	30/30
श्री ए.के.बंसल	सदस्य	25.02.2012 से 31.05.2013	04/06
श्री ए डी एम चावली	सदस्य	25.02.2012	28/30
श्री अतुल अग्रवाल	सदस्य	27.09.2013	12/15
म प्र - वृहद कार्पोरेट विभाग	सदस्य	25.02.2012	25/30
म प्र - मध्य कार्पोरेट विभाग	सदस्य	25.02.2012	27/30
म प्र - एम एस एम ई	सदस्य	25.02.2012	25/30
म प्र - तुलन पत्र प्रबंधन विभाग (सी एफ ओ)	सदस्य	25.02.2012	28/30
म प्र जोखिम प्रबंधन विभाग	सदस्य	25.02.2012	30/30

3.3 मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

मंडल की लेखा परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक /भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित की गयी है। समिति में छः सदस्य हैं- दो कार्यपालक निदेशक, सरकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशक, दो गैर सरकारी निदेशक जिनमें से एक गैर सरकारी सनदी लेखाकार है और भारत सरकार के परिपत्र, दिनांक 18.02.2008 की शर्तों के अनुसार बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (जी) के तहत नामित सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मंडल की लेखा परीक्षा समिति में गैर-सरकारी सनदी लेखाकार को शामिल करने हेतु सूचितानुसार एक गैर आधिकारिक सनदी लेखाकार है।

मंडल लेखा परीक्षा समिति के कार्य व कर्तव्य निम्नानुसार हैं

- बैंक में समग्र लेखा परीक्षा कार्य के परिचालन की देख-रेख करना और मार्गदर्शन देना। समग्र लेखा परीक्षा क्रियाकलापों में बैंक का आंतरिक निरीक्षण व लेखा परीक्षा का संगठन, गुणवत्ता नियंत्रण व परिचालन करना और बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के सांविधिक /बाहरी लेखापरीक्षा का अनुवर्तन करना
- बैंक में होनेवाले आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा की समीक्षा करना अनुवर्तन के संदर्भ में प्रणाली, उसकी गुणवत्ता तथा प्रभावात्मकता की समीक्षा करना और विशिष्ट तथा बहुत बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक रेटिंगवाली सभी शाखाओं की समीक्षा करना।
- कार्यकारी क्षेत्रों के अनुपालन अधिकारियों से अर्ध वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त करना है और उसकी समीक्षा करना
- सांविधिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट तथा लाँग फार्म लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (एलएफ़एआर) में उठाए गए सभी मदों पर अनुवर्तन तथा समीक्षा करना और वार्षिक/वित्तीय विवरणों तथा रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श करना
- भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों /चिंताजनक विषयों की समीक्षा एवं अनुवर्तन करना
- यह समिति विशेषकर निम्नलिखित बातों के अनुवर्तन पर भी ध्यान देती है
- अन्तर - शाखा समायोजन खाते
- अन्तर-बैंक तथा नोस्ट्रो खातों में लंबी अवधि से असमंजित लंबित प्रविष्टियाँ
- विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान में बकाये का समंजन
- धोखाधड़ियों एवं व्यवस्था संबंधी अन्य सभी प्रमुख क्षेत्र
- स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सेबी समिति की शर्तों के अनुसार कार्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों पर मंडल की लेखा-परीक्षा समिति को निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य /शक्तियाँ सौंपी गई हैं:
- समिति के अधीन किसी भी गतिविधि की जाँच पड़ताल करना।
- किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करना ।
- बाहर से विधिक या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना ।
- जरूरत पड़ने पर संबंधित विषय में विशेषज्ञता वाले बाहरी व्यक्तियों को आमंत्रित करना।

लेखा-परीक्षा समिति के कार्यों में विद्यमान कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी शामिल हैं:

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर दृष्टि रखना तथा उसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है ।
- लेखाकरण नीतियों व आचरणों पर जोर देते हुए, लेखाकरण मानकों का अनुपालन और अन्य कानूनी जरूरतों को पूरा करते हुए वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण करने के साथ वित्तीय विवरणों के प्रबंधन की समीक्षा ।
- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की प्रबंधन, बाहरी एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ समीक्षा करना ।
- महत्वपूर्ण स्वरूप के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता या अनियमितता या धोखाधड़ी संबंधी संदेहात्मक मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई आंतरिक जाँच के परिणामों का पुनरीक्षण कर मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना।
- लेखा-परीक्षा शुरू होने से पहले लेखा-परीक्षा का स्वरूप और विस्तार के बारे में बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करने के साथ-साथ लेखा-परीक्षा के बाद किसी चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा करना ।
- कंपनी की वित्तीय तथा जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सुझावों के क्रम में बोर्ड की लेखा समिति ने विशिष्ट जोखिम स्तरों पर खातों की निम्नवत समीक्षा को शामिल करने के लिए बोर्ड की लेखा समिति की संभावनाओं के विस्तार का अनुमोदन किया:

Name of Director	Position	Tenure of member ship – From	Meeting attended/held
Shri. M.Narendra, CMD	Chairman	25.02.2012	30/30
Shri. A.K.Bansal	Member	25.02.2012 to 31.05.2013	04/06
Shri.A.D.M.Chavali	Member	25.02.2012	28/30
Shri. Atul Agarwal	Member	27.09.2013	12/15
G.M Large Corporate Dept	Member	25.02.2012	25/30
G M Mid Corporate Dept	Member	25.02.2012	27/30
G M MSME Dept	Member	25.02.2012	25/30
G M Balance Sheet Management Dept(CFO)	Member	25.02.2012	28/30
G M Risk Management Dept	Member	25.02.2012	30/30

3.3 Audit Committee of the Board (ACB):

The Audit committee of the Board has been constituted by the Board of Directors as per instructions of the Reserve Bank of India/GOI and consists of six members comprising of two EDs, Government director, RBI director, two non-official directors of which one is a non-official Chartered Accountant director nominated under section 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 in terms of GOI Circular dated 18.02.2008 advising Public Sector Banks to include such Director in the Audit Committee of the Board.

The delegated functions and duties of the ACB are as under:

- To provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function will imply the organization, operationalisation and quality control of the internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory / external audit of the Bank and inspections of RBI.
- To review the internal inspection / audit function in the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up and also the inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings
- To obtain and review half – yearly reports from the Compliance Officers of the functional areas
- To review and follow up on the report of the statutory audits, and all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interact with the external auditors before the finalization of the annual / quarterly financial statements and reports.
- To review and follow up all the issues / concerns raised in the Inspection reports of RBI.
- This committee specially focuses on the follow-up of:
- Inter – Branch Adjustment Accounts
- Unreconciled long outstanding entries in Inter – Bank Accounts and Nostro Accounts
- Arrears in balancing of books at various branches
- Frauds and all other major areas of house – keeping,
- The following additional role functions/powers have been entrusted to ACB in terms of SEBI Committee on Corporate Governance guidelines issued by RBI to Indian Commercial Banks listed on stock exchanges:
- To investigate any activity within its terms of reference.
- To seek information from any employee.
- To obtain outside legal or other professional advice.
- To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

The role of the Audit Committee shall also include the following in addition to the existing role function:

- Overseeing of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- Reviewing with the Management the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning the financial statements.
- Reviewing with the Management, external and internal auditors, the adequacy of internal control systems.
- Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discussing with external auditors before the commencement of audit the nature and scope of audit as well as having post audit discussion to ascertain any area of concern.
- Reviewing the company's Financial and Risk Management Policies.

In line with the suggestions of the Ministry of Finance, Government of India, the Audit Committee of the Board approved the broadening of the scope of the Audit Committee of the Board to include the following reviews of accounts at specific exposure levels:

A) Potential NPA / stress cases as and when required.

B) High value loans which have been granted against a security which is not free from encumbrances

ए) यथावश्यक संभावित एनपीए/ दबावग्रस्त मामले

बी) उच्च मूल्य के ऋण जिन्हें किसी प्रतिभूति जो दायित्व से मुक्त नहीं है, के प्रति प्रदान किया गया है।

सी) एक बारगी निपटान के मामले जिनमें उच्च मूल्य के ऋण शामिल हों।

डी) उच्च मूल्य के खाते - खाते के प्रति प्रदत्त प्रतिभूति/ संपार्श्विक (मूर्त और विशेष रूप से अमूर्त, दोनों) के मूल्य व गुणवत्ता के मूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकन हेतु।

वर्ष 2013-14 के दौरान समिति दिनांक 29.04.2013, 14.06.2013, 25.07.2013, 03.08.2013, 17.08.2013, 04.10.2013, 25.10.2013, 11.11.2013, 14.12.2013, 29.01.2014 तथा 25.02.2014 को 11 बार मिली।

सभी बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं।

दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि से	तक	उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
1.	श्री ए.के.बंसल	सदस्य	01.09.2010	31.05.2013	01/01
2	श्री ए डी एम चावली	सदस्य	28.12.2011		10/11
3	श्री अतुल अग्रवाल	सदस्य	27.09.2013		06/06
4	डॉ. आलोक पाण्डे	सदस्य	22.07.2011		10/11
5	श्री एस.वी.राघवन	सदस्य	30.07.2010	12.03.2014	07/11
6	श्री निर्मल चंद	सदस्य	13.03.2014		---
7	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	03.12.2011 से प्रभावी सदस्य /अध्यक्ष	01.11.2011	31.10.2014	11/11
8	श्री ए वी. सरदेसाई	सदस्य	26.10.2012		10/11

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

इस समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि हैं। समिति 01.04.2013 से 31.3.2014 के बीच 7 बार मिली। प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्योरे निम्नवत हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री एम.नरेंद्र	01.11.2010		07/07
2	श्री ए. के. बंसल	01.09.2010	31.05.2013	01/01
3	श्री ए डी एम चावली	28.12.2011		07/07
4	श्री अतुल अग्रवाल	27.09.2013		03/04
5	श्री ए वी सरदेसाई	21.12.2011		07/07
6	प्रो. एस सडगोपन	21.12.2011		03/07

3.5 बड़ी मूल्यवाली धोखाधडियों के लिए प्रबोधन संबंधी समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. हैं। समिति 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान 5 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1.	श्री एम.नरेंद्र	01.11.2010		05/05
2	श्री ए.के.बंसल	01.09.2010	31.05.2013	01/01
3	श्री ए डी एम चावली	28.12.2011		05/05
4	श्री अतुल अग्रवाल	27.09.2013		03/03
4	डॉ. आलोक पाण्डे	22.07.2011		05/05
5	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	03.12.2011		05/05
7	श्री अजित वसंत सरदेसाई	26.10.2012		05/05

C) Cases of One time settlement involving high value loans

D) High value accounts - to evaluate / re-evaluate the value and quality of security / collateral (both tangible and especially intangible) provided against the account.

The committee met 11 times during the year 2013-14 on 29.04.2013, 14.06.2013, 25.07.2013, 03.08.2013, 17.08.2013, 04.10.2013, 25.10.2013, 11.11.2013, 14.12.2013, 29.01.2014, and 25.02.2014.

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment.

The members who held office during the period 01.04.2013 to 31.03.2014 and the particulars of the number of meetings attended by them during the year are as under:

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held
			From	To	
1	Shri. A.K.Bansal	Member	01.09.2010	31.05.2013	01/01
2	Shri. A.D.M.Chavali	Member	28.12.2011		10/11
3	Shri. Atul Agarwal	Member	27.09.2013		06/06
4.	Dr. Alok Pande	Member	22.07.2011		10/11
5	Shri. S.V.Raghavan	Member	30.07.2010	12.03.2014	07/11
6	Shri. Nirmal Chand	Member	13.03.2014		-----
7	Shri. Niranjan Kumar Agarwal	Member/Chairman w.e.f 03.12.2011	01.11.2011	31.10.2014	11/11
8	Shri. A.V. Sardesai	Member	26.10.2012		10/11

3.4 Risk Management Committee:

The Chairman of the Committee is the CMD of the Bank. The Committee met 7 times during the period 01.04.2013 to 31.03.2014. Number of Meetings attended by each Member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri. M.Narendra,	01.11.2010		07/07
2	Shri. A.K.Bansal	01.09.2010	31.05.2013	01/01
3	Shri. A.D.M.Chavali	28.12.2011		07/07
4	Shri. Atul Agarwal	27.09.2013		03/04
5	Shri.A.V.Sardesai	21.12.2011		07/07
6	Prof.S.Sadagopan	21.12.2011		03/07

3.5 Committee For Monitoring Large Value Frauds:

The Chairman of the Committee is the CMD of the Bank. The Committee met 5 times during the period 01.04.2013 to 31.03.2014. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held
		From	To	
1.	Shri. M.Narendra	01.11.2010		05/05
2	Shri. A.K.Bansal	01.09.2010	31.05.2013	01/01
3	Shri. A.D.M.Chavali	28.12.2011		05/05
4	Shri. Atul Agarwal	27.09.2013		03/03
5	Dr. Alok Pande	22.07.2011		05/05
6	Shri. Niranjan Kumar Agarwal	03.12.2011		05/05
7	Shri. Ajit Vasant Sardesai	26.10.2012		05/05

3.6 ग्राहक सेवा समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. हैं। 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान समिति 4 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री एम.नरेंद्र	01.11.2010		04/04
2	श्री ए.के.बंसल	01.09.2010	31.05.2013	01/01
3	श्री ए डी एम चावली	28.12.2011		04/04
4	श्री अतुल अग्रवाल	27.09.2013		01/02
5	डॉ. आलोक पाण्डे	22.07.2011		03/04
6	श्री श्रीधर लाल लखोटिया	09.08.2010	08.08.2013	02/02
7	श्री जे डी शर्मा	02.05.2013		03/03
8	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	26.10.2012		03/04

3.7 अनुशासनिक मामलों की समीक्षा हेतु समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. है। 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान समिति 4 बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री एम.नरेंद्र	01.11.2010		04/04
2	श्री ए.के.बंसल	01.09.2010	31.05.2013	01/01
3	श्री ए डी एम चावली	28.12.2011		03/04
4	श्री अतुल अग्रवाल	27.09.2013		02/02
5	डॉ. आलोक पाण्डे	22.07.2011		04/04
6	श्री एस.वी.राघवन	30.07.2010	12.03.2014	03/04

3.8 पारिश्रमिक समिति

बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक (कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को छोड़कर) के बारे में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। बैंक के अन्य निदेशकों को केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक बैठक के शुल्क के अलावा बैंक द्वारा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) पत्र एफ.सं.16/65/2011-बीओ-1, दिनांक 29.05.2012 के अनुसार भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार बैंक के पूर्ण कालिक निदेशकों को सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पादन का मूल्यांकन एवं कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान करने की सिफारिश करने हेतु निदेशक मंडल की उप समिति- पारिश्रमिक समिति -गठित की गई है।

14.06.2013 तथा 03.08.2013 को दो बार मिलने वाली समिति के सदस्य निम्नवत हैं :

1. डॉ.आलोक पाण्डे
2. श्री एस.वी.राघवन
3. श्री अजित वसंत सरदेसाई
4. प्रो. एस. सडगोपन

समिति के सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया ।

3.9 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र संदर्भ डीबीओडी सं. बी सी सं.47 / 29.39.001 / 2007-08 दिनांक 01.11.2007 में दिनांक 16.10.2006 से प्रभावी बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 में हुए संशोधन के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करते समय “योग्य तथा उचित” हैसियत आदि निर्णय लेने के प्राधिकार, पद्धति / कार्यविधि तथा मांनदण्ड-के निर्धारण के लिए आवश्यक दिशानिर्देश दिए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब निदेश दिया है कि “योग्य तथा उचित” मानदण्ड को अब से चुने गए निदेशकों (शेयरधारक निदेशक) - दोनों वर्तमान तथा भविष्य में भी लागू किया जाए।

समिति का गठन उपयुक्त समय पर किया जाएगा जब भी शेयरधारक निदेशक हेतु पद खाली होगा।

3.6 Customer Service Committee:

The Chairman of the Committee is the CMD of the Bank. The Committee met 4 times during the period 01.04.2013 to 31.03.2014. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/ held
		From	To	
1	Shri. M.Narendra	01.11.2010		04/04
2	Shri. A.K.Bansal	01.09.2010	31.05.2013	01/01
3	Shri. A.D.M.Chavali	28.12.2011		04/04
4	Shri. Atul Agarwal	27.09.2013		01/02
5	Dr.Alok Pande	22.07.2011		03/04
6	Shri. Sridhar Lal Lakhotia	09.08.2010	08.08.2013	02/02
7	Shri. J.D.Sharma	02.05.2013		03/03
8	Shri. Niranjan Kumar Agarwal	26.10.2012		03/04

3.7 Committee For Review Of Disciplinary Cases:

The Chairman of the Committee is the CMD of the Bank. The Committee met 4 times during the period 01.04.2013 to 31.03.2014. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year :

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri. M. Narendra	01.11.2010		04/04
2	Shri. A.K.Bansal	01.09.2010	31.05.2013	01/01
3	Shri. A.D.M.Chavali	28.12.2011		03/04
4	Shri. Atul Agarwal	27.09.2013		02/02
5	Dr. Alok Pande	22.07.2011		04/04
6	Shri. S.V.Raghavan	30.07.2010	12.03.2014	03/04

3.8 REMUNERATION COMMITTEE:

Remuneration (excluding performance linked incentive) payable to the whole time directors is decided by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to other directors except sitting fees as per directives of Central Government.

A Remuneration Committee, a Sub-Committee of the Board of Directors, has been constituted for evaluating the performance in terms of government guidelines and to recommend payment of performance-linked incentives to the whole time directors of the Bank, in terms of Government of India, Ministry of Finance (Banking Division) letter F. No. 16/65/2011 – BO-I dated 29.05.2012.

The members of the Committee that met 2 times on 14.06.2013 and 03.08.2013 are :-

1. Dr. Alok Pande
2. Shri. S.V. Raghavan
3. Shri. Ajit Vasant Sardesai
4. Prof. S. Sadagopan.

All members of the Committee have attended the meeting.

3.9 NOMINATION COMMITTEE :

RBI, vide circular ref: DBOD. No. BC. No.47 / 29.39.001 / 2007-08 dated 01.11.2007, pursuant to the amendment in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 effective 16.10.2006, has issued necessary guidelines for determining the authority, manner/procedure and criteria for deciding the 'Fit and Proper' status etc., while appointing the Directors.

RBI has directed that the "Fit and Proper" criteria, as of now, be made applicable to the elected directors (Shareholder directors) – both present and future.

The Committee would be constituted at an appropriate time as and when a vacancy arise for shareholder director.

3.10 सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

श्री ए के बंसल, कार्यपालक निदेशक 31.05.2013 तक समिति के अध्यक्ष थे।

07.09.2013 से श्री ए डी एम चावली समिति के अध्यक्ष हैं। 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान समिति की बैठक तीन बार आयोजित की गयी। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य की बैठक में उपस्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1.	श्री ए.के.बंसल	30.05.2011	31.05.2013	01/01
2	श्री ए. डी एम चावली	28.12.2011		03/03
3	श्री अतुल अग्रवाल	27.09.2013		01/01
4	डॉ. आलोक पाण्डे	28.01.2012		03/03
5	प्रो. एस सडगोपन	28.01.2012		03/03

3.11 मानव संसाधन पर बोर्ड स्तरीय स्टियरिंग समिति

05.10.2013 तथा 25.02.2014 को समिति की बैठक दो बार आयोजित की गई। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य की बैठक में उपस्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री एम.नरेंद्र	21.12.2011		02/02
2	श्री ए डी एम चावली	28.12.2011		02/02
3	श्री अतुल अग्रवाल	27.09.2013		00/02
4	डॉ. आलोक पाण्डे	21.12.2011		02/02
5	श्री के आर राममूर्ति एचआर पेशेवर	21.12.2011		02/02
6	डॉ. टी.टी. राममोहन एचआर पेशेवर	21.12.2011		01/02

3.12 एनपीए वसूली की निगरानी हेतु बोर्ड स्तरीय समिति

01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान समिति की बैठक 7 बार आयोजित की गई। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य की बैठक में उपस्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री एम.नरेंद्र	08.12.2012		07/07
2	श्री ए.के.बंसल	08.12.2012	31.05.2013	01/01
3	श्री ए डी एम चावली	08.12.2012		06/07
4	श्री अतुल अग्रवाल	27.09.2013		04/06
5	डॉ. आलोक पाण्डे	08.12.2012		07/07
6	महाप्रबंधक (वसूली)	08.12.2012		07/07
7	महाप्रबंधक (उधार प्रबोधन)	08.12.2012		07/07
8	बैंक के वरिष्ठतम महाप्रबंधक	08.12.2012		07/07

3.13 अधिमानी आधार पर शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों की समिति

समिति का गठन अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयरों को भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम को आबंटित करने के लिए किया गया था और इसे शेयरों को अधिमानी आधार पर जारी करने , आबंटित करने के संबंध में (कीमत को निर्धारित करने सहित)आवश्यक व तात्कालिक उपाय करने के लिए अधिकार दिए गए थे ।

समिति का गठन बोर्ड द्वारा दिनांक 11.11.2013 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया ।

1. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
2. कार्यपालक निदेशकों में से कोई एक
3. श्री अजित वसंत सरदेसाई - शेयरधारक निदेशक तथा
4. श्री जे.डी.शर्मा - निदेशक

3.10 INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE

Shri. A.K. Bansal, Executive Director was the Chairman of the Committee upto 31.05.2013 .

From 07.09.2013, Shri. A.D.M. Chavali is the Chairman of the Committee. The Committee met 3 times during the period 01.04.2013 to 31.03.2014. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl.No.	Name of the Directors	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended/held
1	Shri. A.K.Bansal	30.05.2011	31.05.2013	01/01
2	Shri. A.D.M. Chavali	28.12.2011		03/03
3	Shri. Atul Agarwal	27.09.2013		01/01
4	Dr.Alok Pande	28.01.2012		03/03
5	Prof.S.Sadagopan	28.01.2012		03/03

3.11 BOARD LEVEL STEERING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCES

The Committee met 2 times on 05.10.2013 and 25.02.2014**.** Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri. M. Narendra	21.12.2011		02/02
2	Shri. A.D.M. Chavali	28.12.2011		02/02
3	Shri. Atul Agarwal	27.09.2013		00/02
4	Dr. Alok Pande	21.12.2011		02/02
5	Shri. K.R. Ramamoorthy HR Professional	21.12.2011		02/02
6	Dr. T.T. Ram Mohan HR Professional	21.12.2011		01/02

3.12 BOARD LEVEL COMMITTEE TO MONITOR RECOVERY IN NPA

The Committee met 7 times during the period 01.04.2013 to 31.03.2014. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri. M. Narendra	08.12.2012		07/07
2	Shri. A.K.Bansal	08.12.2012	31.05.2013	01/01
3	Shri. A.D.M. Chavali	08.12.2012		06/07
4	Shri. Atul Agarwal	27.09.2013		04/06
5	Dr. Alok Pande	08.12.2012		07/07
6	General Manager (Recovery)	08.12.2012		07/07
7	General Manager (Credit Monitoring)	08.12.2012		07/07
8	Senior most General Manager of the Bank	08.12.2012		07/07

3.13 COMMITTEE OF DIRECTORS FOR PREFERENTIAL ISSUE OF SHARES

The Committee was constituted for allotment of equity shares to the Government of India and LIC of India on a preferential basis and was authorized to take necessary and incidental steps (including fixing of price) in connection with the issue, allotment of shares on preferential basis.

The committee was constituted by the Board on 11.11.2013 with the following members.

1. Chairman and Managing Director
2. Any one of the Executive Directors
3. Shri. A.V. Sardesai – Shareholder Director and
4. Shri. J.D. Sharma – Director

समिति की बैठक वित्तीय वर्ष 2013 -14 के दौरान 3 बार दिनांक 18.11.2013, 18.12.2013 तथ 10.03.2014 को आयोजित की गयी। आबंटन की प्रक्रिया 18.12.2013 को भारत सरकार तथा 10.03.2014 को भारतीय जीवन बीमा निगम को शेयरों के आबंटन के साथ पूरी हुई।

4. शेयरधारकों की समितियाँ

ए.शेयरधारक शिकायत समिति

अप्रैल 2001 को गठित शेयरधारकों की शिकायत समिति का अंतिम बार पुनर्गठन निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दिनांक 21.09.2012 को किया।

अभी समिति के अध्यक्ष श्री ए.वी सरदेसाई हैं और अन्य सदस्य निदेशक मंडल द्वारा नामित दो निदेशक हैं । 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान समिति 4 बार 29.04.2013, 03.08.2013, 11.11.2013 तथा 26.02.2014 को मिली। सभी बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं। समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1.	श्री ए. वी सरदेसाई	08.11.2011		04/04
2	श्री ए.के.बंसल	01.09.2010	31.05.2013	01/01
3.	श्री ए.डी एम चावली **	28.12.2011		02/04
4	श्री अतुल अग्रवाल ***	18.10.2013		02/02
5.	प्रो. एस सडगोपन	21.09.2012		03/04

** श्री ए के बंसल, कार्यपालक निदेशक द्वारा शेयरधारकों की शिकायत समिति की बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर समिति के सदस्य के रूप में भाग लेने हेतु नियुक्त किया गया।

*** श्री ए डी एम चावली, कार्यपालक निदेशक द्वारा शेयरधारकों की शिकायत समिति की बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर 18.10.2013 से प्रभावी समिति के सदस्य के रूप में भाग लेने हेतु नियुक्त किया गया।

शेयरधारक शिकायत व उनके निवारण संबंधी प्रणाली आदि में रजिस्ट्रार के कार्यालय में अपनाई जानेवाली पद्धति का आवधिक अंतरालों में जाँच करने के लिए साचिविक लेखा परीक्षा करने के लिए शेयरधारक शिकायत समिति ने श्री वी. सुरेश, कार्यरत कंपनी सचिव की नियुक्ति की। समिति की प्रत्येक बैठक में उनकी तिमाही रिपोर्टों पर विचार किया गया है।

बी. शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, एक शेयरधारक निदेशक और मंडल द्वारा नामित एक निदेशक हैं। समिति शेयर अंतरण, ट्रांसमिशन, डूप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्रों को निर्गत करने, ट्रांसपोसिशन, डी मेट/ रीमेट आदि को संभालती है। समिति वर्ष के दौरान 22 बार मिली और बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गई।

वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री एम नरेंद्र	01.11.2010		01/01
2	श्री ए.के.बंसल *	01.09.2010	31.05.2013	06/06
3	श्री ए. डी. एम . चावली **	28.12.2011		14/14
4	श्री अतुल अग्रवाल***	27.09.2013		01/01
5	श्री ए वी सरदेसाई	08.12.2011		22/22
6	प्रो एस सडगोपन	26.03.2013		15/22

* अ. व. प्र. नि. द्वारा बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर शेयर अंतरण समिति की अध्यक्षता करने हेतु नियुक्त किया गया।

** अ. व. प्र. नि. या श्री ए के बंसल, कार्यपालक निदेशक द्वारा बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर शेयर अंतरण समिति की अध्यक्षता करने हेतु नियुक्त किया गया।

*** अ. व. प्र. नि. या श्री ए डी एम चावली, कार्यपालक निदेशक द्वारा बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर शेयर अंतरण समिति की अध्यक्षता करने हेतु नियुक्त किया गया।

शेयर अंतरण समिति में दो बाहरी शेयरधारक निदेशक शामिल होते हैं। सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुपालन में समय सीमा के कड़ाई से पालन हेतु एहतियाती कदम के रूप में हमारे बोर्ड ने 20.09.2013 को आयोजित अपनी बैठक में **कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण अनुमोदन समिति (एल्स्टैक)** का गठन किया जिसमें अध्यक्ष के रूप वरिष्ठतम मुख्य महाप्रबंधक या उनकी अनुपस्थिति में अगले वरिष्ठतम मुख्य महाप्रबंधक तथा सदस्यों के रूप में योजना, तुलन पत्र प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन विभाग के महाप्रबंधक तथा बैंक के कंपनी सचिव को शामिल किया गया।

The Committee met 3 times in the FY 2013-14 on 18.11.2013, 18.12.2013 and 10.03.2014. The process of allotment was completed with the allotment of shares to Government of India on 18.12.2013 and LIC of India on 10.03.2014. Fresh committee will be constituted by the Board as and when necessary.

4. SHAREHOLDERS' COMMITTEES:

(a) Shareholders' Grievance Committee:

The Shareholders' Grievance Committee, constituted in April 2001, was last reconstituted by the Board on 21.09.2012.

At present, the Chairman of the Committee is Shri. A.V. Sardesai and the other members are two directors nominated by the Board. The committee met 4 times during the period 01.04.2013 to 31.03.2014, on 29.04.2013, 03.08.2013, 11.11.2013 and 26.02.2014. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments. The number of meetings attended by each committee member during the year is as follows:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri. A.V.Sardesai	08.11.2011		04/04
2	Shri. A.K.Bansal	01.09.2010	31.05.2013	01/01
3	Shri. A.D.M.Chavali **	28.12.2011		02/04
4	Shri. Atul Agarwal ***	18.10.2013		02/02
5	Prof.S.Sadagopan	21.09.2012		03/04

** Appointed to attend meetings as a member of the Shareholders' Grievance Committee in the absence or inability of Shri. A.K.Bansal, ED to attend meetings.

*** Appointed to attend meetings as a member of the Shareholders' Grievance Committee with effect from 18.10.2013 in the absence or inability of Shri. A.D.M.Chavali, ED to attend meetings.

The Shareholders' Grievance Committee appointed a Practicing Company Secretary, Shri. V. Suresh, to undertake the Secretarial Audit in the office of the Registrar, at periodical intervals to verify the methodology followed by them involving Shareholders Grievances & Redressal system etc. The committee considers his quarterly reports at every meeting.

(b) Share Transfer Committee:

Share Transfer Committee consists of the Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director, one shareholder Director and one Director nominated by the Board. The committee deals with all matters connected with share transfers, transmission, issue of duplicate share certificates, transposition, demat / remat etc. The committee met 22 times during the year and all the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The number of meetings attended by each committee member during the year is as under:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri.M. Narendra	01.11.2010		01/01
2	Shri. A.K.Bansal *	01.09.2010	31.05.2013	06/06
3	Shri. A.D.M. Chavali **	28.12.2011		14/14
4	Shri. Atul Agarwal ***	27.09.2013		01/01
5	Shri. A.V.Sardesai	08.12.2011		22/22
6	Prof. S.Sadagopan	26.03.2013		15/22

*Appointed to act as Chairman of the Share Transfer Committee In the absence or inability of CMD to attend Meetings.

**Appointed to act as Chairman of the Share Transfer Committee In the absence or inability of CMD or Shri.A.K.Bansal, ED to attend Meetings.

***Appointed to act as Chairman of the Share Transfer Committee In the absence or inability of CMD or Shri.A.D.M.Chavali, ED to attend Meetings.

The Share Transfer Committee consists of two outstation shareholder directors. As a precautionary measure, to strictly adhere to the time line in compliance with SEBI ICDR Regulations, our Board at its meeting held on 20.09.2013 constituted an **Executive Level Share Transfer Approval Committee (ELSTAC)** with Senior most Chief General Manager (CGM) or in his absence the next senior most Chief General Manager as Chairman and General Managers from Planning, Balance Sheet Management, Risk Management Departments and Company Secretary of the Bank as members.

समिति को शेयरों को अस्वीकार करने की शक्ति के साथ उनके अंतरण एवं प्रेषण के अनुरोधों पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं। समिति के कार्यवृत्त को एसटीसी के समक्ष अभिपुष्टि / पुष्टि हेतु रखा गया। गठन से लेकर पिछले वर्ष के दौरान समिति की बैठक 15 बार आयोजित की गई तथा एलस्टैक की कार्रवाई एससीटी द्वारा अभिपुष्ट की जाती है।

शेयर अंतरण समिति ने एक सक्रिय कंपनी सचिव श्री वी सुरेश को रजिस्ट्रार के कार्यालय में सचिवालयी लेखा परीक्षण करने, उनके द्वारा शेयर अंतरण, प्रेषण, समेकन, पृथक्करण, प्रतिलिपि प्रमाण पत्र आदि जारी करने सहित अपनाई पद्धतियों के सत्यापन के लिए नियुक्त किया है। उनका कार्य 01.01.2005 को शुरू हुआ तथा उनकी पाक्षिक रिपोर्टों पर समिति की प्रत्येक बैठक में चर्चा की जाती है। अंतरण का कोई भी अनुरोध एक माह से अधिक के लिए लंबित नहीं रखा जाता।

सी. अनुपालन अधिकारी :

सेबी, स्टॉक एकस्चेंज आदि के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए , सूची करार के उपबंध 47 के अनुसार सुश्री दीपा चेल्लम समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी हैं ।

डी. शेयरधारकों की शिकायतें:

वर्ष के दौरान प्राप्त व दूर की गई तथा लंबित शिकायतों की संख्या

क्रम सं..	शिकायत की प्रकृति	31.03.2013 तक लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निपटाई गई	31.03.2014 तक लंबित
01	वापसी आदेश और शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त न होना	शून्य	3	3	शून्य
02	लाभांश प्राप्त न होना	शून्य	309	309	शून्य
03	सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों और ग्राहक शिकायत निवारण फोरम/ कोर्ट की शिकायतें	शून्य	51	50	1
04	विविध (पते में परिवर्तन , बैंक अधिदेश, डीमैट अनुरोध आदि से संबंधित शिकायतें)	शून्य	11	11	शून्य
	कुल	शून्य	374	373	1*

* एनएसई की एक लंबित शिकायत का निपटान 04.04.2014 को कर लिया गया।

सूचीबद्ध करार के खण्ड 47(एफ) के अनुसार हमने शेयरधारकों को सूचित किया है कि अन्य ई मेल आइ डी **investorcomp@iobnet.co.in** दी गई है और सुश्री दीपा चेल्लम, कंपनी सचिव को निवेशकों द्वारा शिकायतों को दर्ज करने और निवारण करने के लिए विशेष रूप से अनुपालन अधिकारी के रूप मे भी नामित किया गया है । हमने यह ई मेल आई डी और अन्य संबंधित ब्यौरे प्रमुखता से अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए हैं। सहायक महा प्रबंधक जो निवेशक संपर्क कक्ष के प्रमुख हैं निवेशक संबंधी शिकायतों का निवारण करते हैं।

5. अन्य समितियां:

विभिन्न अन्य समितियां जैसे आस्ति देयता प्रबंधन समिति , निवेश पुनरीक्षण समिति , उच्च प्रबंधन समिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कार्यपालक निदेशक महाप्रबंधकों के साथ विभाग कार्यपालक शामिल हैं , जिसे दैनिक कार्यों तथा कारोबार के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा निगरानी तथा प्रबोधन करने के लिए गठित किया गया है।

6. सामान्य सभा की बैठक:

ए. स्थान व समय जहॉं पिछली तीन बैठकें आयोजित की गई :

क्रम सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
1	11वीं एजीएम	12.07.2011मंगलवार 10.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
2	12वीं एजीएम	29.06.2012 शुक्रवार 10.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
3	13वीं एजीएम	28.06.2013 शुक्रवार 10.00 बजे	रानी सीतै हॉल, 603, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006

बी. 12वीं व 13 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदनार्थ योग्यता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट(क्यू आइ पी), राईट्स ईश्यू , अधिमानी आधार पर आबंटन और अनुवर्तन पब्लिक ऑफर या अधिमानी शेयरों (संचयी / गैर संचयी) के ज़रिए ईक्विटी शेयरों को जारी कर पूँजी जुटाने के लिए विशेष संकल्प प्रस्तुत किए गए।

सी. कोई डाक मतदान नहीं था ।

The committee is also delegated with powers to consider and approve the share transfer and transmission requests including the power to reject them. The minutes of the committee are placed to STC for ratification / confirmation. Since inception, the committee met 15 times during last year and the actions of ELSTAC committee are ratified by STC.

The Share Transfer Committee appointed a Practicing Company Secretary, Shri V. Suresh, to undertake the Secretarial Audit in the office of the Registrar, to verify the methodology followed by them involving share transfer, transmission, consolidation, split, issue of duplicate certificates etc., His assignment commenced on 01.01.2005 and his fortnightly reports are considered at every meeting of the Committee. No request for transfer is pending for more than one month.

(c) Compliance Officer:

In terms of clause 47 of the listing agreement, Ms.Deepa Chellam is the Company Secretary and the Compliance Officer during the period under review for the purpose of complying with the various provisions of SEBI, Stock Exchanges etc.

(d) Shareholders Complaints:

Number of complaints received, resolved and pending during the year:

S. No.	Nature of Complaint	Pending as on 31.03.2013	Received during the year	Redressed during the year	Pending as on 31.03.2014
1	Non receipt of refund order and Share certificates	Nil	3	3	Nil
2	Non receipt of Dividend	Nil	309	309	Nil
3	Complaints to SEBI / Stock Exchanges and Consumer Redressal Forum /Court	Nil	51	50	1
4	Miscellaneous (complaints reg. change of address, bank mandate, demat requests etc.)	Nil	11	11	Nil
	Total	Nil	374	373	1*

*Pending one complaint of NSE is resolved subsequently on 04.04.2014.

In terms of clause 47(f) of the listing agreement we have advised the shareholders that an exclusive e-mail ID - **investorcomp@iobnet.co.in** has been allotted and Ms. Deepa Chellam, Company Secretary is the Compliance Officer for the purpose of registering and redressal of complaints by investors. We have displayed this email ID and other relevant details prominently on our website. The Investor Relations Cell headed by an Assistant General Manager who is also a qualified Company Secretary handles the redressal of investor complaints.

5. Other Committees:

There are various other committees such as Asset Liability Management Committee, Investment Review Committee, and Top Management Committee comprising CMD, ED and GMs along with Department executives, which have been constituted for the day to day functioning, review and monitoring of various aspects of business.

6. GENERAL BODY MEETING:

a. Location and time where last three General Body Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	11th AGM	12.07.2011, Tuesday, 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
2	12th AGM	29.06.2012, Friday, 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
3	13th AGM	28.06.2013, Friday, 10.00 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006

b. In the 12th and 13th AGMs, special resolutions were put through to get the shareholders approval to raise capital by way of issue of equity shares through Qualified Institutional Placement (QIP), Rights Issue, Preferential allotment or Follow-on Public Offer or preference shares (cumulative / non cumulative).

c. There was no postal ballot exercise.

डी. स्थान व समय जहाँ असाधारण सामान्य बैठकें आयोजित हुईं :

क्रम सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
01	ईजीएम	07.12.2002 शनिवार 11.00 बजे, सुबह	राणी सीतै हॉल 603, अण्णा सालै , चेन्नै - 600 006
02	ईजीएम	30.11.2005 बुधवार 11.00 बजे , सुबह	राणी सीतै हॉल 603, अण्णा सालै , चेन्नै - 600 006
03	ईजीएम	25.11.2008 मंगलवार 11.00 बजे, सुबह	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
04	ईजीएम	22.03.2011 मंगलवार 11.00 बजे, सुबह	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
05	ईजीएम	21.03.2012 बुधवार 10.30 बजे , सुबह	कामराज मेमोरियल हाल , न्यू नं 492 , अण्णा सालै , चेन्नै , 600006
06	ईजीएम	18.03.2013 सोमवार 10.00 बजे , सुबह	राणी सीतै हॉल 603, अण्णा सालै , चेन्नै - 600 006
07	ईजीएम	16.12.2013 सोमवार 10.00 बजे सुबह	होटल एंबेसेडर पल्लवा, 30, मॉन्टियथ रोड, एग्मोर, चेन्नै - 600 008.
08	ईजीएम	26.02.2014 बुधवार सुबह 10.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018

शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए प्रथम तीन ई जी एम बैठकों का आयोजन किया गया। अगली पाँच ई जी एम बैठकों का आयोजन अधिमानी आधार पर भारत सरकार और एल आइ सी व उसकी विभिन्न योजनाओं को ईक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किया गया ।

7. प्रकटीकरण

ए. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक व कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक केन्द्र सरकार द्वारा नियत किया जाता है। वर्ष 203-14 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण निम्नवत हैं :

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक का विवरण	रकम (रु.)
1.	श्री एम. नरेन्द्र	अ व प्र नि	01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान वेतन व भत्ते पी एफ, पुरस्कार व प्रोत्साहन	27,28,800.00
2.	श्री ए. के. बंसल	का नि (31.05.2013 को सेवानिवृत्त)	01.04.2013 से 31.08.2013 की अवधि के दौरान वेतन व भत्ते पी एफ , पुरस्कार व प्रोत्साहन	07,08,103.00
3.	श्री ए डी एम चावली	का नि	01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान वेतन व भत्ते पी एफ, पुरस्कार व प्रोत्साहन	22,49,691.00
4.	श्री अतुल अग्रवाल	का नि	27.09.2013 से 31.03.2014 की अवधि के लिए वेतन व भत्ते पी एफ, प्रोत्साहन	9,67,823.00

ए. बैंक स्वतंत्र निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं देता , भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल प्रतिभागिता शुल्क दिया जाता है यथा बोर्ड की बैंठकों के लिए प्रति बैठक रु. 10,000/- और समिति की बैठकों के लिए प्रति बैठक रु. 5000/- दिया जाता है ।

बी. प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों यानी पूर्णकालिक निदेशक से संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रकटन की अर्द्धवार्षिक आधार पर समीक्षा मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है ।

सी. बैंक के निदेशकों , प्रबंधन उनकी अनुषंगी इकाइयों या संबंधियों आदि के साथ बैंक के ऐसे कोई महत्वपूर्ण पार्टी लेनदेन नहीं हैं जिनसे बैंक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

डी. स्टाक एक्सचेंजों /सेबी / किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा 31.03.2014 को समाप्त पिछले तीन वर्षो के दौरान पूंजी बाजार संबंधी किसी भी विषय पर बैंक पर न तो दण्ड लगाया गया और न ही आलोचना की गई है ।

ई. वर्तमान में बैंक की चेतावनी नीति है ।

एफ. बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी सांविधिक / दिशानिर्देशों / निदेशों में दी गई सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन किया है ।

जी. गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं को संबंधित मदों के सामने रिपोर्ट में दिए अनुसार अपनाया गया है।

एच. बैंक के निदेशक मंडल को सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के तहत सीइओ तथा सीएफओ का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है और इस रिपोर्ट में एक प्रति संलग्न है।

d. Location and time where Extra Ordinary General Body Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	EGM	07.12.2002 Saturday 11.00 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
2	EGM	30.11.2005 Wednesday 11.00 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
3	EGM	25.11.2008 Tuesday 11.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
4	EGM	22.03.2011 Tuesday 11.00 AM	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
5	EGM	21.03.2012 Wednesday 10.30A.M	Kamaraj Memorial Hall, New No. 492, Anna Salai, Chennai – 600 006
6	EGM	18.03.2013 Monday 10.00 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
7	EGM	16.12.2013 Monday 10.00 A.M.	Hotel Ambassador Pallava, 30, Montieth Road, Egmore, Chennai – 600 008
8	EGM	26.02.2014 Wednesday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018

First three EGM meetings were held for election of shareholder director. The next five EGM meetings were held for obtaining shareholders approval for issue of equity shares to Government of India and LIC and its various schemes on preferential basis.

7. DISCLOSURES:

a. The remuneration of the Chairman & Managing Director and the Executive Directors is fixed by the Central Government. Details of remuneration paid to Whole Time Directors during the financial year 2013-14 are as follows :

Sl. No.	Name	Designation	Details of Remuneration	Amount (₹.)
1	Shri. M. Narendra	CMD	Salary & Allowances ,PF, Perquisites and Incentives Paid during the Period 01.04.2013 to 31.03.2014	27,28,800.00
2	Shri. A. K. Bansal	ED (Retired on 31.05.2013)	Salary & Allowances, PF, Perquisites and Incentives Paid during the Period 01.04.2013 to 31.08.2013	7,08,103.00
3	Shri. A.D.M.Chavali	ED	Salary & Allowances, PF, Perquisites and Incentives Paid during the Period 01.04.2013 to 31.03.2014	22,49,691.00
4	Shri. Atul Agarwal	ED	Salary & Allowances, PF, Perquisites and Incentives Paid during the Period 27.09.2013 to 31.03.2014	9,67,823.00

a. The Bank does not pay any remuneration to the Independent Directors excepting sitting fees as per the Govt. of India guidelines, for Board Meetings – ₹. 10000/- per meeting and for Committee Meetings – ₹. 5000/- per meeting.

b. Disclosures as to Related Party Transactions of Key Managerial Personnel i.e. Whole Time Directors are being reviewed on a half yearly basis by the Audit Committee of the Board.

c. There are no significant related party transactions of the Bank with its subsidiaries, directors, management or their relatives etc that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.

d. No penalties were imposed or strictures passed on us by Stock Exchanges/SEBI /any statutory authority on any matter related to capital markets during the last three years ended 31.03.2014.

e. Presently the Bank has a Whistle Blower Policy.

f. The Bank has complied with all the mandatory requirements to the extent provided for in the statutes/guidelines/directives issued from time to time by the RBI/Government of India to the nationalized banks.

g. The Non Mandatory requirements have been adopted as stated in this report against the relevant items.

h. The Certificate of CEO and CFO under clause 49 of the listing agreement has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this report.

आई. सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार वर्ष 2013-14 के लिए बैंक में कारपोरेट गवर्नेंस पर सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

8. संप्रेषण के माध्यम

ए. बैंक के तिमाही अलेखा वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और इसे नियत समय के अन्दर उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया जाता है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं । बैंक छमाही/ वार्षिक परिणाम हरित पहल के तहत ईमेल के द्वारा उन शेयरधारकों को भेजता रहा है जिनका ई मेल पता बैंक के पास उपलब्ध है तथा अन्य को हार्ड प्रति के जरिए भेजा जाता है ।

बी. सूचीबद्ध करार के खण्ड 41 के मुताबिक तिमाही वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और क्षेत्रीय स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए गये हैं तथा प्रकाशन करने की तारीख व विवरण निम्नानुसार हैं :

समाप्त तिमाही	अंग्रेजी दैनिक	क्षेत्रीय दैनिक	प्रकाशन की तिथि
31.03.2013	द हिंदु - बिजनेस लाइन	दिनामणि (तमिल)	30.04.2013
30.06.2013	द हिंदु - बिजनेस लाइन	दिनामणि (तमिल)	27.07.2013
30.09.2013	द हिंदु - बिजनेस लाइन	दिनामणि (तमिल)	27.10.2013
31.12. 2013	द हिंदु - बिजनेस लाइन	दिनामणि (तमिल)	31.01.2014

सी. तिमाही परिणाम बैंक के वेबसाइट **www.iob.co.in** में **शेयरधारकों को सूचना के तहत** भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

9. सामान्य शेयरधारक सूचना

ए. एजीएमः तारीख, समय और स्थानः

दिनांक	27.06.2014
समय	10.00 बजे, सुबह
स्थान	रानी सीतै हाल ,603,अण्णा सालै, चेन्नै,600006

बी. वित्तीय वर्षः 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014

सी. बही बंद करने की तारीखः लाभांश के प्रयोजन हेतु पात्रता निर्धारित करने के लिए 21.06. 2014 से 27.06.2014(दोनों दिन शामिल हैं)

डी. लाभांश भुगतान तारीखः 16.07.2014 को या उसके बाद शेयरधारकों द्वारा लाभांश की घोषणा की शर्त पर

ई. अदत्त लाभांश :

16 10 2006 से प्रभावी बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) तथा वित्तीय संस्थाएँ विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 में 10 (बी) नामक एक नई धारा जोड़ दी गई है जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान है:

- घोषणा की तारीख से 30 दिनों के बाद 7 दिनों के अंदर, यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश का नकदीकरण / दावा नहीं किया हो, ऐसी रकम जो बैंक के चालू खाते में पड़ी है, उसे ....वर्ष के लिए आइ ओ बी के अदत्त लाभांश खाते नामक अलग खाते में अंतरित किया जाना है।
- अदत्त लाभांश खाते को अंतरित कोई भी रकम जो इस प्रकार के अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त या अदावी पड़ी हैं, तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 के 205(1) (सी) के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि को अंतरित कर देना है।

तद्नुसार पिछले वर्षों के अदत्त लाभांशों को आइओबी के अदत्त लाभांश खातों को अंतरित कर दिया गया हैं और अत: इस प्रकार की अंतरण राशि को जो अंतरण की तारीख से सात साल की अवधि तक अदत्त या अदावी हैं, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा :

लाभांश वर्ष	अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख
2000-01	08.12.2006
2001-02	05.12.2006
2002-03	05.12.2006
2003-04 (आइ)	04.12.2006
2003-04 (एफ)	04.12.2006
2004-05 (आइ)	09.12.2006
2004-05 (एफ)	05.12.2006

लाभांश वर्ष	अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख
2005-06	04.12.2006
2006-07	13.07.2007
2007-08	19.07.2008
2008-09	11.08.2009
2009-10	26.10.2010
2010-11	02.09.2011
2011-12	16.10.2012
2012-13	01.08.2013

i. In terms of clause 49 of the listing agreement, a certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on corporate governance in the Bank for the year 2013-14 and the same is annexed to this report.

8. MEANS OF COMMUNICATION:

a. The quarterly un-audited financial results of the Bank are approved by the Board of Directors and the same are submitted within the stipulated period to all the stock exchanges where the Bank's shares are listed. The Bank has been sending half yearly / annual results, under Green Initiative, by email to those shareholders whose e mail addresses are available with the bank and for others by hard copy.

b. The quarterly financial results are published in a national daily and a regional vernacular daily in terms of Clause 41 of the listing agreement. The details and dates of publication are as under:

Quarter ended	English Daily	Regional Daily	Date of publication
31.03.2013	The Hindu – Business Line	Dinamani (Tamil)	30.04.2013
30.06.2013	The Hindu – Business Line	Dinamani (Tamil)	27.07.2013
30.09.2013	The Hindu – Business Line	Dinamani (Tamil)	27.10.2013
31.12. 2013	The Hindu – Business Line	Dinamani (Tamil)	31.01.2014

c. The quarterly results and annual results are also being displayed on the Bank's web-site **www.iob.co.in. under shareholder information.**

9. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION:

a) AGM: Date, Time and Venue:-

Date	27.06.2014
Time	10.00 A.M.
Venue	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006

b) Financial Year : 01st April 2013 to 31st March 2014.

c) Date of Book Closure : 21.06.2014 to 27.06.2014 (Both days inclusive) for determining eligibility for the purpose of dividend.

d) Dividend Payment Date : On or after 16.07.2014 subject to declaration of dividend by shareholders.

e) Unpaid Dividend:-

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 which has come into force on 16.10.2006, has inserted a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 which provides as under:

- Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed / claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend Account of IOB for the year _____".
- Any money transferred to the Unpaid Dividend account which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund established under Sec 205(1)(C) of the Companies Act 1956.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend Account/s of IOB as follows and hence such monies, which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, and thereafter shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund:

Dividend for	Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c
2000-01	08.12.2006
2001-02	05.12.2006
2002-03	05.12.2006
2003-04 (I)	04.12.2006
2003-04 (F)	04.12.2006
2004-05 (I)	09.12.2006
2004-05 (F)	05.12.2006

Dividend for	Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c
2005-06	04.12.2006
2006-07	13.07.2007
2007-08	19.07.2008
2008-09	11.08.2009
2009-10	26.10.2010
2010-11	02.09.2011
2011-12	16.10.2012
2012-13	01.08.2013

अत: 2006 तक घोषित लाभांश 15.10.2013 तक अथवा उससे पहले निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि के लाभांश को अंतरित किया जाना है। चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम के दायरे में नहीं है, वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार हमने कॉर्पोरेट मामलात मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को राशि के अंतरण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की जानकारी और अपना मार्गदर्शन दें। 27.03.2014 को कार्पोरेट मामलात मंत्रालय द्वारा एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की गई जिसमें 31.03.2014 से प्रभावी निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि के (जागरूकता एवं निवेशकों का संरक्षण) संशोधन नियम 2014 के रूप में आईईपीएम नियमों का संशोधन किया गया, जिससे बैंक कंपनी की परिभाषा के दायरे में आ गया, लेकिन फिर भी, सीआईएन संख्या के अभाव में विप्रेषण की प्रक्रिया की सूचना एमसीए ने अब तक नहीं दी है। हमने इस संदर्भ में आवश्यक मार्गदर्शन जारी करने के लिए सरकार से भी संपर्क किया है।

एफ. बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूची बद्ध किए गए हैं:

स्टाक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
बांबे स्टॉक एक्सचेंज लि.	532388
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. .	आइओबी ईक्यू एई बीई बीटी

स्टाक एक्सचेंजों को वर्ष 2013-14 के लिए सूचीबद्ध करने हेतु वार्षिक शुल्क निर्धारित देय तारीखों के अंदर दिया गया है।

प्राधिकृत पूँजी

वर्तमान में बैंक का प्राधिकृत पूँजी रु. 3000 करोड़ है ।

प्रदत्त पूँजी में बढ़ोतरी

बैंक ने अधिमानी आधार पर भारत सरकार को रु.1199,99,99,973.45 (रुपये ग्यारह सौ निन्यानबे करोड़ निन्यानबे लाख निन्यानबे हजार नौ सौ तिहत्तर और पैंतालिस पैसे मात्र) के समेकित मूल्य के रु.52.23 प्रति ईक्विटी शेयर (रु.42.23 प्रति ईक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) की दर पर 22,97,53,015 ईक्विटी शेयर और भारतीय जीवन बीमा निगम को रु.398,04,60,000 (रुपये तीन सौ अठानबे करोड़ चार लाख साठ हजार मात्र) के समेकित मूल्य के रु.48.84 प्रति ईक्विटी शेयर (रु.38.84 प्रति ईक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) की दर पर 8,15,00,000 ईक्विटी शेयर जारी किए है जिनका प्रत्यक्ष मूल्य प्रति शेयर रु.10 है। अत: बैंक की प्रदत्त पूँजी रु.924.10 करोड़ से बढ़ कर रु.1235.35 करोड़ हो गयी है और बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता 31.03.2013 अपने 73.80% के धारिता स्तर को बनाए रखते हुए रु.681.96 करोड़ (73.80%) से बढ कर रु. 911.71 करोड़ (73.80%) हो गयी है।

जी. बाजार मूल्य के आँकडे

अवधि -माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज		बांबे स्टॉक एक्सचेंज	
	उच्च(रु)	निम्न (रु)	उच्च(रु)	निम्न (रु)
अप्रैल 2013	**69.45**	62.20	**69.50**	61.70
मई 2013	65.80	58.80	65.65	58.60
जून 2013	61.40	47.00	61.60	47.15
जुलाई 2013	51.80	40.40	51.80	40.60
अगस्त 2013	43.20	**37.00**	43.20	**37.15**
सितंबर 2013	49.50	38.05	49.45	38.20
अक्तूबर 2013	51.65	44.15	51.50	44.10
नवंबर 2013	57.45	49.85	57.45	49.90
दिसंबर 2013	54.20	46.85	54.00	46.80
जनवरी 2014	53.95	42.10	54.00	42.15
फरवरी 2014	47.20	43.00	47.25	43.00
मार्च 2014	53.40	44.70	53.00	44.60

2013-14 के दौरान संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के शेयरों का उच्च / निम्न कीमतों के आँकडे बड़े अक्षरों में दिए गए हैं ।

Hence Dividend declared up to 2006 were to be transferred to Investors Education and Protection Fund on or before 15.10.2013. As Banks are not covered under Companies Act, as per the direction of Ministry of Finance, we have taken up with the Ministry of Corporate Affairs seeking their guidance and the procedure to be adopted for transferring the amount to Investor's Education and Protection Fund (IEPF). A Gazette Notification has been issued by Ministry of Corporate Affairs on 27.03.2014 amending the IEPF rules called as Investor Education and Protection Fund (awareness and protection of investors) Amendment Rules, 2014, with effect from 31.03.2014, bringing the Banks under the ambit of definition of Company, but however MCA are yet to advice the procedure for remittance in the absence of CIN numbers. We also have taken up with the Government for the issuance of necessary guidance in this regard.

f. The Bank's shares are listed on the following stock exchanges:

Name of the Stock Exchange	Stock Code
BSE Ltd.	532388
National Stock Exchange of India Ltd.	IOB EQ AE BE BT

Annual listing fee for the year 2013-14 has been paid to the stock exchanges within the prescribed due dates.

Authorised Capital:

At present, the Authorized Capital of the Bank is ₹. 3000 crore.

Increase in Paid-up Capital:

The Bank has issued 22,97,53,015 Equity Shares, of face value ₹. 10/- each, at the rate of ₹. 52.23 per equity share (including premium of ₹. 42.23 per equity share) aggregating to ₹. 1199,99,99,973.45 (Rupees one thousand one Hundred and ninety nine crore ninety nine lac ninety nine thousand nine hundred and seventy three and paise forty five only) to Government of India on Preferential Basis and 8,15,00,000 Equity shares, of face value ₹. 10/- each, at the rate of ₹. 48.84 per equity share (including premium of ₹. 38.84 per equity share) aggregating to ₹. 398,04,60,000 (Rupees three hundred and ninety eight crore four lac sixty thousand only) to LIC of India on Preferential Basis. Hence, the Paid-up Capital of the bank has increased from ₹. 924.10 crore to ₹. 1235.35 crore and Government of India's shareholding has increased from ₹. 681.96 crore (73.80%) to ₹. 911.71 crore (73.80%), retaining their holding level at 73.80% as on 31.03.2014.

g) Market Price Data:-

Period - Month	National Stock Exchange		Bombay Stock Exchange	
	High (Rs)	Low (Rs)	High (Rs)	Low (Rs)
Apr 2013	**69.45**	62.20	**69.50**	61.70
May 2013	65.80	58.80	65.65	58.60
Jun 2013	61.40	47.00	61.60	47.15
Jul 2013	51.80	40.40	51.80	40.60
Aug 2013	43.20	**37.00**	43.20	**37.15**
Sep 2013	49.50	38.05	49.45	38.20
Oct 2013	51.65	44.15	51.50	44.10
Nov 2013	57.45	49.85	57.45	49.90
Dec 2013	54.20	46.85	54.00	46.80
Jan 2014	53.95	42.10	54.00	42.15
Feb 2014	47.20	43.00	47.25	43.00
Mar 2014	53.40	44.70	53.00	44.60

Figures in bold represent the high / low price of the Bank's shares during the year 2013-14 on the respective Stock Exchanges.

एच. 01-04-2013 से 31-03-2014 के दौरान बीएसई सेंसेक्स की तुलना में ईक्विटी निष्पादन

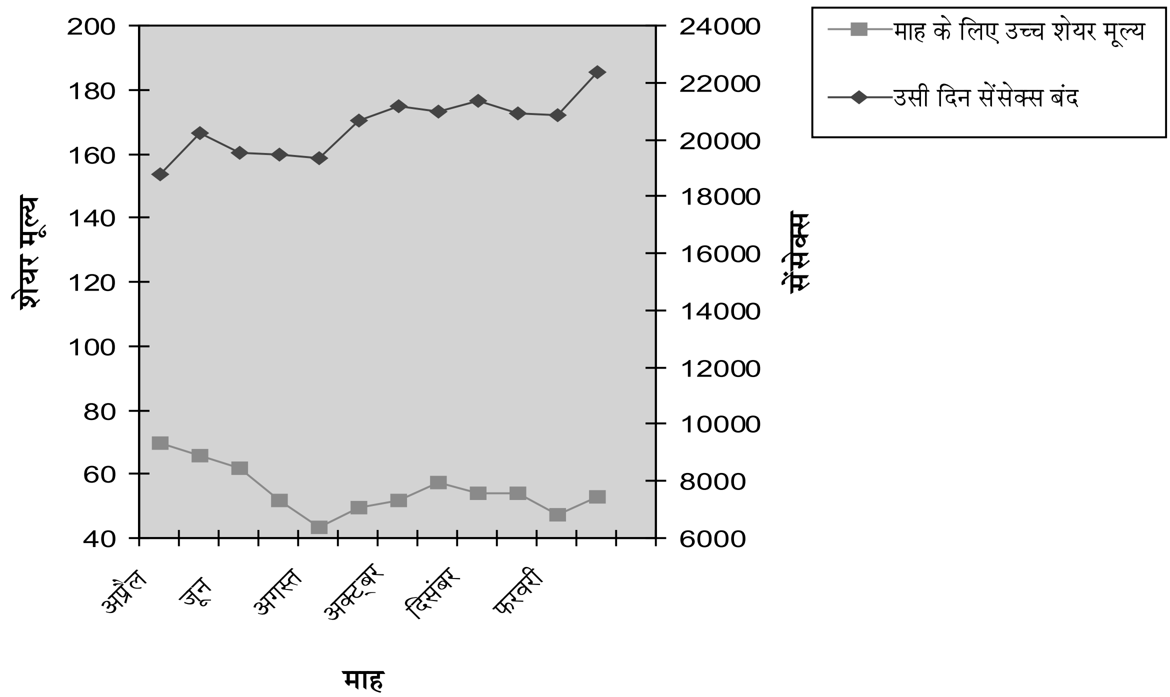

01-04-2013 से 31-03-2014 के दौरान एनएसई निफ्टी की तुलना में ईक्विटी निष्पादन

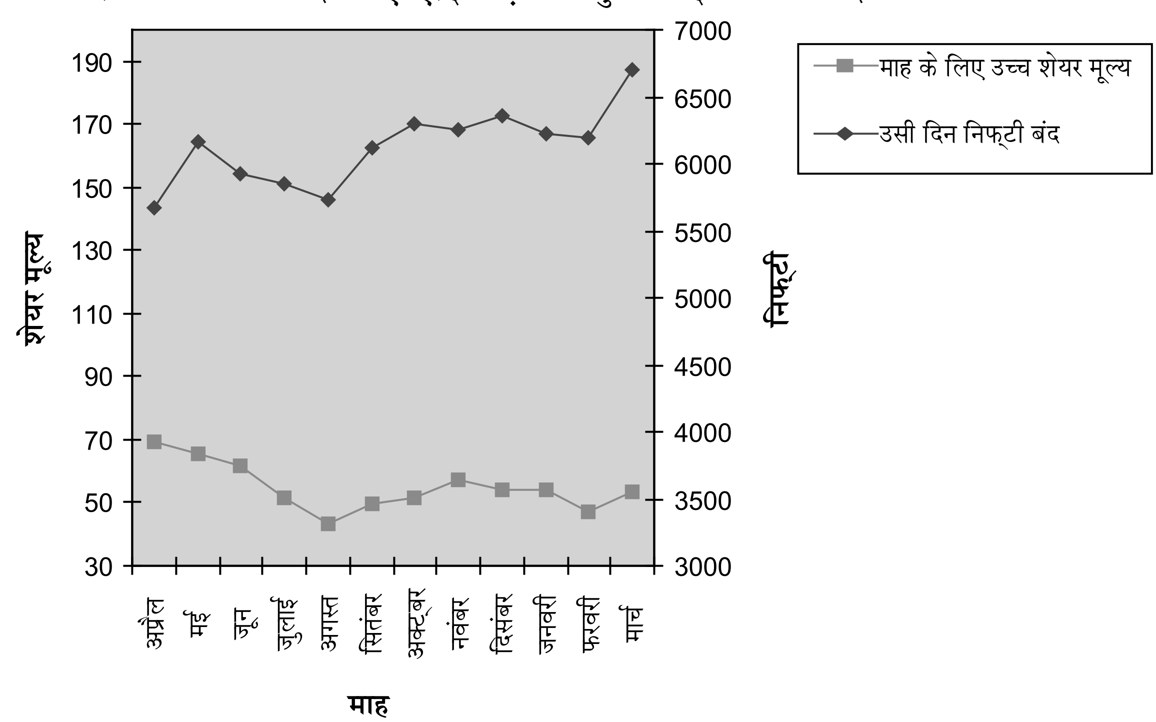

आई. रजिस्ट्रार और अंतरण एजेण्ट:

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि.

(यूनिट - आइ ओ बी) सुब्रमणियन बिल्डिंग, पहली मंज़िल

न.1, क्लब हाउस रोड चेन्नइ - 600 002

टेलिफोन - 044-28460395, 28460084, फैक्स- 28460129

ई.मेल : cameo@cameoindia.com

h). Equity performance in comparison to BSE Sensex during 01.04.2013 to 31.03.2014

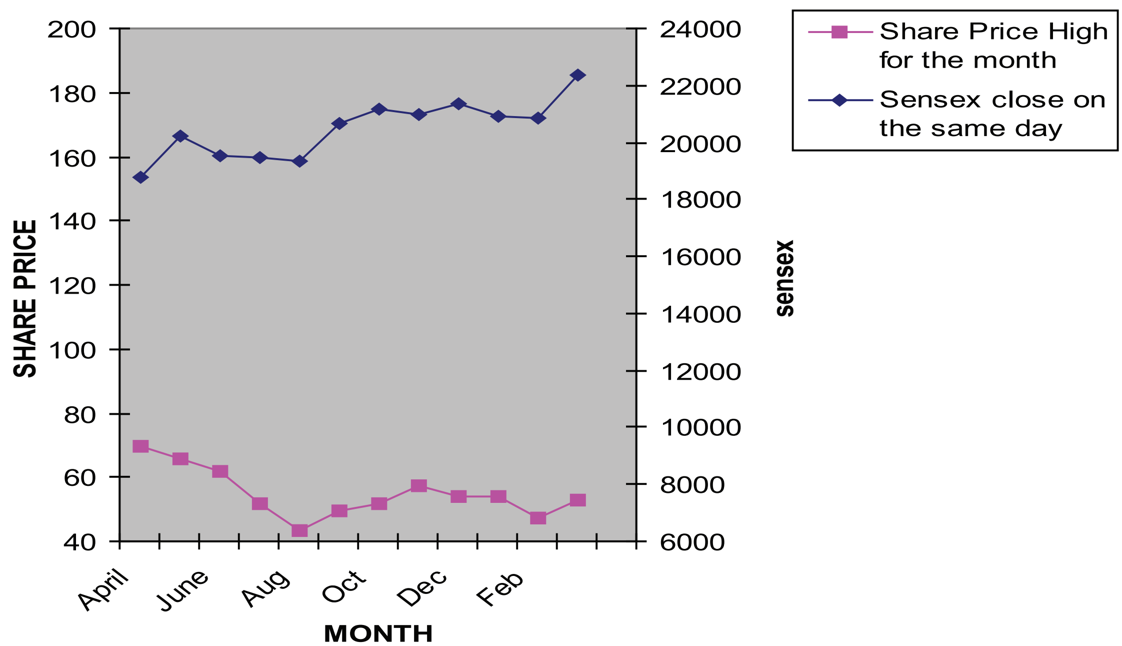

Equity performance in comparison to NSE Nifty during 01.04.2013 to 31.03.2014

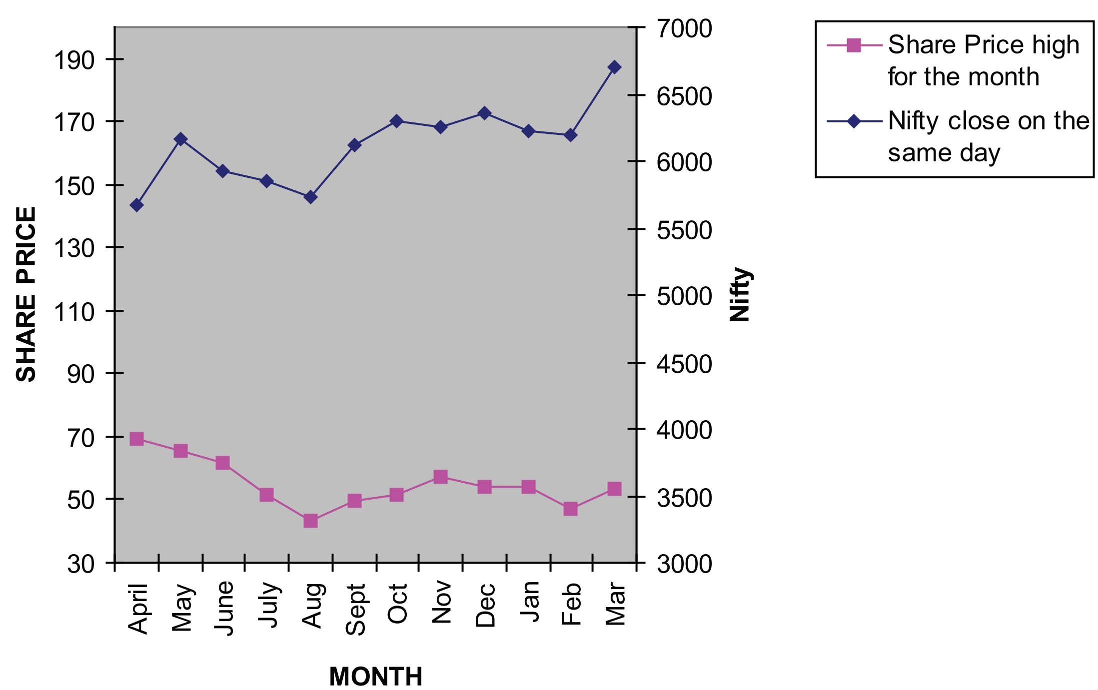

i. Registrar & Transfer agent:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.

(Unit-IOB) Subramanian Building, I Floor

No.1 Club House Road

Chennai-600 002

Tel: 044-28460395; 28460084 Fax: 28460129

e-mail:cameo@cameoindia.com

जे. शेयर अंतरण प्रणाली:

अंतरण, प्रेषण, स्थानांतरण, डूप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करना, विभाजन, समेकन, रीमेट, नाम परिवर्तन आदि के लिए शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने के लिए हमारे बैंक में बोर्ड की एक उप समिति है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी गैर हाज़िरी में कार्यपालक निदेशक समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति के अन्य सदस्य शेयरधारक निदेशक (श्री ए वी सरदेसाई) और अन्य शेयरधारक निदेशक (प्रो. एस सडगोपन) हैं।

शेयर अंतरण समिति में दो बाहरी शेयरधारक निदेशक शामिल होते हैं इसलिए सेबी के निर्देशों के अनुपालन में समय सीमा के कड़ाई से पालन हेतु एहतियाती कदम के रूप में हमारे बोर्ड ने 20.09.2013 को आयोजित अपनी बैठक में **कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण अनुमोदन समिति (एलस्टैक)** का गठन किया जिसमें अध्यक्ष के रूप वरिष्ठतम मुख्य महाप्रबंधक या उनकी अनुपस्थिति में अगले वरिष्ठतम मुख्य महाप्रबंधक तथा सदस्यों के रूप में योजना, तुलन पत्र प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन विभाग के महाप्रबंधक तथा बैंक के कंपनी सचिव को शामिल किया गया।

समिति को शेयरों को अस्वीकार करने की शक्ति के साथ उनके अंतरण एवं प्रेषण के अनुरोधों पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं। समिति के कार्यवृत्त को एसटीसी के समक्ष अभिपुष्टि / पुष्टि हेतु रखा गया। गठन से लेकर पिछले वर्ष के दौरान समिति की बैठक 15 बार आयोजित की गई तथा एलस्टैक की कार्रवाई एससीटी द्वारा अभिपुष्ट की जाती है।

के. 31.03.2014 तक शेयरधारण का वितरण

श्क्रम. संख्या	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
	प्रवर्तकों की धारिता		
1.	भारत सरकार	9117100848	73.80
	उप योग	**9117100848**	**73.80**
	गैर-प्रवर्तक का धारण		
2.	**संस्थागत निवेशक**		
क.	म्यूचुअल फण्डस, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया	225104	0.02
ख.	बैंक व वित्तीय संस्थाएँ	183247419	14.83
ग.	बीमा कंपनियाँ	5281678	0.43
घ.	विदेशी संस्थागत निवेशक	22925053	1.86
ड़	विदेशी कार्पोरेट निकाय	48000	0.00
	उप योग	**211727254**	**17.14**
3.	**अन्य**		
क.	निजी निगम निकाय	8914146	0.72
ख.	वैयक्तिक	96243925	7.80
ग.	एन आर आइ	4479923	0.36
घ.	अन्य	2272219	0.18
	उप योग	111910213	9.06
कुल योग		**1235348315**	**100**

एल. 31.03.2014 तक वितरण अनुसूची :

शेयर धारकों की संख्या	शेयरधारकों की कुल सं.का %	प्रत्येक रु.10 के अंकित मूल्य के शेयरों की कुल शेयरधारिता	शेयरों की कुल संख्या (अंकित मूल्य)	शेयरों की कुल सं का %
215121	85.84	5000 तक	371302620	3.01
23001	9.18	5001 से 10000 तक	191422390	1.55
7710	3.08	10001 से 20000 तक	111489700	0.90
1767	0.71	20001 से 30000 तक	44473800	0.36
881	0.35	30001 से 40000 तक	31568380	0.26
532	0.21	40001 से 50000 तक	25029380	0.20
839	0.33	50001 से 100000 तक	61586540	0.50
758	0.30	100001 से अधिक	11516610340	93.22
250609	**100.00**	**योग**	**12353483150**	**100.00**

j. Share Transfer System:

Our bank has a Sub-Committee of the Board for considering the requests received from shareholders for transfer, transmission, transposition, issuance of duplicate share certificates, splitting, consolidation, remat, name change etc. The Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director is Chairman of the Committee. The other members of the committee are: a Shareholder Director (Shri. A.V.Sardesai) and the other Shareholder Director (Prof. S. Sadagopan).

As the Share Transfer Committee consists of two outstation shareholder director, as a precautionary measure, to strictly adhere to the revised time line in compliance with SEBI directions, our Board at its meeting held on 20.09.2013 constituted an **Executive Level Share Transfer Approval Committee (ELSTAC)** with Senior most Chief General Manager (CGM) or in his absence the next senior most Chief General Manager as Chairman and General Managers from Planning, Balance Sheet Management, Risk Management Departments and Company Secretary of the Bank as members.

The committee is also delegated with powers to consider and approve the share transfer and transmission requests including the power to reject them. The minutes of the committee are placed to STC for ratification / confirmation. Since inception, the committee met 15 times during last year and the actions of ELSTAC committee are ratified by STC.

k. Distribution of shareholding as on 31.03.2014:

Sl. No	Category	No. of Shares	% of share holding
	PROMOTERS HOLDING		
1	Government of India	911710848	73.80
	Sub-Total	**911710848**	**73.80**
NON-PROMOTERS HOLDING			
2	**Institutional Investors**		
A	Mutual funds and UTI	225104	0.02
B	Banks, Financial Institutions	183247419	14.83
C	Insurance Companies	5281678	0.43
D	Foreign Institutional Investors	22925053	1.86
E	Overseas Corporate Body	48000	0.00
	Sub-Total	**211727254**	**17.14**
3	**OTHERS**		
A	Private Corporate Bodies	8914146	0.72
B	Individuals	96243925	7.80
C	NRI	4479923	0.36
D	Others	2272219	0.18
	Sub-total	**111910213**	**9.06**
GRAND TOTAL		**1235348315**	**100.00**

l. Distribution schedule as on 31.03.2014

No. of share holders	% to total no. of shareholders	Shareholding in terms of nominal value of ₹. 10/-	Share Amount (Face Value)	% to total
215121	85.84	Upto 5000	371302620	3.01
23001	9.18	5001 – 10000	191422390	1.55
7710	3.08	10001 – 20000	111489700	0.90
1767	0.71	20001 – 30000	44473800	0.36
881	0.35	30001 – 40000	31568380	0.26
532	0.21	40001 – 50000	25029380	0.20
839	0.33	50001 – 100000	61586540	0.50
758	0.30	100001 and above	11516610340	93.22
250609	**100.00**	**TOTAL**	**12353483150**	**100.00**

एम. 31.03.2014 तक विदेशी शेयरधारिता

क्रम सं.	संवर्ग	31 03 2013 तक		31 03 2014 तक	
		शेयरों की सं	कुल पूँजी की तुलना में %	शेयरों की सं	कुल पूँजी की तुलना में %
01	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ आइ आइ)	22991170	2.49	22925053	1.86
02	ओ सी बी	48000	0.01	48000	0.00
03	एन आर आई	4242431	0.46	4479923	0.36
	कुल	**27281601**	**2.96**	**27452976**	**2.22**

उक्त सारणी मे वर्णितानुसार 31.03.2014 तक कुल विदेशी शेयरधारण (एन आर आइ, ओ सी बी, विदेशी संस्थागत निवेशक) 2.22% था जोकि बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के अंदर है।

एन. 31 03 2014 तक बैंक के पाँच सर्वोच्च शेयरधारक

क्रम सं	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की सं	कुल धारण का %
1	भारत के राष्ट्रपति - भारत सरकार	911710848	73.80
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	140727980	11.39
3	एलआईसी ऑफ इंडिया- पी एंड जीएस फंड	15153036	1.23
4	एल आइ सी ऑफ इण्डिया - मार्केट प्लस ग्रोथ फंड	9385910	0.76
5	आशीष रमेश कुमार गोयंका लवीना आशीष कुमार गोयंका	5905781	0.48
	कुल	**1082883555**	**87.66**

ओ. शेयरों का अमूर्तिकरण :

बैंक के शेयर अनिवार्य अमूर्तिकरण के अधीन हैं । बैंक शेयरों के अमूर्तिकरण के लिए जारीकर्ता कंपनी के रूप में बैंक राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी. लि. (एन एस डी एल) और केन्द्रीय डिपॉजिटरी सेवाएँ (भारत) लि. (सी डी एस एल) में सदस्य के रूप में शामिल है। शेयर धारक एनएसडीएल या सीडीएसएल किसी के भी साथ अपने शेयरों का अमूर्तिकरण करा सकते है। डिपॉजिटरी सेवा ने बैंक को निम्नलिखित आइ एस आइ एन कोड आबंटित किया है-आइएनई 565ए 01014

31.03.2014 तक 123.53 करोड़ ईक्विटी शेयरों में से, 120.40 करोड़ शेयर या 97.46% शेयरधारकों के पास डीमेट रूप में है (जिसमें से भारत सरकार 91.17 करोड़ शेयर डीमैट रूप में धारित करता है जोकि समग्रत: 73.80% है)

डीमैट खाते में धारित अदावी शेयर:

अदावी सस्पेंस खाते धारित शेयरों की स्थिति निम्नवत है :

ब्यौरा	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
01.04.2013 के प्रारंभ में शेयरधारकों की समग्र संख्या और प्रारंभ में अदावी संस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयर	225	59100
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने अदावी संस्पेंस खाते से वर्ष के दौरान शेयरों के स्थानांतरण के लिए संपर्क किया	शून्य	शून्य
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्हें अदावी संस्पेंस खाते से शेयरों का स्थानांतरण किया गया ।	शून्य	शून्य
शेयरधारकों की समग्र संख्या और 31.03.2014 के अंत में अदावी संस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयर	225	59100

पी. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या अन्य कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख व ईक्विटी पर इसका संभाव्य प्रभाव:

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या कोई परिवर्तनीय लिखतें जारी नहीं की है।

m. Foreign Shareholding as on 31.03.2014

Sl. No.	Category	As on 31.03.2013		As on 31.03.2014	
		No. of shares	% To total capital	No. of shares	% To total capital
1	Foreign Institutional Investors (FIIs)	22991170	2.49	22925053	1.86
2	OCBs	48000	0.01	48000	0.00
3	NRIs	4242431	0.46	4479923	0.36
	Total	**27281601**	**2.96**	**27452976**	**2.22**

As detailed in the above table, the total foreign shareholding (FIIs, OCBs, NRIs) as at 31.03.2014 was 2.22% which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.

n. Top five shareholders of the bank as on 31.03.2014:

Sl No	Name of the Shareholders	No of shares held	% of total holding
1	The President of India - The Government of India	911710848	73.80
2	Life Insurance Corporation of India	140727980	11.39
3	LIC of India – P & GS Fund	15153036	1.23
4	LIC of India Market Plus Growth Fund	9385910	0.76
5	Ashish Rameshkumar Goenka Lavina Ashishkumar Goenka	5905781	0.48
	Total	1082883555	87.66

o. Dematerialization of shares:

The shares of the Bank are under compulsory demat trading. The Bank has joined as a member of the depository services with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an issuer company for dematerialization of the Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL. The depository services have allotted the following ISIN code to the Bank: INE565A01014.

As on 31.3.2014, out of 123.53 crore equity shares, 120.40 crore shares or 97.46% are held by the shareholders in Demat form (of which Government of India holds 91.17 crore shares in Demat form, aggregating to 73.80%).

Unclaimed shares held in Demat Account:

The position of shares held in the unclaimed suspense account are mentioned below:

Details	No of shareholders	No of Shares
Aggregate number of shareholders and outstanding shares lying in unclaimed suspense account at the beginning 01.04.2013	225	59100
Number of Shareholders who approached for Transfer of shares from unclaimed suspense Account during the year	NIL	NIL
Number of Shareholders to whom shares were Transferred from the unclaimed suspense account	NIL	NIL
Aggregate Number of Shareholders and And the outstanding shares lying in the Unclaimed suspense account at the end of 31.03.2014	225	59100

p. Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:

The bank has not issued any GDRs /ADRs / Warrants or any convertible instruments.

क्यू. बैंक ने समय समय पर वचन-पत्रों के रूप में अप्रत्यावर्तनीय बॉण्ड एकत्र किए गए है: 31-03-2014 तक बकाया बॉण्डों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम	आबंटन की तारीख	आकार (रु.करोडों में)	अवधि (महीनों में)	कूपन (%)	मोचन की तारीख
टियर ।।					
vi	26.07.2004	200.00	120	06.40	26.07.2014
Vii	08.01.2005	150.00	123	07.25	08.04.2015
viii	16.09.2005	200.00	123	07.40	16.12.2015
ix	09.01.2006	250.00	123	07.70	09.04.2016
x	13.03.2006	300.00	120	08.00	13.03.2016
xi	26.07.2006	500.00	120	9.10	26.07.2016
xii	22.08.2008	300.00	120	10.85	22.08.2018
xiii	24.08.2009	290.00	120	8.48	24.08.2019
xiv	31.12.2010	1000.00	120	8.95	31.12.2020
उच्च टियर II					**माँग विकल्प तारीख**
i	05.09.2006	500.00	@180	9.24	@05.09.2016
ii	17.09.2008	655.30	@180	11.05	@17.09.2018
iii	01.09.2009	510.00	@180	8.80	@01.09.2019
iv	10.01.2011	967.00	@180	9.00	@10.01.2026
टियर 1 (बेमियादी)					**माँग विकल्प तारीख**
i	31.03.2006	200.00	@ बेमियादी	09.30	@31.03.2016
ii	18.05.2006	200.00	@ बेमियादी	09.15	@18.05.2016
iii	30.09.2006	80.00	@ बेमियादी	09.20	@30.09.2016
iv	29.09.2009	300.00	@ बेमियादी	09.30	@29.09.2019
	कुल	**6602.30**			

@ 10 वर्ष के अंत में माँग विकल्प उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)। यदि माँग विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो कूपन दर को 50 बीपीएस तक बढ़ाया जाएगा ।

आर. पत्राचार करने का पता:

शेयरों के अन्तरण, लाभांश भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी क्रियाकलाप रजिस्ट्रार व शेयर अन्तरण एजेन्ट मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सेवाएं लि. के कार्यालय में किए जाते हैं । शेयरधारक अपने अन्तरण विलेख और अन्य कोई भी दस्तावेज, शिकायतें निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं ।

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि.

(यूनिट - आइ ओ बी) सुब्रमणियन बिल्डिंग, I मंज़िल
न.1, क्लब हाउस रोड चेन्नै 600 002
टेलिफोन - 044-28460395, 28460084, फैक्स- 28460129
ई.मेल : cameo@cameoindia.com

बैंक के निम्नलिखित पते पर शेयरधारकों की शिकायतों के निपटान के लिए और उनकी सेवा के लिए बैंक के केंद्रीय कार्यालय में निवेशक संबंध कक्ष है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निवेशक संपर्क कक्ष
केन्द्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002
टेलिफोन : 044-28519491, 28415702 फैक्स-044-28585675
ई.मेल: investor@iobnet.co.in/investorcomp@iobnet.co.in

q. The bank has raised non-convertible bonds in the nature of promissory notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2014 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (Rs in crores)	Tenor (In Months)	Coupon (%)	Redemption Date
Tier II					
vi	26.07.2004	200.00	120	06.40	26.07.2014
vii	08.01.2005	150.00	123	07.25	08.04.2015
viii	16.09.2005	200.00	123	07.40	16.12.2015
ix	09.01.2006	250.00	123	07.70	09.04.2016
x	13.03.2006	300.00	120	08.00	13.03.2016
xi	26.07.2006	500.00	120	09.10	26.07.2016
xii	22.08.2008	300.00	120	10.85	22.08.2018
xiii	24.08.2009	290.00	120	8.48	24.08.2019
xiv	31.12.2010	1000.00	120	8.95	31.12.2020
Upper Tier II					**Call Option date**
i	05.09.2006	500.00	@180	9.24	@05.09.2016
ii	17.09.2008	655.30	@180	11.05	@17.09.2018
iii	01.09.2009	510.00	@180	8.80	@01.09.2019
iv	10.01.2011	967.00	@180	9.00	@10.01.2026
Tier I (Perpetual)					**Call Option date**
i	31.03.2006	200.00	@Perpetual	09.30	@31.03.2016
ii	18.05.2006	200.00	@Perpetual	09.15	@18.05.2016
iii	30.09.2006	80.00	@Perpetual	09.20	@30.09.2016
iv	29.09.2009	300.00	@Perpetual	09.30	@29.09.2019
	Grand Total	**6602.30**			

@Call option available at the end of 10 years (with the prior approval of RBI). If the call option is not exercised, the coupon rate will be stepped up by 50 bps.

r. Address for Correspondence:

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of M/s. Cameo Corporate Services Ltd., Registrars & Share Transfer agents. Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints at their address:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building, I Floor
No.1 Club House Road, Chennai-600 002
Tel: 044-28460395; 28460084 Fax: 28460129
email:cameo@cameoindia.com

The Bank has an Investor Relations Cell at its Central Office, to deal with the services and complaints of the shareholders at the following address:

Indian Overseas Bank
Investor Relations Cell,
Central Office, 763, Anna Salai
Chennai-600 002
Tel: 044-28519791, 28415702, 28889392 Fax : 044-28585675
email: investor@iobnet.co.in / investorcomp@iobnet.co.in

बी. गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ

गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ	बैंक द्वारा अपनाई गई
बोर्ड -- कंपनी के खर्चे पर गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा एक कार्यालय का रखरखाव पारिश्रमिक समिति	चूँकि हमारे बैंक के अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक हमारे बैंक के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं, अत: यह खण्ड हमारे लिए लागू नहीं होगा पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक का निर्णय केंद्र सरकार लेता है और बैंक गैर-निदेशकों को सिटिंग फीस के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं देता है। बोर्ड की दिनांक 22-03-2007 को संपन्न हुई बैठक में यहां दिए गए विवरणों के अनुसार (पैरा 3.8 देखें) निदेशक मंडल की एक उप समिति "पारिश्रमिक समिति" गठित की गई है।(पैरा 3.8 का संदर्भ लें)
शेयरधारकों के अधिकार	सभी शेयरधारकों को छमाही परिणामों और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना उपलब्ध कराई जाती है ।
ऑडिट अर्हता	अप्रतिबंधित वित्तीय विवरणों की प्रणाली की ओर बढ़ने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।
बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण	निदेशकों को प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नामित किया जाता है । प्रत्येक निदेशक को उनके / उनकी भूमिका तथा जिम्मेदारियाँ और महत्वपूर्ण मामलों पर संपूर्ण विवरण देते हुए संदर्भ मैनुअल दिया गया है ।
गैर-कार्यपालक बोर्ड के सदस्यों के मूल्यांकन की कार्यविधि	हमारे बैंक में गैर-कार्यपालक बोर्ड के सदस्यों के मूल्यांकन की कोई कार्यविधि उपलब्ध नहीं है चूँकि यह अब हम पर लागू नहीं है।
विसिल ब्लोअर पॉलिसी (चेतावनी नीति)	वर्तमान में बैंक के पास चेतावनी नीति (विसिल ब्लोअर पॉलिसी) है।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

चेन्नै
29 अप्रैल 2014

एम. नरेन्द्र
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक

B.NON MANDATORY REQUIREMENTS:

Non Mandatory Requirements	Our Adoption
The Board – Maintenance of an office by a non executive Chairman at the company's expense	Since the Chairman and Managing Director in our Bank is an Executive Chairman, this clause is not applicable to us
Remuneration Committee	Remuneration payable to the whole time directors is decided by the Central Government and the Bank does not pay any remuneration to other directors except sitting fees as per guidelines of Central Govt. The Board in its meeting held on 22.03.2007, has set up a "Remuneration Committee" as per details furnished hereinbefore (refer para 3.8).
Shareholders Rights	All the shareholders are provided with the Half Yearly results and Annual Report.
Audit Qualification	Constant efforts are being made to move towards a regime of unqualified financial statements.
Training of Board Members	The Board members are imparted training by nominating them for training programmes at reputed training institutes. Each director is provided with a reference manual detailing his or her roles and responsibilities and matters of importance.
Mechanism for evaluating non executive Board Members	The Bank does not have such mechanism, as presently it is not applicable to us.
Whistle Blower Policy	Presently the Bank has a Whistle Blower policy.

For and on behalf of the Board of Directors

Chennai
29th April 2014

(M Narendra)
Chairman and Managing Director

वर्ष 2013-2014 के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट के लिए अनुबंध
निदेशकों का जीवन परिचय

01	**नाम**	**श्री एम.नरेंद्र** **अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	59 वर्ष - 12.07.1954
	योग्यता	बी.काम, बी.एल, सीएआइआइबी
	नियुक्ति की तारीख	01.11.2010
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	31.07.2014
	अनुभव	- 39 वर्षों का बैंकिंग अनुभव रखनेवाले श्री एम.नरेंद्र ने 1975 में अधिकारी प्रशिक्षार्थी के रूप में कार्पोरेशन बैंक में भर्ती हुए थे। उन्होंने 06 नवंबर 2008 को बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार संभाला और वे इस पद पर इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में अपने वर्तमान कार्यभार के ग्रहण करने तक रहे। - श्री नरेंद्र कार्पोरेशन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में अपने कार्यकाल के दौरान संगठनात्मक बदलाव परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबद्ध टीम के प्रमुख सदस्य रहे। - श्री नरेंद्र ने देश और विदेश का व्यापक दौरा किया है । उन्होंने बीटीसी, आइआइएम-अहमदाबाद और बैंगलूर, एनआइबीएम और आस्ट्रेलियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में कार्यशालाओं / संगोष्ठियों सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। - श्री नरेंद्र ने 1984-85 से 1990-91 तक लगातार 8 वर्षों के लिए कार्पोरेशन बैंक द्वारा शुरू किये गये विभिन्न कार्पोरेट पुरस्कार जैसे चेयरमेन्स क्लब मेंबरशिप रेसिपियंट पुरस्कार और सोजियन पुरस्कार और क्षेत्रीय नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किये। - बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में वे जांबिया के लुसाखा स्थित इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल में नामिती निदेशक रहे। यह बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के 3 भारतीय बैंकों और जाँबिया सरकार के संयुक्त उद्यमवाला एक वाणिज्यिक बैंक है। - श्री नरेंद्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित विदेशी विनिमय एवं सरकारी प्रतिभूति मार्केट तथा रुपया विषयक तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य थे। वे आईबीए की विधिक तथा बैंकिंग परिचालन समिति के अध्यक्ष तथा आईबीए की लेखाकरण मानक व कराधान पर स्थायी समिति के अध्यक्ष तथा आईबीए द्वारा गठित जोखिम प्रबंधन तथा बासेल II कार्यान्वयन पर स्थायी समिति के सदस्य थे। **वर्तमान में -** • एसोचेम की बैंकिंग व वित्त हेतु राष्ट्रीय राष्ट्रीय काउंसिल के अध्यक्ष । • इण्डियन बैंक एसोसिएशन (आइ बी ए) की वित्तीय समिति के अध्यक्ष • इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद के निदेशक मंडल में निदेशक • यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक • मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक मंडल में निदेशक • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस का मानद फेलोशिप • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य • वरिष्ठ व उच्च मैनेजमेंट स्तर पर नेतृत्व विकास की आवश्यकता की पहचान करने के लिए बहुमूल्य दृष्टि प्रदान करने के लिए नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एन आइ बी एम) के लीडरों के सलाहकार समूह के सदस्य उनके द्वारा प्राप्त किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं : • 2011-12 के लिए एमएसई ऋण में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार। - द्वितीय स्थान • 2011-12 के लिए दक्षिण अंचल में पीएमईजीपी के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार। • दि संडे स्टैंडर्ड बेस्ट बैंकर्स अवार्ड 2013 श्रेष्ठ भारतीय बैंक - वृहत श्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र बैंक - वृहत श्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र बैंक - ग्राहक अभिमुखता • एसोचैम सोशल बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2013 - रनर अप • एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स के तहत डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड 2013 • सीआईएमएसएमई 'एमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2013' वित्तीय समावेशन पुरस्कार एमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार - रनर अप नई पहलों के लिए ज्यूरी अवार्ड • 2011-12 के लिए स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकिंग में उत्कृष्टता के लिए तमिलनाडु सरकार का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार • 2012-13 के लिए दक्षिण अंचल में पीएमईजीपी के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार। • इंडिया बिजनेस जर्नल का आईबीजे कारोबार उत्कृष्टता पुरस्कार 2013 - ग्राहक केंद्रित अवार्ड

ANNEXURE TO REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2013-14

DIRECTORS PROFILE

1	Name	**Shri. M. Narendra** **Chairman and Managing Director**
	Age and Date of Birth	59 years – 12.07.1954
	Qualification	B.Com., B.L., CAIIB
	Date of Appointment	01.11.2010
	Date of expiry of the Current term	31.07.2014
	Experience	- Having 39 years of banking experience. Shri. M. Narendra joined Corporation Bank as an officer trainee in 1975. He took over as Executive Director, Bank of India, on 6th November 2008 and held this position, till his present assignment at Indian Overseas Bank. - Shri Narendra has been one of the key members of the Teams to implement Organisational Transformation Projects in both Corporation Bank and Bank of India. - Shri Narendra has travelled widely both within the country and outside. He has undergone various training programmes including workshops/seminars at BTC, IIM-Ahmedabad and Bangalore, NIBM and Australian Institute of Banking & Finance. - Shri Narendra secured various Corporate Awards instituted by Corporation Bank such as Chairman's Club Membership recipient for 8 consecutive years from 1984-85 to 1990-91, SoGian Award and Regional Leadership Award. - In his capacity as Executive Director of Bank of India, he was the nominee director on the Board of Indo Zambia Bank Limited, Lusaka, Zambia, a joint venture Commercial Bank between 3 Indian Public Sector Banks and Government of Zambia. - He was a member of Technical Advisory Committee on Money, Foreign Exchange & Government Securities Market constituted by Reserve Bank of India. He was Chairman, IBA's Legal & Banking Operations Committee, Chairman, IBA Standing Committee on Accounting Standards and Taxation and a member of Standing Committee on Risk Management & Basel II Implementation constituted by the Indian Banks Association. - **Presently he is:** • Chairman, ASSOCHAM's National Council for Banking & Finance • Chairman, Finance Committee of Indian Banks' Association (IBA) • Director on the Board of India International Bank (Malaysia) Berhad • Director on the Board of Universal Sompo General Insurance Co. Ltd. • Director on the Board of Madras School of Economics • Honorary Fellowship of the Indian Institute of Banking & Finance • Member of Governing Council of Indian Institute of Banking & Finance • Member of Consultative Group of Leaders in National Institute of Bank Management (NIBM) to provide valuable insight for identifying Leadership Development needs at Senior and Top Management. **Some of the prominent awards won by him are :** • National Award for Excellence in MSE Lending for 2011-12 – Second Rank • National Award for outstanding performance in implementing PMEGP in South Zone for 2011-12 • The Sunday Standard Best Bankers Awards 2013 o Best Indian Bank – Large o Best Public Sector Bank – Large o Best Public Sector Bank – Customer Orientation • ASSOCHAM's Social Banking Excellence Awards 2013 – Runner-up • Development Leadership Award 2013 under Agriculture Leadership Awards • CIMSME "MSME Banking Excellence Award 2013" o Financial Inclusion Award o MSME Excellence Award – Runner up o Jury Award for New Initiatives • Tamil Nadu Government's Best Bank Award for Excellence in Credit Linking Self Help Groups for 2011-12 • National Award for Outstanding Performance in Implementing PMEGP in South Zone level for 2012-13 • India Business Journal's IBJ Business Excellence Award 2013 – Customer Focus Award

	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड में नामिती निदेशक इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद के निदेशक मंडल में निदेशक
2	नाम	**श्री ए.डी एम चावली कार्यपालक निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	**59 वर्ष 09.10.1954**
	योग्यता	**एम एससी ।**
	नियुक्ति की तारीख	28.12.2011
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	31.10.2014
	अनुभव	- श्री ए डी एम चावली दिसंबर 2011 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। - इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में उधार प्रबोधन के साथ ही वे विशेष रूप से वृहत कॉर्पोरेट ऋण, अंतरराष्ट्रीय कारोबार, ट्रेजरी परिचालन, मानव संसाधन, विधि/ वसूली, जोखिम प्रबंधन, खुदरा बैंकिंग, योजना, जन संपर्क आदि पोर्टफोलियो देख रहे हैं। - आप शुद्ध गणित में स्नातकोत्तर हैं। उन्होने अपना कैरियर चेन्नै में 1977 में बैंक ऑफ बड़ौदा में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया। उसके बाद उन्होंने विभिन्न पदों पर बैंक की शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केंद्रीय कार्यालय में काम किया। उन्हें कॉर्पोरेट फाईनैंस, ट्रेजरी परिचालन का भी व्यापक अनुभव रहा है। वे बी ओ बी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक भी रहे। - इण्डियन ओवरसीज बैंक में पद ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने इंडिया आईडियाज डॉट कॉम लिमिटेड, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सी एस डी एल), क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सी सी आइ एल) व सेन्ट्रल इंश्योरेंस रिपॉजिटरी लिमिटेड (सी आइ आर एल) के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में सेवा की और वे बड़ौदा पॉयनियर एसेट प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के ट्रस्टी निदेशक रहे। - वे आर बी आई के निगोशियेटेड डीलिंग सिस्टम और एफ आइ एम एम डी ए वैल्यूएशन समिति के सदस्य रहे। साथ ही वे क्रेडिट व परिचालन रिस्क डाटा विनिमय (सी ओ आर डी ई एक्स) समिति के सदस्य भी रहे जिसका गठन आइ बी ए ने किया है। वर्तमान में वे खुदरा बैंकिंग पर आईबीए की स्थायी समिति के सदस्य हैं। - कार्पोरेट फाइनेंस बैंकिंग में उनका तीन वर्षो का अनुभव है विशेष रूप से ट्रेजरी परिचालन, जोखिम प्रबंधन, आस्ति प्रबंधन, निवेश व औद्योगिक फाइनेंस आदि में।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
3.	नाम	**श्री अतुल अग्रवाल कार्यपालक निदेशक**
	योग्यता	**बी.कॉम, सीएआईआईबी**
	नियुक्ति की तारीख	27.09.2013
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	30.09.2016
	अनुभव	वाणिज्य स्नातक के रूप में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1978 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की। फिर 2007 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सहायक महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने विभिन्न स्तरों पर प्रयोजनमूलक लेखांकन तथा सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान भी ऋण प्रबंधन में व्यापक अनुभव के रूप में प्राप्त किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में रहते हुए उन्होंने अजा/ अजजा/ पीडब्ल्यूडी/ भूतपूर्व सैनिकों के मुख्य संपर्क अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ गुजरात तथा पूर्वोत्तर में अंचल प्रमुख के रूप में तथा विभिन्न विभागों के कॉर्पोरेट कार्यालयों में कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य किया। अन्य कार्यों के साथ उनका कई पहलों में भी योगदान रहा है जिनमें सीए कंपनियों के वेब आधारित आवेदन, फेमा ऑडिट, अनुपालन ऑडिट, सीबीएस का केवाईसी अद्यतन, मास्टर परिपत्रों का निर्गमन, विभिन्न नीतियों की समीक्षा, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में क्रय मैन्युअल का आरंभ शामिल हैं। ललित कला में रुचि होने के साथ वे उत्तर दक्षिण सांस्कृतिक संगठन के स्थायी सदस्य हैं तथा उन्होंने चिन्मय मिशन लखनऊ के कार्यपालक समिति सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं।

	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nominee Director of IOB in Universal Sompo General Insurance Co. Ltd. Director on the Board of India International Bank(Malaysia)Berhad
2	Name	**Shri A.D.M.Chavali** **Executive Director**
	Age and Date of Birth	59 years - 09.10.1954
	Qualification	M.Sc.
	Date of Appointment	28.12.2011
	Date of expiry of the Current term	31.10.2014
	Experience	➢ Mr ADM Chavali has been serving as Executive Director of Indian Overseas Bank since December 2011. ➢ In Indian Overseas Bank he has been exclusively looking after portfolios covering Large Corporate Credit, International Business, Treasury Operations, Human Resources, Law/Recovery, Risk Management, Retail Banking , Planning, Public Relations etc., in addition to Credit Monitoring. ➢ He is a Post Graduate in pure Mathematics. He started his career with Bank of Baroda as a Direct Recruit Officer in the year 1977. From then on he had served the bank in various capacities at Branches , Regional Office and Central Office. He has extensive experience in Corporate Finance, Treasury Operations. He has also served as Managing Director, BOB Asset Management Company Ltd. ➢ Prior to joining Indian Overseas Bank, he had served as a Director on Boards of India Ideas.com.Ltd, Central Depository Services Limited (CDSL), Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL) and Central Insurance Repository Ltd. (CIRL) and as a Trustee Director of Baroda Pioneer Asset Management Company Ltd. ➢ He was a member of RBI Committee for implementing Negotiated Dealings System and FIMMDA Valuation Committee. Also, he was a member of the Committee on Credit and Operational Risks Data Exchange (CORDEX) set up by IBA. Presently he is a Member of the IBA Standing Committee on Retail Banking. ➢ He has a rich experience in Corporate Finance for over three decades particularly in the areas of Industrial Finance, Treasury operations, Investments, Asset Management and Risk Management.
	Shareholding in IOB	NIL
	Other Directorships	NIL
3	Name	**Shri Atul Agarwal** **Executive Director**
	Qualification	B.Com., CAIIB
	Date of Appointment	27.09.2013
	Date of expiry of the Current term	30.09.2016
	Experience	A Commerce Graduate, he started his career with Union Bank of India as a Probationary Officer in 1978 and joined Central Bank of India as Assistant General Manager in 2007. In the course of his career he has acquired functional accounting and IT knowledge at various levels as also extensive experience in credit management. While at Central Bank of India, he has served as Zonal Manager in Gujarat and North East, as functional head at Corporate Office for various departments together with additional responsibilities as Chief Liaison Officer for SC / ST / PWD /Ex-servicemen. He has been instrumental in many initiatives which interalia include web-based application of CA firms, FEMA Audit, Compliance Audit, KYC updation of CBS, issuance of master circulars, review of various policies, introduction of Procurement Manual in a Public Sector Bank. With an interest in fine arts, he is a permanent member of Uttar Dakshin Cultural Organisation and also served as an Executive Committee Member of Chinmaya Mission, Lucknow.

	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकताएँ	शून्य
4	नाम	**डॉ. आलोक पाण्डे** **भारत सरकार के नामिती**
	आयु और जन्म-तिथि	43 वर्ष - 22.10.1971
	योग्यता	बी ई (मैकेनिकल), एन आइ टी इलाहाबाद, पीएच.डी (फाइनेंस) आइआइएम बैंगलोर।
	नियुक्ति की तारीख	22.07.2011
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	सरकार से आगे आदेश मिलने तक
	अनुभव	डॉ. अलोक पांडे वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान में वे वित्तीय समावेशन के प्रमुख हैं जहाँ सरकार के निम्नवत प्रमुख क्षेत्रों को वे देख रहे हैं। • वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्य। • बैंकों का शाखा विस्तार • लीड बैंक योजना तथा सेवा क्षेत्र अभिगम। • सेवा क्षेत्र अभिगम • जिला व राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति • बैंकिंग नेटवर्क का क्षेत्रीय असंतुलन • कारोबार संवादियों/ सुविधादाताओं, मोबाइल बैंकिंग आदि से संबंधित मुद्दे। • बीसी मॉडल के माध्यम से मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान। • वित्तीय समावेशन के साथ यूआईडीएआई आधार संख्या की अभिरूपता। • बैंक खातों के माध्यम से लाभ भोगियों को एलपीजी, केरोसीन तथा ऊर्वरक आदि पर सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण। • कारोबार संवादियों आदि तथा डीएफएस के संस्थापन विभाग पर रणनीति पर दिशानिर्देश। • डॉ. पांडे को भारत सरकार में कार्य का 20 वर्ष से अधिक का अनुभव है जहाँ उन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया है। उनकी रुचि व अनुभव का क्षेत्र वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1992 में स्नातक किया है। डॉ. पाण्डे ने 1994 में सिविल सेवाओं में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी पीएचडी उपाधि आइआइएम बैंगलोर से कार्पोरेट फाइनेंस में 2009 में प्राप्त की। उन्होंने अनेक प्रकाशन किए हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत थीसिस को वर्ष 2013 के लिए वित्तीय अर्थव्यवस्था में एनएसई पुरस्कार हेतु सर्वोत्तम थीसिस के लिए चुना गया। मीनाक्षी विश्वविद्यालय, काँचीपुरम द्वारा 'बुक बिल्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इन इंडिया : डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राईजिंग, सब्सिक्रिप्शन, पैक्टूसिंग इन्वेस्टर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ रेगूलेशन'
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
5	नाम	**श्री निर्मल चंद** **भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती**
	आयु और जन्म-तिथि	53 वर्ष - 31.01.1961
	योग्यता	पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, एमबीए, सीएआईआईबी।
	नियुक्ति की तारीख	13.03.2014
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	सरकार से आगे आदेश मिलने तक
	अनुभव	भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड एफ अधिकारी के रूप में 1986 में पदभार ग्रहण किया। 3 फरवरी 2014 को भारतीय रिज़र्व बैंक तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पूर्व वे आरबीआई के रायपुर कार्यालय के प्रभारी प्रमुख थे। बैंक में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यालयों में कई पद संभाले। बैंकिंग पर्यवेक्षी, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षी, मुद्रा प्रबंधन तथा भुगतान प्रणाली जैसे विभागों में बैंक के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के साथ ही कोलकाता, जयपुर, नई दिल्ली तथा रायपुर के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कार्य किया।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य

	Shareholding in IOB	NIL
	Other Directorships	NIL
4	Name	**Dr. Alok Pande** **GoI Nominee**
	Age and Date of Birth	43 years - 22.10.1971
	Qualification	BE(Mech),NIT Allahabad, Ph. D(Finance). IIM Bangalore
	Date of Appointment	22.07.2011
	Date of expiry of the Current term	Until further orders from Govt. of India
	Experience	Dr. Alok Pande is working as a Director in the Department of Financial Services, Ministry of Finance. Presently he is in-charge of Financial Inclusion where in the following key and thrust areas of Government are looked after by him. • Work relating to financial inclusion • Branch expansion of banks • Lead Bank Scheme and Service Area Approach • Service Area Approach • District and State Level Bankers' Committee(SLBC) • Regional imbalances of banking network • Matters related to Business Correspondents / Business Facilitators, Mobile Banking etc. • Payment of wages to MGNREGA workers through BC model • Convergence of UIDAI Aadhaar Number with Financial Inclusion • Direct transfer of subsidy on LPG, Kerosene and Fertiliser etc. to the beneficiaries through their bank accounts • Strategy and guidelines on Business Correspondents etc.and also Establishment Dept of DFS. • Dr. Pande has more than 20 years of experience in the Government of India *where* he has worked in different capacities. His area of interest as well as experience has been that of ensuring Financial Inclusion. He did his graduation in Mechanical Engineering from National Institute of Technology, Allahabad in 1992. Dr. Pande joined the Civil Services in 1994. He completed his Doctorate from IIM Bangalore in the area of Corporate Finance in the year 2009. Dr. Pande has several publications to his credit. The thesis submitted by him has been selected for NSE Award for the best thesis in financial economics for the year 2013 "Book built initial public offering in India: Determinants of pricing, subscription pacterusing investors and impact of regulation" by Meenakshi University Kanchipuram.
	Shareholding in IOB	NIL
	Other Directorships	Nil
5	Name	**Shri. Nirmal Chand** **RBI Nominee**
	Age and Date of Birth	**53 years - 31.01.1961**
	Qualification	Post Graduate from Punjab University, M.B.A. , CAIIB
	Date of Appointment	13.03.2014
	Date of expiry of the Current term	Until further orders from Govt. of India
	Experience	Joined RBI in 1986 as an Officer in Grade F. Has taken charge as the Regional Director, Reserve Bank of India, Thiruvananthapuram on 03.02.2014. Prior to this, he was Officer-in-charge of Raipur Office of RBI. During his long tenure in the Bank, has held several position in various offices. Worked in Bank's Central Office at Mumbai as well as other Regional Offices at Kolkata, Jaipur, New Delhi and Raipur in the Department like Banking Supervision, Non Banking Supervision, Currency Management and Payment Systems
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil

6	**नाम**	**श्री आर संपत कुमार** **कर्मकारी कर्मचारी निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	56 वर्ष - 16.02.1958
	योग्यता	बी.ए, सीएआईआईबी,
	नियुक्ति की तारीख	24.01.2014
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	23.01.2017
	अनुभव	वे 16.12.1981 में बैंक में नियुक्त हुए तथा उन्हें आइओबी में लगभग 32 वर्ष का बैंकिंग अनुभव है। वर्तमान में वे सीबीओ चेन्नै से जुड़े विशेष कैडर सहायक हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
7	**नाम**	**श्री जयदेव शर्मा** **अधिकारी कर्मचारी निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	57 वर्ष - 20.07.1956
	योग्यता	एम.कॉम, बी.ए, सीएआईआईबी, डीआईएम, एमबीए, एलएलबी
	नियुक्ति की तारीख	02.05.2013
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	01.05.2016 अथवा आइओबी में उनके अधिकारी कर्मचारी होने तक या अन्य आदेशों तक, जो भी पहले हो।
	अनुभव	श्री जयदेव शर्मा ने 22.07.1977 को बैंक में कार्यभार ग्रहण किया। वे विगत 36 वर्षों से बैंक में सेवाएँ दे रहे हैं। उन्होंने 4 सालों से भी अधिक समय के लिए बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली में संकाय सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं। इसके अतिरिक्त वे मौद्रिक सिद्धांत हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स में एसोसिएट फैकल्टी भी रहे हैं। वे पाँच वर्षों के लिए बिजनेस प्रबंधन (सीएआईआईबी भाग 2) के परीक्षक भी रहे हैं। वे 1991 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी एसोसिएशन के कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न पदों पर जुड़े रहे हैं। वर्तमान में वे आइओबीओए के अध्यक्ष हैं तथा अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआइबीओसी) के संयुक्त महासचिव हैं। वे भारत में सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में उत्तर वैश्वीकरण मानव संसाधन व्यवहारों पर मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नै से अंशकालिक शोधार्थी के रूप में पी.एचडी कर रहे हैं। कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में समकालीन विषयों पर उनके कई शोध पत्र तथा आलेख प्रकाशित हुए हैं। वे आइओबीओए, दि क्रुसेडर नामक आइओबीओए की गृह पत्रिका के एसोसिएट संपादक भी हैं। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया- हैदराबाद, सेंटर फॉर ऑर्गेनाईजेशन डेवलपमेंट- हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीज एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट- नोयडा में व्याख्यान दिए हैं। वे आइसीडब्ल्यूएआई - एसआईआरसी चेन्नै, मद्रास विश्वविद्यालय (वाणिज्य विभाग), एएमईटी विश्वविद्यालय चेन्नै आदि में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि/ विशिष्ट अतिथि भी रहे हैं। बैंक के बोर्ड में अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में यह उनका दूसरा कार्यकाल है। उनका पहला कार्यकाल 2006- 09 के दौरान रहा। वर्तमान में कैथीड्रल शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	1600
	अन्य निदेशकता	शून्य
8	**नाम**	**श्री निरंजन कुमार अग्रवाल** **सनदी लेखाकार निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	55 वर्ष - 22.10.1958
	योग्यता	एफ सी ए
	नियुक्ति की तारीख	01.11.2011
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	31.10.2014
	अनुभव	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल , एफ सी ए ,1983 से पेशे से सनदी लेखाकार हैं जिन्हें 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है । वे मेसर्स निरंजन कुमार एण्ड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंड, कोलकाता के मालिक हैं । उन्हें वृहद कार्पोरेट, कंपनी विधि मामले और इनकम टैक्स को संभालने का अनुभव है। वे कंपनी विधि मुद्दों, वित्तीय पुनर्संरचना, संसाधन जुटाना, कॉर्पोरेट प्रशासन आदि पर विभिन्न कॉर्पोरेटों के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य

6	Name	**Shri. R. Sampath Kumar** **Workmen Employee Director**
	Age and Date of Birth	56 years - 16.02.1958
	Qualification	B.A. CAIIB I
	Date of Appointment	24.01.2014
	Date of expiry of the Current term	23.01.2017
	Experience	- He joined the Bank on 16.12.1981 and is having about 32 years of banking experience in IOB. He is presently a Special Cadre Assistant attached to CBO, Chennai
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
7	Name	**Shri. Jai Deo Sharma** **Officer Employee Director**
	Age and Date of Birth	57 years , 20.07.1956
	Qualification	M.Com., BA., CAIIB, DIM, MBA, LLB
	Date of Appointment	02.05.2013
	Date of expiry of the Current term	01.05.2016 or until he ceases to be a Officer employee of IOB or until further orders, which ever is the earliest.
	Experience	Shri Jai Deo Sharma joined the Bank on 22nd July 1977. He has been in the services of the Bank for the past 36 years. He has also served as Faculty Member in the Training System of the Bank for more than 4 years. Besides, he has been the Associate Faculty at the Indian Institute of Bankers for Monetary Theory. He was an Examiner for Business Management (CAIIB-Part II) for 5 years. He has been associated with Indian Overseas Bank Officers' Association (IOBOA) as its functionary since 1991 in various capacities. At present he is the President of IOBOA and Joint General Secretary of All India Bank Officers' Confederation (AIBOC). He is pursuing his research (PhD) on Post Globalization HR Practices in Public Sector Banks in India as part time scholar at University of Madras, Chennai. He has published many Research Papers and Articles on Contemporary Topics in prestigious Newspapers and Journals. He is also Associate Editor of "IOBOA-The Crusader", the House Magazine of IOBOA. He has delivered lectures at Administrative Staff College of India - Hyderabad, Centre for Organisation Development - Hyderabad, National Institute of Banking Studies & Corporate Management – NOIDA. He has been the Chief Guest/ Guest of Honour in various programmes held at ICWAI-SIRC-Chennai, University of Madras (Dept. of Commerce), AMET University – Chennai etc. This is his second term in the Bank's Board as Officer Employee Director. His earlier term was during 2006-09. - Presently Senior Manager, Cathedral Branch
	Shareholding in IOB	1600
	Other Directorships	Nil
8	Name	**Shri Niranjan Kumar Agarwal** **Chartered Accountant Director**
	Age and Date of Birth	55 Years - 22.10.1958
	Qualification	F.C. A.
	Date of Appointment	01.11.2011
	Date of expiry of the Current term	31.10.2014
	Experience	- Shri.Niranjan Kumar Agarwal, FCA is a Practicing Chartered Accountant since 1983 having experience of more than 30 years. He is a Proprietor of M/s. Niranjan Kumar & Co., Chartered Accountants, Kolkata. He has experience in handling Audits of Large Corporates, Company Law Matters and Income Tax. He is acting as Advisor to many Corporates on company law matters, financial restructuring, resource raising, corporate governance etc.
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil

9	**नाम**	**श्री चिन्नैय्या** **अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक** **बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत नियुक्त।**
	योग्यता	बीए, एलएलबी
	आयु और जन्म-तिथि	55 वर्ष - 01.06.1958
	नियुक्ति की तारीख	13.11.2013
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	12.11.2016 (अथवा अन्य किसी आदेश तक, जो भी पहले हो)
	अनुभव	योग्यता से एक अधिवक्ता होते हुए उन्होंने समाज सेवा से जुड़ने का चुनाव किया। वे वर्तमान में श्री सुब्रमण्य स्वामी मंदिर प्रबंधन समिति, हलसुरू, बैंगलोर के अध्यक्ष हैं। वे जयभीम अजा/ अजजा उपभोक्ता सहकारी सोसायटी, उलसूर, बैंगलोर‘ 560 008 के अध्यक्ष थे। यह संस्था समाज के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम करती है। वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, बैंगलोर के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने डोलोमाइट माइन्स एंड एम्प्लॉयीज वेल्फेयर फंड, नई दिल्ली की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
10	**नाम**	**श्रीमती एस. सुजाता** **अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक** **बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3)(एच) के तहत नियुक्त।**
	योग्यता	एम.कॉम, बीए (हिंदी)
	आयु और जन्म-तिथि	42 वर्ष - 15.12.1971
	नियुक्ति की तारीख	05.12.2013
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	04.12.2016 (अथवा अन्य किसी आदेश तक, जो भी पहले हो)
	अनुभव	श्रीमती सुजाता 2006 में तिरुचि नगर निगम पार्षद चुनी गईं तथा उन्होंने 2009 से 2011 तक तिरुचिरापल्ली नगर निगम की मेयर के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। वर्तमान में लेडीज क्लब की अध्यक्ष हैं। वे सामाजिक व लोक स्वास्थ्य सेवा, बाढ़ राहत तथा कल्याण कार्यों, महिलाओं को वित्तीय सहयोग प्रदान करने, पिछड़े तबकों को मजबूत करने वाले 1500 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय व प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने से जुड़ी रही
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
11	**नाम**	**श्री ए बी डी बादुशास** **अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक** **बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत नियुक्त।**
	योग्यता	वैकल्पिक चिकित्सा के चिकित्सक
	आयु और जन्म-तिथि	51 वर्ष - 19.08.1962
	नियुक्ति की तारीख	12.12.2013
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	11.12.2016 (अथवा अन्य किसी आदेश तक, जो भी पहले हो)
	अनुभव	श्री ए बी डी बादुशास पेशे से चिकित्सक (वैकल्पिक चिकित्सा) हैं तथा वे समाज सुधारक, राजनीतिक कार्यकर्ता, खिलाड़ी तथा कारोबारी के रूप में विविध गतिविधियों में शामिल रहे हैं। वे सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री बागसाहिब के पौत्र भी हैं। श्री बादुशास निम्नलिखित पदों पर कार्यरत हैं: - 1015 वर्ष पुराने तथा दक्षिण एशिया के सबसे बड़े न्यास हजरत थैबल आलम बादुशास नाथरवल्ली दरगाह वक्फ न्यास के मुख्य कार्यपालक न्यासी हैं। - कॉमनवेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एकेडमी फॉर रिसर्च, चेन्नई के निदेशक हैं। - अखिल भारतीय उपभोक्ता मेला प्रदर्शनी समिति, तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं। - तिरुचि पुनर्वास केंद्र द्वारा स्थापित असंख्य नेत्रहीन विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले ब्लाइंड स्कूल ऑफ तिरुचि के सलाहकार समिति के सदस्य हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य

9	**Name**	**Shri Chinnaiah** **Part time Non-official Director** Appointed under Section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970
	Qualification	B.A., LLB
	Age and Date of Birth	55 years, 01.06.1958
	Date of Appointment	13.11.2013
	Date of expiry of the Current term	12.11.2016 (or until further orders whichever is earlier)
	Experience	An advocate by qualification, he has chosen to be associated with social service. He is presently President of Sri Subramanya Swamy Temple Management Committee, Halasuru, Bangalore. He was President of Jai Bheem SC/ST Consumer Co-operative Society. Ulsoor, Bangalore 560 008. The Society is engaged in the helping of downtrodden of the society for their upliftment. Has served as a member of Central Board of Film Certification, Bangalore. Also served as a member of Central Advisory Committee, Dolomite mines and Employees Welfare Fund, New Delhi
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
10	**Name**	**Smt. S. Sujatha** **Part time Non-official Director** **Appointed under Section 9 (3) (h) of the of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.**
	Qualification	M.Com, BA (Hindi)
	Age and Date of Birth	42 years, 15.12.1971
	Date of Appointment	05.12.2013
	Date of expiry of the Current term	04.12.2016 (or until further orders whichever is earlier)
	Experience	Smt Sujatha was elected as Trichy City Corporation Councillor in 2006 and served as Mayor, Tiruchirappalli Corporation from 2009 to 2011. She is presently President, Ladies' club. She has been involved in Social and Public Health Care, flood relief and welfare works, providing financial assistance to women, providing financial and administrative assistance to over 1500 self help groups empowering the weaker sections
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
11	**Name**	**Shri A.B.D. Badushas** **Part time Non-official Director** **Appointed under Section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.**
	Qualification	Doctor of Alternative Medicine
	Age and Date of Birth	51 years, 19.08.1962
	Date of Appointment	12.12.2013
	Date of expiry of the Current term	11.12.2016 (or until further orders whichever is earlier)
	Experience	Shri A.B.D. Badushas is a Doctor (Alternative Medicine) by profession and has been involved in multifarious activities as a social reformer, political party worker, sportsman and businessman. He is also the grandson of well known freedom fighter Late Shri Bagsahib. Shri Badushas holds the following positions: 1. Chief Executive Trustee of the Hazrath Thable Alam Badushas Nathervali Dargah Wakf Trust which is 1015 years old and is also the biggest Trust of South Asia 2. Director, Commonwealth Science and Technology Academy for Research, Chennai. 3. Chairman, All India Consumer Fair Exhibition Committee, Tamil Nadu. 4. Advisory Board member of the Blind School of Trichy founded by Trichy Rehabilitation Centre, providing free education to numerous blind students.
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil

12	**नाम**	**श्री अजित वसंत सरदेसाई** **शेयरधारक निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	68 वर्ष - 04.09.1945
	योग्यता	एम एस सी (भौतिकी), डिप्लोमा, आइआइटी नई दिल्ली
	नियुक्ति की तारीख	08.12.2011
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	07.12.2014
	अनुभव	श्री अजित वसंत सरदेसाई ने भारतीय रिजर्व बैंक में तीन दशकों से अधिक तक सेवा की। वे मुख्य महा प्रबंधक रहे और तदनंतर कार्यपालक निदेशक प्रभारी ग्रामीण उधार और प्रायोजना विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक रहे। वे वृहद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मंडल में नामित निदेशक भी रहे। वे एनआइबीएम, आइबीपीएस, इंस्टीच्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी व बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज व भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रमुख कॉलेज, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग के गवर्निंग काउंसिल में रहे। वे सितंबर 2005 में भारतीय रिज़र्व बैंक से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के पश्चात भी वे वैद्यनाथन समिति से जुडे हुए हैं और वे भारत सरकार / सी वी सी द्वारा गठित बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में फ्रॉड पर परामर्शी समिति के सदस्य रहे।
	आइओबी में शेयरधारिता	100 शेयर
	अन्य निदेशकता	शून्य
13	**नाम**	**प्रोफेसर एस. सडगोपन** **शेयरधारक निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	63 वर्ष - 02.04.1951
	योग्यता	बी ई (मैकेनिकल) , परड्यू विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी में पीएच.डी
	नियुक्ति की तारीख	08.12.2011
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	07.12.2014
	अनुभव	प्रो. एस सडगोपन ने परड्यू यूनिवर्सिटी से सूचना प्रौद्योगिकी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 20 वर्षों से अधिक समय तक आइआइटी कानपुर व आइआइएम बैंगलोर में अध्यापन किया। वे जून 1999 से आइआइटी, बेंगलोर में संस्थापक निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। आइआइटी बंगलोर पहली सार्वजनिक निजी संस्था है जिसे पहले पाँच वर्षों में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। यह देश में बेहतरीन शैक्षणिक परिसरों में से एक है और इसे व्यक्तिगत रूप से प्रो एस सडगोपन द्वारा अवधारणात्मक स्वरूप प्रदान किया गया था। प्रो सडगोपन ने देश में प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी के नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके अंतर्गत ओएनजीसी, आइओसी, एनटीपीसी और भेल में सैप को लागू करना शामिल है। साथ ही वे सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक और इंडस इंड बैंक में सूचना प्रौद्योगिक सलाहकार रहे हैं। अनेक निजी क्षेत्र के निगमों के अलावा उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया कोर बैंकिंग सोल्यूश्न की स्थापना में प्रमुख रूप से शामिल रहे।
	आइओबी में शेयरधारिता	100 शेयर
	अन्य निदेशकता	- नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया - क्योनिक्स - पदेन निदेशक आइ आइ टी - बैंगलोर - केबीआईटीएस - पदेन निदेशक - आईआईआईटीबी - नवोन्मेषी केंद्र - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज - विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीईएमएल की अनुषंगी)

12	Name	**Shri.Ajit Vasant Sardesai** **Shareholder Director**
	Age and Date of Birth	68 Years - 04.09.1945
	Qualification	M.Sc (Physics) Dip in IIT New Delhi
	Date of Appointment	08.12.2011
	Date of expiry of the Current term	07.12.2014
	Experience	Shri Ajit Vasant Sardesai has worked in the Reserve Bank of India for over 3 decades. He was the Chief General Manager and later Executive Director in charge of Rural Credit and Planning Department, RBI. He has also served as RBI Nominee Director on the Boards of large Public Sector Banks. He was also on the Governing Council of NIBM, Institute of Banking Personnel Selection, Institute for Development Research in Banking Technology and Bankers Training College and College of Agricultural Banking, a premier training college of RBI. He retired from RBI in September 2005. After retirement, he continued to be associated with the Vaidyanathan Committee and was a member of the Advisory Committee on Frauds in Banks and Financial Sector constituted by the GOI/CVC.
	Shareholding in IOB	100 shares
	Other Directorships	NIL
13	Name	**Prof.S.Sadagopan** **Shareholder Director**
	Age and Date of Birth	63 years - 02.04.1951
	Qualification	B.E (Mechanical), Ph.D in IT from Purdue University
	Date of Appointment	08.12.2011
	Date of expiry of the Current term	07.12.2014
	Experience	Professor. S Sadagopan obtained his Ph.D in IT from Purdue University. He taught for more than 20 years at IIT Kanpur and IIM Bangalore. He is working as Founder Director since June 1999 in IIT, Bangalore. Within five years, IIT Bangalore was the first public-private partnership institute to get the deemed university status. It is one of the best academic campus in the country and was personally conceptualized by Prof. S.Sadagopan. Professor S Sadagopan has played a leading role in major IT deployment in the country and this includes SAP implementation at ONGC, IOC, NTPC and BHEL, IT advisor to Syndicate Bank, Canara Bank and Indus Ind Bank. In addition to several private sector corporations, he was very much involved with the Core Banking Solution that was rolled out in Bank of India.
	Shareholding in IOB	100 shares
	Other Directorships	1) National Payment Corporation Of India 2) "KEONICS" Ex officio Director 3) KBITS – Ex-officio Director 4) IIITB Innovation Centre 5) National Stock Exchange 6) Vignyan Industries Ltd. (a subsidiary of BEML)

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

केन्द्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

Central Office:763,Anna Salai, Chennai-600 002

घोषणा

इस बात की पुष्टि की जाती है कि बैंक ने मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन (यानी महा प्रबंधकों) के लिए आचार संहिता निर्धारित की है और इसे बैंक की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

चेन्नै
29.04.2014

(एम. नरेंद्र)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

DECLARATION

This is to confirm that the bank has laid down a code of conduct for all the Board Members and Senior Management (i.e.,General Managers) of the Bank and the said code is posted on the website of the Bank. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct .

For Indian Overseas Bank

Chennai
29.04.2014

(M. Narendra)
Chairman & Managing Director

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

केन्द्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै 600 002
Central Office:763,Anna Salai, Chennai-600 002

29 अप्रैल, 2014

सेवा में
निदेशक मंडल
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

31.03.2014 को समाप्त 12 महीनों के लिए बैंक के वित्तीय विवरण स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करार का खण्ड 49-V सीईओ /सीएफओ का प्रमाणीकरण

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि:

क हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमने उक्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है :

1. इन विवरणों में कोई भी विवरण विषय की दृष्टि से गलत नहीं है या इनमें कोई भी तथ्य छोड़ा नहीं गया है या भ्रम पैदा करने वाले ब्योरे शामिल नहीं हैं ;
2. ये सभी विवरण बैंक के क्रियाकलापों की सत्य और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखाकरण मानकों, प्रभावी कानूनों और विनियमों के अनुसार हैं ।

ख हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो धोखाधड़ीपूर्ण, गैरकानूनी हों या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हों ।

ग हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और इन आंतरिक नियंत्रणों की रचना या परिचालन में यदि कोई कमियां हों, जिसकी जानकारी हमें है और उन्हें सुधारने के संबंध में हमारे द्वारा किए गए उपायों या प्रस्तावित उपायों की जानकारी हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को दी है ।

घ हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित जानकारी दी है:

1. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाना,
2. वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन और उन्हें वित्तीय विवरण के नोट्स में प्रकट किया गया और
3. महत्वपूर्ण धोखाधड़ियों की ऐसी घटनाएं जिनकी हमें जानकारी है और जिनमें प्रबंधन या कर्मचारी यदि कोई शामिल है जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(एस चोक्कलिंगम)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

(एम. नरेंद्र)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

29th April, 2014

To
THE BOARD OF DIRECTORS
INDIAN OVERSEAS BANK

Financial Statements of the Bank for the 12 months ended 31.03.2014 Clause 49-V of the Listing Agreement with the Stock Exchanges - CEO/CFO Certification

In terms of Clause 49 of the Listing Agreement, We certify that:

A. We have reviewed the financial statements and the cash flow statements for the year and that to the best of our knowledge and belief:

1. These statements do not contain any material untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading.
2. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year, which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of Conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors and the Audit Committee the deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have, to the best of our knowledge and belief, indicated to the Auditors and the Audit Committee:

1. Significant changes in the internal control over financial reporting during the year;
2. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the Notes to the Financial Statements and
3. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the Management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

[S. Chockalingam]
General Manager & CFO

[M.Narendra]
Chairman & Managing Director (CEO)

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा
परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

सेवा में

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

चेन्नै के शेयरधारकों

हमने 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, चेन्नै द्वारा कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज / एक्सचेंजों के साथ इण्डियन आवेरसीज़ बैंक के सूची करार के खण्ड 49 में निर्दिष्ट किया गया है।

कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कार्पोरेट प्रबंधन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो लेखा परीक्षा है न ही यह इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करता है।

बैंक द्वारा रखें गए रिकार्डों और दस्तावेजों एवं हमें दी गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक द्वारा उक्त सूचीबद्ध करार में निर्दिष्ट कार्पोरेट गवर्नेन्स संबंधी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

हम सूचित करते हैं कि रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेन्ट द्वारा रखे गए रिकार्डों के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी भी निवेशक की कोई भी शिकायत एक महीने से ज्यादा अवधि के लिए लंबित नहीं है।

आगे हम सूचित करना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है न ही प्रबंधन की दक्षता या प्रभावात्मकता का, जिससे कि प्रबंधन ने बैंक के कार्यकलाप संपन्न किए हैं।

कृते बदरी, मधुसूदन एण्ड श्रीनिवासन
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005389 एस

(एन श्रीनिवासन)
साझेदार
स.सं.027887

कृते बी त्यागराजन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 004371 एस

(बी त्यागराजन)
साझेदार
स.सं.0 18270

कृते शंकर एण्ड मूर्ति
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003575 एस

(वी. सी. जेम्स)
साझेदार
स.सं. 22565

कृते पी आर मेहरा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000051एन

(स्वीन्दर कुमार)
साझेदार
स.सं.014211

कृते दास खन्ना एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000402एन

(राकेश सोनी)
साझेदार
स.सं.083142

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 29.04.2014

AUDITORS' CERTIFICATE

ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Shareholders of
Indian Overseas Bank
Chennai

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Indian Overseas Bank, Chennai for the year ended 31.03.2014, as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of Indian Overseas Bank with Stock Exchange(s).

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited procedures and implementation thereof, adopted by Indian Overseas Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Indian Overseas Bank.

On the basis of records and documents maintained by the Bank, the information provided to us and according to the explanation given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Registrar and Share Transfer Agent.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For Badari, Madhusudhan & Srinivasan
Chartered Accountants
FRN 005389S

(N. SRINIVASAN)
Partner
M.No. 027887

For B.Thiagarajan & CO
Chartered Accountants
FRN 004371S

(B. THIAGARAJAN)
Partner
M.No.018270

For Sankar & Moorthy
Chartered Accountants
FRN 003575S

(V.C. JAMES)
Partner
M.No.22565

For P.R.Mehra & CO
Chartered Accountants
FRN 000051N

(SWINDER KUMAR)
Partner
M.No. 014211

For Dass Khanna & CO
Chartered Accountants
FRN 000402N

(RAKESH SONI)
Partner
M.No. 083142

Place: Chennai
Date: 29.04.2014

31.3.2014 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(रु.'000 में)

	अनुसूचियाँ	31.03.2014 तक	31.03.2013 तक
पूँजी व देयताएँ			
पूँजी	01	1235 34 83	924 09 53
आरक्षितियाँ और अधिशेष	02	14934 82 40	12533 26 16
जमा राशियाँ	03	227976 08 66	202135 34 80
उधार	04	24456 03 60	23322 86 00
अन्य देयताएँ व प्रावधान	05	6302 54 52	5740 46 98
योग		**274904 84 01**	**244656 03 47**
आस्तियाँ			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष	06	11735 09 75	9837 82 50
बैंकों में अतिशेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	07	7273 68 03	5420 59 49
निवेश	08	70236 79 96	61417 34 80
अग्रिम	09	175887 76 68	160364 11 71
स्थिर आस्तियाँ	10	2604 37 71	1847 03 63
अन्य आस्तियाँ	11	7167 11 88	5769 11 34
योग		**274904 84 01**	**244656 03 47**
आकस्मिक देयताएँ	12	70262 78 40	71001 20 98
संग्रहण के लिए बिल		14017 39 08	12645 16 00
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ	18		

अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का एक अभिन्न अंग है ।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के ज़रिए

एम नरेंद्र
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ए डी एम चावली
कार्यपालक निदेशक

अतुल अग्रवाल
कार्यपालक निदेशक

निदेशक
डॉ. आलोक पांडे
निर्मल चंद
आर. संपत कुमार
जे.डी. शर्मा
निरंजन कुमार अग्रवाल
चिन्नय्या
एस. सुजाता
ए.बी.डी.बादुशास
अजित वसंत सरदेसाई
प्रो. एस. सडगोपन

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 29.04.2014

कृते बदरी, मूदन एण्ड श्रीनिवासन
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005389 एस

(एन श्रीनिवासन)
साझेदार
स.सं.027887

कृते बी त्यागराजन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 004371 एस

(बी त्यागराजन)
साझेदार
स.सं.018270

कृते शंकर एण्ड मूर्ति
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003575 एस

(वी. सी. जेम्स)
साझेदार
स.सं. 22565

कृते पी आर मेहरा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000051एन

स्वीन्दर कुमार
साझेदार
स.सं.014211

कृते दास खन्ना एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000402एन

(राकेश सोनी)
साझेदार
स.सं.083142

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2014

(₹. in 000's)

	SCHEDULES	AS AT 31.03.2014	AS AT 31.03.2013
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	01	1235 34 83	924 09 53
Reserves and Surplus	02	14934 82 40	12533 26 16
Deposits	03	227976 08 66	202135 34 80
Borrowings	04	24456 03 60	23322 86 00
Other Liabilities & Provisions	05	6302 54 52	5740 46 98
TOTAL		**274904 84 01**	**244656 03 47**
ASSETS			
Cash & Balances with Reserve Bank of India	06	11735 09 75	9837 82 50
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	07	7273 68 03	5420 59 49
Investments	08	70236 79 96	61417 34 80
Advances	09	175887 76 68	160364 11 71
Fixed Assets	10	2604 37 71	1847 03 63
Other Assets	11	7167 11 88	5769 11 34
TOTAL		**274904 84 01**	**244656 03 47**
Contingent Liabilities	12	70262 78 40	71001 20 98
Bills for Collection		14017 39 08	12645 16 00
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		

Schedules Form Part of the Balance Sheet

Vide our Report of Even Date

M. NARENDRA
Chairman & Managing Director

A.D.M. CHAVALI
Executive Director

ATUL AGARWAL
Executive Director

DIRECTORS
Dr. Alok Pande
Nirmal Chand
R. Sampath Kumar
J.D. Sharma
Niranjan Kumar Agarwal
Chinnaiah
S. Sujatha
A.B.D. Badushas
Ajit Vasant Sardesai
Prof. S. Sadagopan

Place: Chennai
Date: 29.04.2014

FOR BADARI, MADHUSUDHAN & SRINIVASAN
Chartered Accountants
FRN 005389S

(N. SRINIVASAN)
Partner
M.No. 027887

FOR B.THIAGARAJAN & CO
Chartered Accountants
FRN 004371S

(B. THIAGARAJAN)
Partner
M.No.018270

FOR SANKAR & MOORTHY
Chartered Accountants
FRN 003575S

(V.C. JAMES)
Partner
M.No.22565

FOR P.R.MEHRA & CO
Chartered Accountants
FRN 000051N

(SWINDER KUMAR)
Partner
M.No. 014211

FOR DASS KHANNA & CO
Chartered Accountants
FRN 000402N

(RAKESH SONI)
Partner
M.No. 083142

31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता

(रु.'000 में)

	अनुसूचियाँ	31.03.2014 तक	31.03.2013 तक
आय			
अर्जित ब्याज	13	22683 73 38	20676 72 55
अन्य आय	14	2169 34 39	1972 90 44
योग		**24853 07 77**	**22649 62 99**
व्यय			
व्यय कियाा गया ब्याज	15	17106 91 53	15424 77 61
परिचालन व्यय	16	3748 91 81	3407 84 37
प्रावधान और आकस्मिक व्यय (निवल)		3395 50 29	3249 78 24
योग		**24251 33 63**	**22082 40 22**
लाभ / हानि			
वर्ष के लिए निवल लाभ		601 74 14	567 22 77
अग्रणित लाभ / हानि		0	0
योग		**601 74 14**	**567 22 77**
विनियोजन			
राजस्व आरक्षित निधि में अंतरण		150 50 00	141 90 00
राजस्व और अन्य आरक्षितियों में अंतरण		19 61 47	91 49
पूँजी आरक्षितियों मे अंतरण		63 43 81	54 61 15
विशेष आरक्षित को अंतरण		200 00 00	155 00 00
प्रस्तावित अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)		168 18 86	214 80 13
तुलन-पत्र में अग्रेषित शेष राशि		0	0
योग		**601 74 14**	**567 22 77**
मूल एवं तनूकृत प्रति शेयर अर्जन (रु.)		6.05	6.14
प्रति ईक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रु.)		10.00	10.00

अनुसूचियाँ लाभ व हानि खाता का अभिन्न अंग हैं ।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के ज़रिए

एम नरेंद्र
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ए डी एम चावली
कार्यपालक निदेशक

अतुल अग्रवाल
कार्यपालक निदेशक

निदेशक
डॉ. आलोक पांडे
निर्मल चंद
आर. संपत कुमार
जे.डी. शर्मा
निरंजन कुमार अग्रवाल
चिन्नय्या
एस. सुजाता
ए.बी.डी.बादुशास
अजित वसंत सरदेसाई
प्रो. एस. सडगोपन

कृते बदरी, मूदन एण्ड श्रीनिवासन
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005389 एस

(एन श्रीनिवासन)
साझेदार
स.सं.027887

कृते बी त्यागराजन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 004371 एस

(बी त्यागराजन)
साझेदार
स.सं.018270

कृते शंकर एण्ड मूर्ति
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003575 एस

(वी. सी. जेम्स)
साझेदार
स.सं. 22565

कृते पी आर मेहरा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000051एन

स्वीन्दर कुमार
साझेदार
स.सं.014211

कृते दास खन्ना एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000402एन

(राकेश सोनी)
साझेदार
स.सं.083142

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 29.04.2014

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2014

(₹. in 000's)

	SCHEDULES	YEAR ENDED 31.03.2014	YEAR ENDED 31.03.2013
INCOME			
Interest earned	13	22683 73 38	20676 72 55
Other income	14	2169 34 39	1972 90 44
TOTAL		**24853 07 77**	**22649 62 99**
EXPENDITURE			
Interest expended	15	17106 91 53	15424 77 61
Operating expenses	16	3748 91 81	3407 84 37
Provisions & Contingencies (Net)		3395 50 29	3249 78 24
TOTAL		**24251 33 63**	**22082 40 22**
PROFIT / LOSS			
Net Profit for the year		601 74 14	567 22 77
Profit /Loss brought forward		0	0
TOTAL		**601 74 14**	**567 22 77**
APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		150 50 00	141 90 00
Transfer to Revenue and Other Reserves		19 61 47	91 49
Transfer to Capital Reserve		63 43 81	54 61 15
Transfer to Special Reserve		200 00 00	155 00 00
Interim Dividend and Proposed Dividend (Including Dividend Tax)		168 18 86	214 80 13
Balance carried over to Balance Sheet		0	0
TOTAL		**601 74 14**	**567 22 77**
Basic & Diluted Earnings per share (₹.)		6.05	6.14
Nominal Value per Equity Share (₹.)		10.00	10.00

Schedules Form Part of the Profit & Loss Account

Vide our Report of Even Date

M. NARENDRA
Chairman & Managing Director

A.D.M. CHAVALI
Executive Director

ATUL AGARWAL
Executive Director

DIRECTORS
Dr. Alok Pande
Nirmal Chand
R. Sampath Kumar
J.D. Sharma
Niranjan Kumar Agarwal
Chinnaiah
S. Sujatha
A.B.D. Badushas
Ajit Vasant Sardesai
Prof. S. Sadagopan

FOR BADARI, MADHUSUDHAN & SRINIVASAN
Chartered Accountants
FRN 005389S

(N. SRINIVASAN)
Partner
M.No. 027887

FOR B.THIAGARAJAN & CO
Chartered Accountants
FRN 004371S

(B. THIAGARAJAN)
Partner
M.No.018270

FOR SANKAR & MOORTHY
Chartered Accountants
FRN 003575S

(V.C. JAMES)
Partner
M.No.22565

FOR P.R.MEHRA & CO
Chartered Accountants
FRN 000051N

(SWINDER KUMAR)
Partner
M.No. 014211

FOR DASS KHANNA & CO
Chartered Accountants
FRN 000402N

(RAKESH SONI)
Partner
M.No. 083142

Place: Chennai
Date: 29.04.2014

अनुसूचियाँ

(रु. '000 में)

अनुसूची-1 पूँजी	31.03.2014 तक	31.03.2013 तक
प्राधिकृत पूँजी		
प्रत्येक रु.10/- के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक रु.10/- के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	3000 00 00	3000 00 00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत पूँजी प्रत्येक रु.10/- के 123,53,48,315 ईक्विटी शेयर (इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10 के 91,17,10,848 शेयर शामिल हैं) पिछले वर्ष प्रत्येक रु.10/- के 92,40,95,300 ईक्विटी शेयर (इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10 के 68,19,57,833 शेयर शामिल हैं)	1235 34 83	924 09 53

अनुसूची-2 आरक्षितियाँ व अधिशेष	31.03.2014 तक	31.03.2013 तक
I. शेयर प्रीमियम		
अथ शेष	3558 33 50	2685 43 21
जोड़ें : परिवर्धन	1286 79 30	872 90 29
योग - I	**4845 12 80**	**3558 33 50**
II. सांविधिक आरक्षितियाँ		
अथ शेष	2911 61 87	2769 71 87
जोड़ें : परिवर्धन	150 50 00	141 90 00
योग - II	**3062 11 87**	**2911 61 87**
III. पूँजी आरक्षितियाँ		
अ. पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ		
अथ शेष	1147 93 66	1141 25 82
जोड़ें : परिवर्धन	845 67 68	26 93 78
घटाएँ: कटौतियाँ / मूल्य-ह्रास*	179 70 77	20 25 94
योग - अ	**1813 90 57**	**1147 93 66**
आ. निवेशों की बिक्री पर		
अथशेष	910 60 61	856 81 35
जोड़ें : परिवर्धन	62 51 31	53 79 26
योग-आ	**973 11 92**	**910 60 61**
इ. अन्य		
अथशेष	151 87 87	151 00 70
जोड़ें : परिवर्धन*	1 01 26	87 17
योग - इ	152 89 13	151 87 87
योग - III (अ, आ, इ)	**2939 91 62**	**2210 42 14**
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियाँ		
(i)अन्य राजस्व आरक्षितियाँ		
अथशेष	2716 67 41	2715 75 92
जोड़ें : परिवर्धन	19 61 47	91 49
घटाएँ: कटौतियाँ	175 72 21	0
योग - (i)	**2560 56 67**	**2716 67 41**

SCHEDULES (₹. in 000's)

SCHEDULE - 1 CAPITAL	AS AT 31.03.2014	AS AT 31.03.2013
AUTHORISED CAPITAL		
300,00,00,000 Equity Shares of ₹.10/- each (Previous Year 300,00,00,000 Equity Shares of ₹.10/- each)	3000 00 00	3000 00 00
ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL		
123,53,48,315 Equity Shares of ₹.10/- each (Includes 91,17,10,848 Shares of ₹.10/- each held by Government of India) Previous year 92,40,95,300 Equity Shares of ₹.10/- each (Includes 68,19,57,833 shares of ₹.10/- each held by Government of India)	1235 34 83	924 09 53

SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS	AS AT 31.03.2014	AS AT 31.03.2013
I. SHARE PREMIUM		
Opening balance	3558 33 50	2685 43 21
Add: Additions	1286 79 30	872 90 29
TOTAL -I	**4845 12 80**	**3558 33 50**
II. STATUTORY RESERVE		
Opening balance	2911 61 87	2769 71 87
Add: Additions	150 50 00	141 90 00
TOTAL -II	**3062 11 87**	**2911 61 87**
III. CAPITAL RESERVE		
A. Revaluation Reserve		
Opening Balance	1147 93 66	1141 25 82
Add: Additions	845 67 68	26 93 78
Less: Deductions / Depreciation *	179 70 77	20 25 94
TOTAL - A	**1813 90 57**	**1147 93 66**
B. On sale of Investments		
Opening Balance	910 60 61	856 81 35
Add: Additions	62 51 31	53 79 26
TOTAL - B	**973 11 92**	**910 60 61**
C. Others		
Opening Balance	151 87 87	151 00 70
Add: Additions *	1 01 26	87 17
TOTAL - C	152 89 13	151 87 87
TOTAL - III (A,B,C)	**2939 91 62**	**2210 42 14**
IV. REVENUE & OTHER RESERVES		
(i) Other Revenue Reserves		
Opening Balance	2716 67 41	2715 75 92
Add: Additions	19 61 47	91 49
Less: Deduction	175 72 21	0
TOTAL - (i)	**2560 56 67**	**2716 67 41**

अनुसूची-2 आरक्षितियाँ व अधिशेष	31.03.2014 तक	31.03.2013 तक
(ii) विशेष आरक्षिति		
अथशेष	541 60 00	386 60 00
जोड़ें : परिवर्धन	200 00 00	155 00 00
योग - (ii)	**741 60 00**	**541 60 00**
(iii) निवेश आरक्षितियाँ खाते		
अथशेष	97 95 58	97 95 58
जोड़ें : परिवर्धन	0	0
घटाएँ: कटौतियाँ	0	0
योग - (iii)	**97 95 58**	**97 95 58**
IV) **विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षितियाँ**		
अथशेष	496 65 66	326 10 96
जोड़ें : परिवर्धन	190 88 20	170 54 70
घटाएँ: कटौतियाँ	0	0
योग - (iv)	**687 53 86**	**496 65 66**
योग - IV (i,ii, iii & iv)	**4087 66 11**	**3852 88 65**
V) **लाभ व हानि खाते**	0	0
योग (I, II, III, IV & V)	**14934 82 40**	**12533 26 16**

* 31.3.2014 तक विनिमय की दर पर विदेशी शाखाओं से संबंधित आँकड़ों के परिवर्तन से हुआ समायोजन शामिल है ।

अनुसूची-3 जमाएं	31.03.2014 तक	31.03.2013 तक
अ. I. **माँग जमाएं**		
i) बैंकों से	42 74 34	43 30 96
ii) अन्यों से	13980 00 07	13164 23 58
योग - I	**14022 74 41**	**13207 54 54**
II. **बचत बैंक जमाएं**	**43743 71 40**	**40378 95 26**
III. **कालिक जमाएं**		
i) बैंकों से	388 69 49	271 50 98
ii) अन्यों से	169820 93 36	148277 34 02
योग - III	**170209 62 85**	**148548 85 00**
योग- अ (I, II & III)	**227976 08 66**	**202135 34 80**
आ. I) भारत की शाखाओं में जमाएं	219730 70 35	195457 37 11
II) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाएं	8245 38 31	6677 97 69
योग - आ	**227976 08 66**	**202135 34 80**

SCHEDULES (Contd.) (₹. in 000's)

SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS	AS AT 31.03.2014	AS AT 31.03.2013
(ii) Special Reserve		
Opening balance	541 60 00	386 60 00
Add: Additions	200 00 00	155 00 00
TOTAL - (ii)	**741 60 00**	**541 60 00**
(iii) Investment Reserve Account		
Opening Balance	97 95 58	97 95 58
Add: Additions	0	0
Less: Deductions	0	0
TOTAL - (iii)	**97 95 58**	**97 95 58**
(iv) Foreign Currency Translation Reserve		
Opening balance	496 65 66	326 10 96
Add: Additions	190 88 20	170 54 70
Less: Deduction	0	0
TOTAL - (iv)	**687 53 86**	**496 65 66**
TOTAL - IV (i,ii,iii,iv)	**4087 66 11**	**3852 88 65**
V. PROFIT AND LOSS ACCOUNT	0	0
TOTAL (I, II , III, IV & V)	**14934 82 40**	**12533 26 16**

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.03.2014

SCHEDULE - 3 DEPOSITS	AS AT 31.03.2014	AS AT 31.03.2013
A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) From Banks	42 74 34	43 30 96
ii) From Others	13980 00 07	13164 23 58
TOTAL - I	**14022 74 41**	**13207 54 54**
II. SAVINGS BANK DEPOSITS	**43743 71 40**	**40378 95 26**
III. TERM DEPOSITS		
i) From Banks	388 69 49	271 50 98
ii) From Others	169820 93 36	148277 34 02
TOTAL - III	**170209 62 85**	**148548 85 00**
TOTAL - A (I,II & III)	**227976 08 66**	**202135 34 80**
B. I) Deposits of branches in India	219730 70 35	195457 37 11
II) Deposits of branches outside India	8245 38 31	6677 97 69
TOTAL - B	**227976 08 66**	**202135 34 80**

अनुसूचियाँ (जारी) (रु. '000 में)

अनुसूची-4 **लिये गये उधार**	**31.03.2014 तक**	**31.03.2013 तक**
I. भारत में लिए गए उधार		
भारतीय रिज़र्व बैंक	4175 00 00	1400 00 00
अन्य बैंक	0	0
अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	2204 45 33	2596 44 39
नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	780 00 00	780 00 00
बॉन्ड के तौर पर जारी संकर कर्ज पूंजी लिखत	2632 30 00	2632 30 00
अधीनस्थ कर्ज	3190 00 00	3390 00 00
योग I	**12981 75 33**	**10798 74 39**
II. भारत के बाहर से लिए गए उधार	**11474 28 27**	**12524 11 61**
योग (I व II)	**24456 03 60**	**23322 86 00**
III. ऊपर I व II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	**6379 45 33**	**3996 44 39**

अनुसूची-5 **अन्य देयतायें व प्रावधान**	**31.03.2014 तक**	**31.03.2013 तक**
I. देय बिल	547 35 93	594 81 28
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	746 15 05	528 44 46
III. प्रोद्भूत ब्याज	584 78 18	543 43 37
IV. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	4424 25 36	4073 77 87
योग	**6302 54 52**	**5740 46 98**

अनुसूची-6 **भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष**	**31.03.2014 तक**	**31.03.2013 तक**
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट और एटीएम नकद सम्मिलित हैं)	1111 94 23	1119 23 18
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ		
i) चालू खाते में शेष	10623 15 52	8718 59 32
ii) अन्य खातों में शेष	0	0
योग	**11735 09 75**	**9837 82 50**

अनुसूची-7 **बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन**	**31.03.2014 तक**	**31.03.2013 तक**
I. भारत में		
i) बैंकों में शेष		
क. चालू ख़ातों में	50 08 47	87 26 35
ख. अन्य जमा खातों में	36 93 65	267 45 67
ii) माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
क. बैंकों के साथ	50 00 00	3310 00 00
ख. अन्य संस्थाओं के साथ	5660 77 02	3993982
योग - I	**5797 79 14**	**4064 11 84**

SCHEDULES (Contd.) (₹. in 000's)

SCHEDULE - 4 BORROWINGS		AS AT 31.03.2014	AS AT 31.03.2013
I.	**BORROWINGS IN INDIA**		
	Reserve Bank of India	4175 00 00	1400 00 00
	Other Banks.	0	0
	Other Institutions & Agencies	2204 45 33	2596 44 39
	Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	780 00 00	780 00 00
	Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	2632 30 00	2632 30 00
	Subordinated Debt	3190 00 00	3390 00 00
	TOTAL (I)	**12981 75 33**	**10798 74 39**
II.	**BORROWINGS OUTSIDE INDIA**	**11474 28 27**	**12524 11 61**
	TOTAL (I & II)	**24456 03 60**	**23322 86 00**
III.	Secured borrowings included in I & II above	**6379 45 33**	**3996 44 39**

SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		AS AT 31.03.2014	AS AT 31.03.2013
I.	Bills Payable	547 35 93	594 81 28
II.	Inter Office Adjustments (Net)	746 15 05	528 44 46
III.	Interest Accrued	584 78 18	543 43 37
IV.	Others (including provisions)	4424 25 36	4073 77 87
	TOTAL	**6302 54 52**	**5740 46 98**

SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		AS AT 31.03.2014	AS AT 31.03.2013
I.	Cash on hand (including Foreign currency notes & ATM cash)	1111 94 23	1119 23 18
II.	Balances with Reserve Bank of India		
	i) in Current Account	10623 15 52	8718 59 32
	ii) in Other Accounts	0	0
	TOTAL	**11735 09 75**	**9837 82 50**

SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		AS AT 31.03.2014	AS AT 31.03.2013
I.	In India		
	i) Balances with banks		
	a) In Current Accounts	50 08 47	87 26 35
	b) In Other Deposit Accounts	36 93 65	267 45 67
	ii) Money at Call and Short Notice		
	a) With banks	50 00 00	3310 00 00
	b) With other institutions	5660 77 02	39 93 982
	TOTAL - I	**5797 79 14**	**4064 11 84**

(रु. '000 में)

अनुसूची-7 बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	31.03.2014 तक	31.03.2013 तक
II. भारत के बाहर		
क . चालू खातों में	282 97 23	429 51 71
ख. अन्य जमा खातों में	969 42 36	771 78 06
ग. माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	223 49 30	155 17 88
योग - II	**1475 88 89**	**1356 47 65**
योग (I व II)	**7273 68 03**	**5420 59 49**

अनुसूची- 8 निवेश	31.03.2014 तक	31.03.2013 तक
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	58941 11 42	54261 38 66
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	51 65 65	62 27 87
iii) शेयर	1073 71 74	900 66 44
iv) डिबेंचर और बंध-पत्र	4864 84 34	2441 50 19
v) अन्य		
म्यूच्युअल फंड, वेंचर पूँजी, फंड, जमा प्रमाण पत्र मे निवेश और नाबार्ड के पास आर आइ डी एफ	2080 58 96	1958 80 49
योग - I	**67011 92 11**	**59624 63 65**
II. भारत के बाहर निवेश*		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलत हैं)	2326 51 39	1157 33 27
ii) अनूषंगी और / या विदेश में संयुक्त वेंचर	193 20 09	186 30 63
iii) अन्य		
क) शेयर	9 36	8 73
ख) डिबेंचर और बंध-पत्र	705 07 01	448 98 52
योग - II	**3224 87 85**	**1792 71 15**
कुल जोड़ (I व II)	**70236 79 96**	**61417 34 80**
भारत में सकल निवेश	68005 84 79	60194 85 34
घटाएँ : मूल्यह्रास	993 92 68	570 21 69
निवल विनिधान	67011 92 11	59624 63 65
भारत के बाहर सकल निवेश*	3226 44 00	1795 14 39
घटाएँ : मूल्यह्रास	1 56 15	2 43 24
निवल विनिधान	3224 87 85	1792 71 15
कुल निवल निवेश	**70236 79 96**	**61417 34 80**

* 31.03.2014 तक विनिमय की दर पर विदेशी शाखाओं से संबंधित आँकड़ों के परिवर्तन से हुआ समायोजन शामिल है ।

 (₹. in 000's)

SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	AS AT 31.03.2014	AS AT 31.03.2013
II. Outside India		
a) In Current Accounts	282 97 23	429 51 71
b) In Other Deposit Accounts	969 42 36	771 78 06
c) Money at Call and Short Notice	223 49 30	155 17 88
TOTAL - II	**1475 88 89**	**1356 47 65**
TOTAL (I & II)	**7273 68 03**	**5420 59 49**

SCHEDULE - 8 INVESTMENTS	AS AT 31.03.2014	AS AT 31.03.2013
I. INVESTMENTS IN INDIA		
i) Government Securities	58941 11 42	54261 38 66
ii) Other Approved Securities	51 65 65	62 27 87
iii) Shares	1073 71 74	900 66 44
iv) Debentures and Bonds	4864 84 34	2441 50 19
v) Others		
Investments in Mutual Funds, Venture Capital Funds		
Certificate of Deposits and RIDF with NABARD	2080 58 96	1958 80 49
TOTAL - I	**67011 92 11**	**59624 63 65**
II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA*		
i) Government Securities (including Local Authorities)	2326 51 39	1157 33 27
ii) Subsidiaries and / or joint ventures abroad	193 20 09	186 30 63
iii) Others		
a. Shares	9 36	8 73
b. Debentures & Bonds	705 07 01	448 98 52
TOTAL - II	**3224 87 85**	**1792 71 15**
TOTAL (I & II)	**70236 79 96**	**61417 34 80**
Gross Investments in India	68005 84 79	60194 85 34
Less: Depreciation	993 92 68	570 21 69
Net Investments	67011 92 11	59624 63 65
Gross Investments Outside India*	3226 44 00	1795 14 39
Less: Depreciation	1 56 15	2 43 24
Net Investments	3224 87 85	1792 71 15
Total Net Investments	**70236 79 96**	**61417 34 80**

* includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.03.2014

(रु. '000 में)

अनुसूची-9 अग्रिम	31.03.2014 तक	31.03.2013 तक
अ. i) क्रय किए गए व मितीकाटे पर भुगतान किए गए बिल	5308 92 11	6075 04 93
ii) रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय उधार	79462 81 17	74593 96 65
iii) सावधि उधार	91116 03 40	79695 10 13
योग	**175887 76 68**	**160364 11 71**
आ. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बहीगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित)	149913 82 86	136832 27 93
ii) बैंक / सरकारी जमानतों द्वारा संरक्षित	3291 58 59	6700 15 59
iii) अप्रतिभूत	22682 35 23	16831 68 19
योग	**175887 76 68**	**160364 11 71**
इ. I. भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	56359 33 44	49817 41 62
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	20424 30 00	17086 15 40
iii) बैंक	659 95 85	449 41 97
iv) अन्य	79994 24 69	73949 06 29
योग	**157437 83 98**	**141302 05 28**
II. भारत के बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से शोध्य	543 54 59	397 89 77
ii) अन्यों से शोध्य		
क) क्रय किए गए व मितीकाटे पर भुगतान किए गए बिल	3278 44 49	4323 12 00
ख) संघबद्ध उधार	6837 73 45	7097 56 30
ग) अन्य	7790 20 17	7243 48 36
योग	**18449 92 70**	**19062 06 43**
कुल योग (सी I व सी II)	**175887 76 68**	**160364 11 71**

अनुसूची-10 स्थिर आस्तियाँ	31.03.2014 तक	31.03.2013 तक
I. परिसर		
गत वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर / पुन : मूल्यांकित रकम	1718 05 55	1684 15 22
वर्ष के दौरान परिवर्धन*	880 74 02	33 90 33
	2598 79 57	1718 05 55
वर्ष के दौरान कटौतियाँ*	1 32 12	0
	2597 47 45	1718 05 55
अद्यतन मूल्यह्रास	409 07 62	216 33 51
योग - I	**2188 39 83**	**1501 72 04**
II. पूँजीगत चालू कार्य	37 28 16	10 36 97
योग - II	**37 28 16**	**10 36 97**

SCHEDULES (Contd.) (₹. in 000's)

SCHEDULE - 9 ADVANCES				AS AT 31.03.2014	AS AT 31.03.2013
A	i)	Bills Purchased & Discounted		5308 92 11	6075 04 93
	ii)	Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand		79462 81 17	74593 96 65
	iii)	Term Loans		91116 03 40	79695 10 13
		TOTAL		**175887 76 68**	**160364 11 71**
B	i)	Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)		149913 82 86	136832 27 93
	ii)	Covered by Bank/Government Guarantees		3291 58 59	6700 15 59
	iii)	Unsecured		22682 35 23	16831 68 19
		TOTAL		**175887 76 68**	**160364 11 71**
C.	I)	Advances in India			
		i)	Priority Sector	56359 33 44	49817 41 62
		ii)	Public Sector	20424 30 00	17086 15 40
		iii)	Banks	659 95 85	449 41 97
		iv)	Others	79994 24 69	73949 06 29
		TOTAL		**157437 83 98**	**141302 05 28**
	II)	Advances Outside India			
		i)	Due from Banks	543 54 59	397 89 77
		ii)	Due from Others		
			a) Bills Purchased & Discounted	3278 44 49	4323 12 00
			b) Syndicated Loans	6837 73 45	7097 56 30
			c) Others	7790 20 17	7243 48 36
		TOTAL		**18449 92 70**	**19062 06 43**
		TOTAL (C-I & C-II)		**175887 76 68**	**160364 11 71**

SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS		AS AT 31.03.2014	AS AT 31.03.2013
I.	Premises		
	At cost / revalued amount as on 31st March of Previous Year	1718 05 55	1684 15 22
	Additions during the year *	880 74 02	33 90 33
		2598 79 57	1718 05 55
	Deductions during the year*	1 32 12	0
		2597 47 45	1718 05 55
	Depreciation to date	409 07 62	216 33 51
	TOTAL -I	**2188 39 83**	**1501 72 04**
II.	Capital work in progress	37 28 16	10 36 97
	TOTAL - II	**37 28 16**	**10 36 97**

(रु. '000 में)

अनुसूची-10 स्थिर आस्तियाँ	31.03.2014 तक	31.03.2013 तक
III. अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्चर सम्मिलित हैं)		
पूर्व वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	1188 11 86	1015 60 79
वर्ष के दौरान परिवर्धन *	186 51 43	203 87 73
	1374 63 29	1219 48 52
वर्ष के दौरान कटौतियाँ*	23 22 58	31 36 66
	1351 40 71	1188 11 86
अद्यतन मूल्यह्रास	972 70 99	853 17 24
योग - III	**378 69 72**	**334 94 62**
कुल योग (I, II & III)	**2604 37 71**	**1847 03 63**

* 31.03.2014 तक विनिमय की दर पर विदेशी शाखाओं से संबंधित आँकड़ों के परिवर्तन से हुआ समायोजन शामिल है ।

अनुसूची 11 अन्य आस्तियाँ	31.03.2014 तक	31.03.2013 तक
i) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
ii) प्रोद्भूत ब्याज	2640 21 38	2334 97 16
iii) अग्रिम रूप से संदत्त/ स्त्रोत पर काटा गया कर	1734 74 43	1770 73 30
iv) लेखन - सामग्री और स्टैम्प	10 68 78	9 54 13
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ	211 55 39	211 55 39
vi) अन्य	2569 91 90	1442 31 36
योग	**7167 11 88**	**5769 11 34**

अनुसूची 12 आकस्मिक दायित्व	31.03.2014 तक	31.03.2013 तक
i) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	40 61 36	41 95 84
ii) अंशत: संदत्त निवेशों के लिए देयता	11 60	11 60
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	21248 68 37	24178 57 75
iv) ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ		
क. भारत में	18432 59 85	17423 50 67
ख. भारत के बाहर	971 18 26	967 59 62
v) सकार, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	20564 31 27	18255 47 11
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है	9005 27 69	10133 98 39
	70262 78 40	**71001 20 98**

SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS	AS AT 31.03.2014	AS AT 31.03.2013
III. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
At cost as on 31st March of Previous Year	1188 11 86	1015 60 79
Additions during the year *	186 51 43	203 87 73
	1374 63 29	1219 48 52
Deductions during the year*	23 22 58	31 36 66
	1351 40 71	1188 11 86
Depreciation to date	972 70 99	853 17 24
TOTAL - III	**378 69 72**	**334 94 62**
TOTAL (I, II & III)	**2604 37 71**	**1847 03 63**

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.03.2014

SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS	AS AT 31.03.2014	AS AT 31.03.2013
i) Inter Office Adjustments (Net)	0	0
ii) Interest Accrued	2640 21 38	2334 97 16
iii) Tax paid in advance / Tax deducted at source	1734 74 43	1770 73 30
iv) Stationery & Stamps	10 68 78	9 54 13
v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	211 55 39	211 55 39
vi) Others	2569 91 90	1442 31 36
TOTAL	**7167 11 88**	**5769 11 34**

SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES	AS AT 31.03.2014	AS AT 31.03.2013
i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	40 61 36	41 95 84
ii) Liability for partly paid investments	11 60	11 60
iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts	21248 68 37	24178 57 75
iv) Guarantees given on behalf of constituents		
a) In India	18432 59 85	17423 50 67
b) Outside India	971 18 26	967 59 62
v) Acceptances, Endorsements &Other obligations	20564 31 27	18255 47 11
vi) Other items for which the bank is contingent liable	9005 27 69	10133 98 39
	70262 78 40	**71001 20 98**

अनुसूचियाँ (जारी) (रु. '000 में)

अनुसूची 13 अर्जित ब्याज	31.03.2014 तक	31.03.2013 तक
i) ब्याज / अग्रिम बट्टा / बिल	17282 44 41	15909 43 09
ii) निवेशों पर आय	4990 20 36	4372 29 40
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	370 90 23	286 94 22
iv) अन्य	40 18 38	108 05 84
योग	**22683 73 38**	**20676 72 55**

अनुसूची 14 अन्य आय	31.03.2014 तक	31.03.2013 तक
i) कमीशन, विनिमय और दलाली	929 06 56	895 33 09
ii) निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	488 80 37	311 41 88
iii) निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि (निवल)	-104 51 32	-68 34 69
iv) भूमि और भवनों के विक्रय पर लाभ (निवल)	1 86 84	1 61 63
v) विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	274 33 02	288 22 71
vi) विविध आय	579 78 92	544 65 82
योग	**2169 34 39**	**1972 90 44**

अनुसूची 15 खर्च किया गया ब्याज	31.03.2014 तक	31.03.2013 तक
i) जमाओं पर ब्याज	15408 82 53	13872 98 31
ii) भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर- बैंक उधारों पर ब्याज	1697 57 13	1551 71 70
iii) अन्य	51 87	7 60
योग	**17106 91 53**	**15424 77 61**

अनुसूची 16 परिचालन व्यय	31.03.2014 तक	31.03.2013 तक
i) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	2362 61 47	2248 34 95
ii) भाड़ा, कर और रोशनी	330 41 28	307 83 60
iii) मुद्रण और लेखन-सामग्री	26 88 61	23 62 11
iv) विज्ञापन और प्रचार	27 01 31	29 82 90
v) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पूँजी आरक्षितियों से अंतरित अवक्षयण की निवल राशि)	141 31 60	126 59 20
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	1 39 43	1 46 06
vii) लेखा-परीक्षकों को प्रदत्त शुल्क तथा व्यय (शाखा लेखा - परीक्षकों के शुल्क और व्यय सहित)	32 72 28	23 24 01
viii) विधि प्रभार	9 01 22	5 79 20
ix) डाक महसूल, तार, टेलीफ़ोन आदि	55 77 31	45 30 43
x) मरम्मत और अनुरक्षा	11 90 15	11 34 20
xi) बीमा	232 06 69	190 36 69
xii) अन्य व्यय	517 80 46	394 11 02
योग	**3748 91 81**	**3407 84 37**

SCHEDULES (Contd.)

(₹. in 000's)

SCHEDULE - 13 INTEREST EARNED		Year Ended 31.03.2014	Year Ended 31.03.2013
i)	Interest / discount on advances / bills	17282 44 41	15909 43 09
ii)	Income on investments	4990 20 36	4372 29 40
iii)	Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	370 90 23	286 94 22
iv)	Others	40 18 38	108 05 84
	TOTAL	**22683 73 38**	**20676 72 55**

SCHEDULE - 14 OTHER INCOME		Year Ended 31.03.2014	Year Ended 31.03.2013
i)	Commission, Exchange and Brokerage	929 06 56	895 33 09
ii)	Profit on Sale of Investments (Net)	488 80 37	311 41 88
iii)	Loss on Revaluation of Investments (Net)	-104 51 32	-68 34 69
iv)	Profit on sale of land,buildings	1 86 84	1 61 63
v)	Profit on exchange transactions (Net)	274 33 02	288 22 71
vi)	Miscellaneous Income	579 78 92	544 65 82
	TOTAL	**2169 34 39**	**1972 90 44**

SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED		Year Ended 31.03.2014	Year Ended 31.03.2013
i)	Interest on Deposits	15408 82 53	13872 98 31
ii)	Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank Borrowings	1697 57 13	1551 71 70
iii)	Others	51 87	7 60
	TOTAL	**17106 91 53**	**15424 77 61**

SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES		Year Ended 31.03.2014	Year Ended 31.03.2013
i)	Payments to and provisions for employees	2362 61 47	2248 34 95
ii)	Rent, Taxes and Lighting	330 41 28	307 83 60
iii)	Printing and Stationery	26 88 61	23 62 11
iv)	Advertisement and Publicity	27 01 31	29 82 90
v)	Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred from Revaluation Reserve)	141 31 60	126 59 20
vi)	Directors' fees, allowances and expenses	1 39 43	1 46 06
vii)	Auditors' fees and expenses (including Branch auditor's Fees and Expenses)	32 72 28	23 24 01
viii)	Law charges	9 01 22	5 79 20
ix)	Postages, telegrams, telephones, etc.	55 77 31	45 30 43
x)	Repairs and Maintenance	11 90 15	11 34 20
xi)	Insurance	232 06 69	190 36 69
xii)	Other Expenditure	517 80 46	394 11 02
	TOTAL	**3748 91 81**	**3407 84 37**

अनुसूची -17

प्रमुख लेखांकन नीतियाँ

1. तैयारी का आधार

1.1. ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं यदि अन्यथा उल्लेख न हुआ हो। वे भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार हैं, जिसमें सांविधिक उपबंध, नियंत्रक / भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आइ) दिशानिर्देश , लेखांकन मानक / भारतीय लेखा सनदी संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट (आइसीएआइ) और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियाँ समाविष्ट की हैं। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, उन सांविधिक उपबंधों, प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा जो संबंधित विदेशी राष्ट्रों में विद्यमान हैं।

आकलन का प्रयोग :

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को चाहिए कि वे ऐसे आकलन करें व अनुमान लगाएँ जिसे वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (प्रासंगिक देयताओं सहित) की प्रतिवेदित रकम तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिये आय व खर्च की प्रतिवेदित रकम में विचारार्थ शामिल किया जाता है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त ये आकलन विवेक सम्मत व तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व मान्यता और व्यय लेखांकन

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के मुताबिक अर्जक आस्तियों पर उपचित आधार पर और अनर्जक आस्तियों के मामले में उगाही के आधार पर आय का अभिज्ञान किया जाता है। अनर्जक आस्तियों में वसूली का समंजन, वाद दायर खातों एवं एकबारगी निपटान खातों को छोड़कर बाकी मामलों में पहले ब्याज के लिए और शेष अगर हो तो मूल रकम के लिए किया जाता है ।

2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन (साख पत्र / गारंटीपत्र / सरकारी कारोबार को छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उगाही के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.3 बहुमूल्य धातुओं की पारेषण बिक्री से हुई आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है ।

2.4 खर्चों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है, सिवाय तब जब उसे अन्यथा उल्लिखित किया गया हो।

2.5 परिपक्व अतिदेय सावधि जमाओं के मामले में, जमाओं का नवीकरण करते समय ब्याज का परिकलन किया जाता है। निष्क्रिय बचत बैंक खाते, अदावी बचत बैंक खाते एवं अदावी मियादी जमाओं के मामलों में ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर उपचित किया जाता है।

2.6 वाद दायर खातों में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है ।ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर उसे आय में लिया जाता है ।

2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान / हिसाब संबंधित देशों में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया जाता है ।

3. विदेशी मुद्रा लेनदेन

3.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी “विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव” विषयक लेखांकन मानक (एएस) 11 के अनुसार विदेशी विनिमय युक्त लेन-देनों लेखांकन किया जाता है ।

3.2 ट्रेज़री (विदेशी) के संबंध में लेन-देन:

क) विदेशी मुद्रा जमाओं और ऋणों को छोड़कर विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन के दिन रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर विदेशी मुद्रा रक़म पर लागू करके रिपोट्रिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता को रिकार्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा जमाएँ और ऋणों का आरंभिक लेखांकन तत्कालीन लागू फ़ेडाइ की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार किया जाता है।

ख) नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों में समापन समापन दरों पर दिखाया जाता है । सभी विदेशी मुद्रा जमाओं एवं आकस्मिक देयताओं सहित उधारों को प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू फेडाई की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार दिखाया जाता है। अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेनदेन की तारीख की दरों पर दिखाया जाता है।

ग) फेडाइ द्वारा सूचित वर्षांत विनिमय दरों पर आकस्मिक देयताओं सहित बकाया वायदा विनिमय संविदाओं व सभी आस्तियों, देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिणत लाभ व हानि को “अन्य देयताएँ व प्रावधान / अन्य आस्ति खाता” में तत्सम्बन्धी निवल समायोजनों सहित राजस्व में लिया जाता है, केवल नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों को छोड़कर जहाँ खातों का समायोजन समापन दरों पर किया जाता है।

घ) आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा-बहियों में उनके लेनदेन की निर्दिष्ट तारीख पर लागू विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

3.3. विदेशी शाखाओं के संबंध में परिवर्तन:

क. लेखांकन मानक 11, में निर्धारितानुसार सभी विदेशी शाखाओं को गैर अभिन्न प्रचालन माना जाता है।

ख. आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को हर तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित समान स्पॉट दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ग. आय और व्यय को हर तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा सूचित त्रैमासिक औसतन दर पर परिवर्तित किया जाता है ।

घ. परिणत के विनिमय के अंतर को आय या व्यय के रूप में नहीं लिया जाता है लेकिन निवल निवेश के निपटान तक “विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिज़र्व” नामक अलग खाते में जमा किया जाता है।

4. निवेश

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में किये गए निवेश को ‘व्यापार के लिए धारित’, ‘बिक्री के लिए उपलब्ध’

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation

1.1 The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective of foreign countries are complied with.

Use of Estimates

1.2 The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions which are considered in the reported amounts of assets and liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

2. Revenue Recognition and Expense Accounting

2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets and on realization basis in respect of non-performing assets as per the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India. Recovery in Non Performing Assets is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal, except in the case of Suit Filed Accounts and accounts under One Time Settlement, where it would be appropriated towards principal.

2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, Commission (except on Letter of Credit/Letter of Guarantee/Government Business), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realization basis.

2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

2.5 In case of matured Overdue Term Deposits, interest is accounted for as and when deposits are renewed. In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, unclaimed Savings Bank accounts and unclaimed Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.

2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

2.7 In respect of foreign branches, Income and Expenditure are recognized / accounted for as per local laws of the respective countries.

3. Foreign Currency Transactions

3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, “The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates”, issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

3.2 Transactions in respect of Treasury(Foreign):

a) Foreign Currency transactions except foreign currency deposits and lending are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction. Foreign Currency deposits and lendings are initially accounted at the then prevailing FEDAI weekly average rate.

b) Closing Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. All foreign currency deposits and lendings including contingent liabilities are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of each quarter. Other assets, liabilities and outstanding forward contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.

c) The resultant profit or loss on revaluation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts including contingent liabilities at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments to “Other Liabilities and Provisions / Other Asset Account” except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.

d) Income and expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the date of incorporating the transaction in the books of accounts.

3.3 Translation in respect of overseas branches:

a) As stipulated in Accounting Standard 11, all overseas branches are treated as Non Integral Operations.

b) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) Income and Expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account “Foreign Currency Translation Reserve” till the disposal of the net investment.

और ‘परिपक्वता तक धारित’ प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है । इन निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित 6 वर्गों में दिखाया जाता है:

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ख) स्थानीय निकायों द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों सहित अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

ग) शेयर

घ) बॉण्ड्स एवं डिबेंचर

ड.) सहायक/संयुक्त उपक्रम

च) म्यूचुअल फंड यूनिट व अन्य

4.2. म्यूचुअल फण्ड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार उगाही आधार पर की जाती है।

4.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नवत रूप में किया गया है:

4.3.1. “व्यापार के लिए धारित” और “बिक्री के लिए उपलब्ध” प्रवर्गों के तहत व्यक्तिगत शेयरों को तिमाही अंतराल पर विपणन को मार्क किया गया। केन्द्रीय सरकार के प्रतिभूतियों का मूल्यन एफआइएमएमडीए द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया जाता है। राज्य सरकार के प्रतिभूतियों , अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ और बाण्ड एवं डिबेंचरों का मूल्यन एफआइएमएमडीए द्वारा सुझाई गई अन्य पद्धतियों और रेटिंग / उधार स्प्रेड यील्ड कर्व के अनुसार किया जाता है। सूचित ईक्विटी शेयरों और बाजार दरों पर है असूचित ईक्विटी शेयरों और जोखिम पूंजी निधियों की यूनिट और बही मूल्य उपलब्ध तुलन पत्र से प्राप्त एनएवी के आधार पर किया जाता है अन्यथा इसका मूल्यन रु.1/- के प्रति कंपनी/ निधि किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पत्र और जमाओं के प्रमाण पत्र को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। म्युचुअल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को उपलब्ध बाज़ार मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य या नेट एसेट वैल्यू पर मूल्यांकित किया जाता है।

पीडीएआइ /एफआइएमएमडीए द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाइटीएम दर पर उपयुक्त मूल्य वृद्धि के साथ अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाइटीएम के आधार पर आवधिक रूप से किया जाता है ।

छ: वर्गीकरणों में से प्रत्येक के तहत उपर्युक्त मूल्यांकनों के आधार पर निवल मूल्य ह्रास, यदि कोई है, तो प्रावधान किया जाता है और निवल वृद्धि, यदि कोई है , को नजर अंदाज किया जाता है। हालाँकि यदि व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में मूल्यांकन के कारण कोई परिवर्तन नहीं है , तुलन पत्र में निवेशों को मूल्य ह्रास के निवल के रूप में दर्शाया जाता है।

4.3.2 “परिपक्वता के लिए धारित” : ऐसे निवेशों को अधिग्रहण लागत / परिशोधन लागत पर लिया जाता है । प्रत्येक प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर अधिग्रहण लागत में यदि अधिकता हो, उसे परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। अनुषंगी, सहयोगी और प्रायोजित संस्थाओं और जोखिम पूँजी निधि के यूनिटों में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है ।

4.4 एन.पी.ए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय के उचित प्रावधान / आय की अनभिज्ञान के अधीन है । अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों / बॉण्डों पर भी सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्ड प्रयोज्य होते हैं और जहाँ कहीं लागू हो तदनुसार प्रावधान किया जाता है।

4.5 किसी भी वर्ग में निवेशों के विक्रय से होने वाले लाभ / हानि को लाभ / हानि खाते में लिखा जाता है। “परिपक्वता के लिए धारित” वर्ग में निवेशों के विक्रय की आय के मामले में, एक समान राशि “पूँजी आरक्षित खाते” में विनियोजित की जाती है।

4.6 प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज, प्रोत्साहन / फ्रण्ट-एण्ड-फीस आदि को लाभ-हानि खाते में लिखा जाता है।

4.7 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रेपो / आरक्षित रेपो लेनदेनों का हिसाब-किताब किया जाता है।

4.8 विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधित विदेशी विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

5. अग्रिम

5.1 भारत में अग्रिमों को ‘मानक’, ‘अव-मानक’, ‘संदिग्ध’ और ‘हानि-जनक आस्तियाँ’ और ऐसे अग्रिमों पर हानि के लिए प्रावधान में वर्गीकृत किया गया है और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार ऐसे अग्रिमों पर हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों के आधार पर वर्गीकरण और प्रावधान बनाया जाता है या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड पर, जो भी उच्चतर हो।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

6. डेरिवेटिव्स

6.1. ब्याज सहित आस्तियों / देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार उद्देश्यों के लिए बैंक ने डेरिवेटिव अनुबंध किया है।

6.2. प्रतिरक्षा उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा के संबंध में प्राप्तियों / देय निवल रकम की पहचान उपचय आधार पर की गयी है। ऐसी संविदा के समापन पर हुए लाभ या हानि को आस्थगित की गयी है और संविदा की शेष अवधि पर अथवा आस्ति / देयता जो भी पहले हो, पर इसकी पहचान की गयी है।ऐसी व्युत्पन्न संविदा बाजार को मार्क किया गया है और परिणामी लाभ या हानि की पहचान नहीं की गयी है सिवाय तब जब कि व्युत्पन्न संविदा को आस्ति / देयता के साथ पदनामित किया जाता है जिसे भी बाजार को मार्क किया जाता है और जिस मामले में परिणामी लाभ या हानि पड़े हुए आस्ति / देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में दर्ज़ किया जाता है।

6.3. उद्योग में प्रचलित सामान्य पद्धति के अनुसार कारोबार के उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा और बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ-हानि खाते में पहचाना / मान्य किया गया। इन संविदाओं से संबंधित आय व व्यय को निपटान की तारीख को मान्यता दी जाती है । कारोबार व्युत्पन्न संविदा के समापन पर लाभ या हानि को आय या व्यय के रूप में दर्ज़ किया जाता है।

4. Investments

4.1 Investments in India are classified into "Held for Trading", "Available for Sale" and "Held to Maturity" categories in line with the guidelines from Reserve Bank of India. Disclosures of Investments are made under six classifications viz.,

a) Government Securities

b) Other Approved securities including those issued by local bodies,

c) Shares,

d) Bonds & Debentures,

e) Subsidiaries /Joint Ventures,

f) Units of Mutual Funds and Others.

4.2 Interest on Investments where interest/principal is in arrears for more than 90 days and income from Units of Mutual Funds, is recognized on realisation basis as per prudential norms.

4.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India as under:

4.3.1. Individual securities under "Held for Trading" and "Available for Sale" categories are marked to market at quarterly intervals. Central Government Securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Securities of State Government, other Approved Securities and Bonds & Debentures are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA. Quoted equity shares are valued at market rates, unquoted equity shares and units of Venture Capital Funds are valued at book value /NAV ascertained from the latest available balance sheets, otherwise the same are valued at Re. 1/- per company / Fund.

Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on availability.

Valuation of Preference shares is made on YTM basis with appropriate markup over the YTM rates for Central Government Securities put out by the PDAI/FIMMDA periodically.

Based on the above valuations under each of the six classifications, net depreciation, if any, is provided for and net appreciation, if any, is ignored. Though the book value of individual securities would not undergo any change due to valuation, in the books of account, the investments are stated net of depreciation in the balance sheet.

4.3.2. "Held to Maturity": Such investments are carried at acquisition cost/amortised cost. The excess, if any, of acquisition cost over the face value of each security is amortised on an effective interest rate method, over the remaining period of maturity. Investments in subsidiaries, associates and sponsored institutions and units of Venture capital funds are valued at carrying cost.

4.4 Investments are subject to appropriate provisioning / de -recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India for NPA classification. Bonds and Debentures in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provisions are made, wherever applicable.

4.5 Profit/Loss on sale of Investments in any category is taken to Profit and Loss account. In case of profit on sale of investments in "Held to Maturity" category, profit net of taxes is appropriated to "Capital Reserve Account".

4.6 Broken period interest, Incentive / Front-end fees, brokerage, commission etc. received on acquisition of securities are taken to Profit and Loss account.

4.7 Repo / Reverse Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

4.8 Investments held by overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective overseas Regulatory Authorities.

5. Advances

5.1 Advances in India have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the classification and provision is made based on the respective country's regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.

5.2 Advances are stated net of provisions except general provisions for standard advances.

6. Derivatives

6.1 The Bank enters into Derivative Contracts in order to hedge interest bearing assets/ liabilities, and for trading purposes.

6.2 In respect of derivative contracts which are entered for hedging purposes, the net amount receivable/ payable is recognized on accrual basis. Gains or losses on termination on such contracts are deferred and recognized over the remaining contractual life of the derivatives or the remaining life of the assets/ liabilities, whichever is earlier. Such derivative contracts are marked to market and the resultant gain or loss is not recognized, except where the derivative contract is designated with an asset/ liability which is also marked to market, in which case, the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the underlying asset/ liability.

6.3 Derivative contracts entered for trading purposes are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry and the changes

7. अचल आस्तियाँ

7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया गया है ।

7.2 प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गयी दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्य ह्रास प्रदान किया जाता है।

परिसर	2.50 %
फ़र्नीचर	10 %
इलेक्ट्रिकल उपकरण, वाहन व कार्यालयीन उपकरण	20%
कम्प्यूटर	33 1/3 %
अग्निशामक यंत्र	100%

स्थाई आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि खाते से निकालकर लाभ-हानि खाते में जमा कर दिया जाता है ।

7.3 अधिग्रहण / पुनर्मूल्यांकन की तारीख का लिहाज़ किए बिना मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे साल के लिए किया जाता है ।

7.4 जहाँ अलग-अलग लागतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है ।

7.5 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का चुकतान किया जाता है।

7.6 विदेशी शाखाओं की स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए संबंधित देश में लागू कानून पद्धति के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

8. स्टाफ़-सुविधाएँ

8.1 भविष्य निधि के अंशदान लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है ।

8.2. उपदान व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और उसे अनुमोदित उपदान एवं पेंशन निधि में अंशदानित किया जाता है । सेवा निवृत्ति व्यवस्था के मामलों में संचित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान वर्षांत पर सीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। तथापि पेंशन विकल्प के आ जाने से और उपहार सीमा में बढ़ोत्तरी के मद्देनजर वर्ष के दौरान उपचित अतिरिक्त देयता का परिशोधन पाँच वर्ष की अवधि के लिए किया जा रहा है।

8.3. विदेशी शाखाओं के मामले में उपदान का हिसाब संबंधित देशों में लागू कानून के अनुसार किया गया है ।

9. आय पर कर :

आय पर करों के लेखांकन , आइसीएआइ के लेखांकन मानक 22 के तहत निर्धारित अनुसार चालू कर और आस्थगित कर प्रभार या जमा के लिए प्रावधान (संबंधित अवधि के लिए लेखांकन आय और आयकर आय के बीच समय बद्ध विभेदों के कर प्रभावों को परिलक्षित करने वाला) इसमें समाहित है। आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है परंतु इस शर्त पर कि आय की मदों के संबंध में विवेकपूर्ण विचार हो सके और एक समय में उत्पन्न होने वाले ऐसे खर्चों जिन्हें बाद की एक या अवधियों में उलट दिये जाने की संभावना हो पर भी विचार हो सके । आस्थगित कर से जुडी आस्तियों और देयताओं की गणना लागू कर दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है और ये दरें उस वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर प्रयोज्य की जानेवाली आय कर दरों के आधार पर नियत की जाती है जहाँ समयबद्ध विभेदों को उल्टे जाने की संभावना होती है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव को आय के उस विवरण में मान्यता दी जाती है जो परिवर्तन को लागू करने की अवधि से संबंधित है।

10. प्रति शेयर के अर्जन

बैंक लेखांकण मानक 20 ईपीएस के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकरण संस्थान द्वारा रिपोर्ट करता है मूल प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन का परिकलन वर्ष के लिए निवल लाभ को कुछ अवधि के दौरान बकाया शेयरों की धारित औसत से संभाजित किया गया है। सांद्रित मूल अर्जन प्रति शेयर अर्जन संभाव्य घटाव दर्शाता है जो वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर ज़ारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य संविदाओं के उपयोग या परिवर्तन के कारण से हो सकता है। प्रति ईक्विटी शेयर सांद्रित आय का परिकलन भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या और अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों के घटाव के आधार पर किया गया है सिवाय उसके जहाँ परिणाम घटाव विरोधी रहते हैं।

11. आस्तियों का ह्रास

बैंक प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को निर्धारित करता है क्या किसी आस्ति में घाटा होने का संकेत है। घाटा यदि कोई हो को लाभ एवं हानि खाता में अनुमानित वसूली योग्य रक़म से अधिक आस्ति रक़म तक दर्शाया गया है।

12. प्रावधानों आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए लेखाकरण

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 29 के अनुसार जारी प्रावधानों, प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिये बैंक प्रावधानों को मान्यता देता है जब अतीत की घटनाओं के कारण बैंक को वर्तमान में बाध्यता हो, संभव है कि ऐसे में संसाधनों का बहिर्प्रवाह और उससे आर्थिक लाभ की आवश्यकता से बाध्यताओं को निपटाने के लिए और जब बाध्यता की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को बाध्यताओं के निपटान के लिए प्रबंधन द्वारा किया गया है और निपटान के लिए प्रबंधन के अनुमान और उसी प्रकार के लेनदेनों द्वारा अनुपूरक के आधार पर निर्णय किया गया है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ उपलब्ध जानकारी यह संकेत देती है कि प्रासंगिकता का नुकसान संभव है लेकिन नुकसान की रक़म का अनुमान लगाना संभव नहीं है इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में किया गया है।

वित्तीय विवरण में प्रासंगिक आस्ति यदि कोई हो को मान्यता नहीं दी गई है या प्रकट नहीं किया गया।

in the market value are recognized in the profit and loss account. Income and expenses relating to these contracts are recognized on the settlement date. Gain or loss on termination of the trading derivative contracts are recorded as income or expense.

7. Fixed Assets

7.1 Fixed Assets except revalued premises are stated at historical cost.

7.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

Premises	2.50%
Furniture	10%
Electrical Installations, Vehicles & Office Equipments	20%
Computers	33 1/3 %
Fire Extinguishers	100%

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is withdrawn from revaluation reserve and credited to profit and loss account.

7.3 Depreciation is provided for the full year irrespective of the date of acquisition / revaluation.

7.4 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.

7.5 In respect of leasehold properties, premium is amortised over the period of lease.

7.6 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws/practices of the respective countries.

8. Staff Benefits

8.1 Contribution to Provident Fund is charged to Profit and Loss Account.

8.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Fund. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement or otherwise is based on actuarial valuation at the year-end. However, additional liability accrued during the year on account of Re-opening of pension option and enhancement of Gratuity limit is being amortised over a period of five years.

8.3 In respect of overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. Tax on Income

This comprises provision for current tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income & taxable income for the period) as determined in accordance with Accounting Standard 22 of ICAI, “Accounting for taxes on income”. Deferred tax is recognized subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognized in the income statement in the period of enactment of the change.

10. Earning per Share

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard - 20, “Earnings Per Share”, issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the year by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period except where the results are anti-dilutive.

11. Impairment of Assets

The bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Profit and Loss Account to the extent the carrying amount of assets exceed their estimated recoverable amount.

12. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In accordance with Accounting Standard 29, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any, are not recognized or disclosed in the financial statements.

अनुसूची -18

लेखों पर टिप्पणियाँ

1 समाधान

अंतर बैंक और अंतर-शाखा लेनदेनों का समायोजन 31.03.2014 तक पूरा कर लिया गया है। बकाया प्रविष्टियों के विलोपन का कार्य जारी है। बकाया प्रविष्टियों के विलोपन / समाधान पर प्रबंधन किसी महत्वपूर्ण परिणामात्मक प्रभाव की अपेक्षा नहीं करता।

2 निवेश

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश पोर्टफोलियो (देशी) को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है:

प्रवर्ग	सकल बही मूल्य (रु करोड़ में)		कुल निवेशों का प्रतिशत	
	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013
परिपक्वता के लिए धारित	49408.91	44504.46	72.65	73.93
बिक्री के लिए उपलब्ध	18521.72	15389.06	27.24	25.57
ट्रेडिंग के लिए धारित	75.22	301.33	0.11	0.50

2.2 "परिपक्वता के लिए धारित" के तहत एसएलआर प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 24.50 प्रतिशत की सीमा के अंदर है जो मार्च 2014 की समाप्ति तक बैंक की माँग व सावधि देयताओं का 21.69 प्रतिशत (पिछले वर्ष 22.92 प्रतिशत) रहीं।

2.3 "परिपक्वता के लिए धारित'' प्रवर्ग के निवेशों के संबंध में रु.81.26 करोड़ के प्रीमियम (पिछले वर्ष रु.57.52 करोड़) का इस वर्ष के दौरान परिशोधन कर दिया गया है।

2.4 समझौता गारंटी निधि के प्रति रु.1050 करोड़ (पिछले वर्ष रु.450 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों और संपार्श्विकीकृत उधार ऋण बाध्यताओं के तहत उधार के लिए संपार्श्विक के प्रति रु.9,455 करोड़ (पिछले वर्ष रु.8,455 करोड़) की प्रतिभूतियों क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि. के यहाँ रखा गया है। रु.3000 करोड़ की अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को इंट्राडे उधार हेतु आरबीआई के पास रखा गया है। हम ने एलएफ विंडो के अंतर्गत हमारे उधार हेतु भा.रि.बैंक के साथ रु.10,350 करोड़ (रुपया 4,342 करोड़ के एमएसएफ सहित) प्रतिभूति रखा है। इसके अलावा, फॉरेक्स परिचालन हेतु डिफॉल्ट निधि के प्रति रु.15 करोड़ (पिछले वर्ष रु.15 करोड़) की राशि को सीसीआइएल के यहाँ रखा गया है।

2.5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों के तहत शेयरों में रु 222.04 करोड़ (पिछले वर्ष रु.222.04 करोड़) के शेयर पूँजी जमाएँ शामिल हैं ।

2.6 दोनों आउटराइट और भारतीय रिज़र्व बैंक के खुले बाजार परिचालन योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान एचटीएम प्रवर्ग से बैंक सरकारी प्रतिभूतियाँ बेची। कुल अधिसूचित बाइ बैक राशि रु.81,000 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1,38,000 करोड़) है। बैंक द्वारा रु.2,987.03 (पिछले वर्ष रु.4,430 करोड़) का विक्रय हुआ, बही मूल्य (बीवी) और अर्जित लाभ रु.120.62 करोड़ (पिछले वर्ष रु.34.55 करोड़) है।

2.7 15.04.2013 की निपटान तारीख़ को तकनीकी वजहों से नकारे गए एसजीएल के संबंध में सीसीआइएल से 0.03 करोड़ का डिफॉल्ट प्रभार लगाया गया (भा.रि.बैंक से मौद्रिक दंड नहीं लगाया गया)

3. अग्रिम

3.1 अग्रिमों का वर्गीकरण एवं संभावित हानि के लिए के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रावधानीकरण संबंधी मानदंडों के अनुसार किया गया।

3.2 गारंटी संस्थाओं के यहाँ निपटारे के लिए लंबित व दायर किए जाने वाले ऐसे दावों, जिनकी शाखाओं ने पहचान की है, पर प्रावधानिक अपेक्षाओं के लिए इस आधार पर विचार किया गया है कि ऐसे दावे वैध व वसूली योग्य हैं।

3.3 आस्ति वर्गीकरण और की पहचान के उद्देश्य से कुछ अग्रिमों की उगाही की स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रतिभूति के अनुमानित मूल्य, केन्द्र सरकार की गारंटियों आदि को ध्यान मे रखा गया है।

3.4 अलेखा-परीक्षित शाखाओं के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण शाखा प्रबंधकों द्वारा किए गए प्रमाणन के अनुसार किया गया है।

3.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीओडी सं. बीपी.95/21.04.048 /2013-14 दिनांकित फ़रवरी 7, 2014 के अनुसार बैंक ने मार्च 31, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान अनर्जक आस्तियों के लिए निर्दिष्ट प्रावधानों का प्रबंध करने के लिए मार्च 31,2013 को धारित प्रतिचक्रीय प्रावधान बफ़र से 324.20 करोड़ (33%) का प्रयोग किया।

4. अचल आस्तियाँ

4.1 वर्ष 2013-14 के दौरान, भारत में कुछ भूमि और भवन का पुनर्मूल्यांकन प्राधिकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया गया है और इसे पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्तियों के रखाव मूल्य में रु.844.94 करोड़ जोड़ दिया है।

4.2 आस्तियों की बिक्री पर लाभ रु.1.87 करोड़ रहा (पिछले वर्ष रु.0.82 करोड़) जिसे पूँजी आरक्षिती में विनियोजित किया गया है।

5. रुपया ब्याज दर स्वैप

प्रतिरक्षा हेतु लिए गए रुपया ब्याज स्वैप के निरसन पर रु. 2.33 करोड़ (पिछले वर्ष रु.3.83 करोड़) की रकम को लाभों के कारण आस्थिगत आय में रखा गया है और इसे स्वैप की संविदागत शेष अवधि या आस्तियों / देयताओं की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए मान्यता दी जाएगी।

6. पूँजी एवं आरक्षितियाँ

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, बैंक ने अधिमानी आधार पर, भारत सरकार को 18.12.2013 को प्रति ईक्विटी शेयर रु. 52.23 की दर पर (प्रति ईक्विटी शेयर रु.42.23 के प्रीमियम सहित) रु.10/- अंकित मूल्य के 22,97,53,015 ईक्विटी शेयरों का निर्गम किया

SCHEDULE 18

NOTES ON ACCOUNTS

1. **Reconciliation**

Reconciliation of Inter Bank and Inter Branch transactions has been completed up to 31.3.2014 and steps for elimination of outstanding entries are in progress. The management does not anticipate any material consequential effect on reconciliation / elimination of outstanding entries.

2. **Investments**

2.1 In accordance with the Reserve Bank of India (RBI) guidelines, the Investments Portfolio of the Bank (domestic) has been classified into three categories, as given below: -

Category	Gross Book Value (₹. In Crore)		Percentage to Total Investments (%)	
	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013
Held to Maturity	49408.91	44504.46	72.65	73.93
Available for Sale	18521.72	15389.06	27.24	25.57
Held for Trading	75.22	301.33	0.11	0.50

2.2 SLR Securities under "Held to Maturity" accounted for 21.69% (previous year 22.92%) of Bank's Demand and Time liabilities as at the end of March 2014, as against the ceiling of 24.50% stipulated by RBI.

2.3 In respect of Held to Maturity category of Investments, premium of ₹. 81.26 crore was amortised during the year (Previous year ₹. 57.52 crore).

2.4 Securities of face value for ₹. 1050 crores (previous year ₹. 450 crore) towards Settlement Guarantee Fund and securities for ₹. 9455 crore (previous year ₹. 8455 crore) towards collateral for borrowing under Collateralised Borrowing and Lending Obligations have been kept with Clearing Corporation of India Limited. We have placed securities of face value ₹. 3000 crore with RBI for intraday borrowing. We have also placed securities to the extent of ₹. 10350 crore (including MSF of ₹. 4342 crores) with Reserve Bank of India for our borrowing under the LAF window. Besides, a sum of ₹. 15 crore (previous year ₹. 15 crore) have been lodged with CCIL towards Default Fund for forex operations.

2.5 Shares under Investments in India in Regional Rural Banks is ₹. 222.04 crore (Previous year ₹. 222.04 crore) includes amount towards share capital Deposits.

2.6 The Bank sold Government Securities from HTM category during the year, both outright and under RBI's Open Market Operations (OMO). The total notified amount of buy back was ₹. 81000 crore (previous year ₹. 138000 crore). The extent of sale by the Bank was ₹. 2987.03 crore (previous year ₹. 4430 crore), book value (BV) and earned a profit of ₹. 120.62 crore (previous year ₹. 34.55 crore).

2.7 On the settlement date of 15.04.2013 there was a SGL bouncing, due to technical reasons, attracting default charges of 0.03 crores from CCIL (without any monetary penalty by RBI).

3. **Advances**

3.1 The Classification for advances and provisions for possible loss has been made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India.

3.2 Claims pending settlement and claims yet to be lodged with Guarantee Institutions identified by the branches have been considered for provisioning requirements on the basis that such claims are valid and recoverable.

3.3 In assessing the realisability of certain advances, the estimated value of security, Central Government guarantees etc. have been considered for the purpose of asset classification and income recognition.

3.4 The classification of advances, as certified by the Branch Managers have been incorporated, in respect of unaudited branches.

3.5 In terms of Reserve Bank of India Circular No. DBOD No. BP.95/21.04.048/2013-14 dt. February 7, 2014, the Bank has utilized ₹. 324.20 crores (33%) of floating provision/ countercyclical provisioning buffer of ₹. 988.42 Crore held as on March 31, 2013, for meeting specific provisions for Non-performing Assets during the year ended March 31, 2014.

4. **Fixed Assets**

4.1 During the year 2013-14, land and buildings in India, were revalued through approved valuers and ₹. 844.94 crore added to the carrying value of assets on account of such revaluation.

4.2 Profit on Sale of Assets for ₹. 1.87 crore (previous year ₹. 0.82 crore), has been appropriated to Capital Reserve.

5. **Rupee Interest Rate Swap**

An amount of ₹. 2.33 crore (previous year ₹. 3.83 crore) is held kept on deferred income on account of gains on termination of Rupee Interest Rate Swaps taken for hedging and would be recognized over the remaining contractual life of swap or life of the assets/liabilities, whichever is earlier.

6. **Capital and Reserves:**

6.1 During the Financial Year 2013-14, Bank has issued 22,97,53,015 Equity Shares, of face value ₹. 10/- each, at the rate of ₹. 52.23 per equity share (including premium of ₹. 42.23 per equity share) aggregating

था, जिसकी कुल राशि रु.1199,99,99,973.45 (एक हज़ार एक सौ निन्यानबे करोड़ निन्यानबे लाख निन्यानबे हज़ार नौ सौ और तिहत्तर रुपए और पैंतालीस पैसे मात्र) है और भारतीय जीवन बीमा निगम को 10.03.2014 को प्रति ईक्विटी शेयर रु. 48.84 की दर पर (प्रति ईक्विटी शेयर रु.38.84 के प्रीमियम सहित) रु.10/- अंकित मूल्य के 8,15,00,000 ईक्विटी शेयरों का निर्गम किया था, जिसकी कुल राशि रु.398,04,60,000 (तीन सौ अठानबे करोड़ चार लाख साठ हज़ार रुपए मात्र) है। इसलिए बैंक की प्रदत्त पूँजी रु.924.10 करोड़ से रु.1235.35 करोड़ तक बढ़ गई और भारत सरकार का शेयर धारण रु.681.96 करोड़ (73.80%) से रु.911.71 करोड़ (73.80%) तक बढ़ गया और 31.03.2014 को शेयर धारण का स्तर 73.80% पर बरकरार रहा।

6.2 पिछले वर्ष में या वर्तमान वर्ष के दौरान बैंक ने टीयर-II पूँजी नहीं बढ़ाई।

6.3 बैंक ने भा रि बैंक परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी. बीसी.72/21.04.018/2013-14 दिनांकित 20.03.2014 के अनुपालन में आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(VIII) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि पर वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सामान्य आरक्षित निधि को डेबिट करते हुए रु.175.72 करोड़ की आस्थगित कर देयता का सृजन किया है।

7. कर

7.1 अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों,न्यायिक संघोषणाओं और कर-विशेषज्ञों की राय पर काफी विचार करने के बाद,आय कर से संबंधित रु.280.43 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1208.42 करोड़) की विवादित रकम और अन्य माँगों के संबंध में किसी प्रकार का प्रावधानीकरण करना आवश्यक नहीं समझा गया।

7.2 वर्ष के लिए कर व्यय रु.241.30 करोड़ है (पिछले वर्ष रु.180.25 करोड़)।

8. अपरिशोधित पेंशन व ग्रेच्युटी देयताएँ

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी के लिए पेंशन के शुरू होने पर और ग्रैच्युटी सीमा के बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप बैंक ने वर्ष 2010-11 में रु.1005.21 करोड़ की देयता प्रदान की। लेखांकन मानक की अपेक्षाओं के अनुसार (एएस-15) "कर्मचारी लाभ" रु.1005.21 करोड़ की संपूर्ण राशि लाभ व हानि खाते में प्रभारित की जानी है।

गैच्युटी सीमाओं मे वृद्धि व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी के लिए पेंशन के शुरू होने तक विवेकपूर्ण विनिमायक निदान विषयक भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी. बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांकित 09.02.2011 के अनुसार बैंक रु.1005.21 करोड़ की रकम का परिशोधन दिनांक 31.03.2011 से शुरू करके पाँच वर्ष की अवधि में करेगा। तदनुसार वर्ष 2013-14 के लिए रु.201.04 करोड़ (पिछले वर्ष रु 201.04 करोड़) को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है और रु.201.05 करोड़ की शेष राशि को आगे ले जाया गया। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस तरह का परिपत्र न जारी किया होता तो एएस-15 की अपेक्षाओं को लागू करने के फलस्वरूप बैंक की राजस्व आरक्षितियाँ रु.201.05 करोड़ से घट गई होंगी।

9. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीकृत वेंडरों के संबंध मे जानकारी और जिनसे बैंक माल व सेवाएँ खरीद रहा है सुनिश्चित की जा रही है।

अतिरिक्त प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र दिनांक 01.07.2013 में दिए दिशानिर्देश के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण किए जाते हैं।

10. पूँजी:

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14		2012-13	
		बेसल III	बेसल II	बेसल I	बेसल II
i.	सामान्य ईक्विटी टायर 1 पूँजी अनुपात (%)	7.18%			
ii.	टायर 1 पूँजी (%)	7.47%	7.63%	7.07%	7.80%
iii.	टायर 2 पूँजी(%)	3.31%	3.52%	3.67%	4.05%
iv.	कुल पूँजी अनुपात (सीआरएआर) %	10.78%	11.15%	10.74%	11.85%
v.	भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत	73.80%		73.80%	
vi.	जुटाई गई ईक्विटी पूँजी रकम	1598.04		1000.00	
vii.	जुटाई गई अतिरिक्त टायर 1 पूँजी	शून्य		शून्य	
viii.	जुटाई गई टायर 2 पूँजी	शून्य		शून्य	

to ₹. 1199,99,99,973.45 (Rupees one thousand one Hundred and ninety nine crore ninety nine lac ninety nine thousand nine hundred and seventy three and paise forty five only) on 18.12.2013 to Government of India on Preferential Basis and 8,15,00,000 Equity shares, of face value ₹. 10/- each, at the rate of ₹. 48.84 per equity share (including premium of ₹. 38.84 per equity share) aggregating to ₹. 398,04,60,000 (Rupees three hundred and ninety eight crore four lac sixty thousand only)on 10.03.2014 to Life Insurance Corporation of India on Preferential Basis. Hence, the Paid-up Capital of the bank has increased from ₹. 924.10 crore to ₹. 1235.35 crore and Government of India's shareholding has increased from ₹. 681.96 crore (73.80%) to ₹. 911.71 crore (73.80%), retaining their holding level at 73.80% as on 31.03.2014.

6.2 The Bank has not raised Tier II capital during the current year or in the previous year.

6.3 The Bank has created a deferred tax liability for Rs 175.72 crore, by debiting general reserve, during the current financial year, on special reserve created under section 36(1)(viii) of Income tax Act, 1961 in compliance with RBI circular DBOD No BP.BC.72/21.04.018/2013-14 dated 20.03.2014.

7. **Taxes**

7.1 Taking into consideration the decisions of Appellate Authorities, judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision is considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax aggregating ₹. 280.43 crore (previous year ₹. 1208.42 crore).

7.2 Tax expense for the year is ₹. 241.30 crore (Previous year ₹. 180.25 crore).

8. Unamortised Pension and Gratuity Liability

On the reopening of pension to employees of Public Sector Banks and enhancement of Gratuity limits, the Bank incurred a liability of ₹. 1005.21 crore in 2010-11. In terms of requirement of Accounting Standard (AS 15) "Employee Benefits", the entire amount of ₹. 1005.21 crore is required to be charged to Profit and Loss Account.

In terms of Reserve Bank of India circular No.DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11, on Reopening of Pension Option to employees of Public Sector Banks and enhancement in Gratuity limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 09.02.2011, Bank would amortise the amount of ₹. 1005.21 crore over a period of 5 years from 31.3.2011. Accordingly, ₹. 201.04 crore (previous year ₹. 201.04 crore) has been charged to Profit and Loss Account for the year 2013-14 and the balance amount of ₹. 201.05 crore has been carried over. Had the RBI not issued such a circular, the Revenue Reserves of the Bank would have been lower by ₹. 201.05 crore pursuant to application of the requirements of AS-15.

9. Information relating to vendors registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and from whom goods and services have been procured by the Bank, is being ascertained.

ADDITIONAL DISCLOSURES

In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India vide Master Circular dated 01.07.2013, the following additional disclosures are made:-

10. Capital:

(₹. In Crore)

S.No.	Particulars	2013-14		2012-13	
		Basel III	Basel II	Basel I	Basel II
i)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	7.18%			
ii)	Tier I Capital (%)	7.47%	7.63%	7.07%	7.80%
iii)	Tier 2 Capital (%)	3.31%	3.52%	3.67%	4.05%
iv)	Total Capital Ratio (CRAR) %	10.78%	11.15%	10.74%	11.85%
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	73.80%		73.80%	
vi)	Amount of Equity Capital raised	1598.04		1000.00	
vii)	Amount of Additional Tier 1 raised	Nil		Nil	
vii)	Amount of Tier 2 capital raised	Nil		Nil	

11. निवेश

11.1 निवेशों का मूल्य

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.3.2014	31.3.2013
i. निवेशो का सकल मूल्य		
(क) भारत में	68005.85	60194.85
(ख) भारत के बाहर	3226.44	1795.14
ii. मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	993.92	570.22
(ख) भारत के बाहर	1.56	58.69
iii. निवेशों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	67011.93	59624.63
(ख) भारत के बाहर	3224.88	1736.45

11.2 निवेशों पर मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधानों का प्रचलन

(रु. करोड़ में)

	2013-14	2012-13
i. आरंभिक शेष	628.91	363.96*
ii. जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	453.53	175.10
iii. घटाएँ: वर्ष के दौरान प्रतिलेखन/ समायोजन	86.95	(89.85)
iv. समापन शेष	995.49	628.91

11.3 रिपो लेनदेन (अंकित मूल्य के अनुसार)

(रु. करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		दैनिक औसत बकाया वर्ष के दौरान		मार्च 31 को बकाया	
	13-14	12-13	13-14	12-13	13-14	12-13	2014	2013
रिपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	21.30	4.85	51.98	4.85	1.20	0.01	शून्य	शून्य
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रिपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	4.66	5.08	9.36	1698.78	0.05	179.26	शून्य	शून्य
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11.4 गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफ़ोलियो

गैर- एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता-वार संरचना

(रु. करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	रकम	निजी प्लेसमेंट की सीमा	निवेश के कम श्रेणी प्रतिभूतियाँ की सीमा	गैर निर्धारित प्रतिभूतियों की सीमा	असूचीबद्ध प्रतिभूतियों की सीमा
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
1)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	3321.98	3237.18	0.00	0.00	0.62
2)	वित्तीय संस्थाएँ	1471.32	1447.46	0.00	0.00	9.06
3)	बैंक	1291.76	1199.29	0.00	0.00	0.00
4)	निजी कार्पोरेट	1527.34	1626.17	69.63	45.95	9.59
5)	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6)	अन्य	1111.91	531.75	0.00	135.37	39.50
7)	मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधान	651.58	XXX	XXX	XXX	XXX
	कुल	**9569.09**	**8041.85**	**69.63**	**181.32**	**58.77**

11. Investments

11.1 Value of Investments

(₹. In Crore)

Particulars	31.3.2014	31.3.2013
i) Gross Value of Investments		
a) In India	68005.85	60194.85
b) Outside India	3226.44	1795.14
ii) Provisions for Depreciation		
a) In India	993.92	570.22
b) Outside India	1.56	58.69
(iii) Net value of Investments		
a) In India	67011.93	59624.63
b) Outside India	3224.88	1736.45

11.2 Movement of Provisions held towards depreciation on Investments

(₹. In Crore)

	2013-14	2012-13
Opening Balance	628.91	363.96
Add: Provisions made during the year	453.53	175.10
Less: Write-back / Adjustments during the year	86.95	(89.85)
Closing Balance	995.49	628.91

11.3 Repo transactions (in face value terms)

(₹. in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily average outstanding during the year		Outstanding as on March 31	
	13-14	12-13	13-14	12-13	13-14	12-13	2014	2013
Securities sold under Repo								
i) Government securities	21.30	4.85	51.98	4.85	1.20	0.01	Nil	Nil
ii) Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities Purchased under reverse Repo								
i) Government securities	4.66	5.08	9.36	1698.78	0.05	179.26	Nil	Nil
ii) Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

11.4 Non-SLR Investment Portfolio

Issuer Composition of Non-SLR Investments

(₹. In Crore)

No	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below investment grade' securities	Extent of 'Unrated' securities	Extent of 'Unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	3321.98	3237.18	0.00	0.00	0.62
(ii)	FIs	1471.32	1447.46	0.00	0.00	9.06
(iii)	Banks	1291.76	1199.29	0.00	0.00	0.00
(iv)	Private Corporates	1527.34	1626.17	69.63	45.95	9.59
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	Others	1111.91	531.75	0.00	135.37	39.50
(vii)	Provision held towards depreciation	651.58	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
	Total	**9569.09**	**8041.85**	**69.63**	**181.32**	**58.77**

11.5 अनर्जक गैर एसएलआर निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	रकम
1 अप्रैल 2013 तक अथ शेष	57.60
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़	86.09
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौतियाँ	-
31 मार्च 2014 तक इति शेष	143.69
कुल धारित प्रावधान	50.60

11.6 एचटीएम श्रेणी से / को अन्तरण बिक्री

(रु.करोड़ में)

विवरण	रकम
एचटीएम श्रेणी में संपन्न विपणन मूल्य निवेश	शून्य
विपणन मूल्य से अधिक बही मूल्य के अतिरेक के जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया	लागू नही

12. डेरिवेटिव्स

12.1 वायदा दर करार / ब्याज दर अदला-बदली

(रु. करोड़ में)

विवरण		2013-14			2012-13		
		रुपया ऋण	एफएक्स ऋण	कुल	रुपया ऋण	एफएक्स ऋण	कुल
1)	अदला-बदली करारों के काल्पनिक मूल	823.00	6356.94	7179.94	998.00	5769.68	6767.68
2)	करारों के तहत यदि काउंटर पार्टी अपनी बाध्यतों को पूरा करने मे असफल होती हैं तो उससे होने वाली हानि	0.40	179.61	180.01	0.59	246.17	246.76
3)	अदला-बदली करने के बाद बैंक को अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम
4)	अदला-बदली से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम पर केंद्रीकरण	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम
5)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	-22.54	179.61	179.61	-7.49	246.17	238.68

12.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	रकम
1)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम	शून्य
2)	31 मार्च 2014 तक बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम	शून्य
3)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम और जो “ज्यादा प्रभावी” नहीं	शून्य
4)	प्रतिभूतियों के दैनिक मूल्य प्रभार के विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम जो “ज्यादा प्रभावी” नहीं	शून्य

12.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम ऋण पर प्रकटीकरण

12.3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

ट्रेज़री-(विदेशी)

बैंक, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा के लिए ब्याज दर स्वैप (आइ आर एस) मुद्रा स्वैप व सुरक्षा उद्देश्य उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करता है। बैंक कार्पोरेट ग्राहकों को ये उत्पाद भी उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी ही मुद्रा और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन कर सके। इस तरह के लेनदेन ग्राहकों व बैंक के साथ ही किए जाते हैं जिनके करार विद्यमान हैं।

अ) विदेशी उधार / एफ़ सी एन आर (बी) पोर्टफ़ोलियो / आस्ति देयता के असतुलन के कारण ब्याज / विनिमय दरों में उत्पन्न होने वाली जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने के लिए विदेशी खाताओं आदि के निधियन हेतु बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियाँ अनुमति देती हैं और साथ ही ये उत्पाद बैंक टू बैंक दुतरफा आधार पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने की अनुमति देती है।

आ) डेरिवेटिव्स एक्सपोज़र का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के पास एक अलग प्रणाली है और व्यक्तिगत ग्राहकों की निवल साख एवं एवं प्रतिभूति समर्थन को पूर्ण रूप से गणना में लेते हुए डेरिवेटिव लेनदेनों के निष्पादन के लिए समुचित उधार श्रेणियाँ प्रस्तुत करने की भी प्रणाली है।

इ) बैंक ने प्रतिरक्षा लिखतों के रूप में डेरिवेटिव्स के उपयोग से जुड़े जोखिम को निर्धारित करने के लिए उचित नियंत्रण प्रणालियों का गठन किया है डेरिवेटिव लेनदेन से संबंधित सभी पक्षों के प्रबोधन के लिए उचित रिपोर्टिंग प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रतिपक्षी पार्टी के लिए उपयुक्त उधार मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित ऋण सीमा के अंदर डेरिवेटिव्स लेन-देन ही सिर्फ प्रतिपक्षी पार्टी के साथ किए गए।

ई) बैंक ने डेरिवेटिव्स के प्रयोग के लिए आवश्यक सीमाएँ गठित की हैं और इसकी स्थिति व प्रभावकारिता का निरंतर प्रबोधन किया जाता है।

उ) बैंक के पास आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम के परिणामी एक्सपोज़र के मूल्यांकन व निरंतर प्रबोधन करने की अलग प्रणाली है।

11.5 Non Performing Non SLR Investments

(₹. In Crore)

Particulars	Amount
Opening Balance as on 1st April 2013	57.60
Additions during the year since 1st April	86.09
Reductions during the above period	-
Closing Balance as on 31st March 2014	143.69
Total Provisions held	50.60

11.6 Sale and Transfers to/from HTM Category

(₹. In Crore)

Particulars	Amount
Market Value of the investments held in the HTM Category	NIL
Excess of book value over market value for which provision is not made.	Not Applicable

12. DERIVATIVES

12.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹. In Crore)

PARTICULARS	2013-14			2012-13		
	Rupee Exposure	FX Exposure	Total	Rupee Exposure	FX Exposure	Total
i) The notional principal of swap agreements	823.00	6356.94	7179.94	998.00	5769.68	6767.68
ii) Losses which would be incurred if counter-parties failed to fulfill their obligations under the agreements	0.40	179.61	180.01	0.59	246.17	246.76
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
v) The fair value of the swap book	-22.54	179.61	179.61	-7.49	246.17	238.68

12.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹. In Crore)

S. No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year	Nil
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2014	Nil
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil

12.3 DISCLOSURES ON RISK EXPOSURE IN DERIVATIVES

12.3.1 Qualitative Disclosure

Treasury (Foreign)

The Bank uses Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps and Options for hedging purpose to mitigate interest rate risk and currency risk in banking book. The Bank also offers these products to corporate clients to enable them to manage their own currency and interest rate risk. Such transactions are entered only with Clients and Banks having agreements in place.

a) The Risk Management Policy of the Bank allows using of derivative products to hedge the risk in Interest/ Exchange rates that arise on account of overseas borrowing/FCNR(B) portfolio/the asset liability mis-match, for funding overseas branches etc., and also to offer derivative products on back- to- back basis to customers.

b) The Bank has a system of evaluating the derivatives exposures separately and placing appropriate credit lines for execution of derivative transactions duly reckoning the Net Worth and security backing of individual clients.

c) The Bank has set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives as hedge instruments and proper risk reporting systems are in place to monitor all aspects relating to derivative transactions. The Derivative transactions were undertaken only with banks and counterparties well within their respective exposure limit approved by appropriate credit sanctioning authorities for each counter party.

d) The Bank has set necessary limits in place for using derivatives and its position is continuously monitored.

e) The Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of resultant exposures across the administrative hierarchy for initiation of necessary follow up actions.

f) Derivatives are used by the Bank to hedge the Bank's Balance sheet and offered to select corporate clients

ऊ) बैंक द्वारा तुलन पत्र की प्रतिरक्षा और कार्पोरेट ग्राहकों का पारस्परिक आधार पर चयन करने के लिए बैंक द्वारा व्युत्पन्न का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरक्षा लेनदेनों के संबंध मे प्रतिरक्षा के मूल्य व परिपाक ने मूलाधार को पार नहीं की है। बैक टू बैक लेनदेनों के संबंध में ग्राहकों के साथ के लेनदेन, बैंक के काउंटर पार्टी लेनदेनों से पूर्णत: मेल किए गए हैं और अरक्षित ऋण नहीं हैं।

ऋ) इस प्रकार के डेरिवेटिव्स से होने वाली आय को परिशोधित किया गया है और संविदा की आयु के लिए उपचयन के आधार पर लाभ व हानि लेखे में लिया गया है। तुलन पत्र हेतु किए गए अदला-बदली के शीघ्र निरसन के मामले में ऐसे लाभों से प्राप्त आय अदला बदली की शेष संविदात्मक अवधि आयु या आस्तियों / देयताओं की अवधि , जो भी कम हो , के आधार पर की जाएगी । ग्राहकों के लिए बैक टू बैक आधार पर लिए गए डेरिवेटिव्स के शीघ्र समापन के संबंध में प्राप्त होने वाली आय की पहचान समापन के आधार पर की जाएगी।

ए) सभी प्रतिरक्षा लेन देन उपचयन के आधार पर परिकलित किए गए हैं । बकाए संविदाओं का मूल्यांकन बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के आधार पर किया गया । बैंक के पास डेरिवेटिव्स में लेन देन के लिए विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन और लेखांकन नीति उपलब्ध है ।

ऐ) डेरिवेटिव्स लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं ।

ट्रेजरी (घरेलू)

बैंक , सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज दर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा हेतु और अधीनस्थ ऋणों और सावधि जमाओं की लागत कम करने के लिए रुपया ब्याज दर स्वैप (आइ आर एस) का प्रयोग करता है । इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ट्रेडिंग के लिए बैंक रुपया ब्याज दर स्वैप को अपनाता है । स्वैप लेन देन केवल उन्हीं बैंकों के साथ किए जाते हैं जिनके पास आइ एस डी ए करार मौजूद है ।

क) बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त ढांचा और संगठन उपलब्ध है जिसमें ट्रेजरी विभाग , बोर्ड की आस्ति देयता प्रबंधन समिति और जोखिम समिति शामिल है ।

ख) व्युत्पन्न लेन देन में बाजार जोखिम (ब्याज दरों में प्रतिकूल संचलन के कारण उत्पन्न), उधार जोखिम (संभावित काउंटर पार्टी चूकने से उत्पन्न) तरलता जोखिम (सामान्य मूल्य पर लेन देन निष्पादित करने हेतु या निधियों की जरूरत की पूर्ति करने से चूकने पर उत्पन्न) , परिचालनगत जोखिम , विनियामक जोखिम , प्रतिष्ठा जोखिम शामिल रहता है। बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने में निहित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण प्रणालियां स्थापित कर रखी हैं और व्युत्पन्न लेन देनों से संबंधित सभी पक्षों का प्रबोधन करने हेतु उचित जोखिम सूचना प्रणाली और उसे कम करने की प्रणाली उपलब्ध करवाई है । आइ आर एस लेन देन केवल बैंकों के साथ प्रतिपार्टी के रूप में किए जाते हैं और हर पार्टी के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधार सीमा के अंदर होते हैं ।

ग) बैंक व्युत्पन्न का प्रयोग प्रतिरक्षा एवं ट्रेडिंग के लिए करता है । बैंक में व्युत्पन्न के लिए अनुमोदित नीति उपलब्ध है और बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सीमाएं नियत की हैं और इसकी स्थिति का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है । केवल दुतरफा आधार पर प्रयुक्त प्रतिरक्षाओं अथवा बैंक के तुलन पत्र की प्रतिरक्षा का मूल्य व परिपाक ने ऋण के मूलाधार का अधिगमन नहीं किया है ।

घ) व्युत्पन्न के लिए लेखाकरण नीति भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूची 17 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (नीति संख्या 6) में प्रकट किए अनुसार की गयी है ।

12.3.2 मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
i)	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूल रकम) क) प्रतिरक्षा के लिए ख) व्यापार के लिए	1319.16 114.5	723 100
ii)	बाजार मूल्य को बही में अंकित करने की स्थिति क) आस्तियाँ (+) ख) देयताएँ (-)	69.70 1.51	0.40 22.94
iii)	ऋण जोखिम	168.38	8.23
iv)	ब्याज दर में संभावित एक प्रतिशत के परिवर्तन (100*पीवी01) क) प्रतिरक्षा डेरिवेटिव्स पर ख) व्यापार डेरिवेटिव्स पर	17.49 1.93	17.73 3.40
v)	वर्ष के दौरान देखे गए 100*पीवी01 का न्यूनतम और अधिकतम क) प्रतिरक्षा पर ख) व्यापार पर	Maximum 33.1 Minimum 17.49 Maximum 3.11 Minimum 1.92	Maximum 17.73 Minimum 12.98 Maximum 3.40 Minimum 2.71

on back-to-back basis. In respect of hedge transactions the value and maturity of hedges has not exceeded that of the underlying exposure. In respect of back-to-back transactions the transactions with clients are fully matched with counter party Bank transactions and there is no uncovered exposure.

g) The income from such derivatives are amortized and taken to Profit and Loss Account on accrual basis over the life of the contract. In case of early termination of swaps undertaken for Balance Sheet management, income on account of such gains would be recognized over the remaining contractual life of the swap or life of the assets/liabilities whichever is lower. In case of early termination of derivatives undertaken for customers on a back- to- back basis, income on account of such things will be recognized on termination.

h) All the hedge transactions are accounted on accrual basis. Valuations of the outstanding contracts are done on Mark to Market basis. The Bank has duly approved Risk Management and Accounting procedures for dealing in Derivatives.

i) The derivative transactions are conducted in accordance with the extant guidelines of Reserve Bank of India.

Treasury (Domestic)

The Bank uses Rupee Interest Rate Swaps (IRS) for hedging purpose to mitigate interest rate risk in Govt. Securities and to reduce the cost of Subordinated Debt and term deposits. In addition, the Bank also enters into rupee interest rate swaps for trading purposes as per the policy duly approved by the Board. Swap transactions are entered only with Banks having ISDA agreements in place.

a) The Bank has put in place an appropriate structure and organization for management of risk, which includes Treasury Department, Asset Liability Management Committee and Risk Management Committee of the Board.

b) Derivative transactions carry Market Risk (arising from adverse movement in interest rates), Credit risk (arising from probable counter party failure), Liquidity risk (arising from failure to meet funding requirements or execute the transaction at a reasonable price), Operational risk, Regulatory risk and Reputation risk. The Bank has laid down policies, set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives and proper risk reporting and mitigation systems are in place to monitor all risks relating to derivative transactions. The IRS transactions were undertaken with only Banks as counter party and well within the exposure limit approved by the Board of Bank for each counter party.

c) Derivatives are used by the Bank for trading and hedging. The Bank has an approved policy in force for derivatives and has set necessary limits for the use of derivatives and the position is continuously monitored. The value and maturity of the hedges which are used only as back to back or to hedge Bank's Balance Sheet has not exceeded that of the underlying exposure.

d) The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, as disclosed in Schedule 17 – Significant Accounting Policies (Policy No.6)

12.3.2 Quantitative Disclosures

(₹. In Crore)

S. No.	PARTICULARS	CURRENCY DERIVATIVES	INTEREST RATE DERIVATIVES
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount) For Hedging For Trading	 1319.16 114.5	 723 100
(ii)	Marked to Market Positions Asset (+) Liability (-)	 69.70 1.51	 0.40 22.94
(iii)	Credit Exposure	168.38	8.23
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01) on hedging derivatives on trading derivatives	 17.49 1.93	 17.73 3.40
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year on hedging on trading	 Maximum 33.1 Minimum 17.49 Maximum 3.11 Minimum 1.93	 Maximum 17.73 Minimum 12.98 Maximum 3.40 Minimum 2.71

13. आस्ति गुणवत्ता

13.1.1 अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए)

(रु.करोड़ में)

	2013-14	2012-13
i) निवल एनपीए की तुलना में निवल अग्रिम (%)	3.20	2.50
ii) एनपीए की गतिशीलता (सकल)		
क) अथ शेष	6607.96	3920.07
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	6902.40	5600.61
ग) वर्ष के दोरान कटौतियाँ	4489.88	2912.72
घ) इति शेष	9020.48	6607.96
iii) निवल एनपीए की गतिशीलता		
क) अथ शेष	4027.21	1907.44
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	4691.60	3413.18
ग) वर्ष के दोरान कटौतियाँ	3060.69	1293.41
घ) इति शेष	5658.12	4027.21
iv) एनपीए की गतिशीलता के लिए प्रावधान (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)		
क) अथ शेष	2464.51	1923.40
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2210.80	2198.82
ग) बट्‌टे खाते में डाले गए / पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान	1681.28	1657.71
घ) इति शेष	2994.03	2464.51

13.1.2 प्रावधान कवरेज़ अनुपातः

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2014 तक परिकलित प्रावधान कवरेज का अनुपात (पीसीआर) 54.94 % (दिनांक 31.03.2013 तक 58.89%) रहा।

13. ASSET QUALITY:

13.1.1 Non-Performing Assets (NPAs)

(₹. In Crore)

	2013-14	2012-13
i) Net NPAs to Net Advances (%)	3.20	2.50
ii) Movement of NPAs (Gross)		
a) Opening Balance	6607.96	3920.07
b) Additions during the year	6902.40	5600.61
c) Reductions during the year	4489.88	2912.72
d) Closing Balance	9020.48	6607.96
iii) Movement of Net NPAs		
a) Opening Balance	4027.21	1907.44
b) Additions during the year	4691.60	3413.18
c) Reductions during the year	3060.69	1293.41
d) Closing Balance	5658.12	4027.21
iv) Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
a) Opening balance	2464.51	1923.40
b) Provisions made during the year	2210.80	2198.82
c) Write-off/Write-back of excess provisions	1681.28	1657.71
d) Closing balance	2994.03	2464.51

13.1.2 Provision Coverage Ratio

The Provision Coverage Ratio (PCR) computed as per the RBI guidelines stood at 54.94% as on 31.3.2014 (58.89% as on 31.3.2013).

13.2. पुनर्संरचित खातों के विवरण

(रु.करोड़ में)

क्रम सं.	पुन: संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
1	मार्च 31, 2013 तक पुनर्संरचित किए गए खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	42	0	1	0	43	194	52	7	0	253	799	265	84	0	1148	1035	317	92	0	1444
		बकाया राशि	3965.91	0.00	83.51	0.00	4049.42	458.58	38.44	4.71	0.00	501.73	10256.09	225.12	188.48	0.00	10669.69	14680.58	263.56	276.70	0.00	15220.84
		उनपर प्रावधान	456.09	0.00	8.74	0.00	464.83	4.59	0.01	0.00	0.00	4.60	309.32	0.60	0.00	0.00	309.92	770.00	0.61	8.74	0.00	779.35
2	वर्ष के दौरान पुनर्संरचित किए गए नए खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	13	3	0	0	16	58	0	2	0	60	36	0	3	0	39	107	3	5	0	115
		बकाया राशि	1997.19	108.88	0	0	2106.07	250.27	0	12.47	0	262.74	1936.82	0	169.04	0	2105.86	4184.28	108.88	181.51	0	4474.67
		उनपर प्रावधान	215.58	12.15	0	0	227.73	4.51	0	0.77	0	5.28	48.21	0	1.60	0	49.81	268.30	12.15	2.37	0	282.82
3	वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग के स्तर में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-2	0	0	0
		बकाया राशि	54.69	-54.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.69	-54.69	0	0	0
		उनपर प्रावधान	6.24	-6.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.24	-6.24	0	0	0

13.2 Particulars of Accounts Restructured

(₹. In Crore)

Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification / Details		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on March 31 2013	No. of Borrowers	42	0	1	0	43	194	52	7	0	253	799	265	84	0	1148	1035	317	92	0	1444
		Amount Outstanding	3965.91	0.00	83.51	0.00	4049.42	458.58	38.44	4.71	0.00	501.73	10256.09	225.12	188.48	0.00	10669.69	14680.58	263.56	276.70	0.00	15220.84
		Provision Thereon	456.09	0.00	8.74	0.00	464.83	4.59	0.01	0.00	0.00	4.60	309.32	0.60	0.00	0.00	309.92	770.00	0.61	8.74	0.00	779.35
2	Fresh restructuring during the year	No. of Borrowers	13	3	0	0	16	58	0	2	0	60	36	0	3	0	39	107	3	5	0	115
		Amount Outstanding	1997.19	108.88	0	0	2106.07	250.27	0	12.47	0	262.74	1936.82	0	169.04	0	2105.86	4184.28	108.88	181.51	0	4474.67
		Provision Thereon	215.58	12.15	0	0	227.73	4.51	0	0.77	0	5.28	48.21	0	1.60	0	49.81	268.30	12.15	2.37	0	282.82
3	Upgradations to restructured Standard category during the FY 2013-14	No. of Borrowers	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-2	0	0	0
		Amount Outstanding	54.69	-54.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.69	-54.69	0	0	0
		Provision Thereon	6.24	-6.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.24	-6.24	0	0	0

क्रम सं.	पुन: संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
4	उच्च प्रावधान आकर्षित करनेवाले पुन: संरचित मानक अग्रिम और/या वित्तीय वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जिन्हें पुन: संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है ।	उधारकर्ताओं की संख्या	30	0	0	0	30	196	0	0	0	196	240	0	0	0	240	466	0	0	0	466
		बकाया राशि	2151.05	0	0	0	2151.05	441.81	0	0	0	441.81	2060.75	0	0	0	2060.75	4653.61	0	0	0	4653.61
		उनपर प्रावधान	249.04	0	0	0	249.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.04	0	0	0	249.04
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुन: संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-10	10	0	0	0	-19	19	0	0	0	-37	37	0	0	0	-66	66	0	0	0
		बकाया राशि	-660.87	660.87	0	0	0	-192.14	192.14	0	0	0	-1294.90	1294.90	0	0	0	-2147.91	2147.91	0	0	0
		उनपर प्रावधान	-51.19	51.19	0	0	0	-0.84	0.84	0	0	0	-32.85	32.85	0	0	0	-84.88	84.88	0	0	0

Type of Restructuring	Asset Classification / Details	4. Restructured Standard advances which cease to attract higher provisioning and/ or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY — No. of Borrowers	4. Amount Outstanding	4. Provision Thereon	5. Downgradations of restructured accounts during the FY — No. of Borrowers	5. Amount Outstanding	5. Provision Thereon
Under CDR Mechanism	Standard	30	2151.05	249.04	-10	-660.87	-51.19
	Sub-standard	0	0	0	10	660.87	51.19
	Doubtful	0	0	0	0	0	0
	Loss	0	0	0	0	0	0
	Total	30	2151.05	249.04	0	0	0
Under SME Debt Restructuring Mechanism	Standard	196	441.81	0	-19	-192.14	-0.84
	Sub-standard	0	0	0	19	192.14	0.84
	Doubtful	0	0	0	0	0	0
	Loss	0	0	0	0	0	0
	Total	196	441.81	0	0	0	0
Others	Standard	240	2060.75	0	-37	-1294.90	-32.85
	Sub-standard	0	0	0	37	1294.90	32.85
	Doubtful	0	0	0	0	0	0
	Loss	0	0	0	0	0	0
	Total	240	2060.75	0	0	0	0
Total	Standard	466	4653.61	249.04	-66	-2147.91	-84.88
	Sub-standard	0	0	0	66	2147.91	84.88
	Doubtful	0	0	0	0	0	0
	Loss	0	0	0	0	0	0
	Total	466	4653.61	249.04	0	0	0

क्रम सं.	पुन: संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
6	वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए पुन: संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	12	0	13	0	1	14	0	15
		बकाया राशि	0	0	97.63	0	97.63	0	0	0	0	0	0	80.05	412.96	0	493.01	0	80.05	510.59	0	590.64
7	वित्तीय वर्ष के मार्च 31, 2013 तक पुन: संरचित किए गए खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	43	8	0	0	51	164	68	8	0	240	616	259	69	0	944	823	335	77	0	1235
		बकाया राशि	5672.15	516.86	0	0	6189.01	436.30	150.89	3.71	0	590.90	6205.87	891.96	276.63	0	7374.46	12314.32	1559.71	280.34	0	14154.37
		उनपर प्रावधान	493.54	56.30	0	0	549.84	7.55	0.25	0	0	7.80	323.00	28.96	1.95	0	353.91	824.01	88.51	1.95	0	911.55

Type of Restructuring	Asset Classification	6. Write-offs of restructured accounts during the FY: No. of Borrowers	6. Write-offs of restructured accounts during the FY: Amount Outstanding	7. Restructured Accounts as on March 31 2013 of the FY: No. of Borrowers	7. Restructured Accounts as on March 31 2013 of the FY: Amount Outstanding	7. Restructured Accounts as on March 31 2013 of the FY: Provision Thereon
Under CDR Mechanism	Standard	0	0	43	5672.15	493.54
	Sub-standard	0	0	8	516.86	56.30
	Doubtful	2	97.63	0	0	0
	Loss	0	0	0	0	0
	Total	2	97.63	51	6189.01	549.84
Under SME Debt Restructuring Mechanism	Standard	0	0	164	436.30	7.55
	Sub-standard	0	0	68	150.89	0.25
	Doubtful	0	0	8	3.71	0
	Loss	0	0	0	0	0
	Total	0	0	240	590.90	7.80
Others	Standard	0	0	616	6205.87	323.00
	Sub-standard	1	80.05	259	891.96	28.96
	Doubtful	12	412.96	69	276.63	1.95
	Loss	0	0	0	0	0
	Total	13	493.01	944	7374.46	353.91
Total	Standard	0	0	823	12314.32	824.01
	Sub-standard	1	80.05	335	1559.71	88.51
	Doubtful	14	510.59	77	280.34	1.95
	Loss	0	0	0	0	0
	Total	15	590.64	1235	14154.37	911.55

13.3 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुन:संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
(i) खातों की संख्या	58	1
(ii) एस सी / आर सी को विक्रय किए गए खातों का कुल मूल्य [प्रावधानों का निवल]	736.19	शून्य
(iii) कुल प्रतिफल	1015.15	11.00
(iv) गत वर्षों में अंतरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(v) निवल बही-मूल्य पर कुल लाभ / हानि	278.96	3.01

13.4 अन्य बैंकों से क्रय / विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

13.4.1 क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ों में)

विवरण	2013-14	2012-13
1. [क] वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
[ख] कुल बकाया	शून्य	शून्य
1. [क] वर्ष के दौरान इनमें से पुन:संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
[ख] कुल बकाया	शून्य	शून्य

13.4.2. विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ों में)

विवरण	2013-14	2012-13
1. विक्रय किए गए खाते	शून्य	शून्य
2. कुल बकाया	शून्य	शून्य
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

13.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रु. करोड़ों में)

विवरण	2013-14	2012-13
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	1195.55	941.52

14. कारोबार अनुपात

	विवरण	2013-14	2012-13
(i)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजगत आय	8.99%	9.57%
(ii)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	0.85%	0.91%
(iii)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ	1.58%	1.77%
(iv)	आस्तियों से लाभ	0.23%	0.24%
(v)	कारोबार (जमाएँ व अग्रिम) प्रति कर्मचारी (रु. करोडों में)	13.67	12.88
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोडों में)	0.0201	0.0199

13.3 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset reconstruction

(₹. In Crore)

	Particulars	2013-14	2012-13
(i)	No. of accounts	58	1
(ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	736.19	Nil
(iii)	Aggregate consideration	1015.15	11.00
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
(v)	Aggregate gain/(loss) over net book value	278.96	3.01

13.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold from other banks

13.4.1 Details of non-performing financial assets purchased:

(₹. In Crore)

Particulars	2013-14	2012-13
1 (a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
2 (a) Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

13.4.2 Details of non-performing financial assets sold:

(₹. In Crore)

Particulars	2013-14	2012-13
1. No. of accounts sold	Nil	Nil
2. Aggregate outstanding	Nil	Nil
3. Aggregate consideration received	Nil	Nil

13.5 Provisions on Standard Assets

(₹. In Crore)

Particulars	2013-14	2012-13
Provisions towards Standard Assets	1195.55	941.52

14 BUSINESS RATIOS

	Particulars	2013-14	2012-13
(i)	Interest Income as a percentage to Average Working Funds	8.99%	9.57%
(ii)	Non Interest Income as a percentage to Working Funds	0.85%	0.91%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.58%	1.77%
(iv)	Return on Assets	0.23%	0.24%
(v)	Business (Deposits plus advances) per Employee (₹. In crore)	13.67	12.88
(vi)	Profit per employee (₹. In crore)	0.0201	0.0199

15. आस्ति देयता प्रबंधन :

31 मार्च 2014 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान

(रु. करोड़ों में)

	जमाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	4679.93	3104.31	4965.68	4199.18	22.71	983.79
2 से 7 दिन	4617.11	3205.00	2521.96	306.09	1232.83	0.00
8 से 14 दिन	5620.34	6261.26	1276.94	0	1.30	0.00
15 से 28 दिन	5936.06	7829.28	1402.60	1161.68	553.93	0.00
29 से 3 महीने तक	21497.18	22074.32	5104.54	1057.68	250.54	0.00
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	37522.62	10872.98	8871.18	2664.54	1418.09	954.50
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	57590.34	18568.19	13923.59	1687.64	905.46	1372.82
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	28190.24	63747.96	10331.23	6315.80	607.28	1202.35
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	7862.78	21058.78	3909.51	3972.60	3.74	482.42
5 वर्ष से अधिक	54459.48	24358.93	18925.05	3090.83	0.00	0.00
कुल	**227976.08**	**181081.01**	**71232.28**	**24456.04**	**4995.88**	**4995.88**

16. उधार

16.1 स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण

(रु. करोड़ों में)

	प्रवर्ग	**2013-14**	**2012-13**
अ)	**प्रत्यक्ष ऋण**		
	i) रिहाइशी बंधक		
	उधारकर्ता की उस रिहाइशी संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णत: प्रतिभूति उधार जिसमें उधारकर्ता खुद रहता है या रहने वाला है या जिसे किराए पर दिया जायेगा ।	8283.73	5699.92
	जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	5943.27	4296.35
	ii) वाणिज्यिक स्थावर-संपदा वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार [कार्यालय भवन, छोटी-मोटी ज़मीन, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार निवासीय भवन, बहुविध किराए पर दिया हुआ वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस ज़मीन, होटल, भूमि अभिग्रहण, विस्तारण व निर्माण आदि] उधार में गैर-निधि आधारित सीमाएँ (एनएफबी) सम्मिलित हैं ।	8979.60	7833.92
	iii) स्थावर संपदा अन्य :: लिक्विरेंट ऋण जो सीआरई के तहत नहीं है होटेल और अस्पताल	3843.59	3923.29
	iv) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश और अन्य प्रत्याभूत उधार रिहाइशी वाणिज्यिक स्थावर संपदा अन्य	 शून्य शून्य 15.00	 शून्य शून्य 15.00
(b)	**आ) अप्रत्यक्ष ऋण :** राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित उधार	1863.25	861.27
स्थावर संपदा प्रवर्ग को कुल ऋण (अ +आ)		**22985.17**	**18333.40**

15 ASSET LIABILITY MANAGEMENT:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on March 31, 2014 (₹. In Crore)

	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Gross)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	4679.93	3104.31	4965.68	4199.18	22.71	983.79
2 to 7 days	4617.11	3205.00	2521.96	306.09	1232.83	0.00
8 to 14 days	5620.34	6261.26	1276.94	0	1.30	0.00
15 to 28 days	5936.06	7829.28	1402.60	1161.68	553.93	0.00
29 days to 3 Month	21497.18	22074.32	5104.54	1057.68	250.54	0.00
Over 3 Month & up to 6 Month	37522.62	10872.98	8871.18	2664.54	1418.09	954.50
Over 6 Month & up to 1 year	57590.34	18568.19	13923.59	1687.64	905.46	1372.82
Over 1 year & up to 3 years	28190.24	63747.96	10331.23	6315.80	607.28	1202.35
Over 3 years & up to 5 years	7862.78	21058.78	3909.51	3972.60	3.74	482.42
Over 5 years	54459.48	24358.93	18925.05	3090.83	0.00	0.00
Total	**227976.08**	**181081.01**	**71232.28**	**24456.04**	**4995.88**	**4995.88**

16 Exposures

16.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹. In Crore)

Category			2013-14	2012-13
(a)	**Direct Exposure**			
	i)	Residential Mortgages -		
		Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	8283.73	5699.92
		Out of which, Individual housing loans eligible to be classified under Priority Sector	5943.27	4296.35
	ii)	Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limits;	8979.60	7833.92
	iii)	Real estate others: Hotels, Hospitals and Liquirent not under CRE	3843.59	3923.29
	iv)	Investments in Mortgage Backed Securities and other securitised exposures		
		Residential	Nil	Nil
		Commercial Real estate	Nil	Nil
		Others	15.00	15.00
(b)	**Indirect Exposure**: Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)		1863.25	861.27
Total Exposure to Real Estate Sector (a+b)			**22985.17**	**18333.40**

16.2 पूँजी बाज़ार को ऋण जोखिम

(रु. करोडों में)

विवरण	2013-14	2012-13
i) उन ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में किया गया प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी निधि का निवेश विशिष्टत: कार्पोरेट ऋण में नहीं किया गया है;	887.82	690.73
ii) शेयरों (आइपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनशील बाँडों और परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम	4.26	0.87
iii) किसी अन्य प्रयोजन हेतु दिए गए वे अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडो की यूनिटों को मूल प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है	341.16	299.04
iv) जहाँ शेयरों / परिवर्तनशील बाँडों / परिवर्तनशील डिबेंचरों / ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों से इतर प्रधान प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती, वहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत कर किन्हीं अन्य उद्देश्यों कि लिए प्रदत्त अग्रिम;	579.05	705.74
v) स्टॉक ब्रोकर को दिए गए सुरक्षित व असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियाँ;	128.17	129.02
vi) संसाधनों को जुटाने की अपेक्षा से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के प्रति या निर्बन्ध आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण;	शून्य	35.00
vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण;	शून्य	शून्य
viii) शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गयी हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	शून्य	शून्य
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना;	शून्य	0.20
x) उद्यम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों ही) के प्रति सभी ऋण	236.48	239.36
पूँजी बाजार को कुल उधार	**2176.94**	**2099.96**

16.3 जोखिम वर्ग वार देश ऋण

(रु. करोड़ों में)

जोखिम वर्ग	31.3.2014 तक (निवल) अग्रिम	31.3.2014 तक धारित प्रावधान	31.3.2013 तक (निवल) अग्रिम	31.3.2013 तक धारित प्रावधान
अमहत्वपूर्ण	18962.24	14.975	12831.42	7.12
कम	3139.89	शून्य	4574.71	शून्य
सामान्य	2514.76	शून्य	2297.79	शून्य
उच्च	49.96	शून्य	164.21	शून्य
उच्चतर	263.81	शून्य	127.78	शून्य
प्रतिबंधित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उधार-इतर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**24930.66**	**14.975**	19995.91	7.12

16.4 एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के विवरण जहाँ बैंक ने अतिक्रमण किया है :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और वर्ष 2013-14 के लिए हमारे बैंक के ऋण नीति दस्तावेज की शर्तों के अनुसार एकल उधारकर्ता उधार सीमा का अनुमेय स्तर रु 2754.90 करोड़ (पूंजी निधि का 15 %) है और समूह उधारकर्ता सीमा के लिए रु 7346.40 करोड़ (पूंजी निधि का 40 %) है । विदेशी शाखाओं के मामले में एसबीएल और जीबीएल में यूएसडी 40 मियो और यूएसडी 60 मियो क्रमश: है।

(रुपए करोड़ों में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम सीमा	मंजूर की गई सीमा	वह अवधि जिस दौरान सीमा का अधिगमन हुआ	बोर्ड की मंजूरी के विवरण	31.03.2014 तक के लिए बकाये की स्थिति
1	आर्मडा सी 7 पीटीई लि@	359.49 (यूएसडी 60.00 मियो) (समूह उधारकर्ता सीमा)	239.66 (यूएसडी 40.00 मियो)	30.11.2013 -31.03.2014	20.09.2013	239.66 (यूएसडी 40.00 मियो)
2	वेस्टर्न अलायंस इंटरनेशनल लि.@	359.49 (यूएसडी 60.00 मियो) (समूह उधारकर्ता सीमा)	179.75 (यूएसडी 30.00 मियो)	अधिक्रमण नहीं किया गया	14.12.2013	159.30 (यूएसडी 26.588 मियो)
3	किंग एम्पायर ग्रूप लिमिटेड @	359.49 (यूएसडी 60.00 मियो) (समूह उधारकर्ता सीमा)	59.915 (यूएसडी 10.00 मियो)	अधिक्रमण नहीं किया गया	14.12.2013	44.44 (यूएसडी 7.418 मियो)
4	वरदा ट्वेल्व पीटीई लि	239.66 (यूएसडी 40.00 मियो)	368.48 (यूएसडी 61.500 मियो)	27.12.2013 -31.03.2014	14.03.2014	368.48 (यूएसडी 61.500 मियो)

16.2 Exposure to Capital Market

(₹. In Crore)

Particulars		2013-14	2012-13
(i)	direct investment made in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	887.82	690.73
(ii)	advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	4.26	0.87
(iii)	advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	341.16	299.04
(iv)	advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	579.05	705.74
(v)	secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	128.17	129.02
(vi)	loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	Nil	35.00
(vii)	bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	Nil	Nil
(viii)	underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
(ix)	financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	0.20
(x)	all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	236.48	239.36
Total Exposure to Capital market		**2176.94**	**2099.96**

16.3 Risk Category-wise Country Exposure:

(₹. In Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.3.2014	Provision held as at 31.3.2014	Exposure (net) as at 31.3.2013	Provision held as at 31.3.2013
Insignificant	18962.24	14.975	12831.42	7.12
Low	3139.89	Nil	4574.71	Nil
Moderate	2514.76	Nil	2297.79	Nil
High	49.96	Nil	164.21	Nil
Very High	263.81	Nil	127.78	Nil
Restricted	Nil	Nil	Nil	Nil
Off-credit	Nil	Nil	Nil	Nil
Total	**24930.66**	**14.975**	19995.91	7.12

16.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

As per RBI guidelines and terms of Loan Policy Document of our Bank for 2013-14, the permissible level of Single Borrower exposure limit is ₹. 2754.90 crore (15% of Capital funds) and ₹. 7346.40 crore for Group Borrower limit (40% of Capital funds). SBL and GBL in case of overseas branches is USD 40 Mio and USD 60 Mio respectively.

(₹. In Crore)

Sl. No.	Name of the Borrower	Exposure limit	Limit Sanctioned	Period during which limit exceeded	Board sanction details	Position as on 31.3.2014 Outstanding
1	Armada C7 Pte ltd@	359.49 [USD60.00 mio] [Group borrower limit]	239.66 [USD 40.00 mio]	30.11.2013-31.3.2014	20.09.2013	239.66 [USD 40.00 mio]
2	Western Alliance International ltd@	359.49 [USD60.00 mio] [Group borrower limit]	179.75 [USD 30.00 mio]	Not exceeded	14.12.2013	159.30 [USD 26.588 mio]
3	King Empire group Limited@	359.49 [USD60.00 mio] [Group borrower limit]	59.915 [USD 10.00 mio]	Not exceeded	14.12.2013	44.44 [USD 7.418 mio]
4	Varada Twelve Pte ltd	239.66 [USD 40.00 mio]	368.48 [USD 61.500 mio]	27.12.2013-31.03.2014	14.03.2014	368.48 [USD61.500 mio]

16.5 अप्रतिभूत अग्रिम

(रु. करोड़ों में)

	2013-14	2012-13
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल रकम जैसे हक, लाइसेंस प्राधिकार पर किए गए प्रभार आदि	3291.59	5356.00
ऐसी अमूर्त संपार्श्विकों का अनुमानित मूल्य	**3291.59**	**5356.00**

17. भा.रि.बैंक द्वारा लगाए गए दंड:

(रु. करोड़ों में)

	2013-14	2012-13
भा.रि.बैंक द्वारा लगाए गए दंड:	3.002	शून्य

लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

18.1 लेखांकन मानक 5 - अवधि के लिए कुल लाभ, अवधि से पूर्व मदें और लेखांकन पॉलिसियाँ

भा.रि.बैंक के परिपत्र सं.डीबीओडी.बीपी.95/21.04.048/2013/14 दिनांकित 07.02.2014 द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार और बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित पॉलिसी के अनुसरण में, बैंक ने अस्थाई प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधान बफ़र से, रु.324.20 करोड़ की राशि को अनर्जक आस्ति हेतु निर्दिष्ट प्रावधानों के लिए प्रयोग किया है ।

18.2 लेखांकन मानक 9 - राजस्व मान्यता

महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसी - अनुसूची 17 में मद सं.2 में वर्णितानुसार राजस्व को मान्यता दी गई हैं ।

18.3 लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

i) बैंक ने 01 अप्रैल 2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "कर्मचारियों के लाभ" संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया है ।

ii) लेखांकन मानक-15 (परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते और तुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन-उत्तर लाभों और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की स्थिति का सारांश निम्नवत है;

(क) परिभाषित लाभ योजनाएँ

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	4865.10	4389.33	1098.78	941.01	327.26	289.02
ब्याज लागत	408.30	357.86	89.87	70.03	27.24	22.00
वर्तमान सेवा लागत	82.46	67.33	54.16	76.21	24.40	50.84
प्रदत्त लाभ	(397.65)	(358.48)	(143.50)	(131.15)	(62.38)	(60.37)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान / (लाभ)	468.28	409.07	26.09	142.68	73.40	25.76
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	5426.49	4865.11	1125.40	1098.78	389.92	327.26

योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ों में)

	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य@	4578.80	3935.08	1010.40	793.07	0.00	0.00
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	416.82	362.25	78.76	68.08	0.00	0.00
नियोक्ता का अंशदान	503.56	539.75	90.00	248.00	62.38	60.37
प्रदत्त लाभ	(397.65)	(358.48)	(143.50)	(131.15)	(62.38)	(60.37)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान / (लाभ)	181.81	100.20	40.42	32.40	0.00	0.00
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य@	5283.34	4578.80	1076.09	1010.40	0.00	0.00
गैर निधीय संक्रमणकालीन देयता	--	--	---	--	--	--

16.5 Unsecured Advances (₹. In Crore)

	2013-14	2012-13
Total amount for which intangible securities such as charge over the rights, licences authority, etc., has been taken	3291.59	5356.00
Estimated value of such intangible collateral	**3291.59**	**5356.00**

17 Disclosure of Penalties imposed by RBI: (₹. In Crore)

	2013-14	2012-13
Penalties imposed by RBI	3.002	Nil

18. DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS

18.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

As permitted by RBI vide its circular No. DBOD.BP.95/21.04.048./2013/14 Dt. 07.02.2014 and also in pursuance to Bank's Board approved policy, the Bank has utilized a sum of ₹. 324.20 crores from Floating provisions/ Counter Cyclical Provisioning Buffer towards Specific Provisions for Non Performing Assets.

18.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

18.3 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

i) The Bank has adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employee Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April 2007.

ii) The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with the Accounting Standard–15 (Revised) are as under:

(a) Defined Benefit Schemes:

Changes in the present value of the obligations (₹. In Crore)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Present Value of obligation as at the beginning of the year	4865.10	4389.33	1098.78	941.01	327.26	289.02
Interest Cost	408.30	357.86	89.87	70.03	27.24	22.00
Current Service Cost	82.46	67.33	54.16	76.21	24.40	50.84
Benefits Paid	(397.65)	(358.48)	(143.50)	(131.15)	(62.38)	(60.37)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	468.28	409.07	26.09	142.68	73.40	25.76
Present Value of Obligation at year end	5426.49	4865.11	1125.40	1098.78	389.92	327.26

Change in Fair Value of Plan Asset (₹. In Crore)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	4578.80	3935.08	1010.40	793.07	0.00	0.00
Expected return on Plan Assets	416.82	362.25	78.76	68.08	0.00	0.00
Employer's contribution	503.56	539.75	90.00	248.00	62.38	60.37
Benefit Paid	(397.65)	(358.48)	(143.50)	(131.15)	(62.38)	(60.37)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	181.81	100.20	40.42	32.40	0.00	0.00
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	5283.34	4578.80	1076.09	1010.40	0.00	0.00
Unfunded Transitional Liability	--	--	---	--	--	--

तुलन पत्र में पहचानी गयी रकम (रु. करोडों में)

	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
वर्ष के अंत में तक बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	5426.50	4865.11	1125.40	1098.78	389.92	327.26
वर्ष के अंत में तक योजना आस्ति का उचित मूल्य	5283.34	4578.80	1076.09	1010.40	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गई अनिधिक निवल देयता	151.73*	286.31	49.31*	88.38	389.92	327.26

* पेंशन और ग्रैच्युटी निधियों में निहित अ-निधिगत निवल देयता को अगले एक वर्ष में परिशोधित किया जायेगा।

घ) लाभ व हानि में पहचाने गए व्यय (रु. करोडों में)

	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
वर्तमान सेवा लागत	82.46	67.33	54.16	76.21	24.40	50.84
ब्याज लागत	408.30	357.86	89.87	70.03	27.24	22.00
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	(416.82)	(362.25)	(78.76)	(68.08)	0.00	0.00
वर्ष में पहचाना गया निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	286.47	308.87	14.33	110.28	73.40	25.76
लाभ व हानि खाते में प्रभारित करने योग्य कुल व्यय	360.41	371.81	50.93	188.44	125.04	98.60
।। पेंशन विकल्पियों / पीएफ में नियोक्ता के अंशदान से प्राप्त रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

पेंशन व ग्रैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता :

	पेंशन न्यास (%)		गैच्युटी न्यास (%)	
	2014	2013	2014	2013
क) ऋण लिखतें				
केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ	8.84	9.68	6.44	7.40
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	45.73	42.08	48.97	47.85
पीएसयु / पीएफआइ/कार्पोरेट बाँडों में निवेश	40.40	43.39	39.15	39.61
अन्य निवेश	5.03	4.85	5.44	5.14
ख) ईक्विटी लिखतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

छ) तुलन-पत्र की तारीख तक मूल बीमाकिंक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)

	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
बट्टा दर	8.75%	8.50%	8.75%	8.50%	8.75%	8.50%
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ दर	9.00%	9.00%	8.00%	8.00%	0%	0%
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00%	4.00%	5.50%	5.00%	5.50%	4.50%
अपनायी गयी प्रक्रिया	अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट	

Amount recognized in Balance Sheet (₹. In Crore)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Estimated Present value of obligations as at the end of the year	5426.50	4865.11	1125.40	1098.78	389.92	327.26
Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	5283.34	4578.80	1076.09	1010.40	0.00	0.00
Un-funded Net Liability recognized in Balance sheet	151.73*	286.31	49.31*	88.38	389.92	327.26

* The balance of Un-funded Net Liability in Pension and Gratuity Funds, are to be amortised in the next one year.

Expenses Recognized in Profit & Loss (₹. In Crore)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Current Service Cost	82.46	67.33	54.16	76.21	24.40	50.84
Interest Cost	408.30	357.86	89.87	70.03	27.24	22.00
Expected return on Plan Asset	(416.82)	(362.25)	(78.76)	(68.08)	0.00	0.00
Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	286.47	308.87	14.33	110.28	73.40	25.76
Total expenses chargeable in Profit & Loss Account	360.41	371.81	50.93	188.44	125.04	98.60
Amount received from II Pension Optees / Employer's Contribution of PF	-NA-	-NA-	-NA-	-NA-	-NA-	-NA-

Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust:

	Pension Trust (%)		Gratuity Trust (%)	
	2014	2013	2014	2013
a) Debt Instruments				
Central Government Securities	8.84	9.68	6.44	7.40
State Government Securities	45.73	42.08	48.97	47.85
Investment in PSU/PFI/ Corporate Bonds	40.40	43.39	39.15	39.61
Other Investments	5.03	4.85	5.44	5.14
b) Equity Instruments	Nil	Nil	Nil	Nil

Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Discount Rate	8.75%	8.50%	8.75%	8.50%	8.75%	8.50%
Expected rate of return on Plan Assets	9.00%	9.00%	8.00%	8.00%	0%	0%
Expected Rate of Salary increase	5.00%	4.00%	5.50%	5.00%	5.50%	4.50%
Method used	Projected unit credit		Projected unit credit		Projected unit credit	

अनुभवगत समंजन (रु. करोड़ों में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
योजना आस्तियों पर अनुभवगत समंजन (हानि) / लाभ	181.81	100.20	40.42	32.40	0.00	0.00
योजना देयताओं पर अनुभवगत समंजन (हानि) / लाभ	468.28	409.07	26.09	142.68	73.40	25.76

बीमांकिक मूल्यांकन के तहत भावी वेतन वृद्धि के अनुमानों में, योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ, मुद्रास्फीति, वरीयता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों यथा कर्मचारी बाज़ार में माँग व आपूर्ति को हिसाब में लिया गया है।

विदेशी शाखाओं के संबंध में कर्मचारी लाभ योजना के लिए यदि कोई प्रकटीकरण अपेक्षित है तो सूचना के अभाव में यह नहीं है।

(ख) परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत है

बट्टा दर : बट्टा दर को मूल्यांकन की तारीख (तुलन - पत्र दिनांकित 31.03.2014) सरकारी बाँडों पर बाजार प्रतिफल के संदर्भ में तय किया गया है । प्रत्याशित लाभ दर: पेंशन व छुट्टी के नकदीकरण के संबंध में प्रत्याशित लाभ दर को सरकारी बाँड पर लाभ के आधार पर तय किया गया है। ग्रैच्युटी के संबंध में वास्तविक लाभ को लिया गया है ।

वेतन वृद्धि : गत डाटा के आधार पर ।

(ग) अगले वित्तीय वर्ष में अपेक्षित अदायगी वाले ग्रैच्युटी के लिए बैंक का सर्वोत्तम आकलन रु.165 करोड है ।

18.4 लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी संशोधन दिशानिर्देशों को अपनाया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले खण्डों को ट्रेज़री , कार्पोरेट / थोक बैंकिंग, रीटेल बैंकिंग व अन्य बैंकिंग परिचालनों मे वर्गीकृत किया है।

भाग ए : कारोबार खण्ड (रु. करोड़ों में)

कारोबार खण्ड	राजकोष		कार्पोरेट / थोक बैंकिंग		रीटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
राजस्व	5920.49	5123.68	11315.45	11432.64	6939.69	5252.59	635.39	731.05	24811.02	22539.96
परिणाम	1174.39	868.51	1734.10	2153.09	1088.07	478.00	(40.71)	208.56	3955.85	3708.16
अनाबंटित आय									42.05	109.67
अनाबंटित व्यय									0.66	0.82
परिचालनगत लाभ/हानि									3997.24	3817.01
आय कर									241.30	180.25
प्रावधान व आकस्मिकताएँ									3154.20	3069.53
असाधारण लाभ / हानि				-				-	0	0
निवल लाभ									601.74	567.23
अन्य सूचना										
खण्डवार आस्तियाँ	79223.62	68019.27	124196.28	110964.95	69592.08	63752.33	151.36	144.36	273163.34	242880.91
अनाबंटित आस्तियाँ									1741.50	1775.12
कुल आस्तियाँ									274904.84	244656.03
खण्डवार देयताएँ	73709.99	63416.49	116811.63	104633.60	67731.10	62624.91	109.38	51.79	258362.10	230726.79
अनाबंटित देयताएं									372.55	471.86
कुल देयताएं									258734.65	231198.65

Experience Adjustments

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Experience adjustment on Plan assets (Loss)/ Gain	181.81	100.20	40.42	32.40	0.00	0.00
Experience adjustment on Plan Liabilities (Loss)/Gain	468.28	409.07	26.09	142.68	73.40	25.76

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

In respect of overseas branches, disclosures if any, required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

(b) The financial assumptions considered for the calculations are as under:-

Discount Rate: - The discount rate has been chosen by reference to market yield on Government bonds as on the date of valuation. (Balance sheet dated 31.03.2014)

Expected Rate of Return: In case of Pension the expected rate of return is taken on the basis of yield on Government bonds. In case of gratuity, the actual return has been taken.

Salary Increase: On the basis of past data.

(c) Bank's best estimate expected to be paid in the next Financial Year for Gratuity is ₹. 165 crore.

18.4 Accounting Standard 17 – Segment Reporting

The Bank has adopted Reserve Bank of India's revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations.

Part A: Business Segments (₹. In Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		TOTAL	
Particulars	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Revenue	5920.49	5123.68	11315.45	11432.64	6939.69	5252.59	635.39	731.05	24811.02	22539.96
Result	1174.39	868.51	1734.10	2153.09	1088.07	478.00	(40.71)	208.56	3955.85	3708.16
Unallocated Income									42.05	109.67
Unallocated Expenses									0.66	0.82
Operating Profit/ Loss									3997.24	3817.01
Income Taxes									241.30	180.25
Provisions & Contingencies									3154.20	3069.53
Extraordinary profit / loss				-				-	0	0
Net Profit									601.74	567.23
OTHER INFORMATION										
Segment Assets	79223.62	68019.27	124196.28	110964.95	69592.08	63752.33	151.36	144.36	273163.34	242880.91
Unallocated Assets									1741.50	1775.12
Total assets									274904.84	244656.03
Segment Liabilities	73709.99	63416.49	116811.63	104633.60	67731.10	62624.91	109.38	51.79	258362.10	230726.79
Unallocated Liabilities									372.55	471.86
Total Liabilities									258734.65	231198.65

भाग ख - भौगोलिक खण्ड

	देशी		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	2013-14	**2012-13**	**2013-14**	**2012-13**	**2013-14**	**2012-13**
राजस्व	23745.08	21398.28	1108.00	1251.35	**24853.08**	**22649.63**
आस्तियाँ	252271.04	222801.18	22633.80	21854.85	**274904.84**	**244656.03**

18.5 लेखांकन मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

संबंधित पार्टियों के नाम व बैंक के साथ उनके संबंध

1	सहयोगी संस्थाएँ	1. पाण्डियन ग्राम बैंक 2. ओडिशा ग्राम्य बैंक
2	अनुषंगियाँ	कोई नहीं
3	संयुक्तत: नियंत्रित इकाई	इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद ईक्विटी शेयरो मे रुपए 193.20 करोड़ का निवेश (अधिकतम निवेश रुपए 193.20 करोड़).

4. **प्रमुख प्रबन्धन पदाधिकारी**

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक* रकम (रु.) (2013-14)
1.	श्री एम. नरेंद्र	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	27,28,800.00
2.	श्री ए.के.बंसल	भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक	7,08,103.00
3.	श्री ए.डी.एम.चावली	कार्यपालक निदेशक	22,26,787.00
4.	श्री अतुल अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	9,37,404.00

पारिश्रमिक में वेतन व भत्ते, वेतन बकाया, निष्पादन लागत प्रोत्साहन राशि, छुट्टी भुनाई बकाया और ग्रैच्युटी बकाया शामिल हैं ।

18.6 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

विवरण लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय	2013-14	2012-13
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ (रु. करोडों में)	601.74	567.22
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	99,44,71,502	80,18,73,155
मूल तथा कम किए हुए प्रति शेयर आय	₹. 6.05	₹. 7.07
प्रति शेयर सामान्य मूल्य	₹. 10.00	₹.10.00

18.7 लेखांकन मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)

चूँकि कोई अनुषंगी संस्था नहीं है, किसी समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति आवश्यक नहीं समझी गई है ।

18.8 लेखांकन मानक 22 : आय पर करों के लिए लेखांकन

वर्ष के दौरान, बैंक ने रु.133 करोड़ की आस्थगित कर देयता (पिछले वर्ष की आस्थगित कर देयता रही रु.399.33 करोड़) को हिसाब में लिया है। बैंक के पास रु.270.93 करोड़ की बकाया निवल आस्थगित कर देयता है (पिछले वर्ष की आस्थगित कर देयता रु. 230.49 करोड़ रही)। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को प्रमुख मदों के रूप में अलग-अलग विवरण निम्नवत दिया गया है:

(रु.करोड़ में)

	31.3.2014		31.3.2013	
	डीटीए	**डीटीएल**	**डीटीए**	**डीटीएल**
निवेशों पर मूल्यह्रास		1514.41		334.78
अचल आस्तियों पर मूल्यहास		17.01		16.60
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	140.31		109.80	
धोखाधडियों के लिए प्रावधान	11.74		10.22	
पुन: संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	342.85			
आगे ले जाई गई हानियाँ	1010.42			
विशेष आरक्षितियाँ		252.14		
अन्य	7.31		0.87	
कुल	**1512.63**	**1783.56**	**120.89**	**351.38**
निवल डीटीएल		**270.93**		**230.49**

Part B - Geographic segments (₹. In Crore)

	Domestic		International		Total	
	2013-14	**2012-13**	**2013-14**	**2012-13**	**2013-14**	**2012-13**
Revenue	23745.08	21398.28	1108.00	1251.35	**24853.08**	**22649.63**
Assets	252271.04	222801.18	22633.80	21854.85	**274904.84**	**244656.03**

18.5 Accounting Standard 18- Related Party Disclosures

Names of the related parties and their relationship with the Bank

1	Associates		Pandyan Grama Bank Odisha Gramya Bank	
2	Subsidiaries		None	
3	Jointly controlled entity (Joint Venture)		India International Bank (Malaysia) Bhd. Investment in equity shares ₹. 193.20 crore (maximum investment ₹. 193.20 crore)	
4.	**Key Management Personnel**			
	Sl. No.	Name	Designation	Remuneration* Amount (₹.) (2013-14)
	1.	Shri M. Narendra	Chairman & Managing Director	27,28,800.00
	2.	Shri A.K. Bansal	Ex-Executive Director	7,08,103.00
	3.	Shri A.D.M. Chavali	Executive Director	22,26,787.00
	4.	Shri.Atul Agarwal	Executive Director	9,37,404.00

* Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

18.6 Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Particulars	2013-14	2012-13
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (₹. In Crore)	601.74	567.22
Weighted Average Number of Equity Shares	99,44,71,502	80,18,73,155
Basic & Diluted Earnings Per Share	₹. 6.05	₹. 7.07
Nominal value per Equity Share	₹. 10.00	₹. 10.00

18.7 Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements (CFS)

As there is no subsidiary, no consolidated financial statement is considered necessary.

18.8 Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income

The Bank has accounted for reversal of Deferred Tax Liability of ₹. 133 crores during the year (Previous year accounting of DTL of ₹. 399.33 crore). The Bank has outstanding net Deferred Tax Liability of ₹. 270.93 crore (Previous year ₹. 230.49 crore). The breakup of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:

(₹. In Crore)

Particulars	31.3.2014		31.3.2013	
	DTA	**DTL**	**DTA**	**DTL**
Depreciation on Investments		1514.41		334.78
Depreciation on Fixed Assets		17.01		16.60
Provision for Employee Benefits	140.31		109.80	
Provision for Frauds	11.74		10.22	
Provision for Restructured Advances	342.85			
Carry forward losses	1010.42			
Special Reserve		252.14		
Others	7.31		0.87	
Total	**1512.63**	**1783.56**	**120.89**	**351.38**
Net DTL		**270.93**		**230.49**

18.9 लेखांकन मानक 23 - सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में लेखांकन

चूँकि अनुषंगी संस्थाएँ नहीं हैं, समेकित वित्तीय विवरण आवश्यक नहीं माना गया ।

18.10 लेखांकन मानक 26 - अमूर्त आस्तियाँ

बैंक में प्रयुक्त अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को स्वयं ही तैयार किया गया है और यह एक सुदीर्घ अवधि में विकसित हुआ है। अत: सॉफ्टवेयर की लागत बैंक के परिचालनात्मक व्यय जैसे वेतन आदि का अनिवार्य अंश है और इसे लाभ-हानि खाते के संबंधित व्यय शीर्षों में प्रभारित किया गया है।

18.11 लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग

मलेशिया में हमारे बैंक ने (35% हिस्से के साथ) बैंक ऑफ बडौदा (40%) और आंध्र बैंक (25%) के साथ एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किये हैं । बैंक निगारा, मलेशिया के केंद्रीय बैंक ने 16.04.2010 को संयुक्त उद्यम के लिए लाइसेंस जारी किया। इस संयुक्त उद्यम को 13.08.2010 के दिन इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद (आइआइबीएम) नाम से मलेशिया में स्थापित किया गया जिसकी प्राधिकृत पूँजी है एमवाइआर 500 मियो। इसमें हमारे बैंक का हिस्सा है 35% यानि एमवाइआर 105 मियो। संयुक्त उद्यम की समनुदेशित पूँजी 500 मिलियन एमवाइआर है । इस समनुदेशित पूँजी में हमारे बैंक का हिस्सा 35% - 112.000 मियो एमवाइआर है ।

31.03.2014 तक हमारे बैंक ने प्रति शेयर 10 एमवाइआर सहित 11200000 शेयरों के लिए रु.193.20 करोड़ प्रदान किया है, जिसका कुल मूल्य 112.000 मियो एमवाइआर बनता है । इस संयुक्त उद्यम ने 11.07.2012 को परिचालन शुरू किए ।

18.12 लेखांकन मानक 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों को 'कार्पोरेट आस्तियाँ' माना गया है और ये आइसीएआइ द्वारा जारी एएस 28 के जरिए परिभाषित अनुसार 'नकदी सृजन इकाइयाँ' नहीं हैं। प्रबंधन के मतानुसार बैंक की किसी भी अचल आस्ति को क्षति नहीं हुई है ।

18.13 लेखांकन मानक 29 - आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान

इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी दिशानिर्देशों को उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है।

19. अतिरिक्त प्रकटीकरण

19.1. जमाओं, अग्रिमों, उधारों व अनर्जक आस्तियों का केन्द्रीकरण

19.1.1. जमाओं का केन्द्रीकरण

(रु. करोड़ में)

	2013-14	2012-13
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ	27282	28794
बैंक की कुल जमाओं की तुलना में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	12.41	14.24

19.1.2 अग्रिमों का केन्द्रीकरण (उधार एक्सपोज़र व्युत्पन्नों सहित)

(रु. करोड़ में)

	2013-14	2012-13
बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त कुल अग्रिम	31930.22	27384
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त अग्रिमों का प्रतिशत	13.84%	12.92%

19.1.3. एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण (उधार और निवेश एक्सपोज़र)

(रु. करोड़ में)

	2013-14	2012-13
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	33442.57	27743
बैंक द्वारा उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र का प्रतिशत	12.86%	12.27%

19.1.4 अनर्जक आस्तियों का केन्द्रीकरण

(रु. करोड़ में)

	2013-14	2012-13
उच्च चार अनर्जक खातों से सम्बन्धित कुल एक्सपोज़र	939.56	749.56

18.9 Accounting Standard 23 – Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

As there is no subsidiary, no consolidated financial statement is considered necessary.

18.10 Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The application software in use in the Bank has been developed in-house and has evolved over a period of time. Hence, the costs of software is essentially part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

18.11 Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Our Bank (with 35% share) has floated a Joint Venture at Malaysia along with Bank of Baroda (40%) and Andhra Bank (25%). Bank Negara, the Central Bank of Malaysia, issued the license to the Joint Venture on 16.04.2010. The Joint Venture was incorporated at Malaysia on 13.08.2010 by name INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BHD (IIBM). IIBM has an Authorised Capital of MYR 500 Mio. The Joint Venture's Assigned Capital is MYR 320 Mio. Our Bank's share in the Assigned up Capital is 35% - MYR112.000 Mio.

As on 31.03.2014, Bank has paid ₹. 193.20 crore towards 11200000 shares of MYR 10 each aggregating to MYR 112.00 Mio. The Joint Venture has commenced operations on 11.07.2012.

18.12 Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

Fixed Assets owned by the Bank are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash Generating Units' as defined by AS28 issued by ICAI. In the opinion of the Management, there is no impairment of any of the Fixed Assets of the Bank.

18.13 Accounting Standard 29 - Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The guidelines issued by the Institute of Chartered Accountants of India in this respect have been incorporated at the appropriate places.

19 Additional Disclosures

19.1 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

19.1.1 Concentration of Deposits (₹. In Crore)

	2013-14	2012-13
Total Deposits of twenty largest depositors	27282	28794
Percentage of Deposits of twenty largest deposits to Total Deposits of the Bank	12.41	14.24

19.1.2 Concentration of Advances (Credit Exposure including derivatives) (₹. In Crore)

	2013-14	2012-13
Total Advances to twenty largest borrowers	31930.22	27384
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	13.84%	12.92%

19.1.3 Concentration of Exposures (Credit and Investment exposure) (₹. In Crore)

	2013-14	2012-13
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	33442.57	27743
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	12.86%	12.27%

19.1.4 Concentration of NPAs (₹. In Crore)

	2013-14	2012-13
Total Exposure to top four NPA accounts	939.56	749.56

19.1.5 प्रवर्ग-वार अनर्जक आस्तियाँ

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	कुल अग्रिमों की तुलना में संबद्ध क्षेत्र में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	
		2013-14	**2012-13**
1	कृषि व सम्बन्धित गतिविधियाँ	4.01	3.34
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु, मध्यम व बडे)	6.29	5.68
3	सेवाएँ	3.27	3.89
4	वैयक्तिक ऋण	3.07	1.67

19.2 अनर्जक आस्तियों का संचलन

(रु.करोड़ों में)

विवरण	2013-14	2012-13
01 अप्रैल 2013 तक सकल अनर्जक आस्तियाँ (प्रारंभिक शेष)	6607.96	3920.07
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	6902.40	5600.61
उप-योग (अ)	13510.36	9520.68
घटाएँ :		
i.उन्नयन	994.19	640.43
ii. वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों और एआरसीआइएल का बिकी सहित में से की गई वसूलियों)	2021.72	630.04
iii. तकनीकी रूप से बट्‌टे खाते डाले गए	1413.81	1513.13
iv. ऊपर iii में उल्लिखित को छोड़कर बट्‌टे खाते में डाली गई रकम	60.16	129.12
उप-योग (अ)	4489.88	2912.72
31-03-2014 के लिए सकल अनर्जक आस्तियाँ (समापन शेष) (अ-आ)	9020.48	6607.96

19.3. विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

(रु.करोड़ों में)

विवरण	2013-14	2012-13
कुल आस्तियाँ	22633.80	21854.85
कुल अनर्जक आस्तियाँ	1182.11	987.25
कुल राजस्व	1108.00	1002.37

19.4 तुलन पत्र इतर प्रायोजित एसपीवी (जिनका लेखांकन-मानदण्डों के अनुसार समेकन किया जाना अपेक्षित है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशीय	**विदेशी**
शून्य	शून्य

19.5 वर्ष के दौरान आय-कर के लिए किए गए प्रावधानों की मात्रा

(रुपए करोड़ों में)

	2013-14	2012-13
आय कर के लिए प्रावधान (निवल)	241.30	180.25

19.1.5 Sector wise NPAs

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that Sector	
		2013-14	2012-13
1	Agriculture & allied activities	4.01	3.34
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	6.29	5.68
3	Services	3.27	3.89
4	Personal Loans	3.07	1.67

19.2 MOVEMENT OF NPAs

(₹. In Crore)

Particulars	2013-14	2012-13
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	6607.96	3920.07
Additions (Fresh NPAs) during the year	6902.40	5600.61
Sub-total (A)	13510.36	9520.68
Less:-		
i. Upgradations	994.19	640.43
ii. Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts and including sale to ARCIL)	2021.72	630.04
iii. Technical Write-offs	1413.81	1513.13
iv. Write offs other than those under (iii) above	60.16	129.12
Sub-total (B)	4489.88	2912.72
Gross NPAs as on 31st March (closing balance) (A-B)	9020.48	6607.96

19.3 OVERSEAS ASSETS, NPAs AND REVENUE

(₹. In Crore)

Particulars	2013-14	2012-13
Total Assets	22633.80	21854.85
Total NPAs	1182.11	987.25
Total Revenue	1108.00	1002.37

19.4 Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

19.5 Amount of provisions made for Income Tax during the year:

(₹. In Crore)

	2013-14	2012-13
Provision for Income Tax (net)	241.30	180.25

19.6 प्रावधान और आकस्मिकताएँ - अलग-अलग विवरण

(रुपए करोड़ों में)

लाभ व हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दर्शाए गए 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' का अलग-अलग विवरण

	2013-14	2012-13
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	453.53	175.10
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	2210.80	2198.82
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	246.13	259.18
आय कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर व संपत्ति कर सहित)	241.30	180.25
अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएँ	243.74	436.43
कुल	**3395.50**	**3249.78**

19.7 अस्थिर प्रावधान

(रुपए करोड़ों में)

	विवरण	2013-14	2012-13
(क)	अस्थिर प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	171.36	171.36
(ख)	लेखा-वर्ष में किए गए अस्थिर प्रावधानों की मात्रा	शून्य	शून्य
(ग)	लेखा-वर्ष के दौरान निकाली गई रकम (प्रतिचक्रीय बफ़र को अंतरित)	171.36	Nil
(घ)	अस्थिर प्रावधान खाते में इतिशेष	शून्य	171.36

19.8 शिकायतों का प्रकटीकरण

19.8.1 ग्राहकों की शिकायतें

(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित रही शिकायतों की संख्या	203
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	6171
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	6208
(घ)	वर्ष की समाप्ति पर लंबित रही शिकायतों की संख्या	166

19.8.2 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णय

(क)	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	0
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित की गई अधिनिर्णयों की संख्या	0
(घ)	ग्राहक द्वारा अस्वीकृति के कारण कालातीत हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0
(ङ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य

19.8.3 चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	शून्य
31.03.2014 को बकाया रहे चुकौती आश्वासन पत्र	2
निर्धारित वित्तीय प्रभाव	शून्य
संचयी रूप में निर्धारित वित्तीय दायित्व	शून्य

वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने एक चुकौती आश्वासन सहमति पत्र जारी किया कि बैंकॉक शाखा के संबंध में 12% का न्यूनतम सीआरएआर का अनुरक्षण किया जाएगा तथा कि रखे गए अर्जनों को पूँजी निधियों के रूप में परिवर्तित किया जाएगा तथा कि सीआरएआर को 12% के न्यूनतम स्तर पर अनुरक्षित करने के लिए और पूँजी लाई जाएगी बशर्ते भा.रि.बैंक से अनुमोदन प्राप्त हो ।

शाखा के संपूर्ण वस्त्र उद्योग को दिए गए सभी उधारों के बुरी तरह अनर्जक आस्ति बनने के कारण, हमें टीएचबी 311.613 मियो की अतिरिक्त प्रावधान की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि वह वस्त्र उद्योग के मानक अग्रिमों का अप्रतिभूत हिस्सा है ।

19.6 Provisions and Contingencies – Break-up

(₹. In Crore)

Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

	2013-14	2012-13
Provisions for depreciation on Investment	453.53	175.10
Provision towards NPA	2210.80	2198.82
Provision towards Standard Assets	246.13	259.18
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax & Wealth Tax)	241.30	180.25
Other Provision and Contingencies	243.74	436.43
Total	**3395.50**	**3249.78**

19.7 Floating Provisions

(₹. In Crore)

	Particulars	2013-14	2012-13
(a)	Opening balance in the floating provisions account	171.36	171.36
(b)	Quantum of floating provisions made in the accounting year	Nil	Nil
(c)	Amount of draw down made during the accounting year (Transferred to Counter Cyclical Buffer)	171.36	Nil
(d)	Closing balance in the floating provisions account	Nil	171.36

19.8 Disclosure of complaints

19.8.1 Customer Complaints

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	203
(b)	No. of complaints received during the year	6171
(c)	No. of complaints redressed during the year	6208
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	166

19.8.2 Awards passed by the Banking Ombudsman

(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	Nil
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	0
(c)	No. of Awards implemented during the year	0
(d)	No. of Awards lapsed due to non acceptance by customer	0
(e)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	Nil

19.8.3 Letters of Comfort (LoC)

Letters of Comfort issued during the year	Nil
Letters of Comfort outstanding as on 31.3.2014	2
Assessed financial impact	Nil
Cumulative Assessed Financial Obligation	Nil

During the year 2009-10, the Bank has issued a Letter of Comfort (LOC) undertaking to maintain a minimum CRAR of 12% in respect of Bangkok branch and to arrange to convert retained earnings to capital funds and/ or infuse further capital in order to restore the CRAR to a minimum of 12% subject to approval from RBI.

In the worst case scenario of the entire textile exposure of the branch becoming NPA, we may have to make additional provision to the extent of THB 311.613 mio being unsecured portion of standard textile advances. If this contingency arises, there would be no additional capital to be remitted as existing reserves are adequate to cover the unsecured amount.

यदि ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न हो, अप्रतिभूत रकम को सुरक्षित करने के लिए वर्तमान आरक्षितियाँ पर्याप्त होने के कारण अतिरिक्त पूँजी का प्रेषण करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने बैंक नेगारा मलेशिया के पक्ष में चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया था । बैंक संयुक्त उद्यम के अन्य भागीदारों के सहयोग सहित इण्डिया इंटर्नेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद को निधि प्रदान करने के लिए, व्यापार और अन्य मामलों में जब कभी अपेक्षित हो, समर्थन प्रदान करेगा और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कार्यों में, व्यापारिक परिचालनों और प्रबंधन संबंधी मलेशिया के कानून, विनियमों और पॉलिसियों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है ।

बैंक नेगारा मलेशिया को जारी किए गए गए चुकौती आश्वासन पत्र का वित्तीय प्रभाव यह है कि प्रदत्त पूँजी एमवाइआर 320 मियो के 35 प्रतिशत यानी, एमवाइआर 112.000 मियो का प्रेषण करना होगा । हमारे बैंक ने एमवाइआर 112.000 मियो की पूँजी के लिए 193,20,10,398/- रुपयों का प्रेषण किया है ।

19.9 बैंकएश्यूरन्स कारोबार

(रु.करोड़ में)

क्रम सं.	आय का स्वरूप*	2013-14	2012-13
1	जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	7.88	7.53
2	गैर-जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	11.64	10.44
3	म्युचुअल फंड उत्पादों को बेचने के लिए	0.30	0.14
4	अन्य (स्पष्ट करें)	--	--
	कुल	19.82	18.11

*बैंक द्वारा लिये गये बैंकएश्यूरन्स कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक।

19.10 तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों का संचलन

(रु.करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष	3188.37	2035.63
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते	1413.81	1513.13
उप-जोड़ (अ)	4602.18	3548.76
घटाएँ: पहले तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों से वर्ष के दौरान की गई वसूली (आ)	1064.55	360.39
31 मार्च को इति शेष (अ) - (आ)	3537.63	3188.37

19.11 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण — शून्य

19.12 उधार डीफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) — शून्य

20 तुलनात्मक आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुन: समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया।

During the year 2010-11, the Bank has issued a letter of comfort favoring Bank Negara Malaysia. The Bank in association with other JV partners will provide support to India International Bank (Malaysia) Bhd in funding, business and other matters as and when required and ensure that it complies with the requirements of the Malaysian Laws, Regulations and Policies in the conduct of its business operations and management.

The financial impact for the letter of undertaking issued to Bank Negara Malaysia is remittance of our share of 35% of the paid up capital of MYR 320 mio ie. MYR 112.000 mio. Our Bank has remitted INR 193,20,10,398/- towards the capital of MYR 112.000 mio.

19.9 Bancassurance Business (₹. In Crore)

S No	Nature of income*	**2013-14**	**2012-13**
1	For selling Life Insurance Policies	7.88	7.53
2	For selling Non Life Insurance Policies	11.64	10.44
3	For Selling Mutual Fund products	0.30	0.14
4	Others (specify)	--	--
	Total	19.82	18.11

*Fees/Remuneration received in respect of the Bancassurance Business undertaken by the Bank.

19.10 Movement of Technical Write off (₹. In Crore)

Particulars	**2013-14**	**2012-13**
Opening Balance of Technical / Prudential Write off as on 1st April	3188.37	2035.63
Add: Technical / Prudential Write offs during the year	1413.81	1513.13
Sub-total (A)	4602.18	3548.76
Less: Recoveries made from previously Technical / Prudential written off accounts during the year (B)	1064.55	360.39
Closing Balance as on 31st March (A-B)	3537.63	3188.37

19.11 Disclosures relating to Securitisation **NIL**

19.12 Credit Default Swaps (CDS) **NIL**

20 Comparative Figures

Previous year’s figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
नकद प्रवाह विवरण

(रु. '000 में)

31-03-2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2014	समाप्त वर्ष 31.03.2013
परिचालनगत गतिविधियों से नकद प्रवाह		
निवल लाभ	**6 01 74 11**	**5 67 22 77**
निम्नवत के लिए समायोजन		
एचटीएम निवेशों के लिए ऋण परिशोधन	81 25 78	57 51 62
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन से हुई हानि	1 04 67 43	68 34 69
नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास	1 41 31 60	1 26 59 20
आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि	- 1 86 84	- 1 61 63
आरक्षितियों से अंतरण	-3 60 61 54	-
करों के लिए प्रावधान	2 41 29 91	1 80 25 30
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	22 10 79 79	21 87 43 49
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2 46 13 43	2 59 17 61
निवेशों पर मूल्य ह्रास	4 65 43 44	1 75 09 80
अन्य मदों के लिए प्रावधान	2 31 83 71	4 47 82 05
टियर II पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	6 07 81 35	6 07 03 12
निक्षेपों में वृद्धि / (ह्रास)	258 40 73 86	237 01 17 16
उधारों में वृद्धि / (ह्रास)	11 33 17 60	-2 90 98 71
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (ह्रास)	5 62 07 54	-1 80 15 66
निवेशों में वृद्धि / (ह्रास)	-89 98 48 91	-59 79 08 55
अग्रिमों में वृद्धि / (ह्रास)	-179 66 28 47	-222 74 92 82
अन्य आस्तियों में वृद्धि / (ह्रास)	-13 98 00 54	1 71 69 62
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	-4 65 00 00	-4 29 47 55
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (क)	**32 78 03 26**	**-6 06 88 49**
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह		
नियत आस्तियों की बिक्री / निपटारा	1 86 84	5 23 82
नियत आस्तियों की खरीद	-2 21 57 78	-2 33 20 23
सहयोगियों में निवेश	- 6 89 46	-1 73 34 25
निवेश संबंधी गतिविधियों से निवल नकद (ख)	**-2 26 60 39**	**-4 01 30 66**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
ईक्विटी शेयर निर्गम से धनागम	15 98 04 60	10 00 00 00
टियर II बाँडों से विनिर्मोचन	-2 00 00 00	
टियर II पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	-6 04 62 06	-5 77 65 62
प्रदत्त लाभांश	- 94 49 61	-4 16 83 10
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकद (ग)	**6 98 92 92**	**5 51 28**
नकद में निवल वृद्धि व नकद समतुल्य (क+ख +ग)	**37 50 35 79**	**-10 02 67 87**
वर्ष के प्रारंभ में नकद व नकद समतुल्य		
भा.रि.बैं के यहाँ नकद व शेष	98 37 82 50	101 98 91 24
बैंकों के यहाँ शेष और माँग-द्रव्य	54 20 59 49	60 62 18 62
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य		
नकद व भा.रि.बैं के यहाँ शेष	117 35 09 75	98 37 82 50
बैंकों के यहाँ शेष और माँग-द्रव्य	72 73 68 03	54 20 59 49
नकद में निवल वृद्धि व नकद समतुल्य	**37 50 35 79**	**-10 02 67 87**

ये विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं ।

(एस.चोक्कलिंगम)
महा प्रबंधक

(एम नरेंद्र)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

लेखा-परीक्षकों का प्रमाण पत्र

हम, अधोहस्तारकर्ता-गण, इण्डियन ओवरसीज बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों ने 31/03/2014 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उक्त नकदी-प्रवाह विवरण की जाँच की है । यह विवरण स्टॉक एक्स्चेंज के साथ सूचीबद्ध खण्ड 32 की अपेक्षाओं के अनुरूप व बैंक के संबंधित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते जो कि भारत के राष्ट्रपति को उसी तिथि पर दी गयी हमारी रिपोर्ट द्वारा आवरित है, के अनुसार व उस पर आधारित है ।

कृते बदरी, मधुसूदन एण्ड श्रीनिवासन
एफआरएन 005389 एस
(एन श्रीनिवासन)
साझेदार, स.सं.027887

कृते बी त्यागराजन एण्ड कंपनी
एफआरएन 004371 एस
(बी त्यागराजन)
साझेदार, स.सं.018270

कृते शंकर एण्ड मूर्ति
एफआरएन 003575 एस
(वी. सी. जेम्स)
साझेदार, स.सं. 22565

कृते पी आर मेहरा एण्ड कंपनी
एफआरएन 000051एन
(रवीन्दर कुमार)
साझेदार, स.सं.014211

कृते दास खन्ना एण्ड कंपनी
एफआरएन 000402 एन
(राकेश सोनी)
साझेदार, स.सं.083142

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 29.04.2014

सनदी लेखाकार

INDIAN OVERSEAS BANK

Cash Flow Statement

₹. in '000s

Statement of Cash Flow for the year ended 31.03.2014	**Year ended 31.03.2014**	**Year ended 31.03.2013**
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit	**6 01 74 11**	**5 67 22 77**
Adjustments for :		
Amortisation of HTM Investments	81 25 78	57 51 62
Loss on Revaluation of Investments	1 04 67 43	68 34 69
Depreciation on Fixed Assets	1 41 31 60	1 26 59 20
Profit / Loss on Sale of Assets	- 1 86 84	- 1 61 63
Transfer from Reserves	-3 60 61 54	-
Provision for taxes	2 41 29 91	1 80 25 30
Provision for NPAs	22 10 79 79	21 87 43 49
Provision for Standard Assets	2 46 13 43	2 59 17 61
Depreciation on Investments	4 65 43 44	1 75 09 80
Provision for Other Items	2 31 83 71	4 47 82 05
Interest Paid on Tier II Interest	6 07 81 35	6 07 03 12
Increase / (Decrease) in Deposits	258 40 73 86	237 01 17 16
Increase / (Decrease) in Borrowings	11 33 17 60	-2 90 98 71
Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	5 62 07 54	-1 80 15 66
(Increase) / Decrease in Investments	-89 98 48 91	-59 79 08 55
(Increase) / Decrease in Advances	-179 66 28 47	-222 74 92 82
(Increase) / Decrease in Other Assets	-13 98 00 54	1 71 69 62
Direct Taxes Paid	-4 65 00 00	-4 29 47 55
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**32 78 03 26**	**-6 06 88 49**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Sale / disposal of Fixed Assets	1 86 84	5 23 82
Purchase of Fixed Assets	-2 21 57 78	-2 33 20 23
Investment in Associates	- 6 89 46	-1 73 34 25
NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**-2 26 60 39**	**-4 01 30 66**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Proceeds of Equity Share Issue	15 98 04 60	10 00 00 00
Redemption of Tier II Bonds	-2 00 00 00	
Interest Paid on Tier II Capital	-6 04 62 06	-5 77 65 62
Dividend Paid	- 94 49 61	-4 16 83 10
NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**6 98 92 92**	**5 51 28**
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) +(B) + (C)	**37 50 35 79**	**-10 02 67 87**
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
Cash & Balances with RBI	98 37 82 50	101 98 91 24
Balances with Banks & Money at Call	54 20 59 49	60 62 18 62
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
Cash & Balances with RBI	117 35 09 75	98 37 82 50
Balances with Banks & Money at Call	72 73 68 03	54 20 59 49
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	**37 50 35 79**	**-10 02 67 87**

This Statement has been made prepared in accordance with Indirect Method.

[S. Chockalingam]
General Manager & CFO

[M.Narendra]
Chairman & Managing Director (CEO)

AUDITORS' CERTIFICATE

We, the undersigned Statutory Central Auditors of Indian Overseas Bank have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2014 . The Statement has been prepared in accordance with the requirement of Clause 32 , of the Listing agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and the Balance Sheet of the Bank, covered by our report of even date to The President of India .

For Badari, Madhusudhan & Srinivasan
FRN 005389S
(N. SRINIVASAN)
Partner, M.No. 027887

For B.Thiagarajan & CO
FRN 004371S
(B. THIAGARAJAN)
Partner, M.No.018270

For Sankar & Moorthy
FRN 003575S
(V.C. JAMES)
Partner, M.No.22565

For P.R.Mehra & CO
FRN 000051N
(SWINDER KUMAR)
Partner, M.No. 014211

For Dass Khanna & CO
FRN 000402N
(RAKESH SONI)
Partner, M.No. 083142

Place: Chennai
Date: 29.04.2014

CHARTERED ACCOUNTANTS

अतिरिक्त प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक, पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क पर समय - समय पर दिशानिर्देश जारी करता है। नए पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार बैंक ने दिनांक 1 अप्रैल 2013 से बेसल III पूँजी विनियमन लागू किया है।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेना बैंकिंग कारोबार का अभिन्न अंग है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में बैंक कई प्रकार का जोखिम लेते हैं। बैंक द्वारा किए गए प्रत्येक लेन देन से बैंक का रिस्क प्रोफाइल बदलता है। सामान्य कारोबार में बैंक के लिए कई जोखिम हैं जैसे उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम भरे कार्यकलापों से रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पूरी जानकारी, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ जोखिम उठाया गया है ताकि इसका आकलन किया जा सके और शमन किया जा सके।ऐसे जोखिमो का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए और जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए बैंक ने कई जोखिम प्रबंधन उपाय एवं प्रणालियॉं तैयार की है, जिनमे नीतियॉं, साधन, तकनीक, प्रबोधन प्रकियाएँ और प्रबंधन सूचना प्रणाली शामिल हैं।

बैंक जोखिम और प्रतिलाभ के बीच उपयुक्त तालमेल बिठाने के जरिए शेयरधारकों के मूल्यों को अधिकतम करने और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों में जोखिम की उचित पहचान, उसे मापना, प्रबोधन / नियंत्रण और इसका शमन करना शामिल है ताकि बैंक की समग्र जोखिम फिलॉसफी को प्रतिपादित किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम की स्पष्ट समझ और जोखिम वहन क्षमता के स्तर पर आधारित है। बैंक की जोखिम वहन क्षमता जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के निर्धारण के जरिए प्रदर्शित होती है।

बैंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन रूपरेखा बैंक में स्थापित कर ली है। निदेशक मंडल की एक उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम, व्यापार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक ने उधार जोखिम संभालने के लिए ऋण नीति समिति (सीपीसी), बाजार जोखिम संभालने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और परिचालन जोखिम संभालने के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) नाम से जोखिम प्रबंधन समितियां गठित की हैं।

बैंक में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणाली और व्यवहार के कार्यान्वयन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक पूर्णरूपेण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कारोबार विभागों से अलग है। महा प्रबंधक इस विभाग के प्रभारी हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी जोखिम प्रबंधन में मुख्य जोखिम अधिकारी हैं। इनके अतिरिक्त मध्य कार्यालय वर्ग और उधार समर्थन सेवा विभाग भी जोखिम प्रबंधन कार्य करते हैं जो नीतियों के पालन / अनुपालन, जोखिम सीमा रूपरेखा और आन्तरिक अनुमोदनों के प्रबोधन के लिए जिम्मेदार हैं। जोखिम प्रबंधकों को क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात किया गया है। विभिन्न एमआइएस की प्रस्तुति के संबंध में के.का. के जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय करने के साथ- साथ वे क्षेत्र स्तरीय उधार अनुमोदन समिति में भी भाग लेते हैं।

बैंक ने 31.03.2008 से नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल II) कार्यान्वित कर दी है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है। बेसल III दिशानिर्देश दिनांक 01.04.2013 से शुरू कर दिए गए हैं और बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी बनाए रखता है। बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार दूसरे पिलर की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) है। आईसीएएपी नीति रूपरेखा उन सभी भौतिक जोखिमों का मूल्यांकन करती है जो बैंक को प्रथम स्तंभ अपेक्षाओ के तहत निर्धारित विनियामक उपायों के अलावा उठाना पड़ सकता है और सतत आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथेष्ट पूंजी संरचना सुनिश्चित करती है।

बैंक ने एक तनाव परीक्षण/फ्रेमवर्क तैयार किया है जिससे अपवादस्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाओं के प्रति संगठन की संभाव्य संवेदनशील स्थिति का पता लगाया जा सके। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेषत: बैंक के भौतिक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, आर्थिक मंदी के समय में किसी पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिम की पहचान करने और तदनुसार इसका सामना करने के लिए उचित उपाय करने में सहायक होता है। नीतिगत उपायों के अनुसार बैंक आवधिक रूप से बैंक के तुलन-पत्र पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और आल्को / आरएमसीबी/ बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 02.12.2013 को तनाव परीक्षण पर ताजा दिशानिर्देश जारी किया है जो 01.04.2014 से लागू है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना एवं आपदा से उबरने की योजना बनी है । जीरो डाटा लॉस के लिए 3 वे डी आर , सभी 3 डाटा केन्द्रों पर और केन्द्रीय कार्यालय पर , मल्टीपल एम पी एल एस - वी पी एन हाइ बैण्डविथ कनेक्शन , वैकल्पिक सेवा प्रदाता से ड्वेल कनेक्टीविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया की स्थापना की गयी है। फायरवॉल और इन्ट्रूजन डिटेक्शन प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया है। सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए आइ एस सेक्यूरिटी विभाग की स्थापना की गयी है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सके। आइ एस लेखापरीक्षा अनुभाग बैंक के विभागों और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की देख-रेख करता है। प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से डी आर ड्रिल आयोजित किया जाता है। नेटवर्क सेक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए खतरा विश्लेषण और पेनेट्रेशन टेस्टिंग अभ्यास आयोजित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2013 से प्रभावी लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस दिशानिर्देश के अंतर्गत समूचे बैंक के लिए समेकित तरलता विवरण और घरेलू मुद्रा और विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालन के लिए अलग आंकड़ों के साथ, पाक्षिक आधार पर संयुक्त भारतीय परिचालन, मासिक आधार पर देशवार विदेशी परिचालनों के लिए तरलता विवरण, तिमाही आधार पर वैश्विक परिचालन के लिए तरलता विवरण की तैयारी शामिल है। बैंक ने उपर्युक्त के अनुसार रिपोर्ट उत्पन्न करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की है और जून 2013 तक यथापेक्षित आंकड़े प्रयोग आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही से बैंक द्वारा बेसल III पूंजी अनुपात के साथ 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किए जाने के लिए भारत में बेसल III पूंजी विनियमन के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार इनका अनुपालन कर रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान पिलर III दिशानिर्देशों और साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी संख्या बीपी बीसी 98/21.06.201/2012-13 दिनांकित 28.05.2013 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के तीसरा पिलर बाज़ार अनुशासन से संबंधित है। बाजार पर नियंत्रण का उद्देश्य, स्तम्भ 1 के तहत उल्लिखितानुसार न्यूनतम पूंजी आवश्यकता और स्तम्भ II के तहत उल्लिखित पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में तालिका डीएफ1 से 11 (संलग्न) में प्रकटीकरण (मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है जिससे बाजार के सहभागी अनुप्रयोग की गुंजाइश, पूंजी जोखिम एक्सपोजर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक की जोखिम प्रोफाइल और पूंजीकरण के स्तर आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना का आकलन कर सकें; (1)अनुप्रयोग की गुंजाइश डीएफ-1, (2) पूंजी पर्याप्तता (डीएफ-2), (3) उधार जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-3), (4) उधार जोखिम: पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण बशर्ते कि मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ-4), (5) उधार जोखिम शमन: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-5), (6) प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-6), (7) ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम (डीएफ-7), (8) परिचालन जोखिम (डीएफ-8), (9) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) (डीएफ-9), (10) काउंटर पार्टी उधार जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-10) और (11) पूंजी का संघटन (डीएफ-11)। यह बाजार के सहभागियों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा।

ADDITIONAL DISCLOSURES

Reserve Bank of India issues guidelines on Capital Adequacy framework from time to time. As per Reserve Bank of India guidelines on New Capital Adequacy Framework, Bank has implemented the Basel III capital regulation, w.e.f April 1, 2013.

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the risk profile of the Bank. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The objective of risk management is not to prohibit or prevent risk taking activity, but to ensure that the risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. With a view to managing various risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which includes policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate trade-off between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Policy Committee (CPC) for managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) for managing market risk and Operational Risk Management Committee for managing operational risk.

A full-fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank. The Mid-Office in Risk Management and Credit Support Services Dept. also carry out the risk management functions and monitor the adherence/compliance to policies, risk limit framework and internal approvals. Risk Managers have been placed at Regional Offices. Apart from coordinating with Risk Management Department, Central Office for submission of various MIS, they participate in Regional Level Credit Approval Committee.

The bank had implemented the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.03.2008 and is complying with the various guidelines issued by RBI from time to time. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013, and bank is maintaining capital as per the guidelines. As per RBI's requirement, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. The ICAAP policy framework aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks, and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at the time of economic recession and accordingly take suitable steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and specific portfolios and places the reports to ALCO / RMCB / Board. Reserve Bank of India has issued fresh guidelines on Stress Testing on 02.12.2013 to be effective from 01.04.2014.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan are in place. The 3 way data centers have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections among the 3 data Centres and Central, Dual connectivity from different alternate service providers and alternate media for branches have been implemented. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. IS Security Department has been established to monitor and analyze the information security incidents and to take correctives steps. IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's departments and branches. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercises are being conducted.

The Reserve Bank of India had issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from end March 2013. The guidelines cover preparation of liquidity returns consolidated for the bank as a whole and with separate data for domestic operation in domestic currency and foreign currency, combined Indian operations on a fortnightly basis, liquidity return for overseas operations country wise on monthly basis and Liquidity Return for Global Operation on quarterly basis. The bank has put in place a system to generate reports as above and submitted the data to RBI on trial basis as on June 2013 as required.

Further, the Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ended June 30, 2013. Bank is complying with the same as per the guidelines.

In addition to the existing Pillar 3 guidelines of RBI and also the new disclosure guidelines issued by RBI vide its Circular DBOD No BP BC 98/21.06.201/2012-13 dated 28.05.2013, the third pillar also refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 11 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardised Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-5), (f) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10) and (k) Composition of Capital (DF 11). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

1. प्रयोज्यता की संभावना और पूँजी पर्याप्तता

तालिका डीएफ-1: प्रयोज्यता की संभावना

बैंकिंग समूह का नाम जहां यह रूपरेखा लागू होती है

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

निगमन के देश/ इकाई का नाम	क्या इकाई समेकन के लेखाकरण संभावना के अंतर्गत आती है (हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	क्या इकाई समेकन के विनियामक संभावना के अंतर्गत आती है (हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	समेकन की विधि में अंतर के लिए कारणों की व्याख्या	समेकन की संभावनाओ में सिर्फ किसी एक के तहत समेकन किए जाने के कारण की व्याख्या
बैंक किसी समूह के अंतर्गत नहीं आता है लागू नहीं						

(क) समेकन के लिए विचारणीय इकाईयों के समूह की सूची

(ख) लेखाकरण और विनियामक समेकन की दोनों संभावनाओं के तहत समेकन के लिए अविचारणीय इकाईयों के समूह की सूची

निगमन के देश/ इकाई का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	ईकाई के पूँजी लिखतों में बैंक के निवेश के प्रति विनियमक व्यवहार	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति (विधिक ईकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)
बैंक किसी समूह के अंतर्गत नहीं आता है लागू नहीं					

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ग) समेकन के लिए विचारणीय इकाईयों के समूह की सूची

निगमन के देश/ इकाई का नाम (ऊपर (i)ए के तहत सूचित अनुसार)	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति (विधिक ईकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)
लागू नहीं			

(घ) सभी अनुषंगी इकाइयों में पूंजी की कमी की कुल रकम समेकन में शामिल नहीं है यानी जिनकी कटौती की गई है और ऐसी अनुषंगी इकाइयों के नाम

निगमन का देश/ अनुषंगी का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूँजी की कमी
लागू नहीं				

(ड) बीमा इकाई में बैंक के कुल हित की औसत रकम (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जाखिम भारित हैं:

निगमन का देश/ बीमा इकाईयों का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	वोटिंग अधिकार का अनुपात / कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	जोखिम भारित प्रक्रिया बनाम पर्ण कटौती विधि के इस्तेमाल का विनियामक पूँजी पर मात्रात्मक प्रभाव
लागू नहीं				

(च) बैंकिंग समूह के बीच निधियों या विनियामक पूँजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा: लागू नहीं

तालिका डीएफ-2 पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा जारी किए गए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल I) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अप्रैल 1992 में भारत के बैंकों ने पूंजी पर्याप्तता उपाय कार्यान्वित किए। ये उपाय बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत करने और साथ ही पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के मामले में अन्तरराष्ट्रीय उत्तम व्यवहारों का अनुपालन करने के लिए किए गए हैं। आरंभ में यह बेसल फ्रेमवर्क उधार जोखिम के लिए पूंजी की समस्या दूर करने के लिए थी जिसे बाद में बाजार जोखिम के लिए पूंजी को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने संगत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया।

बाद में बीसीबीएस ने 26 जून 2004 को 'पूंजी मानकों और पूंजी मापन के अन्तरराष्ट्रीय सम्परिवर्तन, एक परिशोधित फ्रेमवर्क' जारी किया। व्यापारिक गतिविधियों और दुगुने चूक प्रभावों के उपचार को शामिल करने के लिए नवंबर 2005 में संशोधित फ्रेमवर्क को अद्यतन किया है और इस फ्रेमवर्क के व्यापक रूपांतर को जून 2006 में जारी किया गया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर और अन्तरराष्ट्रीय मानकों के साथ निरन्तरता तथा सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2007 को दिशानिर्देशों जारी किए और बाद में नई पूंजी पर्याप्तता (बेसल II) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर संशोधन किए गए।

1. **Scope of Application and Capital Adequacy**

TABLE DF –1: Scope of application

Name of the Banking Group to which the frame work applies

(i) **Qualitative Disclosures**

Name of the Entity / Country of Incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of Consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Bank does not belong to any group Not applicable						

a. **List of group entities considered for consolidation**

b. **List of Group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation**

Name of the Entity / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of the Bank's investments in the capital instruments of the entity	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Bank does not belong to any group Not applicable					

ii. **Quantitative Disclosures:**

c. **List of Group entities considered for consolidation**

Name of the Entity / Country of Incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Not applicable			

d. **The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e., that are deducted:**

Name of the Subsidiaries / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
Not applicable				

e. **The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted:**

Name of the insurance entiites / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity/ proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method vs. using the full deduction method
Not applicable				

f. **Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the Banking Group: Not applicable**

Table DF – 2: Capital Adequacy

Qualitative disclosures:

Banks in India implemented capital adequacy measures in April 1992 based on the capital adequacy framework (Basel-I) issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time. Such a measure was taken in order to strengthen the capital base of banks and at the same time to make it compliant with the international best practices in the matter of maintaining capital adequacy. Initially the Basel framework addressed the capital for credit risk, which was subsequently amended to include capital for market risk. In line with the guidelines issued by the RBI the bank was compliant with the relevant guidelines.

Subsequently, the BCBS released the "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework" on June 26, 2004. The Revised Framework was updated in November 2005 to include trading activities and the treatment of double default effects and a comprehensive version of the framework was issued in June 2006. Based on these guidelines and to have consistency and to be in harmony with international

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक 31-03-2008 से परिशोधित (बेसल II) फ्रेमवर्क में आ चुका है और बेसल II फ्रेमवर्क की अपेक्षाओं का अनुपालन जारी है। बेसल III दिशानिर्देशों को 01.04.2013 से लागू किया गया है और बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी का अनुरक्षण कर रहा है।

बेसल II फ्रेमवर्क उधार जोखिम बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए कई विकल्प प्रदान करती है। इस फ्रेमवर्क में बैंकों और पर्यवेक्षकों को अपने परिचालनों और वित्तीय बाजार के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण चुनने की अनुमति है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक पूंजी का परिकलन करने के लिए उधार जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) ,बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत माप पद्धति (एसएमएम) और परिचालन जोखिम के लिए मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) अपनाया है। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने उधार, बाज़ार और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी बनाए रखा है।

बैंक ने निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजी का हिसाब किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में सूचित वर्गीकरण के अनुसार उधार जोखिम पूँजी का हिसाब उधारकर्ता के आधार पर या सुविधा के प्रकार के आधार पर किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक ने आंतरिक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो अग्रिम पोर्टफोलियो के उधार जोखिम के लिए पूँजी के हिसाब को सुलभ करता है और शाखा स्तर, क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक रिपोर्ट उत्पन्न करता है। उधारकर्ता का वर्गीकरण जीएल कोड, योजना कोड और बीएसआर गतिविधि कोड पर आधारित है। सिस्टम सीबीएस अग्रिम मास्टर में से पात्र प्रतिभूति ब्यौरों का चयन करता है। सिस्टम जीएल कोड / गतिविधि कोड पर आधारित पात्र गारंटियों को चिह्नित भी करता है। मीयादी ऋण सीमा में से अनाहरित राशि की गणना सीबीएस पैकेज में उपलब्ध चरणबद्ध रूप से विमोचित ऋण ब्यौरों के आधार पर की जाती है। एफबी तथा एनएफबी की सीमा के लिए अन्य अनाहरित राशि की भी गणना सिस्टम द्वारा की जाती है।

सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए पूंजी परिकलन के विभिन्न पक्षों के संबंध में स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है और क्षेत्रीय कार्यालयो के समन्वयको के साथ पारस्परिक संपर्क से सहयोग दिया जाता है। आँकड़ों को जाँचने तथा उनकी शुद्धता व संगति सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम प्रबंधकों को नियुक्त किया जाता है।

सामान्यत: बैंक उधार जोखिमों जहाँ बैंक ने को कम करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। बैंक ने पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन में उधार जोखिम कमी का प्रयोग किया है। बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम शमन संबंधी स्पष्ट नीति उपलब्ध है। उधार जोखिम कमी, जोखिम भारित आस्तियों, पात्र पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात के प्रति पूंजी (सीआरएआर) का हिसाब लगाने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देश का अनुसरण किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, बैकों को बेसल दस्तावेजों में निर्धारित 8% की तुलना में निरन्तर रूप से 9% के जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरआर) के प्रति न्यूनतम पूंजी अनुपात रखने के लिए नियत करता है।

बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के समान परिशोधित फेमवर्क के स्तम्भ 2 आवश्यकताओं के उपाय के रूप में बैंक के संबंधित जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आन्तरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीति और फ्रेमवर्क तैयार किया है। नीति तैयार करते समय बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा ओवरसीज़ परिचालन समेत बैंक की जोखिम वहन क्षमता, जहाँ कहीं लागू / प्रासंगिक हो, में निर्धारित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है।

जहाँ तक भावी कियाकलापों को समर्थित करने के लिए पूँजी की पर्याप्तता का संबंध है, बैंक कारोबार के भावी विकास को ध्यान में रखते हुए पूँजी अपेक्षाओं का निर्धारण करता है। सीआरएआर में आधिक्य भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने के लिए बफर की तरह काम करेगा। इसके अलावा टायर I और टायर II पूंजी एकत्र करने के लिए बैंक के पास उपलब्ध हेडरूम, भावी क्रियाकलापों के प्रति आवश्यक सीआरएआर को पूरा करने के लिए पूंजी संरचना की सहायता करेगा। इस प्रकार बैंक के पूंजी जोखिम का यथेष्ट ध्यान रखा गया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण	(रु.करोड़ में)
क. उधार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	
• मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो	166095.40
• प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	Nil
ख. बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता:	
• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
- ब्याज दर जोखिम	574.49
- विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण मिलाकर)	9.15
- ईक्विटी जोखिम	202.38
ग. परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता:	
• मूल संकेतक दृष्टिकोण	958.27
• मानकीकृत दृष्टिकोण	लागू नहीं
घ. सामान्य इक्विटी टायर I पूँजी अनुपात	7.18%
टायर I पूँजी	7.47%
कुल पूँजी अनुपात	10.78%
उच्च समेकित समूह हेतु तथा	लागू नहीं
• बैंक के महत्वपूर्ण अनुषंगियों हेतु (एकल आधार पर या उप समेकित, इस पर निर्भर करते हुए कि कौन सा फेमवर्क लागू किया गया है)	लागू नहीं

standards, the RBI has issued guidelines on 27th April 2007 and subsequent amendments on implementation of the New Capital Adequacy (Basel-II) Framework from time to time.

In line with the RBI guidelines, the Bank had migrated to the revised (Basel-II) framework from 31.3.2008 and continues to be compliant with the requirements of Basel-II framework. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013, and bank is maintaining capital as per the guidelines

Basel-II Framework provides a range of options for determining the capital requirements for credit risk, market risk and operational risk. The Framework allows banks and supervisors to select approaches that are most appropriate for their operations and financial markets. In accordance with the RBI's requirements, the Bank has adopted Standardised Approach (SA) for credit risk, Standardised Measurement Method (SMM) for market risks and Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk to compute capital. The Bank is maintaining capital for Credit, Market and Operational Risk in line with the RBI guidelines

The Bank has computed capital for Capital Risk, Market Risk and Operational Risk as per the prescribed guidelines. Credit risk capital computation is done on borrower basis or facility type basis as per the segmentation advised in the RBI guidelines. For this purpose, the Bank has developed in-house software, which enables computation of capital for credit risk of the advances portfolio and generation of the requisite reports at the branches, Regional Offices and Central Office level. Borrower classification is based on the GL code, scheme code and BSR activity code. System picks the eligible security details from CBS advance master. System also identifies eligible guarantees based on GL code/activity codes. Undrawn amount of a Term Loan limit is computed based on the stage release details available in the CBS package. Other undrawn amount for FB and NFB limits are also computed by the system.

Necessary training has been imparted to the field staff periodically on various aspects of capital computation and close interactions held with the coordinators at Regional Offices, to ensure accuracy and adequacy of data in capital computation. Risk Managers are placed at all Regional Offices for checking the data and ensuring accuracy and consistency of data.

Banks generally use a number of techniques to mitigate the credit risk to which they are exposed. The Bank has also used the Credit Risk Mitigation in computation of capital for credit risk in order to get capital relief. A well articulated policy on Collateral Management and Credit Risk Mitigation duly approved by the bank's Board is put in place. The Bank has followed the RBI guidelines in force to arrive at the credit risk mitigation, risk weighted assets, eligible capital and capital to risk weighted assets ratio (CRAR).

Reserve Bank of India has prescribed that Banks are required to maintain a minimum capital to risk weighted assets ratio (CRAR) of 9% on an ongoing basis, as against 8% prescribed in the Basel document.

The Bank has put in place a policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the framework in consideration of the relevant risk factors of the bank as a measure towards Pillar 2 requirements of the revised framework commensurate with the bank's overall risk profile. In framing the policy the bank has taken into consideration the requirements prescribed by the RBI in their guidelines and bank's risk appetite including overseas operations where ever applicable / relevant.

As regards the adequacy of capital to support the future activities, the bank draws assessment of capital requirements periodically taking into account future growth of business. The surplus CRAR maintained by the bank acts as a buffer to support the future activities. Moreover, the headroom available to the bank in the Tier-1 and Tier-2 capital components provides additional capital support to meet the future needs. Thereby, the capital risk of the bank is adequately addressed.

Quantitative disclosures		Amount in ₹. Crore
a)	**Capital requirements for credit risk**	
•	Portfolios subject to standardised approach	166095.40
•	Securitisation exposures	Nil
b)	**Capital requirements for market risk:**	
•	Standardised duration approach	
-	Interest rate risk	574.49
-	Foreign Exchange risk (including gold)	9.15
-	Equity risk	202.38
c)	**Capital requirements for operational risk**	
•	Basic indicator approach	958.27
•	The Standardised Approach	Not Applicable
d)	**Common Equity Tier 1 Capital Ratio**	7.18%
	Tier 1 Capital	7.47%
	Total Capital Ratio	10.78%
For the top consolidated group; and		Not Applicable
•	For significant bank subsidiaries (stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)	Not Applicable

तालिका डीएफ-3
उधार जोखिम : सभी बैंकों के लिये सामान्य प्रकटीकरण
गुणात्मक प्रकटीकरण:

उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में ह्रास सहित शामिल हानियों की संभावना उधार जोखिम है। बैंक के पोर्टफोलियो में उधार जोखिम अधिकांशत: बैंक के उधार क्रियाकलापों से उत्पन्न होता है, क्योंकि उधारकर्ता ऋणदाता के प्रति अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता। यह उधारकर्ता या प्रतिपक्षियों की उधार गुणवत्ता / साख में संभाव्य परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। उधार जोखिम में काउंटर पार्टी जोखिम और देश जोखिम शामिल हैं।

उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक प्रत्येक उधारकर्ता और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर प्रबोधन और उसके मापन से अपने उधार जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतरिक उधार रेटिंग फ्रेमवर्क और सुस्थापित मानकीकृत उधार मूल्यांकन / अनुमोदन प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक को प्रस्ताव में निहित गुणों और अवगुणों का मूल्यांकन करने में सहायक होती है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है।

रेटिंग मॉडल फैक्टर गुणात्मक और मात्रात्मक, प्रबंधन जोखिम, व्यापार जोखिम, उद्योग जोखिम, वित्तीय जोखिम, परियोजना जोखिम (जहाँ कहीं लागू हो) और सुविधा जोखिम से संबंधित आंतरिक रेटिंग कारक हैं। उद्योग जोखिम पर आंकड़े बाज़ार की परिस्थितियों के आधार पर निरन्तर अद्यतन किए जाते हैं।

एक धारणा के रूप में उधार रेटिंग बैंक के अन्दर अच्छी तरह अन्तर्निहित हो गया। मजबूत उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार के उपाय के रूप में बैंक ने ऋण रेटिंग प्रक्रिया की तीन टायर प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें निर्धारित स्तरों पर उधार रेटिंग के वैधीकरण के लिए जो उच्चतर दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए आवश्यक उधारकर्ताओं के लिए बिना किसी पक्षपात के रेटिंग करने की दृष्टि से उधार विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। बैंक के प्रधान कार्यालय के अधिकार के अन्दर आनेवाले प्रस्तावों के लिए रेटिंग का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है। उधार रेटिंग का लाभ यह है कि इससे जोखिम के आधार पर विभिन्न प्रस्तावों का प्रवर्गीकरण किया जाता है और अर्थपूर्ण तुलना की जा सकती है।

बैंक ऋणों तथा अग्रिमों की मंजूरी के लिए एक सुस्पष्ट परिभाषित बहु स्तरीय विवेकाधिकार संरचना का अनुसरण करता है। उपयुक्त मंजूरीकर्ता प्राधिकर्ताओं को नए / संवर्धित प्रस्तावों पर विचार करने की सिफारिश के लिए अपवाद स्वरूप बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों / एनबीजीएम / केन्द्रीय कार्यालय में सभी स्तरों पर अनुमोदन ग्रिड गठित किया गया है। शाखा प्रबंधकों को विशिष्ट मंजूरी शक्तियाँ प्रदान की गई है। बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी) के अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय कार्यालय की शक्तियों के अधीन / अंतर्गत ऋण प्रस्तावों की मँजूरी पर विचार करने के लिए प्रदत्त शक्तियों के साथ बैंक ने तीन समितियों यथा ए) अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी) बी) कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति (एचएलसीसी-ईडी) तथा सी) वरिष्ठतम महाप्रबंधकों की अध्यक्षता वाली प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति ((एचएलसीसी-जीएम) का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त ऋण प्रस्तावों की मँजूरी हेतु प्रदत्त शक्तियों के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय प्रमुखों की अध्यक्षता वाली क्षेत्र स्तरीय ऋण समितियों (आरएलसीसी) तथा एनबीजीएम कार्यालयों में राष्ट्रीय बैंक स्तरीय ऋण समितियों (एनबीसीसी) का गठन किया गया है। परिणामत: शाखा प्रमुखों से इतर कोई भी कार्यपालक वैयक्तिक स्तर पर ऋण प्रस्तावों की मँजूरी हेतु विवेकाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है। इन सभी ऋण अनुमोदन समितियों में जोखिम प्रबंधकों (क्षे.का./ एनबीजीएमओ से संबंधित) की उपस्थिति अनिवार्य है। केन्द्रीय कार्यालय समितियों के लिए कोरम की पूर्णता हेतु जोखिम प्रबंधन विभाग के महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक की उपस्थिति अनिवार्य है।

बैंक द्वारा आरंभ किए गए नए उत्पाद अनुमोदन के लिए बोर्ड/ आरएमसीबी के समक्ष रखने के पहले, उनमें निहित जोखिम प्रकार पर आधारित केन्द्रीय कार्यालत स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा जांचे जाते हैं।

उधार जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुसंरचित ऋण नीति और उधार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इस नीति में संगठन की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्व और उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचाना जा सकता है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है और फ्रेमवर्क के अंदर प्रबंधन किया जा सकता है जिसे बैंक अपने अधिदेश और जोखिम सहन करने की क्षमता के साथ निरन्तर जोखिम मानता है। उधार जोखिम का प्रबोधन बैंक द्वारा बैंक व्यापक आधार पर किया जाता है और बोर्ड / आरएमसीबी द्वारा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। सीपीसी बैंक की जोखिम वहन क्षमता को हिसाब में लेता है और तदनुसार सुरक्षा, तरलता, विवेकपूर्ण मानदण्डों, एक्सपोज़र सीमाओं से संबंधित मामलों को संभालता है।

बैंक में उत्कृष्ट उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार स्थापित करने के लिए उपाय किए हैं। उधार जोखिम प्रबंधन नीति ऋण के अतिरिक्त निवेश नीति, प्रतिपक्षी जोखिम प्रबंधन नीति और देशीय जोखिम प्रबंधन नीति आदि तैयार की है जो बैंक में उधार जोखिम के प्रबोधन का आंतरिक भाग है। इसके अतिरिक्त बैंक ने संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम कम करने की नीति भी कार्यान्वित की गई है जो बैंक द्वारा सामान्यत: स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्रधान और संपार्श्विक) के विवरण और बैंक के हित की रक्षा के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित करती है। वर्तमान में, कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियां उन उधार जोखिमों को कम करती हैं जो बैंक को वहन करना पड़ सकता है।

उधार निगरानी / ऋण पुनरीक्षण / ऋण लेखा परीक्षा

उधार प्रबोधन विभाग ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की निगरानी करता है,समस्याओं की पहचान करता है और कमियों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाता है।विभाग का उद्देश्य है अर्जक खातों को एन पी ए में स्लिपेजों को कम करना और साथ ही उपलब्ध मानदण्डों व दिशानिर्देशों का अनुपालन करना । विभाग खातों का दैनिक आधार पर वर्गीकरण व अनुवर्तन करके फिसलन को न्यूनतम करने के लिए सूक्ष्म निगरानी भी करता है । इसके साथ ही खातों की निगरानी उनके ऋण के आकार के आधार पर विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों द्वारा की जाती है ।

रु. 1करोड़ और ऊपर के ऋण वाले सभी मानक उधार खातों की निगरानी ऋण पुनरीक्षा प्रणाली के तहत की जाती है जो अनिवार्यत: एक ऑफ साइट ऑडिट प्रणाली है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ऋण जोखिम पर निर्देश नोट और बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार ऋण लेखा परीक्षा की जाती है ।

ऋण ऑडिट के तहत किसी भी स्तर के प्राधिकृत द्वारा मंजूर रु. 5 करोड़ और ऊपर के उधार खाते आते हैं । यह लगातार चलने वाला कार्य है जिससे बैंक को कमियों की पहचान करने में मदद मिलती है साथ ही उधार खाते की रुग्णता / कमजोरी के प्रारंभिक संकेत भी प्राप्त होते हैं । यह अनिवार्यत: एक ऑन साइट लेखा परीक्षा प्रणाली है जिससे अग्रिमों की गुणवत्ता में क्षरण को रोका जा सकता है और इस प्रकार बैंक के हित की रक्षा हो सकती है। बैंक रु. 1.00 करोड़ तथा उससे अधिक के कार्यशील पूँजी ऋणवाले खातों के संबंध मे सतत निगरानी विवरण आमंत्रित करके सतत निगरानी भी करता है।

पुनर्संरचित खाते का वर्गीकरण

बैंक निम्नानुसार पुनर्संरचित खाते के वर्गीकरण व प्रावधानीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन करता है ।

Table DF-3

CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES FOR ALL BANKS

Qualitative disclosures:

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties. In a Bank's portfolio, Credit Risk arises mostly from lending and investment activities of the Bank if a borrower / counterparty is unable to meet its financial obligations to the lender/investor. It emanates from changes in the credit quality/worthiness of the borrowers or counter parties. Credit risk also includes counterparty risk and country risk.

Credit rating and Appraisal Process:

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has a robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal / approval process. Credit rating is a facilitating process that enables the bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision enabling tool that helps the bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk components such as Industry Risk, Business Risk, Management Risk, Financial Risk, Project risk (where applicable) and Facility Risk etc. The data on industry risk is regularly updated by CRISIL based on market conditions.

Credit rating as a concept has been well internalized within the bank. As a measure of robust credit risk management process, the bank has implemented a tiered system for validation of credit ratings at specified levels which is independent of credit departments, in order to draw unbiased rating for borrowers necessary for moving to advanced approaches. In respect of proposals falling under powers of Bank's Central Office, the validations of ratings are done at Risk Management Dept. The advantage of credit rating is that it enables to rank different proposals based on risk and do meaningful comparison.

The bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans and advances. Approval Grid has been constituted at all levels covering Exceptionally Large branch / RO / NBGM / CO for recommending fresh / enhancement proposal to appropriate sanctioning authorities. Specific Sanctioning Powers have been delegated to Branch Managers. In addition to the Management Committee of the Board (MCB), the bank has constituted three committees such as (a) Credit Approval Committee (CAC) headed by Chairman, (b) Head Office Level Credit Approval Committee headed by Executive Director (HLCC-ED) and (c) Head Office Level Credit Approval Committee headed by senior most General Manager (HLCC-GM) with delegated powers to consider sanction of credit proposals falling under Central Office powers at different levels. Further, Regional Level Credit Committees (RLCC) headed by the Regional Head at Regional Offices and National Bank Level Credit Committees (NBCC) at NBGM Offices have been formed with suitable delegated power for sanction of credit proposals. Consequently, no Executives beyond Branch Heads can exercise any discretionary powers for sanction of credit proposals at individual level. In all these credit approval committees, the presence of Risk Managers (attached to RO/NBGMO) is compulsory. For Central Office committees, GM/DGM of Risk Management presence is compulsory to complete the quorum.

The new products introduced by bank are examined by the head office level Risk Management Committee depending upon the type of risks involved in the new product / process before being placed to RMCB / Board for approval.

Credit Risk Management Policies

The bank has put in place a well-structured loan policy and credit risk management policy duly approved by Board. The policy document defines organizational structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance. Credit risk is monitored by the bank on a bank-wide basis and compliance with the risk limits approved by Board / RMCB is ensured. The CPC takes into account the risk tolerance level of the Bank and accordingly handles the issues relating to Safety, Liquidity, Prudential Norms and Exposure limits.

The bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the bank. In addition to Loan Policy and Credit Risk Management Policy, the bank has also framed Funds and Investment Policy, Counter Party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy etc., which forms integral part of monitoring of credit risk in the bank. Besides, the bank has implemented a policy on collateral management and credit risk mitigation which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and administration of such securities to protect the interest of the bank. Presently, some select securities act as mitigation against credit risk (in capital computation), to which the bank is exposed.

Credit Monitoring/Loan Review/Credit Audit

The Credit Monitoring Department monitors the quality of Credit portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. The objective of the department is to minimize slippage of performing accounts to NPA category and also to comply with the laid down norms and guidelines. The department is also monitoring the accounts by segmentation and follow up the accounts on a daily basis to minimize slippages. Furthermore, the accounts are also monitored at different levels of authority depending upon the size of the exposure.

All standard borrowal accounts with credit exposure of ₹. 1 crore and above are reviewed under Loan Review Mechanism, which is essentially an off-site audit mechanism. The credit audit is carried out in terms of Guidance Note on Credit Risk issued by Reserve Bank of India and the Credit Risk Management Policy of the Bank.

The credit audit covers all borrowal accounts with total exposure of ₹. 5 crore and above sanctioned by any authority. This is an ongoing exercise which helps the bank to identify deficiencies and early warning signals of sickness/weakness in borrowal accounts. Essentially this is an onsite audit mechanism to prevent deterioration in the quality of advances thereby protecting the interest of the bank. The bank also maintains surveillance on the accounts with working capital exposure of ₹. 1.00 Cr and above by calling for Continuous Surveillance statements.

Classification of restructured accounts:

The bank has followed the prudential guidelines issued by the RBI in respect of classification and provisioning for restructured accounts from time to time.

अनर्जक आस्तियों का वर्गीकरण :

अनर्जक खातों के वर्गीकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकसम्मत दिशानिर्देशों का बैंक पालन करता है।

रु करोडों में

	मात्रात्मक प्रकटीकरण	हमारे बैंक पर प्रयोज्यता
क.	कुल सकल उधार जोखिम एक्सपोज़र,	
	निधि आधारित	142930.71
	गैर निधि आधारित	23120.95
ख.	प्रकटीकरण का भौगोलिक वितरण	
	• **देशीय**	
	निधि आधारित	161998
	गैर निधि आधारित	35818
	• **विदेशी**	
	निधि आधारित	19083
	गैर निधि आधारित	4150
ग.	प्रकटीकरण के औद्योगिक प्रकार का वितरण, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित अलग-अलग	अनुबंधित
घ.	आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन	अनुबंधित
ङ.	एनपीए (सकल) की राशि	
	• अवमानक	5169.53
	• संदिग्ध (डी1,डी2,डी3)	3773.57
	• हानि	77.38
च.	निवल एनपीए	5658.12
छ.	एनपीए अनुपात	
	• सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	4.98%
	• निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपी	3.20%
ज.	एनपीए का प्रचलन (सकल)	
	• प्रारंभिक शेष	6607.96
	• जोड़	6902.40
	• घटाव	4489.88
	• अन्तिम शेष	9020.48
झ.	एनपीए के लिए प्रावधानों का प्रचलन	
	• प्रारंभिक शेष	2464.51
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	2210.80
	• बट्टे खाते में डाला गया	1681.28
	• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	शून्य
	• अन्तिम शेष	2994.03
ञ.	अनर्जक निवेशों की राशि	143.69
ट.	अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	50.60
ठ.	निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान का उतार-चढ़ाव	
	• प्रारंभिक शेष	628.91
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	453.53
	• बट्टे खाते में डाला गया /आंतरिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	86.95
	• अन्तिम शेष	995.49

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन **(रु. करोड़ में)**

दिन 1	2-7 दि	8-14 दि	15-28 दि	29दि - 3 म	3-6 म	6म - 1 वर्ष	>1 से 3 वर्षों	> 3 से 5 वर्षों	> 5 वर्षों
9138.48	13145.20	7341.69	8627.97	24898.38	19004.34	32409.49	70842.31	22407.52	48648.36

देशीय परिचालन के लिए सकल आस्तियों की कवरेज

Classification of Non Performing Accounts:

The bank follows the prudential guidelines of RBI for classification of NPA accounts.

(₹. In Crore)

Quantitative Disclosures	Applicability to our Bank
a) Total gross credit risk exposures:	
Fund based	142930.71
Non fund based	23120.95
b) Geographic distribution of exposures,	
• **Domestic**	
Fund based	161998
Non Fund based	35818
• **Overseas**	
Fund based	19083
Non Fund based	4150
c) Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately.	Annexed
d) Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed
e) Amount of NPAs (Gross)	
• Substandard	5169.53
• Doubtful (D1, D2, D3)	3773.57
• Loss	77.38
f) Net NPAs	5658.12
g) NPA Ratios	
• Gross NPAs to gross advances	4.98%
• Net NPAs to net advances	3.20%
h) Movement of NPAs (Gross)	
• Opening balance	6607.96
• Additions	6902.40
• Reductions	4489.88
• Closing balance	9020.48
i) Movement of provisions for NPAs	
• Opening balance	2464.51
• Provisions made during the period	2210.80
• Write off	1681.28
• Write back of excess provisions	Nil
• Closing balance	2994.03
j) Amount of Non-Performing Investments	143.69
k) Amount of provisions held for non-performing investments	50.60
l) Movement of provisions for depreciation on investments	
• Opening Balance	628.91
• Provisions made during the period	453.53
• Write-off / Write-back of excess provisions	86.95
• Closing Balance	995.49

Residual contractual Maturity break down of Assets (₹. In Crore)

Day 1	2-7 D	8-14D	15-28D	29D-3M	3-6M	6M-1Year	>1 to 3years	>3 to 5years	>5 years
9138.48	13145.20	7341.69	8627.97	24898.38	19004.34	32409.49	70842.31	22407.52	48648.36

Covers Gross Assets for domestic operations

उद्योगवार ऋण प्रकटीकरण (रु.करोड़ों में)

उद्योग का नाम	बकाया
खान व क्वेरियिंग	2993.77
खाद्य प्रसंस्करण	1736.73
चीनी	971.49
खाद्य तेल और वनस्पति	661.34
चाय	39.41
पेय और तम्बाकू उत्पाद	595.54
सूती वस्त्र उद्योग	3904.20
जूट वस्त्र उद्योग	35.24
हस्तशिल्प / खादी (गैर प्राथमिक)	225.15
अन्य वस्त्र उद्योग	3054.69
चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	467.26
लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	669.19
कागज और कागज उत्पाद	1809.96
पेट्रोलियम (गैर -इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर -खनिज) एवं नाभिकीय ईंधन	1240.50
रसायन व रसायन उत्पाद (डाइ, पेन्ट्स आदि)	2201.56
उनमें से उर्वरक	105.35
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	751.82
उनमें से अन्य	1344.39
रबर प्लास्टिक और उनके उत्पाद	1099.40
ग्लास और ग्लासवेयर	136.04
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	1518.98
लौह एवं स्टील	10799.19
अन्य धातु व धातु उत्पाद	2207.33
सभी इन्जीनियरिंग	5244.29
उसमें से इलेक्ट्रानिक्स	442.94
वाहन ,वाहन के भाग, परिवहन साधन	3091.24
बहुमूल्य रत्न व आभूषण	1029.95
निर्माण	2393.06
इन्फ्रास्ट्रक्चर	24764.45
उनमें से रोडवेज़	7369.56
उनमें से शक्ति	15931.91
उनमें से विद्युत (उत्पादन - परिवहन और वितरण)	14706.35
उनमें से तार संचार	1462.98
अन्य उद्योग	481.12
शेष सकल अग्रिमों के प्रति अवशिष्ट अग्रिम	107709.93
उनमें से उड्डयन क्षेत्र के लिए	1991.62
कुल ऋण और अग्रिम	**181081.01**

तालिका डी एफ-4

उधार जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

सामान्य सिद्धान्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन के लिए बैसल III पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपना लिया है। पूँजी के परिकलन में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय -समय पर निर्धारित अनुसार जोखिम भारों को विभिन्न आस्ति प्रवर्गों में आबंटित कर दिया है।

बाहरी उधार रेटिंग

पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल III) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को देखते हुए बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों (ईसीआरए) द्वारा उधारकर्ताओं की रेटिंग का महत्व बढ़ गया है। बाहरी रेटिंग के आधार पर कार्पोरेट / पीएसई / प्राइमरी डीलरों को एक्सपोज़र को जोखिम भार आबंटित किया गया है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को छः देशीय ईसीआरए जैसे उधार विश्लेषण और शोध लि.(सीएआरई),क्रिसिल लि, फिच इंडिया (इंडिया रेटिंग्स के रूप में पुनर्नामित) और इकरा लि.,ब्रिकवर्क्स रेटिंग सर्विसेज़ लि. और छोटे एवं मध्यम उद्यम रेटिंग एजेंसी लि. (एसएमईआरए) की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति दी है।

INDUSTRY WISE EXPOSURES (₹. In Crore)

Industry Name	Outstanding
Mining and quarrying	2993.77
Food Processing	1736.73
Sugar	971.49
Edible Oils and Vanaspati	661.34
Tea	39.41
Beverages and Tobacco	595.54
Cotton Textiles	3904.20
Jute Textiles	35.24
Handicraft/ Khadi (Non Priority)	225.15
Other Textiles	3054.69
Leather and Leather Products	467.26
Wood and Wood Products	669.19
Paper and Paper Products	1809.96
Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	1240.50
Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.,)	2201.56
Of which Fertilisers	105.35
Of Which Drugs and Pharmaceuticals	751.82
Of which Others	1344.39
Rubber, Plastic and their products	1099.40
Glass & Glassware	136.04
Cement and Cement Products	1518.98
Iron and Steel	10799.19
Other Metal and Metal Products	2207.33
All Engineering	5244.29
Of which Electronics	442.94
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	3091.24
Gems and Jewellery	1029.95
Construction	2393.06
Infrastructure	24764.45
Of which Roadways	7369.56
Of which Energy	15931.91
Of which Electricity (Generation-transportation and distribution)	14706.35
Of which Telecommunications	1462.98
Other Industries	481.12
Residuary Other Advances to balance Gross Advances	107709.93
Of which Aviation Sector	1991.62
Total Loans and Advances	**181081.01**

Table DF-4

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative disclosures:

General Principle:

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted Basel III Capital Adequacy Framework for computation of capital for credit risk. In computation of capital, the bank has assigned risk weight to different asset classes as prescribed by the RBI from time to time.

External Credit Ratings:

Ratings of borrowers by External Credit Rating Agencies (ECRA) assume importance in the light of Guidelines for implementation of the Basel III Capital Adequacy Framework. Exposures on Corporates / Public Sector Enterprises/ Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of six domestic ECRAs viz. Credit Analysis and Research Ltd (CARE), CRISIL Ltd, FITCH India (renamed as India Ratings) and ICRA Ltd, Brickworks Rating Services India Ltd and Small and Medium Enterprises Rating Agency Ltd (SMERA)

In consideration of the above, the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs for capital relief purpose. The RBI has provided for mapping public issue ratings on to comparable assets into banking book. However, this particular provision has not been taken into account in Credit Risk Capital Computation.

उपरोक्त के मद्देनजर बैंक ने पूँजी राहत के उद्देश्य से इन सभी ईसी आर ए द्वारा प्रदत्त रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग बही में तुलनात्मक आस्ति पर पब्लिक ईश्यू की मैपिंग के लिए प्रावधान किया है । तथापि यह विशेष प्रावधान उधार जोखिम पूँजी की गणना में नहीं लिया जाता है ।

बैंक पूँजी परिकलन उद्देश्यों के लिए केवल सालिसिटेड बाहरी रेटिंग्स का उपयोग करता है ।उधारकर्ता अपनी रेटिंग के लिए स्वयं की इच्छा पर उक्त इसीआरए में से किसी एक या अधिक से संपर्क कर सकता हैं । 15 महीनों के दौरान दी गई नई या पुनरीक्षित रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूंजी के अभिकलन के लिए हिसाब में लिया जाता है। जहां कहीं किसी उधारकर्ता को बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी से एक या अधिक रेटिंग मिली है, वहां पूंजी के अभिकलन के लिए जोखिम भार के आबंटन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाता है।

आंतरिक क्रेडिट रेटिंग :

किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है और तदनुसार प्रस्तावों की स्वीकार्यता और एक्सपोज़र का स्तर तथा कीमत निर्धारण के संबंध में उधार निर्णय लेने के लिए भी प्रणाली है। बैंक ने नए खाते के मामले में प्रवेश स्तर पर रेटिंग निर्धारित किया है। प्रवेश स्तर पर रेटिंग से कम रेटिंग वाले खातों पर निर्धारित प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार उच्च प्राधिकारी के द्वारा ही विचार किया जाएगा।

वर्तमान मे, पूंजी परिकलन के मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत जोखिम भार के अनुप्रयोग के लिए आंतरिक रेटिंग को काम में नहीं लाया जा सकता । तदनुसार बैंक ने उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करते समय, बैंक की अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों द्वारा आबंटित उधारकर्ता की ऋण एक्सपोज़र रेटिंग को कार्पोरेट और पीएसई के क्षेत्रो के लिए लिया है।

कार्पोरेट / पीएसई के विशेष निर्गमों में निवेश के मामले में अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी की किसी निर्गम विशेष के लिए रेटिंग को हिसाब में लिया जाता है और तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई रेटिंग स्केल की समवर्ती वित्तीय स्थिति के बाद जोखिम भार का अनुप्रयोग किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश में दिए गए उधारों के पूंजी परिकलन के उद्देश्य से फिच, मूडीस और एस एण्ड पी अन्तरराष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों द्वारा आबंटित रेटिंग का प्रयोग किया गया है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूंजी के परिकलन के अनुरूप बाहरी रेटिंग द्वारा भारत में एक्सपोज़र के कवरेज के संबंध में प्रक्रिया को उधारकर्ताओं के बीच प्रचलित किया जाना है ताकि बेहतर रेटिंग प्राप्त ग्राहकों के लिए उपलब्ध पूंजी राहत का लाभ उठाया जा सके। उधारकर्ताओं द्वारा अपने कारोबार विकास के लिए बाहरी रेटिंग को अवसर के रूप में विचार करना चाहिए ।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

रु. करोडों में

वर्गीकरण	कम करने के पश्चात एक्सपोजर (इएएम)	बाहरी रेटिंग के अधीन आवरित इएएम	रेटिंग नहीं की गई
अग्रिम / निवेश			
100% जोखिम भार से कम	100317.77	11636.81	88680.96
100% जोखिम भार	107174.19	11087.56	96086.63
100% जोखिम भार से अधिक	20855.99	4002.21	16853.78
घटाएँ	0	0	0
कुल	**228347.95**	**26726.58**	**201621.37**
अन्य आस्तियाँ			
100% जोखिम भार से कम	24813.84	858.15	23955.70
100% जोखिम भार	6774.41	0	6774.41
100% जोखिम भार से अधिक	0	0	0
घटाएँ	0	0	0
कुल	**31588.25**	**858.15**	**30730.11**

तालिका डीएफ - 5

उधार जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए दृष्टिकोण

गुणात्मक प्रकटीकरण

उधार जोखिम को कम करने पर नीति

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन तथा उधार जोखिम को कम करने के तकनीक पर बहुत ही स्पष्ट नीति बैंक द्वारा बनाई गई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। नीति में बैंक द्वारा ऋण देते समय सामान्यत: स्वीकार की गई प्रतिभूतियों के प्रकार तथा इसके साथ जुड़े हुए जोखिम को कम करने के बारे में उल्लेख है ताकि बैंक के हित की सुरक्षा / रक्षा हो तथा ऐसी प्रतिभूतियों का प्रशासन / प्रबोधन भी हो ।

बैंक द्वारा स्वीकार की गई प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक दोनों) के प्रमुख प्रकार में बैंक की अपनी जमाएँ स्वर्ण / आभूषण, किसान विकास पत्र, 10 वर्षीय सामाजिक सुरक्षा प्रमाण-पत्र, शेयर व डिबेंचर, केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, जीवन बीमा पॉलिसियाँ, म्यूच्युअल फंड यूनिटें, अचल संपत्तियाँ, संयंत्र व मशीनरी, माल तथा वाणिज्य वस्तुएँ, माल के हक-विलेख, बहीगत ऋण, वाहन तथा अन्य चल संपत्तियाँ शामिल हैं। बैंक ने अचल संपत्तियों और संयंत्र तथा मशीनरियों के मूल्यांकन पर सुस्पष्ट नीति बनाई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है ।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करना

क) पात्र वित्तीय संपार्श्विक :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचितानुसार बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जो उधार

The bank uses only solicited external ratings for capital computation purpose. Borrowers at their option can approach any one or more of the above ECRAs for their rating. External ratings assigned fresh or reviewed during the previous 15 months are reckoned for capital computation by the bank. Wherever a borrower possesses more than one rating from ECRAs the guidelines prescribed by the RBI are followed as regards to assignment of risk weight for computation of capital.

Internal Credit Rating:

The bank has a well structured internal credit rating mechanism to evaluate the credit risk associated with a borrower and accordingly the systems are in place for taking credit decision as regards the acceptability of proposals and level of exposures and pricing. The bank has prescribed entry level rating in case of new accounts. Accounts with ratings below the entry level can be considered only by higher authorities as per the delegated powers prescribed.

Presently, the internal ratings cannot be used for application of risk weight under Standardised Approach of capital computation. The bank takes into consideration the borrower's loan exposure credit ratings assigned by the approved ECRAs while computing the capital for credit risk under corporate and PSE segments.

In case of investment in particular issues of Corporates / PSEs, the issue specific rating of the approved ECRAs are reckoned and accordingly the risk weights have been applied after a corresponding mapping to rating scale provided in RBI guidelines.

For the purpose of capital computation of overseas exposures, ratings assigned by the international rating agencies namely Fitch, Moody's and Standard & Poor's are used as per RBI guidelines.

As regards the coverage of exposures in India by external ratings as relevant for capital computation under Standardised Approach, the process needs to be popularized among the borrowers so as to take the benefit of capital relief available for better-rated customers. The borrowers need to consider the external rating as an opportunity for their business development

Quantitative Disclosures

(₹. In Crore)

Classification	Exposure After Mitigation (EAM)	EAM covered under External Rating	Unrated
ADVANCES / INVESTMENT			
Below 100% risk weight	100317.77	11636.81	88680.96
100% risk weight	107174.19	11087.56	96086.63
More than 100% risk weight	20855.99	4002.21	16853.78
Deducted	0	0	0
TOTAL	**228347.95**	**26726.58**	**201621.37**
OTHER ASSETS			
Below 100% risk weight	24813.84	858.15	23955.70
100% risk weight	6774.41	0	6774.41
More than 100% risk weight	0	0	0
Deducted	0	0	0
TOTAL	**31588.25**	**858.15**	**30730.11**

Table DF – 5

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative disclosures:

Policy on Credit Risk Mitigation:

In line with the regulatory requirements, the bank has put in place a well-articulated policy on collateral management and credit risk mitigation techniques duly approved by the bank's Board. The Policy lays down the type of securities normally accepted by the bank for lending and administration/ monitoring of such securities in order to safeguard /protect the interest of the bank so as to minimize the risk associated with it.

The main types of securities (both prime and collateral) accepted by the Bank includes Bank's own deposits, Gold/ Ornaments, Kisan Vikas Patras, 10 year Social Security Certificates, Shares and debentures, Central and State Govt. securities, Life Insurance Policies, Mutual Fund units, Immovable Properties, Plant and Machinery, Goods and Merchandise, Documents of Title to Goods, Book debts, Vehicles and other moveable assets etc. The bank has also framed a well-defined policy on valuation of immovable properties and Plant and Machineries duly approved by Board.

Credit Risk Mitigation under Standardised Approach:

(a) Eligible Financial Collaterals:

As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows offset of securities (prime and collateral) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals are fully made use of to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital. In doing so, in line with RBI guidelines, the bank has recognized specific securities viz (a) cash/bank deposits (b)

जोखिमों के प्रति प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक) को संपूर्ण रूप से ऑफसेट करने के लिए अनुमति देता है जिससे प्रतिभूतियों पर आरोपित मूल्य द्वारा जोखिम राशि को प्रभावी ढंग से घटाया जा सकता है। अत: पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों का उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में उधार जाखिम को कम करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करते समय बैंक ने विशिष्ट प्रतिभूतियों को मान्यता दी है जैसे क) बैंक जमाएँ ख) स्वर्ण / आभूषण ग) जीवन बीमा पॉलिसी घ) किसान विकास पत्र (2 1/2 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद), जो भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

ख) ऑन बैलेंस शीट नेटिंग :

उधार जोखिम कम करने की तकनीकों तथा संपार्श्विक प्रबंधन के उपयोग पर बैक की नीति के अनुसार उधारकर्ता के ऋण/ अग्रिमों के प्रति उपलब्ध जमाओं की हद तक ऑन बैलेंस शीट नेटिंग की गणना की गई है (ऋण की अधिकतम हद तक),जहाँ बैंक ने भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित दस्तावेज़ के प्रमाण के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल करते हुए विधिक लागू नेटिंग व्यवस्थाएँ कीं। ऐसे मामलों में पूंजी गणना निवल उधार एक्सपोज़र के आधार पर किया जाता है।

ग) पात्र गारंटियां

आगे उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार इस प्रकार हैं - क) केंद्र सरकार की गारंटी (0%) ख) राज्य सरकार (20%) ग) सीजीटीएमएसआइ (0%) घ) ईसीजीसी (20%) ङ) साख-पत्र के अधीन खरीदे / बट्टे खाते में डाले गए बिलों के रूप में बैंक गारंटी (दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू और विदेशी दोनों)

बैंक ने उधार जोखिम को कम करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक निश्चितता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

उधार जोखिम को कम करने में संकेंद्रीकरण जोखिम

बैंक द्वारा मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूँजी की गणना के लिए कई प्रकार के शामक उपाय वाली नीतियां व प्रक्रिया उपलब्ध हैं । उधार जोखिम को कम करने के लिए पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ (वित्तीय संपार्श्विक) आसानी से उगाही लायक वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं । वर्तमान में बैंक प्रयुक्त क्रेडिट जोखिम शमन में कोई संकेन्द्रण जोखिम नहीं है और वर्तमान में उधार जोखिम कम करने के माध्यमों में प्रत्येक प्रकार के संपर्श्विक की कोई सीमा / उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं किया गया है ।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु करोडों में)

प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कट के पश्चात् कवर किया गया है ।	23508.53
देशी संप्रभुता	0.00
विदेशी संप्रभुता	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	45.64
बैकों की अनुसूची(आइ एन आर)	0.00
एफ सी वाइ में विदेशी बैंकों के दावे	0.00
प्राईमरी डीलर	0.00
कार्पोरेट	2701.39
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	14092.29
आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत दावे	21.09
वाणिज्यिक भू संपदा द्वारा प्रतिभूत दावे	90.93
उपभोक्ता ऋण	6264.49
पूँजी बाजार एक्सपोज़र	1.02
एन बी एफ सी	50.72
जोखिम पूंजी	0.00
अनर्जक आस्तियाँ - अ) आवास ऋण	0.19
अनर्जक आस्तियाँ - ब) अन्य	29.78
अन्य आस्तियाँ - स्टॉफ ऋण	53.04
अन्य आस्तियाँ	97.48
पुनर्संरचित खाते	27.99
सी.आर.ई. आरएच द्वारा सुरक्षित दावे	32.48

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु करोडो में)

प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कट के पश्चात कवर किया गया है ।	13840.02
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	8107.26
कार्पोरेट	3843.08
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	1008.69
पुनर्संरचित	785.22
पूँजी बाजार एक्सपोजर	0.00
सीआरई	73.52
सीआरई -आरएच	22.26

gold/ornaments (c) life insurance policies (d) kisan vikas patras (after a lock in period of 2 ½ years).

(b) On Balance Sheet Nettings:

As per Bank's policy on utilization of the credit risk mitigation techniques and collateral management, on–balance sheet netting has been reckoned to the extent of deposits available against loans/advances of the borrower (maximum to the extent of exposure), where bank has legally enforceable netting arrangements involving specific lien with proof of documentation as prescribed by RBI. In such cases, the capital computation is done on the basis of net credit exposure.

(c) Eligible Guarantees:

Other approved form of credit risk mitigation is availability of "Eligible Guarantees". In computation of credit risk capital, types of guarantees recognized as mitigation, in line with RBI guidelines are (a) Central Government (0%) (b) State Government (20%), (c) CGTMSE (0%) (d) ECGC (20%) (e) Banks in the form of Bills Purchased/discounted under Letters of Credit (both domestic and foreign banks as per guidelines).

The bank has ensured compliance of legal certainty as prescribed by the RBI in the matter of credit risk mitigation.

Concentration risk in credit risk mitigation:

Policies and process are in place indicating the type of mitigants the bank use for capital computation under the Standardised approach. All types of securities (financial collaterals) eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, the bank doesn't envisage any concentration risk in credit risk mitigation used and presently no limit/ceiling has been prescribed for the quantum of each type of collateral under credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures (₹. in Crore)

For each separately disclosed credit risk portfolio, the exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Eligible Financial Collateral after application of haircuts	23508.53
Domestic Sovereign	0.00
Foreign Sovereign	0.00
Public Sector Entities	45.64
Banks – Schedule (INR)	0.00
Foreign Bank claims in FCY	0.00
Primary Dealers	0.00
Corporates	2701.39
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	14092.29
Claims secured by Residential Property	21.09
Claims secured by Commercial Real Estate	90.93
Consumer Credit	6264.49
Capital Market Exposure	1.02
NBFC	50.72
Venture Capital	0.00
Non Performing Assets – a) Housing Loan	0.19
Non Performing Assets – b) Others	29.78
Other Assets – Staff Loans	53.04
Other Assets	97.48
Restructured Accounts	27.99
Claims secured by C.R.E-RH	32.48

Quantitative Disclosures (₹. in Crore)

For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees / Credit Derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	13840.02
Public Sector Entities	8107.26
Corporates	3843.08
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	1008.69
Restructured	785.22
Capital Market Exposure	0.00
CRE	73.52
CRE-RH	22.26

तालिका डीएफ 6

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण क) निम्नलिखित चर्चा को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा • प्रतिभूतिकरण कार्य के संबंध में बैंक का उद्देश्य, इन कार्यों से पूर्वताप्राप्त प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के उधार जोखिमों को बैंक से अन्य इकाइयों को अंतरित कर देता है। • प्रतिभूत आस्ति में निहित अन्य जोखिमों की प्रकृति (उदाहरणार्थ लिक्विडिटी जोखिम) • अपने प्रतिभूतिकरण के कार्य के लिए बैंक द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिका (उदाहरणार्थ ओरिजिनेटर , निवेशक , सेवा प्रदाता , ऋण बढ़ोत्तरी प्रदाता , लिक्विडिटी प्रदाता , स्वैप प्रदाता, प्रतिरक्षा प्रदाता) और इनमें से प्रत्येक में बैंक की सहभागिता की सीमा का सूचक • प्रतिभूतिकरण ऋण की ऋण और बाजार जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन (उदाहरणार्थ किस प्रकार अन्डरलाइंग आस्ति प्रतिभूतिकरण ऋण को प्रभावित करता है जैसा कि एन सी ए एफ के मास्टर परिपत्र दिनांकित 1 जुलाई 2009 के पैरा 5.16.1 में परिभाषित किया गया है ।)	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए कोई प्रतिभूतिकरण नहीं किया गया है।
• प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के माध्यम से बनाए रखे गए जोखिम के शमन करने के लिए ऋण जोखिम शमन के प्रयोग को शासित करने वाली बैंक की नीति का वर्णन ख) निम्नलिखित को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण कार्यों के लिए बैंक द्वारा अपनायी गई लेखांकन नीतियों का सार • क्या लेन देन को बिक्री या वित्तपोषण के तौर पर माना जाता है • प्रविधि और मुख्य परिकल्पनाएं (इनपुट सहित); रखे गए या खरीदी गई स्थिति का मूल्यांकन • पिछली अवधि से प्रविधि और मुख्य परिकल्पनाओं में परिवर्तन और परिवर्तन का प्रभाव बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति के लिए • वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए अपेक्षित व्यवस्था के लिए तुलन पत्र पर देयताओं की पहचान करने के लिए नीतियां ग) प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त ई सी ए आइ के नाम, बैंकिंग बही में और प्रतिभूतिकरण ऋण के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी प्रयुक्त हुई हो।	
बैंकिंग बुक में प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण घ) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत जोखिम की कुल राशि ङ) चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा पहचानी गई हानि जिसे एक्सपोजर के प्रकार (अंडरलाइंग प्रतिभूति द्वारा वर्णित उदाहरणार्थ क्रेडिट कार्ड , हाउसिंग ऋण , ऑटो ऋण , आदि)द्वारा काट दिया गया हो च) एक वर्ष के अंदर प्रतिभूतिकरण हेतु आस्ति की रकम छ) च) में से प्रतिभूतिकरण से पूर्व एक वर्ष के अंदर उत्पन्न आस्ति की रकम ज) एक्सपोज़र प्रकार द्वारा काटे गए ऑफ बैंलेस शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र और एक्सपोज़र प्रकार द्वारा काटे गए खरीद या रखे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल रकम झ) रखे गए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल मात्रा व संबंधित पूँजी प्रभार , एक्सपोजर के बीच काटे गए और आगे प्रत्येक विनियामक पूँजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम वेट बैण्ड में काटे गए *टियर I से पूर्णत: काटे गए एक्सपोजर कुल पूँजी (एक्सपोजर प्रकार से) काटे गए उधार बढ़ोत्तरी आइ / ओ	लागू नही
प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण : ट्रेडिंग बही ट) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र की समग्र मात्रा जिसके लिए बैंक ने एक्सपोज़र रखा था और जो एक्सपोज़र प्रकार द्वारा मार्केट रिस्क एप्रोच के अधीन है। ठ) निम्नलिखित की समग्र मात्रा : • रखा गया या खरीदा गया आन बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण जिसे एक्सपोज़र प्रकार द्वारा काटा गया हो • आफ बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण जिसे एक्सपोज़र प्रकार द्वारा काटा गया हो ड) निम्नलिखित के लिए अलग से खरीदे गए या रखे गए प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र की समग्र मात्रा • रखा गया या खरीदा गया प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र जो विशिष्टि जोखिम के लिए व्यापक जोखिम माप के अधीन हो और • प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र जो विभिन्न रिस्क वेट बैण्ड में काटे गए विशिष्टि जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन हो ढ) निम्नलिखित की समग्र मात्रा : • प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के लिए पूँजी अपेक्षा जो विभिन्न रिस्क वेट बैण्ड में काटे गए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन हो • टीयर I पूँजी से पूरी तरह से काटे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र, कुल पूँजी से काटे गए आइ / ओ उधार बढ़ोत्तरी और अन्य कुल पूँजी (एक्सपोज़र प्रकार द्वारा) से काटे गए अन्य एक्सपोज़र	

Table DF 6

SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures a) The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation, including a discussion of: • The bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities. • The nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitized assets • The various roles played by the bank in securitisation process (for example: originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider, swap provider, protection provider) and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them; • A description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitization exposures (for example, how the behaviour of the underlying assets impacts securitization exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular of NCAF dated July 1, 2009); • A description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitization exposure;	No securitisation for the year ended 31.03.2014
b) Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including : • Whether the transactions are treated as sales or financings; • Methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased. • Change in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes; • Policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitized assets;	
c) In the banking book, the names of ECAIs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.	
Quantitative Disclosures in Banking Book d) Total amount of exposures securitised by the bank. e) For exposures securitised losses recognized by the Bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, Housing loans, auto loans, etc. detailed by underlying security) f) Amount of assets intended to be securitized within a year. g) Of (f), amount of assets originated within a year before securitization. h) The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type. i) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type. j) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach. * Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital (by exposure type).	Not applicable
Quantitative Disclosure: Trading Book k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank had retained sum exposures and which is subject to market risk approach, by exposure type. l) Aggregate amount of: • On-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and • Off-balance sheet securitiesation exposures broken down by exposure type.	
m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for: • Securitisation exposures retained or purchased subject to comprehensive Risk Measure for specific risk; and • Securitisation exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands. n) Aggregate amount of: • the capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands. • Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	

तालिका डीएफ - 7

ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, ईक्विटी कीमतें तथा पण्य कीमतें जैसे बाजार वेरियबिल्स द्वारा उत्पन्न परिवर्तन / गति के कारण ऑन-बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट स्थिति में हानि होने की संभावना है। बाजार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग बुक (एएफएस तथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में घरेलू निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा ईक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में खुली स्थिति को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित डिरेवेटिब्स से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि के प्रभाव और ईक्विटी पूँजी से उत्पन्न बाजार जोखिम को कम करना है ।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) को लागू किया है ताकि बैंक में बाजार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किया जा सके। बाजार जोखिम प्रबंधन को संभालने की अन्य नीतियाँ निवेश नीति, फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति और डिरैवेटिव नीति हैं । बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए सुस्पष्ट संगठनात्मक रूपरेखा निर्धारित करती है जिससे बैंक द्वारा उठाए गए बाजार जोखिम एएलएम फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंक की जोखिम छूट के अनुरूप पहचाने, मापे, प्रबोधित किए तथा नियंत्रित किए जाते हैं। इस नीति में विभिन्न जोखिम सीमाएँ गठित हैं जिससे बाजार जोखिम का प्रभवी प्रबंधन होता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उचित आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम से प्राप्य लाभ बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। नीति में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबोधन के लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी संभाला गया है।

एएलएम नीति में विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवक्र का उल्लेख है। नीति द्वारा उल्लिखितानुसार तरलता जोखिम का प्रबंधन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार डॉटा कवरेज की उत्तम उपलब्धता के आधार पर दैनिक रूप से आस्ति और देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता / प्रवृत्तिजन्य पद्धति को आधार बनाकर जीएपी विशलेषण के जरिए किया जाता है । अभी तक संरचनागत तरलता विवरण के माध्यम से तरलता जोखिम की रिपोर्ट आरबीआइ को घरेलू परिचालन के लिए की जाती थी वहीं इसे प्रत्येक वरसीज केंद्रों पर अलग अलग प्रबंधित किया जाता था तथा अतीत में नियंत्रण के उद्देश्य से आलको(एएलसीओ) में रखा जाता था। हालाँकि आरबीआइ के हालिया परिपत्र के अनुसार, मार्च 2013 से प्रभावी तरलता जोखिम की संगणना की जानी है तथा आरबीआइ को रुपए तथा विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों व ओवरसीज केंद्रों के लिए प्रस्तुत किया जाना है और बैंक परिचालन हेतु विभिन्न अंतरालों पर इसका समेकन किया जाना है।

बैंक ने अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि योजना के उपाय बनाये हैं। प्रभावकारी आस्ति देयता प्रबंधन के लिए विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता को संभालने के लिए विवेकपूर्ण (छूट) सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। बैंक की तरलता प्रोफाइल को विभिन्न तरलता अनुपातों के जरिए मूल्यांकित किए जाते हैं। बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपायों को गठित किया है ताकि तरलता स्थिति में किसी प्रकार के तनाव को संभाला जा सके। बैंक घरेलू ट्रेशरी द्वारा निधि के व्यवस्थित तथा स्थिर नियोजन के जरिए रियल टाइम आधार पर पर्याप्त तरलता का प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

ब्याज दर जोखिम का संवेदनशील आस्तियों और देयताओं को जीएपी विश्लेषण के प्रयोग से प्रबंधन किया जाता है और वैश्विक परिचालनो के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण (छूट) सीमाओं के जरिए प्रबोधन किया जाता है। शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने की दृष्टि से निवल ब्याज आय व ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए बैक आवधिक रूप से वैश्विक परिचालनो हेतु आशोधित आवधिक अंतराल और देशी परिचालनों के लिए जोखिम पर आय का आकलन करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (ऑलको) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को प्रबोधित करता है और एएलएम नीति में स्पष्ट किए अनुसार बाजार स्थिति (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। ट्रेज़री विभाग में कार्यरत मध्य कार्यालय समूह भी विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर आधार पर प्रबोधित करता है। सप्ताह में दो बार मिलने वाली आलको(एएलसीओ) उपसमिति तरलता की स्थिति का विश्लेषण करती है, बड़े जमाओं के मूल्य निर्धारित करती है तथा आकस्मिक निधि आवश्यकताओं का मूल्यांकन करती है, जिसे अनुवर्ती बैठकों में आलको(एएलसीओ) को रिपोर्ट किया जाता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पूँजी के अनुरक्षण के लिए बेसल ।। फ्रेमवर्क के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार बाजार जोखिम के लिए बैंक ने पूँजी परिकलित की है। 31.0314 तक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ इस प्रकार हैं :

(रु.करोड़ों में)

बाजार जोखिम का प्रकार	जोखिम भारित आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	6383.22	574.49
ईक्विटी स्थिति जोखिम	2248.67	202.38
विदेशी विनिमय जोखिम	101.67	9.15
कुल	**8733.56**	**786.02**

तालिका डीएफ - 8

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालनात्मक जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रकियाओं, लोगों तथा प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में विधिक जोखिम शामिल हैं मगर रणनीति या प्रतिष्ठा से संबंधित जोखिम शामिल नहीं है।

परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन पर नीतियाँ

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती हैं इस प्रकार हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (ग) अपने ग्राहक को जानें पर नीतिगत दस्तावेज और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों (घ) अविराम आइटी कारोबार तथा विपदा पुन:प्राप्ति योजना (आइटी बीसी-डीआरपी) ङ) अनुपालन नीति और च) वित्तीय सेवाओं के बाह्य स्त्रोत पर नीति।

बैंक द्वारा अपनाई गई परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना तथा विस्तृत प्रकियाओं की

Table DF – 7

Market Risk in Trading Book:

Qualitative disclosure:

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank in on & off-balance sheet position caused by changes/movements in market variables such as interest rate, foreign currency exchange rate, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (Both AFS and HFT categories), the Foreign Exchange positions (including open position, if any, in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and erosion of equity capital arising from market risk.

Policies for management of market risk:

The bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of market risk in the bank. Other policies which also deal with market risk management are Funds Management and Investment Policy, Derivative Policy, Risk Management Policy for forex operations and Stress testing policy. The market risk management policy lays down well defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through GAP analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis based on best available information data coverage as prescribed by RBI. The liquidity risk through Structural Liquidity statement was hither too reported to RBI for domestic operation while the same was managed separately at each overseas center and placed to ALCO for control purpose in the past. However as per recent RBI circular, w.e.f March 2013 onwards the liquidity risk is to be computed and submitted to RBI in rupee and foreign currency for domestic operations, overseas centers and consolidated for Bank operations at various frequencies.

The bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed for global operations. The bank estimates earnings at risk for domestic operations and modified duration gap for global operations periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis. ALCO subcommittee which meets twice a week analyze the liquidity position, decide on price for bulk deposits and assess contingency funding requirement which is reported to ALCO in the subsequent meeting.

Quantitative Disclosures:

In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.03.2014 in trading book of the bank is as under:

(₹. In Crore)

Type of Market Risk	Risk Weighted Asset (Notional)	Capital Requirement
Interest rate risk	6383.22	574.49
Equity position risk	2248.67	202.38
Foreign exchange risk	101.67	9.15
TOTAL	**8733.56**	**786.02**

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative disclosures:

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk.

Policies on Management of Operational risk:

The bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems security policy (b) forex risk management policy (c) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (d) IT Business continuity and disaster recovery plan (IT-BC-DRP) (e) compliance policy and (f) policy on outsourcing of Financial Services.

The operational risk management policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling or mitigating operational risk and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risks in the bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

The Bank has got embodied in its Book of Instructions well-defined systems and procedures for various operations.

रूपरेखा बताता है। नीति का मूल उद्देश्य बैंक के दैनंदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में भूमिकाओं के स्पष्ट नियतन के जरिए परिचालनात्मक जोखिम को प्रभावी ढंग से पहचानने, निर्धारित करने, प्रबोधित करने तथा नियंत्रित/कम करने और भौतिक परिचालनात्मक हानियों सहित परिचालनात्मक ऋण जोखिमों की समय पर रिपोर्टिंग के द्वारा परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक में परिचालनात्मक जोखिमों को व्यापक तथा सुदृढ व सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क के द्वारा संभाला जाता है।

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस्तक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्धतियां व प्रक्रियाएं बना रखी हैं। बैंक ने कम्प्यूटरीकृत परिचालनों को संभालने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं और निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए ईडीपी लेखा परीक्षा स्थापित है। उचित दस्तावेजों के निष्पादन के लिए दस्तावेजीकरण मैनुयल हैं। कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों की भूमिका के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश हैं। आवधिक कार्यावर्तन के लिए स्पष्ट प्रणाली है। उधार, फारेक्स और अन्य कार्यक्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रभावी प्रशिक्षण प्रणाली है। सभी कर्मचारियों के लिए आचार नियम व सेवा विनियम हैं।

निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आन्तरिक और बाह्य लेखा परीक्षा प्रणालियां हैं और कमियों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति रखी है। बैंकों में अनुपालन कार्यों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय में कारोबार समूह से अलग ''अनुपालन विभाग" स्थापित किया है। हर शाखा / विभाग / कार्यालय में अनुपालन के स्तर की निगरानी के लिए अनुपालन अधिकारी पदनामित किए गए हैं। अनुपालन स्तर के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया व प्रणालियां तैयार की गई हैं। अनुपालन कार्यों के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली भी तैयार की गई है। बैंक में अनुपालन कार्य और अनुपालन संस्कृति मजबूत हुई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारा बैंक आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसके अनुसार बैंक परिचालन जोखिम के लिए पूंजी धारित करता है। दिशानिर्देशों के अनुसार, परिचालन जोखिम के लिए पूंजी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के बराबर है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (रु.करोड़ में)

मानदण्ड	पूँजी रकम	आनुमानिक जोखिम वेटेड आस्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार पिछले तीन वर्षों में सकारात्मक वार्षिक सकल आय का 15%	958.27	10647.44

तालिका डीएफ - 9 बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहाँ बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ब्याज दर में परिवर्तन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) तथा बैंक के नेटवर्थ (परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावित करता है। परिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) या निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है। इसी प्रकार, परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को ईक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है।

बैंकिंग बुक में अल्पावधि (आर्थिक परिप्रेक्ष्य) तथा दीर्घावधि (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) परिप्रेक्ष्य से ऑन बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट जोखिमों पर परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ जुड़े जोखिमों को बैंक पहचानता है। घरेलू परिचालनों हेतु आय पर प्रभाव को बैंक की एएलएम नीति में निर्धारितानुसार 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात (शॉक) को लागू करके जीएपी विश्लेषण के प्रयोग से मापा जाता है। ऐसे प्रभावों के लिए बैंक के एनआइआइ के प्रतिशत के अनुसार विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और उसका प्रबोधन पाक्षिक आधार पर आवधिक रूप में किया जाता है। अर्जन पर प्रभाव के परिकलन के लिए, घरेलू परिचालनों हेतु पारंपरिक जीएपी विश्लेषण को दर संवेदनशील विवरण से लिया जाता है और विशेष समयावधि के बीच के पाइंट से बची हुई अवधि के आधार पर 200 बीपीएस तक ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित किया जाता है। इसी को ऑलको तथा बोर्ड को आवधिक तौर पर दर संवेदनशील विवरण सहित रिपोर्ट किया जाता है। सीमाएँ पिछले वर्ष के एनआइआइ के आधार पर नियत की जाती हैं।

बैंक ने वैश्विक परिचालनों पर ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (प्रतिशतता के रूप में) के निर्धारण के लिए 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विशलेषण को अंतराल जीएपी विशलेषण के साथ मिलाकर अपनाया है। इस प्रयोजन के लिए बैंक की 1 वर्ष की अवधि के दौरान एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी के लिए (+/-) 1.00% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को मासिक आधार पर आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है।

बैंक मासिक आधार पर ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव और अवधि अन्तराल की गणना करता है । दर संवेदनशीलता विवरण और बकेटवार संशोधित अवधि के अनुसार आस्ति व देयता को समूहबद्ध किया जाता है और इन समूह आस्ति व देयता के लिए कॉमन मैच्यूरिटी , कूपन व यील्ड मानदण्ड का प्रयोग करके गणना की जाती है। जहाँ भी संभव होता है संशोधित अवधि की गणना एकल मदवार की जाती है । गैर परिपक्व जमाओं के मामले में, ब्याज दर संवेदनशीलता के वास्तविक मूल्यांकन को प्राप्त करने के लिए भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारितानुसार बैंक ने तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यावहारिक अध्ययन संचालित किया है।

बैंक प्रत्येक मुद्रा में ब्याज दर जोखिम स्थिति की गणना अवधि अन्तराल विश्लेषण (डी जी ए) और पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (टी जी ए) उस मुद्रा में दर संवेदनशील आस्ति (आर एस ए)/ दर संवेदनशील देयता (आर एल ए)पर करता है जहाँ या तो आस्ति या देयता बैंक की कुल वैश्विक आस्ति या वैश्विक देयता का 5 प्रतिशत आस्ति या वैश्विक देयता का 5 प्रतिशत या अधिक हो। सभी अन्य अवशेष मुद्रा में ब्याज जोखिम स्थिति की गणना अलग से समग्र आधार पर की गणना की जाती है।

भा.रि बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, तिमाही विवरणियां तिमाही की समाप्ति से 21 दिनों के अंदर और मासिक विवरणियां माह के अंत से 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाती है ।

गुणात्मक प्रकटीकरण

निवल ब्याज आय (एन आइ आइ) और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव के परिवर्तन को दिनांक 31.03.2014 तक उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया जा रहा है :

The bank has issued detailed guidelines for handling computerized operations and a system of EDP audit is in place to ensure adherence to the laid down systems and procedures. The Bank has clear guidelines as to the role functions of various levels of employees. A training system with provision for giving specialized training in credit /forex and other functional areas is in place. Conduct rules and service regulations for all the employees are also in place.

Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

The Bank has put in place Compliance Policy duly approved by Board. In terms of the RBI guidelines on compliance functions in banks, the bank has established separate “Compliance Department” in C.O. independent of business group. Compliance officers are designated in each branch /department/office to monitor the level of compliance. The methodologies and system have been devised and put in place for assessment of level of compliance. Reporting systems on compliance function have been devised and put in place.

In line with the final guidelines issued by RBI, our bank is adopting the Basic Indicator Approach for computing capital for operational risk. As per the guidelines the banks must hold capital for operational risk equal to 15% of positive average annual gross income over the previous three years as defined by RBI.

Bank had made application to RBI for “Migration to The Standardized Approach” (TSA) for computation of capital charge for Operational Risk from “Basic Indicator Approach”. Bank had also made a presentation to RBI on our preparedness and technological capability for migration to TSA. Bank is in the process of fine tuning the preparedness for migration as suggested by RBI.

Quantitative disclosures (₹. in crores)

Parameter	Capital amount	Notional Risk Weighted Assets
15% of positive average annual gross income over the previous 3 years as defined by RBI	958.27	10647.44

Table DF –9 Interest rate risk on the Banking Book:

Qualitative disclosures:

Interest rate risk is the risk where changes in the market interest rates might affect a bank’s financial condition. Changes in interest rates may affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly the risk from economic value perspective can be measured as drop in Economic Value of Equity.

The bank identifies the risks associated with the changing interest rates on its on-balance sheet and off-balance sheet exposures in the banking book from a short term (Earnings perspective) and long term Economic Value Perspective. The impact on income (Earnings Perspective) for domestic operations is measured through use of GAP analysis by applying notional rate shock up to 200 bps as prescribed in the bank’s ALM Policy over one year horizon. Prudential limits have been prescribed for such impacts as a percentage of Net Interest Income of the bank and the same is monitored periodically. For the calculation of impacts on earnings, the Traditional Gap Analysis for domestic operation is taken from the Rate Sensitivity Statement and based on the remaining period from the mid point of a particular bucket the impact for change in interest rate up to 200 bps is arrived at. The same is reported to Board and ALCO periodically along with the Rate Sensitivity Statement. The limits are fixed on the basis of previous year’s Net Interest Income (NII).

The bank has adopted traditional gap analysis combined with duration gap analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value Perspective) on global operations by applying a notional interest rate shock of 200 bps over a time horizon of one year. For the purpose a limit of (+/-) 1.00% for modified duration gap is prescribed in the Bank’s ALM policy and the position is monitored periodically.

The bank calculates Duration Gap and the impact on Economic Value of Equity on a monthly basis. Assets and liabilities are grouped as per rate sensitivity statement and bucket-wise modified duration is computed for these groups of Assets and Liabilities using common maturity, coupon and yield parameters. Wherever possible, the Modified Duration is calculated on individual item wise. In case of non maturity deposits, the bank has conducted behavioural studies for a period of three years as prescribed by RBI to have a realistic assessment of the interest rate sensitivity.

The bank is computing the interest rate risk position in each currency applying the Duration Gap Analysis (DGA) and Traditional Gap Analysis (TGA) to the Rate Sensitive Assets (RSA)/ Rate Sensitive Liabilities (RSL) items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 per cent or more of the total of either the bank’s global assets or global liabilities. The interest rate risk positions in all other residual currencies are computed separately on an aggregate basis.

The quarterly returns are submitted within 21 days from the end of the quarter and monthly returns within 15 days from the end of the month to RBI as per guidelines.

Quantitative Disclosures

The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2014 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under

(रु.करोड़ में)

ब्याज दर में परिवर्तन	एएलएम नीति इएआर के लिए सीमा	जोखिम पर अर्जन (इएआर) 31.03.2014	
		1 वर्ष तक	5 वर्ष तक
0.25% परिवर्तन	166.65 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 3%)	149.57	115.73
0.50% परिवर्तन	333.29 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 6%)	299.14	231.46
0.75% परिवर्तन	499.94 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 9%)	448.71	347.19
1.00% परिवर्तन	666.59 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 12%)	598.28	462.92
2.00% परिवर्तन	1333.17 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 24%)	1196.56	925.84

इक्विटी का आर्थिक मूल्य	31.03.2014
आशोधित अवधि अंतराल (डीजीएपी)	-0.0100%
एएलएम नीति के अनुसार सीमा	(+/-)1.00%
इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीइ)	
200 बीपीएस दर प्रघात के लिए ईक्विटी में घटाव	-0.5400%

सारणी डीएफ -10 : काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित जोखिमों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	काउंटरपार्टी सीमा को निर्धारित करते समय निम्नलिखित प्रमुख वित्तीय तथा गैर वित्तीय मानदंडों पर विचार किया जाना है।
वित्तीय/ गैर वित्तीय मानदंड	**विवरण**
वित्तीय	
ए. पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)	10% तथा उससे अधिक सीएआर वाले बैंक को अधिकतम 25% भारांक दिया जाता है तथा 8% से कम वालों को 0% दिया जाता है। 6% से कम सीएआर वाले बैंकों को 25% के छूट घटक दिए जाते हैं जो कि काउंटरपार्टी सीमाओं की संगणना हेतु कुल भारांक से काट लिए जाते हैं।
बी. आस्तियों पर रिटर्न (आरओए)- लाभप्रदता	1.10 या उससे अधिक आरओए वाले बैंकों को अधिकतम 20% भारांक दिया जाता है तथा 0.15% से कम आरओए वालों को 0%।
सी. सकल एनपीए/ निवल एनपीए - आस्ति गुणवत्ता	3.00% से कम सकल एनपीए (विदेशी बैंकों के लिए)/ निवल एनपीए (भारतीय बैंकों के लिए) वाले बैंकों को अधिकतम 20% का भारांक दिया जाता है तथा 9.00% या उससे अधिक सकल एनपीए/ निवल एनपीए वालों को शून्य भारांक दिया जाता है। 15% से अधिक सकल एनपीए / निवल एनपीए वाले बैंकों को 20% का छूट घटक दिया जाता है जो कि काउंटरपार्टी सीमाओं की संगणना हेतु कुल भारांक से काट लिया जाता है। हालांकि यह सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों (जिनमें अधिकतर शेयरधारिता सरकार की हो) पर लागू नहीं होगी।
डी. बाहरी एजेंसियों की रेटिंग (मूडी इन्वेस्टर्स सर्विस अथवा स्टैंडर्ड एंड पुअर)	स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज अथवा फिच तथा भारत में क्रिसिल, आइसीआरए, केयर या ब्रिकवर्क्स जैसी घरेलू रेटिंग एजेंसियों पर काउंटरपार्टी सीमा प्राप्त करने के लिए विचार किया जाता है। उच्चतम/ उच्च गुणवत्ता/ अपवादात्मक/ उत्कृष्ट ग्रेड की रेटिंग वाले बैंकों को 25% का अधिकतम भारांक दिया जाता है तथा बिना रेटिंग वाले बैंकों को शून्य भारांक दिया जाता है। भारत के अधिकांश बैंक अपने टियर II जारीकरण, विदेशों में उधारी के लिए भारत अथवा विदेशों में रेटिंग एजेंसियों से खुद ही अपनी रेटिंग करवाती हैं। हालांकि, हो सकता है कि कुछ बैंकों की प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग नहीं हो। इस प्रकार के बैंकों को काउंटरपार्टी सीमाओं का मूल्यांकन करते समय केवल 5% का भारांक दिया जाता है। जहाँ भी दोनों रेटिंग उपलब्ध हैं, कम वाले को ही माना जाएगा और तदनुसार भारांक दिया जाता है।

(₹ in crore)

Change in Interest Rate	ALM Policy Limit for EaR	Earnings at Risk (EaR) 31.03.2014	
		Up to 1 year	Up to 5 years
0.25% change	166.65 (3% of NII of previous year)	149.57	115.73
0.50% change	333.29 (6% of NII of previous year)	299.14	231.46
0.75% change	499.94 (9% of NII of previous year)	448.71	347.19
1.00% change	666.59 (12% of NII of previous year)	598.28	462.92
2.00% change	1333.17 (24% of NII of previous year)	1196.56	925.84

ECONOMIC VALUE OF EQUITY	31.03.2014
Modified Duration Gap (DGAP)	-0.0100%
Limit as per ALM Policy	(+/-)1.00%
Market value of Equity (MVE)	
For a 200 BPS Rate Shock the Drop in Equity Value	-0.5400%

Table DF – 10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosure	The following key financial and non-financial parameters are taken into consideration while fixing counter party limits
FINANCIAL/NON FINANCIAL PARAMETERS	**DETAILS**
FINANCIAL	
a. Capital Adequacy Ratio [CAR]	Banks with CAR of 10% and above are assigned maximum weightage of 25% and below 8% is assigned 0%. Banks with CAR of less than 6% are assigned with discount factors of 25% that will be deducted from the total weightage arrived at for computation of counter party limits.
b. Return On Assets [RoA] – Profitability	Banks with ROA of more than or equal to 1.10 are assigned maximum weightage of 20% and the ROA less than 0.15% are assigned as 0%.
c. Gross NPA / Net NPA – Asset Quality	Banks with Gross NPA (for Foreign Banks)/ Net NPA (for Indian Banks) of less than 3.00 % are assigned Maximum weightage of 20 % and the Gross NPA / Net NPA more than or equal to 9.00 % are assigned Zero Weightage. Banks with Gross NPA / Net NPA more than 15% are assigned with discount factors of 20% that is deducted from the total weightage arrived at for computation of counter party limits. However, this will not be applicable to Banks owned by Govt. (Government holding majority share)
d. External Agencies Ratings(Moody Investors Service or Standard & Poor's)	Ratings of Standard & Poors, Moody's or Fitch and domestic rating agencies like CRISIL, ICRA, CARE or Brickworks in India are considered for arriving at the counter party limits. Banks rated with the highest / high quality / Exceptional / Excellent grade are assigned a maximum weightage of 25% and the unrated shall have a Zero weightage . Most of the Banks in India get themselves rated by rating agencies in India or abroad for their Tier II issuances, borrowing abroad. However, some banks may not have any rating at all by recognized rating agencies. Such banks will be assigned a weightage of only 5% while assessing counter party limits. Wherever both the ratings are available, lower one will be reckoned and the weightage is assigned accordingly.

ई. पूर्ण रूप में टियर I पूँजी	काउंटर पार्टी बैंक के कुल मूल्य के संबंध में अनुमानित जोखिम की प्रमात्रा कुल मूल्य के 15% से 50% के बीच होगी।
गैर वित्तीय पारस्परिक कारोबार / संबंध सरकार समर्थित बैंक / भारतीय सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के बैंक समावेशन का देश	उक्त पाँच प्रमुख वित्तीय मानदंडों के साथ ही काउंटर पार्टी बैंक पर निर्णय देते समय कई अन्य प्रमुख मानदंडों का मूल्यांकन किया जाता है। उनमें से प्रमुख हैं ए) स्वामित्व संरचना का व्यापकता व स्वरूप बी) प्रबंधन क्षमता सी) आपसी तुलना डी) अर्थव्यवस्था में बैंक का महत्व तथा ई) समावेशन / विनियामक परिवेश का देश। कुछ बैंक ऐसे हैं जहाँ बैंक को वित्तीय मानदंडों के आधार की बजाए उनके संबंध, पारस्परिक व्यवस्था, कारोबार विचारों, भारतीय शाखाओं, ओवरसीज़ केंद्रों आदि से अनुरोधों के आधार पर सीमाओं पर विचार करना है। जहाँ भी आवश्यक लगे, सरकार समर्थित बैंकों/ भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों/ सक्रिय संवादी बैंकों के लिए 0% से 10% के बीच भारांक पर विचार किया जा सकता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

रु. करोड़ में

संख्या	ब्यौरे	अनुमानित राशि	एमटीएम	कुल वर्तमान ऋण जोखिम
1	व्युत्पन्न	1433.68	69.70	168.38
2	ब्याज दर संविदा/ स्वैप	7406.51	216.18	297.66
3	वायदा खरीद/ बिक्री संविदा	19432.91	शून्य	783.38
4	ऋण व्युत्पन्न	शून्य	शून्य	शून्य
5	ऋण चूक स्वैप	शून्य	शून्य	शून्य

सारणी डीएफ -11: पूँजी की संघटना

भाग I : केवल मार्च 31,2017 से प्रयुक्त किया जाने वाला टेम्पलेटः लागू नहीं

भाग II : केवल मार्च 31,2017 से पहले प्रयुक्त किया जाने वाला टेम्पलेट (अर्थात् बासेल III विनियामक समायोजन की संक्राति अवधि के दौरान)

रु. करोड़ में

विनियामन समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटीकरण (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) **सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजीः लिखत एवं आरक्षितियाँ**		**बासेल III प्रतिपादन पूर्व के अधीन राशियाँ**	
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर पूँजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष(शेयर प्रीमियम)	6080.48	6080.48
2	प्रतिधारित आय	7490.30	7490.30
3	संचयित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षितियाँ)	0	0
4	सीईटी1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0	0
	1 जनवरी 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र पूँजी को पोषण	0	0
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	0	0
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजी	**13570.78**	**13570.78**
सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-	-
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)	-	-
9	बंधक सेवा अधिकारों से इतर अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	-	-
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	-	-

e. Tier One Capital in Absolute Terms	Quantum of exposure assumable in relation to the networth of a counter party bank ranges from 15 % to 50 % of net worth
NON – FINANCIAL Reciprocal Business / Relationship Govt. Supported Banks/Indian Public/ Private Sector banks Country of Incorporation	In addition to the above five key financial parameters there are many other key parameters assessed while forming judgment on the counter party bank. The important among them are a) The spread and nature of the ownership structure b) Management Ability c) Peer comparison d) Importance of the Bank in the Economy and e) Country of Incorporation / Regulatory Environment. There are some banks where bank has to consider limits not based on the financial parameters but simply based on their relationship, reciprocal arrangements, business considerations, requests from Indian branches, overseas centres, etc. Wherever deemed necessary, the weightage ranging from 0% to 10% shall be considered for Govt. supported Banks / Indian Private Sector Banks/Active correspondent banks.

Quantitative Disclosure

(₹ in crore)

No	Particulars	Notional Amount	MTM	Total current credit exposure
1	Derivatives	1433.68	69.70	168.38
2	Interest Rates Contract/Swaps	7406.51	216.18	297.66
3	Forward Purchase / Sales Contract	19432.91	Nil	783.38
4	Credit Derivatives	Nil	Nil	Nil
5	Credit Default Swaps	Nil	Nil	Nil

Table DF – 11: Composition of Capital

Part I : Template to be used only from March 31,2017 : Not Applicable

Part II : Template to be used before March 31,2017 (i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustment)

(₹ in crore)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017) Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	6080.48	6080.48
2	Retained earnings	7490.30	7490.30
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	0	0
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0	0
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	0	0
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0	0
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**13570.78**	**13570.78**
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	-	-
8	Goodwill (net of related tax liability)	-	-
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	-	-
10	Deferred tax assets	-	-

11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित	-	-
12	अपेक्षित हानियों पर प्रावधानों की कमी	-	-
13	व्यय पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ	-	-
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ व हानि	-	-
15	परिभाषित- लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ,	201.05	0.00
16	खुद के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर प्रदत्त पूँजी का पहले ही निवलीकरण नहीं किया गया है)	-	-
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक क्रॉस- धारण	55.48	0.00
18	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, जहाँ बैंक जारी शेयर पूँजी के 10 % से अधिक नहीं रखता है (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), की पूँजी में निवेश	-	-
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	207.62
20	बंधक सेवा अधिकार (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0	0
21	अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), संबंधित कर देयता का निवल	0	0
22	15% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0	0
23	जिसमें से: वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0	0
24	जिसमें से: बंधक सेवा अधिकार	0	0
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ	0	0
26	राष्ट्रीय विशेषीकृत विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	0	0
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0	0
26बी	जिसमें से: समेकित गैर वित्तीय अनुषगियों की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0	0
26सी	जिसमें से: बहुमत प्राप्त वित्तीय इकाइयों, जिनका समेकन बैंक द्वारा नहीं हुआ है, की ईक्विटी पूँजी में कमी	0	0
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0	0
	बासेल III प्रतिपादन पूर्व के अधीन राशियों के संबंध में सामान्य ईक्विटी टियर I पर लागू विनियामक समायोजन	-	-
	जिसमें से: [समायोजन का प्रकार भरें] उदाहरण के लिए : एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अनुपलब्ध हानियों को बाहर करना (भारतीय परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक)	-	-
	जिसमें से: [समायोजन का प्रकार भरें]	-	-
	जिसमें से: [समायोजन का प्रकार भरें]	-	-
27	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर Iतथा टियर II के कारण सामान्य ईक्विटी टियर I पर लागू विनियामक समायोजन।	0	0
28	**सामान्य ईक्विटी टियर I पर कुल विनियामक समायोजन**	**256.53**	**207.62**

11	Cash-flow hedge reserve	-	-
12	Shortfall of provisions to expected losses	-	-
13	Securitisation gain on sale	-	-
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-	-
15	Defined-benefit pension fund net assets	201.05	0.00
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital on reported balance sheet)	-	-
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	55.48	0.00
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-	-
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00	207.62
20	Mortgage servicing rights(amount above 10% threshold)	0	0
21	Deferred tax assets arising from temporary differences(amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0	0
22	Amount exceeding the 15% threshold	0	0
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0	0
24	of which: mortgage servicing rights	0	0
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0	0
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	0	0
26a	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0	0
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0	0
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	0
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0	0
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-	-
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT] For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	-	-
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-	-
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-	-
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0	0
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**256.53**	**207.62**

29	**सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजी (सीईटी 1)**	**13314.25**	**13363.16**
अतिरिक्त टियर I पूँजी लिखत			
30	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त अतिरिक्त टियर 1 लिखत सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32)	624.00	780.00
31	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0	0
32	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)	624.00	780.00
33	अतिरिक्त टियर 1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी लिखत	0	0
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह एटी1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा सीईटी1 लिखत जो क्रम 5 में शामिल नहीं हैं)	0	0
35	जिसमें से निकाले जाने के अधीन अनुषगिंयों द्वारा जारी लिखत	0	0
36	**विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी**	**624.00**	**780.00**
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: विनियामक समायोजन		
37	खुद के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	75.00	75.00
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक गैर-धारिता	10.00	0.00
39	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहाँ बैंक की स्वामित्व इकाई (10% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारी साझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0	0
40	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0	0
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0	0
41ए	असमेकत बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर I पूँजी में निवेश	0	0
41बी	बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की अतिरिक्त टियर I पूँजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0	0
	बासेल IIIसे पूर्व प्रतिपादन की शर्त पर राशियों के संबंध में अतिरिक्त टियर I पर लागू विनियामक समायोजन	0	0
	जिनमें से : [समायोजन का प्रकार यानि डीटीए भरें]	-	-
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार डालें यानि वर्तमान समायोजन जिन्हें 50% की दर से टियर I से घटाया गया है]	-	-
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार भरें]	-	-
42	अपर्याप्त टियर II की वजह से कटौतियों को कवर करने के लिए अतिरिक्त टियर I में लागू विनियामक समायोजन	-	-
43	**अतिरिक्त टियर I पूँजी में कुल विनियामक समायोजन**	85.00	75.00
44	**अतिरिक्त टियर I पूँजी (एटी1)**	**539.00**	**705.00**
44ए	**पूँजी पर्याप्तता के लिए पहचान की गई अतिरिक्त टियर I पूँजी**	**539.00**	**705.00**
45	**टियर I पूँजी (टी1 = सीईटी1 + स्वीकार्य एटी1) (29 + 44ए)**	**13853.25**	**14068.15**

29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**13314.25**	**13363.16**
Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (share premium) (31+32)	624.00	780.00
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0	0
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	624.00	780.00
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0	0
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0	0
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	0
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**624.00**	**780.00**
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	75.00	75.00
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	10.00	0.00
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0	0
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	0
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0	0
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0	0
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	0
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0	0
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	-	-
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]	-	-
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-	-
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-	-
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	85.00	75.00
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**539.00**	**705.00**
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**	**539.00**	**705.00**
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + Admissible AT1) (29 + 44a)**	**13853.25**	**14068.15**

टियर 2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान			
46	प्रत्यक्ष तौर पर जारी पात्र टियर 2 लिखत सहित संबंधित अधिशेष स्टॉक	1902.00	1902.00
47	टियर 2 से बाहर होने होने की शर्त पर प्रत्यक्ष तौर पर जारी पूँजी लिखत	2105.84	2632.30
48	अनुषंगी द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टियर 2 में स्वीकृत राशि) टियर 2 लिखत (और 5 या 34 पंक्ति में नहीं शामिल सीईटी1 और एटी1 लिखत)	0	0
49	जिनमें से : बाहर होने की शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	0	0
50	प्रावधान	2212.65	2212.65
51	**विनियामक समायोजन से पहले टियर I पूँजी**	**6220.49**	**6746.95**
टियर 2 पूँजी : विनियामक समायोजन			
52	निजी टियर 2 लिखतों में निवेश	55.00	55.00
53	टियर 2 लिखतों में परस्पर प्रति-धारिता	30.00	0.00
54	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहाँ बैंक का स्वामित्व इकाई (10% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारी साझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0	
55	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)		
56ए	जिनमें से: असेमिकत बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 2 पूँजी में निवेश	0	
56बी	जिनमें से: बहुल स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की टियर 2 पूँजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0	
	बासेल IIIसे पूर्व प्रतिपादन की शर्त पर राशियों के संबंध में टियर 2 पर लागू विनियामक समायोजन	0	207.62
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार भरें यानि वर्तमान समायोजन जिन्हें 50% की दर से टियर 2 से घटाया गया है]		207.62
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार भरें]	0	0
57	**टियर 2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन**	85.00	262.62
58	**टियर 2 पूँजी (टी2)**	6135.49	6484.33
58ए	**पूँजी पर्याप्तता के लिए पहचानी गई टियर 2 पूँजी**	**6135.49**	**6484.33**
58बी	**टियर 2 पूँजी के लिए पहचानी गई बहुतायत अतिरिक्त टियर 1 पूँजी**	0	
58सी	**पूँजी पर्याप्तता (58ए + 58बी)के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूँजी**	**6135.49**	**6484.33**
59	**कुल पूँजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)**	**19988.74**	**20552.49**
	बासेल III पूर्व प्रतिपादन की शर्त पर जोखिम भारांक वाली आस्तियां के संबंध में राशि	0.00	
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार भरें]		
	जिनमें से:	0	
60	**कुल जोखिम भारांक वाली आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)**	185476.44	
60ए	जिनमें से: कुल उधार जोखिम भारांक वाली आस्तियां	166095.40	

Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	1902.00	1902.00
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	2105.84	2632.30
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0	0
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	0
50	Provisions	2212.65	2212.65
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**6220.49**	**6746.95**
Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	55.00	55.00
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	30.00	0.00
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0	207.62
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]		207.62
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT	0	0
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	85.00	262.62
58	**Tier 2 capital (T2)**	6135.49	6484.33
58a	**Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**	**6135.49**	**6484.33**
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	0	
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)**	**6135.49**	**6484.33**
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	**19988.74**	**20552.49**
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]		
	of which: …	0	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	185476.44	
60a	of which: total credit risk weighted assets	166095.40	

60बी	जिनमें से: कुल बाज़ार जोखिम भारांक वाली आस्तियां	8733.60	
60सी	जिनमें से : कुल परिचालनात्मक जोखिम भारांक वाली आस्तियां	10647.44	
पूँजी अनुपात			
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.18%	
62	टियर 1 (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.47%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.78%	
64	संस्थान विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी 1 अपेक्षा के साथ पूँजी संरक्षण और प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	5.00%	
65	जिनमें से: पूँजी संरक्षण बफर अपेक्षा	0	
66	जिनमें से: बैंक विशिष्ट प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षा	0	
67	जिनमें से : जी-एसआईबी बफर अपेक्षा	0	
68	बफर की पूर्ति के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर I (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	2.18%	
राष्ट्रीय न्यूनता (बासेल III से भिन्न होने पर)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बासेल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	5.00%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बासेल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	6.00%	
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (बासेल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	9.00%	
कटौती के लिए सीमा से कम राशि (जोखिम भार के पहले)			
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	-	
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	-	
74	बन्धक सेवा अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
75	अस्थाई अंतर से उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू सीमाएँ			
76	मानकीकृत अभिगम के अधीन ऋणें के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	2212.65	
77	मानकीकृत अभिगम के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने के लिए सीमा	2318.46	
78	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के अधीन ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	लागू नहीं	
79	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के तहत टियर 2 में शामिल करने के लिए प्रावधान की सीमा	लागू नहीं	
फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन पूँजी लिखत(31 मार्च 2017 से 31 मार्च 2022 के बीच ही लागू)			
80	**फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन सीइटी 1 पर वर्तमान सीमा**	0	
81	कैप के कारण देय सी ई टी 1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	0	
82	फेज आउट व्यवस्था के अधीन ए टी 1 लिखत पर वर्तमान सीमा	624.00	
83	कैप के कारण ए टी 1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	156.00	

60b	of which: total market risk weighted assets	8733.60	
60c	of which: total operational risk weighted assets	10647.44	
Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.18%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.47%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	10.78%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.00%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	0	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	2.18%	
National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.00%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	6.00%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	-	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	-	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	2212.65	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	2318.46	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA	
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	624.00	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	156.00	

84	फेज आउट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखत पर वर्तमान सीमा	2105.84	
85	कैप के कारण टी 2 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	526.46	

टेम्पलेट पर नोट (रु. करोड़ में)

टेम्पलेट की रो संख्या	विवरण	
10	संचयी नुकसान के साथ संबद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	0
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचयी नुकसान के साथ संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता का निवल	0
	क्रम संख्या 10 में दर्शित अनुसार योग	0
19	यदि बीमा अनुषंगी में निवेश की कटौती पूँजी में से पूर्णत: नहीं काटी गयी है और बल्कि कटौती के लिए 10% की सीमा पर विचार किया गया है , बैंक की पूँजी में परिणामी वृद्धि	0
	इसमें से : सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0
	इसमें से : अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में बढ़ोतरी	0
	इसमें से : टियर 2 पूँजी में बढ़ोतरी	0
26बी	यदि गैर वित्तीय अनुषंगी की ईक्विटी पूँजी में निवेश की कटौती नहीं की गयी और उसके बाद जोखिम भार	0
	(i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0
	(ii) जोखिम भारांक आस्तियों में बढ़ोत्तरी	0
44ए	पूँजी पर्याप्तता के लिए अधिक अतिरिक्त टियर 1 पूँजी को नहीं माना गया है। (क्रम 44 में रिपोर्ट किए गए अनुसार अतिरिक्त टियर 1 पूँजी तथा 44 ए में रिपोर्ट किए गए अनुसार अनुमत अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में अंतर)	0
	जिसमें से: क्रम 58 बी के तहत टियर 2 पूँजी के रूप में मानी गई अधिक अतिरिक्त टियर 1 पूँजी।	0
50	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र प्रावधान	1396.39
	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	816.26
	क्रम 50 का कुल	2212.65
58ए	पूँजी पर्याप्तता के लिए अधिक टियर 2 पूँजी को नहीं माना गया है। (क्रम 58 में रिपोर्ट किए गए अनुसार टियर 2 पूँजी तथा 58 ए में रिपोर्ट किए गए अनुसार टियर 2 में अंतर)	0

सारणी डीएफ - 12: पूँजी समाधान आवश्यकताओं का संघटन (रु. करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र
		रिपोर्टिंग तारीख तक	रिपोर्टिंग तारीख तक
ए	**पूँजी तथा देयता**		
i	**प्रदत्त पूँजी**	1235.35	1235.35
	आरक्षिति तथा अधिशेष	14934.82	14934.82
	अल्पमत ब्याज	0	0
	कुल पूँजी	**16170.17**	**16170.17**

84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	2105.84	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	526.46	

Notes to the Template (₹. in crore)

Row No. of the template	Particular	
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	0
	Total as indicated in row 10	0
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0
	of which: Increase in Tier 2 capital	0
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	0
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0
	(ii) Increase in risk weighted assets	0
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	0
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	0
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	1396.39
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	816.26
	Total of row 50	2212.65
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	0

Table DF – 12: Composition of Capital-Reconciliation Requirements (₹. in.crore)

		Balance Sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
A	**Capital & Liabilities**		
i	**Paid up Capital**	1235.35	1235.35
	Reserves and Surplus	14934.82	14934.82
	Minority Interest	0	0
	Total Capital	**16170.17**	**16170.17**

ii	**जमा**	**227976.09**	**227976.09**
	जिसमें से:बैंकों से जमा	431.44	431.44
	जिसमें से: ग्राहक जमा	227544.65	227544.65
	जिसमें से: अन्य	0	0
iii	**उधार**	**24456.04**	**24456.04**
	जिसमें से: आरबीआइ से	4175.00	4175.00
	जिसमें से: बैंक से	11474.28	11474.28
	जिसमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	2204.45	2204.45
	जिसमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	0	0
	जिसमें से: पूँजी लिखत	6602.30	6602.30
iv	**अन्य देयताएँ तथा प्रावधान**	**6302.54**	**6302.54**
	कुल	**274904.84**	**274904.84**
		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र
बी	**आस्तियाँ**	रिपोर्टिंग तारीख तक	रिपोर्टिंग तारीख तक
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष	**11735.10**	**11735.10**
	बैंक में शेष तथा अल्प मांग पर मांग मुद्रा	**7273.68**	**7273.68**
ii	**निवेश**	**70236.80**	**70236.80**
	जिसमें से: सरकारी प्रतिभूतियाँ	61267.63	61267.63
	जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	51.66	51.66
	जिसमें से: शेयर	1073.81	1073.81
	जिसमें से: डिबेंचर तथा बाण्ड	5569.91	5569.91
	जिसमें से: जिसमें से अनुषंगियों/ संयुक्त उपक्रम/ सहयोगी	193.20	193.20
	जिसमें से: अन्य (व्यावसायिक पत्र, म्यूच्युअल फंड आदि)	2080.59	2080.59
iii	**ऋण तथा अग्रिम**	**175887.77**	**175887.77**
	जिसमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	1183.35	1183.35
	जिसमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	174704.42	174704.42
iv	**अचल आस्तियाँ**	**2604.38**	**2604.38**
v	**अन्य आस्तियाँ**	**7167.11**	**7167.11**
	जिसमें से: साख तथा अमूर्त आस्तियाँ	0	0
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	0	0
vi	**समेकन पर साख**	0	0
vii	**लाभ व हानि खाते में ऋण शेष**	0	0
	कुल	**274904.84**	**274904.84**

ii	**Deposits**	**227976.09**	**227976.09**
	of which : Deposit from Banks	431.44	431.44
	of which : customer deposits	227544.65	227544.65
	of which : Others	0	0
iii	**Borrowings**	**24456.04**	**24456.04**
	of which : From RBI	4175.00	4175.00
	of which : From bank	11474.28	11474.28
	of which : from other institutional & agencies	2204.45	2204.45
	of which : Others(pl .Specify)	0	0
	of which : Capital instruments	6602.30	6602.30
iv	**Other liabilities and provisions**	**6302.54**	**6302.54**
	Total	**274904.84**	**274904.84**
		Balance Sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
B	**Assets**	As on reporting date	As on reporting date
i	Cash and Balances with Reserve Bank of India	**11735.10**	**11735.10**
	Balance with bank and money at call and short notice	**7273.68**	**7273.68**
ii	**Investments:**	**70236.80**	**70236.80**
	of which: Government Securities	61267.63	61267.63
	of which: Other approved securities	51.66	51.66
	of which : shares	1073.81	1073.81
	of which : Debentures & Bonds	5569.91	5569.91
	of which: Subsidiaries/joint Venture/Associates	193.20	193.20
	of which : other (commercial Paper, Mutual Funds etc)	2080.59	2080.59
iii	**Loans and advances**	**175887.77**	**175887.77**
	of which : Loans and advances to banks	1183.35	1183.35
	of which : Loans and advances to customers	174704.42	174704.42
iv	**Fixed assets**	**2604.38**	**2604.38**
v	**Other assets**	**7167.11**	**7167.11**
	of which : Goodwill and intangible assets	0	0
	of which : Deferred tax assets	0	0
vi	**Goodwill on consolidation**	0	0
vii	**Debit balance in Profit & Loss account**	0	0
	Total	**274904.84**	**274904.84**

(रु. करोड़ में)

	बासेल III साामान्य प्रकटीकरण टेंपलेट का निष्कर्ष (अतिरिक्त कॉलम के साथ) - सारणी डीएफ 11 (भाग I/ भाग II, जो भी लागू हो)	
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखत तथा आरक्षिति	
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूँजी का घटक
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर (तथा गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतूल्य) पूँजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष।	6080.48
2	प्रतिधारित आय	7490.30
3	संचयित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियाँ)	0
4	सीईटी1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि) सामान्य शेयर पूँजी	0
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी	13570.77
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0
8	साख(संबंधित कर देयता का निवल)	0

तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व

निम्न टियर II बाँड

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

		निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II
		शृंखला VI	शृंखला VII	शृंखला VIII	शृंखला IX
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09066	आइएनई565ए09074	आइएनई565ए09082	आइएनई 565ए09090
3	उपकरणों की अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	विनियामक समाधान				
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप चिह्नित राशि (रु करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	0	30	80	100
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	26.07.2004	08.01.2005	16.09.2005	09.01.2006
12	निरंतर या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	26.07.2014	08.04.2015	16.12.2015	09.04.2016
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

₹. in.crore)

	Extract of Basel III common disclosure template (with added column)-Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)	
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserve	
		Component of regulatory capital reported by bank.
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	6080.48
2	Retained Earnings	7490.30
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	0
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	13570.77
7	Prudential valuation adjustment	0
8	Goodwill(net of related tax liability)	0

Table DF – 13:Main Features of regulatory capital instruments

Lower Tier II Bonds

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Lower Tier II	**Lower Tier II**	**Lower Tier II**	**Lower Tier II**
		SERIES VI	**SERIES VII**	**SERIES VIII**	**SERIES IX**
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09066	INE565A09074	INE565A09082	INE565A09090
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Chennai	Chennai	Chennai	Chennai
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	ineligible	ineligible	ineligible	ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (₹. In crore, as of most recent reporting date)	0	30	80	100
9	Par value of instrument	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	26.07.2004	08.01.2005	16.09.2005	09.01.2006
12	Perpetual or dated	dated	dated	dated	dated
13	Original maturity date	26.07.2014	08.04.2015	16.12.2015	09.04.2016
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य , शून्य , 200	शून्य , शून्य , 150	शून्य , शून्य , 200	शून्य , शून्य , 250
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों कूपन / लाभांश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है ।

15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹. in crore)	nil, nil, 200	nil, nil, 150	nil, nil, 200	nil, nil, 250
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not available	Not available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट (जारी...)

		निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II
		शृंखला X	शृंखला XI	शृंखला XII
1	जारीकर्ता-	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे सीयूएसआईपी, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09108	आइएनई565ए09132	आइएनई565ए09165
3	लिखतों की अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	विनियामक समाधान			
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप चिह्नित राशि(रु करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	120	200	240
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	13.03.2006	26.07.2006	22.08.2008
12	निरंतर या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	13.03.2016	26.07.2016	22.08.2018
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य, शून्य, 300	शून्य , शून्य , 500	शून्य, शून्य, 300
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश			
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments (contd.,)

		Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II
		SERIES X	SERIES XI	SERIES XII
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09108	INE565A09132	INE565A09165
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	ineligible	ineligible	ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (₹. In crore, as of most recent reporting date)	120	200	240
9	Par value of instrument	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	13.03.2006	26.07.2006	22.08.2008
12	Perpetual or dated	dated	dated	dated
13	Original maturity date	13.03.2016	26.07.2016	22.08.2018
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹. in crore)	nil, nil, 300	nil, nil, 500	nil, nil, 300
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors

36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट (जारी...)

		निम्न टियर II	निम्न टियर II
		शृंखला XIII	शृंखला XIV
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे सीयूएसआईपी, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09181	आइएनई565ए09215
3	लिखतों की अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै	चेन्नै
	विनियामक समाधान		
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टियर II	टियर II
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप चिह्नित राशि(रु करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	232	1000
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	24.08.2009	31.12.2010
12	निरंतर या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	24.08.2019	31.12.2020
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु.करोड़ में)	शून्य , शून्य , 290	शून्य , शून्य , 1000
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों कूपन / लाभांश	लागू नहीं	लागू नहीं
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं लागू नहीं	उपलब्ध नहीं लागू नहीं
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं

36	Non-compliant transitioned features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments (contd.,)

		Lower Tier II	Lower Tier II
		SERIES XIII	**SERIES XIV**
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09181	INE565A09215
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	ineligible	ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (₹. In crore, as of most recent reporting date)	232	1000
9	Par value of instrument	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability
11	Original date of issuance	24.08.2009	31.12.2010
12	Perpetual or dated	dated	dated
13	Original maturity date	24.08.2019	31.12.2020
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹. in crore)	nil, nil, 290	nil, nil, 1000
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Not applicable	Not applicable
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A

32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है

उच्च टियर II बांड

		उच्च टियर II	उच्च टियर II	उच्च टियर II	उच्च टियर II
		शृंखला I	**शृंखला II**	**शृंखला III**	**शृंखला IV**
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे सीयूएसआईपी, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09140	आइएनई565ए09173	आइएनई565ए09199	आइएनई565ए09223
3	लिखतों की अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	विनियामक समाधान				
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप चिह्नित राशि (रु करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	500	655.30	510	967
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	05.09.2006	17.09.2008	01.09.2009	10.01.2011
12	निरंतर या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	05.09.2021	17.09.2023	01.09.2024	10.01.2026
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	05.09.2016 शून्य 500	17.09.2018 शून्य 655.30	01.09.2019 शून्य 510	10.01.2021 शून्य 967
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों कूपन / लाभांश	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर

32	If write-down, full or partial	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI

Upper Tier II Bonds

		Upper Tier II	Upper Tier II	Upper Tier II	Upper Tier II
		SERIES I	SERIES II	SERIES III	SERIES IV
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09140	INE565A09173	INE565A09199	INE565A09223
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment				
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (₹. In crore, as of most recent reporting date)	500	655.30	510	967
9	Par value of instrument	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	05.09.2006	17.09.2008	01.09.2009	10.01.2011
12	Perpetual or dated	dated	dated	dated	dated
13	Original maturity date	05.09.2021	17.09.2023	01.09.2024	10.01.2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (in ₹. crore)	05.09.2016 nil 500	17.09.2018 nil 655.30	01.09.2019 nil 510	10.01.2021 nil 967
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	No	No	No	No
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate

19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन हो, आलेख प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	मांग विकल्प और भा. रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	मांग विकल्प और भा. रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	मांग विकल्प और भा. रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	मांग विकल्प और भा. रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है

सतत बांड

		सतत	सतत	सतत	सतत
		शृंखला I	**शृंखला II**	**शृंखला III**	**शृंखला IV**
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09116	आइएनई565ए09124	आइएनई565ए09157	आइएनई565ए09207
3	उपकरणों की अभिशासी नियम (नियमों) विनियामक समाधान	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
4	परिवर्ती बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	सतत उधार लिखत	सतत उधार लिखत	सतत उधार लिखत	सतत उधार लिखत

19	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up	Step-up	Step-up	Step-up
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	Call option & redemption to be permitted by RBI	Call option & redemption to be permitted by RBI	Call option & redemption to be permitted by RBI	Call option & redemption to be permitted by RBI

Perpetual Bonds

		Perpetual	**Perpetual**	**Perpetual**	**Perpetual**
		SERIES I	**SERIES II**	**SERIES III**	**SERIES IV**
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09116	INE565A09124	INE565A09157	INE565A09207
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Chennai	Chennai	Chennai	Chennai
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument

8	विनियामक पूंजी के रूप चिह्नित राशि(रु करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	200	200	80	300
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	31.03.2006	18.05.2006	30.09.2006	29.09.2009
12	निरंतर या दिनांकित	सतत	सतत	सतत	सतत
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	सतत	सतत	सतत	सतत
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य , शून्य , 200	शून्य , शून्य , 200	शून्य , शून्य , 80	शून्य , शून्य , 300
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों कूपन / लाभांश	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
20	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीन और ईक्विटी शेयरधारकों से अधिक	अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीन और ईक्विटी शेयरधारकों से अधिक	अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीन और ईक्विटी शेयरधारकों से अधिक	अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीन और ईक्विटी शेयरधारकों से अधिक
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मांग विकल्प की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मांग विकल्प की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मांग विकल्प की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मांग विकल्प की अनुमति दी जानी है

8	Amount recognised in regulatory capital (₹. In crore, as of most recent reporting date)	200	200	80	300
9	Par value of instrument	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	31.03.2006	18.05.2006	30.09.2006	29.09.2009
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹. in crore)	nil, nil, 200	nil, nil, 200	nil, nil, 80	nil, nil, 300
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	No	No	No	No
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up	Step-up	Step-up	Step-up
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI

टेबल डीएफ 14 : नियामक पूंजी लिखत की पूर्ण निबंधन एवं शर्ते

निम्न टियर II बांड

		निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II
		शृंखला VI	शृंखला VII	शृंखला VIII	शृंखला IX
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे सियूएसआईपी, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए 09066	आइएनई565ए 09074	आइएनई565ए09082	आइएनई565ए09090
2	लिखत प्रकार	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य, शून्य , 200	शून्य, शून्य , 150	शून्य, शून्य , 200	शून्य, शून्य , 250
6	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	कूपन / लाभांश	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
8	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
9	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है

		निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II
		शृंखला X	शृंखला XI	शृंखला XII	शृंखला XIII
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे सियूएसआईपी, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09108	आइएनई 565ए09132	आइएनई 565ए09165	आइएनई565ए09181
2	लिखत प्रकार	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य , शून्य , 300	शून्य , शून्य , 500	शून्य , शून्य , 300	शून्य , शून्य , 290
6	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	कूपन / लाभांश	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
8	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
9	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

Table DF – 14: Full Terms and conditions of Regulatory Capital Instruments

Lower Tier II Bonds

		Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II
		SERIES VI	SERIES VII	SERIES VIII	SERIES IX
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09066	INE565A09074	INE565A09082	INE565A09090
2	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
3	Par value of instrument	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹. in crore)	nil, nil, 200	nil, nil, 150	nil, nil, 200	nil, nil, 250
6	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Nil	Nil	Nil	Nil
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
16	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI

		Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II
		SERIES X	SERIES XI	SERIES XII	SERIES XIII
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09108	INE565A09132	INE565A09165	INE565A09181
2	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
3	Par value of instrument	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹. in crore)	nil, nil, 300	nil, nil, 500	nil, nil, 300	nil, nil, 290
6	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes

10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है

		निम्न टियर II
		शृंखला XIV
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे सियूएसआईपी, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09215
2	लिखत प्रकार	टियर II उधार लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य , शून्य , 1000
6	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं
7	कूपन / लाभांश	निश्चित
8	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	कूपन दर
9	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	हाँ
10	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	शून्य
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है

उच्च टियर II बांड

		उच्च टियर II	**उच्च टियर II**	**उच्च टियर II**	**उच्च टियर II**
		शृंखला I	**शृंखला II**	**शृंखला III**	**शृंखला IV**
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे सियूएसआईपी, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09140	आइएनई565ए09173	आइएनई565ए09199	आइएनई565ए09223
2	लिखत प्रकार	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	05.09.2016 शून्य 500	17.09.2018 शून्य 655.30	01.09.2019 शून्य 510	10.01.2021 शून्य 967

10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Nil	Nil	Nil	Nil
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
16	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI

		Lower Tier II
		SERIES XIV
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09215
2	Instrument type	Tier II debt instruments
3	Par value of instrument	₹. 10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹. in crore)	nil, nil, 1000
6	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	Yes
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Nil
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No
16	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI

Upper Tier II Bonds

		Upper Tier II	**Upper Tier II**	**Upper Tier II**	**Upper Tier II**
		SERIES I	**SERIES II**	**SERIES III**	**SERIES IV**
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09140	INE565A09173	INE565A09199	INE565A09223
2	Instrument type	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument
3	Par value of instrument	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (in ₹. crore)	05.09.2016, nil, 500	17.09.2018, nil, 655.30	01.09.2019, nil, 510	10.01.2021, nil, 967
6	Subsequent call dates, if applicable	No	No	No	No

6	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
7	कूपन / लाभांश	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
8	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
9	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	मांग विकल्प और भा. रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	मांग विकल्प और भा. रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	मांग विकल्प और भा. रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	मांग विकल्प और भा. रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है

सतत बॉन्ड

		सतत	सतत	सतत	सतत
		शृंखला I	**शृंखला II**	**शृंखला III**	**शृंखला IV**
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे सियूएसआईपी, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09116	आइएनई565ए09124	आइएनई565ए09157	आइएनई565ए09207
2	लिखत प्रकार	सतत उधार लिखत	सतत उधार लिखत	सतत उधार लिखत	सतत उधार लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
4	निरंतर या दिनांकित	सतत	सतत	सतत	सतत
5	वास्तविक परिपक्वता तिथि	सतत	सतत	सतत	सतत
6	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य , शून्य , 200	शून्य , शून्य , 200	शून्य , शून्य , 80	शून्य , शून्य , 300
8	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
9	एक लाभांश रोधक का होना	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीन और ईक्विटी शेयरधारकों से अधिक	अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीन और ईक्विटी शेयरधारकों से अधिक	अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीन और ईक्विटी शेयरधारकों से अधिक	अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीन और ईक्विटी शेयरधारकों से अधिक
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा दी जाने वाली अनुमति का मांग विकल्प	भा.रि.बैंक द्वारा दी जाने वाली अनुमति का मांग विकल्प	भा.रि.बैंक द्वारा दी जाने वाली अनुमति का मांग विकल्प	भा.रि.बैंक द्वारा दी जाने वाली अनुमति का मांग विकल्प

7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up	Step-up	Step-up	Step-up
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
16	If yes, specify non-compliant features	Call option & redemption to be permitted by RBI	Call option & redemption to be permitted by RBI	Call option & redemption to be permitted by RBI	Call option & redemption to be permitted by RBI

Perpetual Bonds

		Perpetual	**Perpetual**	**Perpetual**	**Perpetual**
		SERIES I	**SERIES II**	**SERIES III**	**SERIES IV**
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09116	INE565A09124	INE565A09157	INE565A09207
2	Instrument type	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument
3	Par value of instrument	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs
4	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
5	Original maturity date	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
6	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹. in crore)	nil, nil, 200	nil, nil, 200	nil, nil, 80	nil, nil, 300
8	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
9	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up	Step-up	Step-up	Step-up
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors
15	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	Yes
16	If yes, specify non-compliant features	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI

स्वायत्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. सार्थक लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांशयुक्त 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के तुलन पत्र व लाभ व हानि लेखा तथा संबंधित वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण सहित संलग्न वित्तीय विवरणों की हमने लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं तथा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 6 विदेशी शाखाओं सहित 1540 शाखाओं की विवरणियां भी शामिल की गई हैं। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ज़ारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया है। इस तुलन-पत्र और लाभ व हानि के विवरण में उन 1748 शाखाओं की विवरणियाँ भी शामिल की गई हैं जिनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई। अ-लेखा परीक्षित इन शाखाओं का अग्रिम के क्षेत्र में अंशदान है 7.04%, जबकि जमाओं में 18.50%, ब्याज आय में 18.08% और ब्याज संबंधी खर्चों में 16.40% का अंशदान है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. बैंकिंग विनियामक अधिनियम 1949 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण को बनाए रखना इस जिम्मेदारी में शामिल है व ये वित्तीय विवरण किसी धोखाधड़ी या गलती के कारण वस्तुनिष्ठ रूप से गलत नहीं होते। जो कि दोषरहित विवरण है चाहे वे धोखाधड़ी या गलती के कारण हों।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी किए गए लेखाकरण पर मानकों के अनुरूप अपनी लेखा परीक्षा की। इन मानकों से अपेक्षा की जाती है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं के अनुरूप लेखा परीक्षा करें। वित्तीय विवरण दोषरहित रहने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करें।

4. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों में प्रकटीकरणों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने संबंधी प्रयोग की गई प्रकियाएँ शामिल रहती हैं। चयनित की गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षकों के निर्णयों पर निर्भर हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के वस्तुनिष्ठ गलत विवरण के मूल्यांकन का जोखिम शामिल रहता है, चाहे वे धोखाधड़ी या गलती के कारण हों। इन जोखिम मूल्यांकन का आकलन करने में उस समय की परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति एवं बैंक की तैयारी से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण पर लेखा परीक्षक विचार करता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त की गई लेखाकरण नीतियों के समयुक्त मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा दिए गए लेखाकरण अनुमानों के तर्कसंगतों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन करना शामिल है।

5. हमें विश्वास है कि अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान हेतु हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं।

राय

6. हमारी राय में बैंक की बहियों द्वारा दर्शाए गए अनुसार व हमारी उचित जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार

1. तुलन पत्र को उसमें दी गई पूरी टिप्पणियों में पूर्ण और उचित तुलनपत्र के सभी आवश्यक ब्योरे निहित हैं, भारत में स्वीकृत सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2014 को बैंक की वर्तमान स्थिति का उचित रूप से सही और उचित आकलन किया गया है।
2. लाभ हानि के साथ टिप्पणियों में लेखा द्वारा वर्ष के लिए कवर की गई भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के साथ पुष्टि करते हुए लाभ के सही शेष दर्शाते हैं।
3. नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति दर्शाता है।

7. मामलों पर बल

क) हम नोट सं. 8 दिनांकित 31.03.2011 से 5 वर्षों की अवधि से अधिक हेतु रु. 1005.21 करोड़ की पेंशन के अमूर्तिकरण एवं ग्रेच्युटी के चुकतान के संबंध में है पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

ख) हम नोट सं. 3.5 पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो फ्लोटिंग प्रावधान के प्रयोग तथा 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधानों की पूर्ति करने के लिए 31 मार्च 2013 तक संपन्न प्रतिचक्रिय प्रावधान बफर से संबंधित है।

उक्त के संबंध में हमारी राय नहीं ली गई है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाते को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की तीसरी सूची के फार्म संख्या क्रमश: ए व बी में प्रकाशित किया गया।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The President of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Indian Overseas Bank as at 31st March, 2014, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2014, and Profit and Loss Account and the Cash Flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 1540 branches including 6 overseas branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns from 1748 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 7.04 per cent of advances, 18.50 per cent of deposits, 18.08 per cent of interest income and 16.40 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulations Act 1949. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

(i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2014 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

(iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the Cash Flows for the year ended on that date.

7. Emphasis of Matter

a) We draw attention to Note No.8 regarding amortization of pension and gratuity liability of ₹. 1005.21 crore over a period of 5 years from 31.3.2011.

b) We draw attention to Note No 3.5 regarding utilization of floating provision and counter cyclical provisioning buffer held as on March 31,2013 for meeting specific provision for non performing assets during the year ended March 31,2014 amounting to ₹. 324.20 crore.

Our opinion is not qualified in respect of the above.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. अनुच्छेद 1 से 5 से अधिक में इंगित की गई लेखा परीक्षा की सीमाओं के तहत बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 द्वारा अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अनुसार भी हो, हम रिपोर्ट करते हैं कि

क) हमने सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो कि हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उत्कृष्ट हैं, हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषप्रद पाया गया है।

ख) बैंक के लेन-देन जो कि हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंदर किए गए हैं।

ग) बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियां लेखा के उद्देश्य हेतु उपयुक्त पाई गई हैं।

हमारी राय में, तुलन पत्र एवं लाभ- हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार है।

कृते बदरी, मधुसूदन एण्ड श्रीनिवासन
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005389 एस

(एन श्रीनिवासन)
साझेदार
स.सं.027887

कृते बी त्यागराजन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 004371 एस

(बी त्यागराजन)
साझेदार
स.सं.018270

कृते शंकर एण्ड मूर्ति
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003575 एस

(वी. सी. जेम्स)
साझेदार
स.सं. 22565

कृते पी आर मेहरा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000051एन

(स्वीन्दर कुमार)
साझेदार
स.सं.014211

कृते दास खन्ना एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000402एन

(राकेश सोनी)
साझेदार
स.सं.083142

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 29.04.2014

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

(b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

(c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

FOR BADARI, MADHUSUDHAN & SRINIVASAN
Chartered Accountants
FRN 005389S

(N. SRINIVASAN)
Partner
M.No. 027887

FOR B.THIAGARAJAN & CO
Chartered Accountants
FRN 004371S

(B. THIAGARAJAN)
Partner
M.No.018270

FOR SANKAR & MOORTHY
Chartered Accountants
FRN 003575S

(V.C. JAMES)
Partner
M.No.22565

FOR P.R.MEHRA & CO
Chartered Accountants
FRN 000051N

(SWINDER KUMAR)
Partner
M.No. 014211

FOR DASS KHANNA & CO
Chartered Accountants
FRN 000402N

(RAKESH SONI)
Partner
M.No. 083142

Place: Chennai
Date: 29.04.2014

शेयरधारकों को अनुदेश : अति आवश्यक व तत्काल

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) और वित्तीय संस्थाएँ विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 जो 16 10 2006 से प्रभावी है, ने बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 में निम्नलिखितानुसार एक नई धारा 10 (बी) जोड़ दी है :

यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति से 7 दिनों के अंदर लाभांश का नकदीकरण / दावा नहींकिया है तो बैंक के लाभांश चालू खाते में जमा ऐसी रकम को अलग से 'वर्ष ------ के लिए आइओबी का अदत्त लाभांश खाता' शीर्षक रूपी एक अलग खाते में अंतरित कर दिया जाए।

1. **अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गयी कोई भी रकम अंतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या अदावाकृत रहती है तोउसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 (1) (सी) के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आइइपीएफ) को अंतरित किया जाना है ।**

   अत: वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 के लिए लाभांश, वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए अंतरिम/अंतिम लाभांश और वर्ष 2004-05, 2005-06,2006-07, 2007-08 ,2008-09 और 2009-10,2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा वर्ष 2013-14 के लिए अंतरिम लाभांश नहीं मिला है / जिन्होंने लाभांश का नकदीकरण नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने दावे, फोलियों संख्या (एस) जैसे ब्योरों सहित रजिस्ट्रार और स्थानांतरण एजेंट मेसर्स केमियो कार्पोरेट सेवाएँ (यूनिटआइओबी), सुब्रमणियन भवन, प्रथम तल, नं.1क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002, या निवेशक संबंध कक्ष, इण्डियन ओवरसीज़

   बैंक, केंद्रीय कार्यालय,763,अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 को भेज दें ।

2. पब्लिक इश्यू 2000 और अनुवर्ती एवं पब्लिक इश्यू 2003 के वापसी आदेश प्राप्त न होने संबंधी मामलों के बारे में भी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने दावे,यदि कोई हो, तो आवेदन संख्या सहित निवेशक संबंध कक्ष, इण्डियन ओवरसीज बैंक, केंद्रीय कार्यालय,अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 को भेज दें।

3. **इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों द्वारा पते, बैंक खाते में परिवर्तन इत्यादि जैसे अधिदेशित विवरणों में परिवर्तन के लिएसंबंधित डी पी को संपर्क करना है, न कि रजिस्ट्रार से।** कृपया नोट कर लें कि रजिस्ट्रार, डी पी द्वारा 20.06.2014 तक उन्हें दिए हुए विवरण के आधार परलाभांश अधिपत्र (या यदि शेयरधारक ने ईसीएस जमा का विकल्प दिया हो तो उस अधिदेशित खाते में जमा करेगा) भेजेगा ।

4. **फोलियो का समेकन** : यह पाया गया कि कई शेयरधारकों द्वारा एक से अधिक अर्थात बहुसंख्या में फोलियो रखे हैं । शेयरधारकों को उत्तम सेवा प्रदान करनेहेतु हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे फोलियो के समेकन हेतु अपने शेयर प्रमाण-पत्रों को हमारे रजिस्ट्रार को एवं शेयर अंतरण एजेण्टस को उनकेरिकार्ड में आवश्यक सुधार हेतु भेज दें ।

Instructions to shareholders : Most Urgent and Immediate

1. The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on 16.10.2006 has inserted a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 which provides as under :

- **Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed/ claimed the dividend, such amounts lying in the bank Dividend current account, shall be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend Account of IOB for the year ____"**
- **Any money transferred to the Unpaid Dividend account which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF)established under section 205(1)(C) of the Companies Act, 1956.**

   Hence the Shareholders who have not received/ encashed the dividend for financial years 2000-01, 2001-02, 2002-03 Interim/Final Dividend 2003-04, Interim Final Dividend 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13,and interim dividend for the year 2013-14 are requested to send their claim along with details of Folio No.(s) to Registrar & Share Transfer Agent, M/s Cameo Corporate Services Ltd, (Unit–IOB), Subramanian Building, 1 Floor, No 1 Club House Road, Chennai 600 002 or to Investor Relations Cell, Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600 002.

2. Shareholders are also requested to send their claims, if any, in case of non receipt of refund orders in respect of our Public Issue 2000 and Follow on Public Issue 2003 along with Application Number to Investor Relations Cell, Indian Overseas Bank, Central Office,763, Anna Salai, Chennai-600 002.

3. **The shareholders, who are holding shares in electronic form have to approach only the DP concerned and not the Registrar for any change in the mandated particulars like change of address, Bank Account, etc.,.** Please note that the Registrar would send the dividend warrant (or credit to the mandated account in the case of shareholders who have opted for ECS credit) based on the particulars furnished by DP to the Registrar as on 20.06.2014.

4. **Consolidation of Folios** : It has been found that many shareholders maintain more than one folio (ie.) multiple folios. In order to provide efficient service to shareholders, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to our Registrar and Share Transfer Agent for necessary corrections in their records.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002

फार्म 'बीट'
प्रॉक्सी फॉर्म
(विनियम 70 का उप-विनियमन (iii)) देखें)
(शेयरधारक द्वारा भरे व हस्ताक्षरित किए जाने के लिए)

पंजीकृत फोलियों सं............. **(यदि बेकागज़ीकृत न हो)**
डीपी आइडी सं .... **ग्राहक आइडी सं :................**

मैं / हम ....निवासी .... जिला ....राज्य......................... इण्डियन ओवरसीज बैंक चेन्नै के शेयरधारक / धारकों के नाते एतद्द्वारा श्री / श्रीमती ....निवासी ....जिला ....राज्य.................. को , अथवा इनके न होने पर श्री /श्रीमती ....निवासी ....जिला ....राज्य................. को इण्डियन ओवरसीज बैंक के शेयरधारकों की शुक्रवार, 27जून 2014 को सुबह 10.00 बजे, राणी सीतै हॉल 603, अण्णा सालै चेन्नै - 600006 में होने वाली असाधारण बैठक और उसके किसी स्थगन के बाद मुझे / हमारे लिए मेरी / हमारी ओर से वोट देने के लिए परोक्षी के रूप मे नियुक्त करता हूँ / करती हूँ / करते हैं ।

आज वर्ष 2014 के ....माह के ....दिन हस्ताक्षरित

....
परोक्षी के हस्ताक्षर

नाम : ....

पता : ....

....

....

रु. 1/- का रेवेन्यू स्टैम्प चिपकाएं

प्रथम नामांकित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक
   - क. एक शेयरधारक के मामले में उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
   - ख. संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित पहले शेयरधारक या उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
   - ग. संघ निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा या एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो।
2. किसी प्राक्सी का लिखत किसी ऐसे शेयर धारक द्वारा यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता हो यदि उस पर उसका निशान लगा दिया जाए जो वह निशान किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आश्वासनों के पंजीयक या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इण्डियन ओवरसीज बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो।
3. क. मुख्तारनामा या अन्य कोई प्रधिकार (यदि हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किया गया है या
   - ख. मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार की प्रति जो नोटरी पब्लिक या दण्डाधिकारी द्वारा सुयोग्य प्रति के रूप में सत्यापित हो, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, इण्डियन ओवरसीज बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नई - 600 002 में असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात शनिवार 21 जून 2014 को अपराह्न 2.00 बजे बैंक के कार्यसमय की समाप्ति से पूर्व जमा करा दिया जाना है।
4. प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक विधि स्टाम्प नहीं लगाया गया हो।
   1. बैंक में जमा किया गया प्राक्सी का लिखत अंतिम अप्रतिसंहरणीय होगा।
   2. दो व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर किए गए प्राक्सी के लिखत के मामले में एक ही फार्म निष्पादित किया जाना है।
   3. जिस शेयर धारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित किया है वह संबंधित आसाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।
   4. इण्डियन ओवरसीज बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

FORM 'B'

FORM OF PROXY

See Sub-Regulation (iii) of regulation 70)
(TO BE FILLED IN AND SIGNED BY THE SHAREHOLDER)

Regd. Folio No. (If not Dematerialised)
D P Id No. Cl. Id No.

I/ We,..resident(s) of ....in the district of………………………………… …………………..………………………in the State...,being a shareholder/shareholders of Indian Overseas Bank, hereby appoint Shri/Smt …………………………………… resident of …………………………………………in the district of………………………..in the State of ………………………….. OR failing him/her Shri/Smt …………………………………… resident of ………………………………………in the district of ………………………..in the State of ………………………….. as my/our proxy to vote for me/us and on my/ our behalf at the 14th Annual General Meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank to be held on Friday, 27th June 2014 at 10.00 A.M. at Rani Seethai Hall, 603 Anna Salai, Chennai 600006 and at any adjournment thereof.

Signed this...........................day of......................2014

....

(Signature of the Proxy)

Name ....

Address ....

....

....

Please affix ₹. 1/- Revenue Stamp

Signature of the first named/sole holder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder. If for any reason he/she is unable to sign, then his / her mark shall be affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Indian Overseas Bank.
3. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Central Office of Indian Overseas Bank with the General Manager (Investor Relations), Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600 002, not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of 02.00 p.m. on Saturday, 21st June 2014.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
   1. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
   2. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
   3. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
   4. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Indian Overseas Bank.

इण्डियन ओवरसीज बैंक
केंद्रीय कार्यालय, 763,अण्णा सालै,चेन्नै 600002

उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश के समय प्रस्तुत की जानी है)

तारीख : 27 जून 2014

समय : सुबह 10.00 बजे

स्थान : राणी सीतै हॉल 603, अण्णा सालै चेन्नै - 600006

मैं बैंक की वार्षिक साधारण सामान्य बैठक में अपनी उपस्थिति एतद्द्वारा दर्ज करता हूँ।

शेयरधारक/प्राक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत पृष्ठ		डीपीआइडी	
		क्लाइंट आइडी	
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)		(यदि बेकागजीकृत है)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

Indian Overseas Bank
Central Office
763, Anna Salai, Chennai – 600 002

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date: 27th June 2014

Time: 10.00 A.M.

Place: Rani Seethai Hall, 603 Anna Salai, Chennai 600006

I hereby record my presence at the Annual General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

डिपाजिटरी सेवाएँ शाखा

कैथीड्रल शाखा (मेजानिन फ्लोर)
762, अण्णा सालै, चेन्नै - 600002.
दूरभाष- 28513617/3618 फैक्स : 28513619
ईमेल: deposit@chemsco.iobnet.co.in

संपर्क व्यक्ति- श्री वी. श्रीनिवासन/ श्री आर.एस.मणि

भौतिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अपील

- क्या आप अपने भौतिक शेयरों को हानि या चोरी या नुकसान से बचाना चाहते हैं?
- क्या आप शेयरों के अंतरण में लगने वाले स्टांप शुल्क तथा देरी से बचना चाहते हैं?
- क्या आप अपनी आवश्यक जरूरतों के लिए अपने शेयरों को बेचना तथा आय जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं?
- क्या आप अपने बैंक खाते में सीधे ही लाभांश राशि के जमा को प्राप्त करना चाहते हैं?
- क्या आप अपने सभी धारितों को एक बार में पता/ बैंक खाता/ नामिति के परिवर्तन को संप्रेषित करना चाहते हैं?
- क्या आप सार्वजनिक/ राईट्स निर्गम के माध्यम से शेयरों में आगे निवेश के इच्छुक हैं?

इन सभी सवालों का एक मात्र जवाब हमारे साथ डीमैट खाता खोलते हुए भौतिक शेयरों को डीमैट में परिवर्तित करना है।

आइओबी के साथ डीमैट खाता खोलें (पीछे दी गईं शाखाओं में) तथा निम्नलिखित अन्य लाभ उठाएँ:

- धारित मूल्य पर आधारित रियायती एएमसी प्रभार
- प्रत्येक नामे के लिए एसएमएस अलर्ट पाएँ
- पोर्टफोलियो की कीमत में अनुकूल परिवर्तन पर प्रतिदिन एसएमएस अलर्ट पाएँ
- अपना शेयर शेष ऑनलाइन देखें
- शेयरों पर आसानी से ऋण पाएँ
- नामिति को शेयरों का तत्काल अंतरण
- एक ही डीमैट खाते में म्यूचुअल फंड/ बांड/ स्वर्ण ईटीएफ रखें।
- अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भी डीमैट खाता खोलते और शेयरों का अंतरण करते हुए उनमें शेयरों के रूप में अपनी संपत्ति वितरित करें।

Indian Overseas Bank

DEPOSITORY SERVICES BRANCH

Cathedral Branch (Mezzanine Floor)

762, Anna Salai, Chennai 600 002

Phone 28513617/3618 Fax – 28513619

email – deposit@chemsco.iobnet.co.in

Contact persons – Mr.V. Srinivasan/Mr.R.S. Mani

APPEAL TO SHAREHOLDERS HOLDING PHYSICAL SHARES

- Do you want to prevent loss or theft or damage to your physical shares?
- Do you want to avoid incurring stamp duty and delay in transfer of shares?
- Do you want to sell your shares and realize the proceeds quickly for your urgent needs?
- Do you intend to receive credit of dividend amount into your bank account directly?
- Do you want to communicate change of address/bank account/nominee to all your holdings at one go?
- Do you wish to make further investments in shares through Public/Rights Issues?

THE ONLY ANSWER TO ALL THESE QUESTIONS IS TO CONVERT YOUR PHYSICAL SHARES INTO DEMAT BY OPENING A DEMAT ACCOUNT WITH US.

Open demat account with IOB (at the branches printed overleaf) and enjoy the following other benefits.

- Concessional AMC charges depending on holding value
- Get SMS alert for each debit
- Receive daily SMS alert on favourable change in the value of portfolio
- View your share balances online
- Raise loan on the shares easily
- Instant transfer of shares to nominee
- Keep Mutual Fund/Bond/Gold ETF in the same demat account
- Distribute your wealth in the form of shares among your family members by opening demat account in their names also and transfer the shares

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

डिपाजिटरी सेवाएँ शाखा
कैथीड्रल शाखा (मेजानिन फ्लोर)
762, अण्णा सालै, चेन्नै - 600002.
दूरभाष- 28513617/3618 फैक्स : 28513619
ईमेल: deposit@chemsco.iobnet.co.in

संपर्क व्यक्ति- श्री वी. श्रीनिवासन/ श्री आर.एस.मणि

चेन्नै डिपाजिटरी सेवाओं के सेवा केंद्र

शहर का नाम	शाखा का नाम	शाखा का नाम	शाखा का नाम
अमृतसर	1. अमृतसर मेन		
अहमदाबाद	2. आश्रम रोड		
बैंगलोर	3. मल्लेश्वरम	4. बैंगलोर मेन	
बड़ौदा	5. बड़ौदा मेन		
चेन्नै	6. अण्णा नगर	7. कैथीड्रल	8. एस्प्लेनेड
	9. नुंगम्बाक्कम	10. सैदापेट	11. साहुकारपेट
	12. टी. नगर	13. तेनामपेट	14. वेलाचेरी
	15. वॉल टैक्स रोड	16. डॉ. आर.के. सालै	17. मइलापुर
	18. बेसेंट नगर	19. चेन्नै डिपाजिटरी	
कोयंबत्तूर	20. कोयंबत्तूर मेन		
एर्णाकुलम	21. एर्णाकुलम मेन		
हैदराबाद	22. हैदराबाद मेन		
जयपुर	23. एम आई रोड, जयपुर		
कोलकाता	24. इंडिया एक्स. प्लेस	25. लैंन्सडोन मार्केट	
मुंबई	26. अंधेरी (पूर्व)	27. बोरीवली (पश्चिम)	28. ब्रीच कैंडी
	29. कैपिटल मार्केट सर्विसेज	30. चेंबूर	31. डोंबिवली (पूर्व)
	32. फोर्ट	33. फ्लोरा फाउंटेन	34. घाटकोपर
	35. जुहू	36. जोगेश्वरी (पूर्व)	37. कालबादेवी रोड
	38. कांदीवली(पूर्व)	39. खार	40. माहिम
	41. मलाड (पश्चिम)	42. मांडवी	43. न्यू मरीन लाइन्स
	44. नंद ज्योत औद्योगिक एस्टेट	45. सांताक्रूज (पश्चिम)	46. सायन (पूर्व)
	47. विले पार्ले (पूर्व)	48. नरीमन प्वाइंट	49. वाशी
	50. ठाणे (पश्चिम)	51. वर्ली	
नई दिल्ली	52. जनपथ	53. मॉडल टाउन	
राजकोट	54. राजकोट मेन		
सूरत	55. सूरत मेन		
अन्य स्थान	56. गांधी नगर (गुजरात)	57. विशाखापट्टिनम	

Indian Overseas Bank

DEPOSITORY SERVICES BRANCH
Cathedral Branch (Mezzanine Floor)
762, Anna Salai, Chennai 600 002
Phone 28513617/3618 Fax – 28513619
email – deposit@chemsco.iobnet.co.in

Contact persons – Mr.V. Srinivasan/Mr.R.S. Mani

SERVICE CENTRES OF CHENNAI DEPOSITORY SERVICES

Name of City	Name of Branch	Name of Branch	Name of Branch
AMRITSAR	1. Amritsar Main		
AHMEDABAD	2. Ashram Road		
BANGALORE	3.Malleswaram	4. Bangalore Main	
BARODA	5. Baroda Main		
CHENNAI	6. Anna Nagar	7. Cathedral	8. Esplanade
	9. Nungambakkam	10. Saidapet	11. Sowcarpet
	12. T. Nagar	13. Teynampet	14. Velachery
	15. Wall Tax Road	16. Dr. R.K. Salai	17. Mylapore
	18. Besant Nagar	19. Chennai Depository	
COIMBATORE	20. Coimbatore Main		
ERNAKULAM	21. Ernakulam Main		
HYDERABAD	22. Hyderabad Main		
JAIPUR	23. M I Road, Jaipur		
KOLKATA	24. India Exch. Place	25. Lansdowne Mkt.	
MUMBAI	26. Andheri (East)	27. Borivili (West)	28. Breach Candy
	29. Capital Market Services	30. Chembur	31. Dombivili (East)
	32. Fort	33. Flora Fountain	34. Ghatkopar
	35. Juhu	36. Jogeshwari (E)	37. Kalbadevi Road
	38. Kandivili (East)	39. Khar	40. Mahim
	41. Malad (West)	42. Mandvi	43. New Marine Lines
	44. Nand Jyot Indl. Estate	45. Santacruz (W)	46. Sion (East)
	47. Vile Parle (East)	48. Nariman Point	49. Vashi
	50. Thane (West)	51. Worli	
NEW DELHI	52. Janpath	53. Model Town	
RAJKOT	54. Rajkot Main		
SURAT	55. Surat Main		
OTHER PLACES	56. Gandhinagar (Gujarat)	57. Vishakapatnam	

प्रेषक

दिनांक: ____________

सेवा में
मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
यूनिट: इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
सुब्रह्मणियम बिल्डिंग
नं.1 क्लब हाउस रोड
चेन्नै - 600002.

प्रिय महोदय,

संदर्भः नेशनल इलैक्ट्रानिक क्लीयरिंग सर्विसेज (एनईसीएस) के जरिए लाभांश का भुगतान।

प्रथम धारक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
फोलियो नं.	
शेयरों की संख्या	
बैंक खाते का प्रकार (कृपया टिक करें)	बचत खाता चालू खाता नकद उधार खाता
बैंक खाता संख्या	
बैंक का नाम	
शाखा का नाम	
आइएफएससी कोड	
बैंक का पूरा पता	
बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक पर दिया गया बैंक और शाखा का 9 अंकों का कोड नंबर (कृपया उपरोक्त खाते से संबंधित अपने बैंक द्वारा जारी अपने चेक की फोटोकॉपी अथवा कोरा निरस्त चेक संलग्न करें ताकि कोड की सत्यता का सत्यापन किया जा सके)	

जब भी इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा मुझे लाभांश के भुगतान हेतु इलैक्ट्रानिक क्लीयरिंग सर्विसेज लागू की जाती है, मैं उसे प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि दिए गए उपरोक्त ब्यौरे सही और पूर्ण हैं। यदि अपूर्ण या असत्य जानकारी के कारण लेन-देन विलंबित होता है या शुरू ही नहीं होता, मैं **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक / रजिस्ट्रार** को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा।

मैं पुनश्च **रजिस्ट्रार/ इण्डियन ओवरसीज़ बैंक** को अपने बैंक, शाखा और खाता संख्या में किसी भी परिवर्तन की सूचना देने का वचन देता हूँ।

(प्रथम/ एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर)

From: Date : _______________

To:
M/s.Cameo Corporate Services Limited
Unit : INDIAN OVERSEAS BANK
'Subramanin Building '
No.1 Club House Road
Chennai – 600002

Dear Sir(s),

Ref: PAYMENT OF DIVIDEND THROUGH NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICES (NECS)

Name of First Holder (In Block Letter)	
Folio No.	
No of shares	
Bank A/c Type [Please tick (√)]	Savings A/c Current A/c Cash Credit A/c
Bank Account Number	
Name of the Bank	
Branch Name	
IFSC Code	
Full Address of the Bank	
9– Digit Code number of the Bank & Branch appearing on the MICR cheque issued by the Bank (Please attach Photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code.	

I agree to avail of the Electronic Clearing Service, as and when implemented by **Indian Overseas Bank** for payment of dividend to me.

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete . If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold **Indian Overseas Bank** / **Registrar responsible .**

I further undertake to inform the **registrar** / **Indian Overseas bank** any change in my Bank, Branch and Account no.

(Signature of the First / Sole shareholder)

हमारे खुदरा उत्पादों की एक झलक

1. ईज़ी ट्रेड फ़ाइनान्स

व्यापारियों के लिए निर्बाध कार्यशील पूँजी वित्तीपोषण और सावधि ऋण।
उद्देश्य: कार्यशील पूँजी और सावधि ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु।
प्रमात्रा: अधिकतम रु. 3 करोड़ (निधि आधारित) + रु. 1.50 करोड़ (गैर निधि)।
प्रतिभूति: अचल संपत्ति/ तरल प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत।
मार्जिन: 10 से 50%
चुकतान: सावधि ऋण - 48 ईएमआइ/ नकद ऋण - वार्षिक नवीकरण

2. शुभ गृह

पात्रता: पृथक तथा नियमित आय वाले व्यक्ति
उद्देश्य: फ्लैट अथवा मकान का अधिग्रहण/ निर्माण।
प्रमात्रा: मकान की लागत के 80% तक।
मार्जिन : भूमि की लागत सहित 20%।
प्रतिभूति: वित्त पोषित की जाने वाली संपत्ति का बंधक
संसाधन प्रभार: ऋण राशि का 0.58% बशर्ते अधिकतम रुपए 15,000/- हो।
चुकतान: अवकाश अवधि सहित अधिकतम 30 वर्ष(समाप्ति समय पर अधिकतम 70 वर्ष)।

3. पुष्पक

उद्देश्य: नई / पुरानी कार/ नए दुपहिए वाहन की खरीद हेतु।
प्रमात्रा: नई कार / दुपहिया के मूल्य का 90% तथा पुरानी कार के मूल्य का 75%।
मार्जिन: 10 से 25% तक
प्रतिभूति: वाहनों का दृष्टिबंधन
चुकतान: 24 से 84 ईएमआइ तक।

4. संजीवनी

पात्रता: **दंत शल्य चिकित्सक/ पॉली क्लीनिक आदि समेत** भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त योग्य/ पंजीकृत वैयक्तिक चिकित्सा प्रैक्टिशनर।
उद्देश्य: नए अस्पताल/ नर्सिंग होम आदि की स्थापना हेतु।
प्रमात्रा: अधिकतम ऋण रु. 10 लाख से रु. 5 करोड़ तक।
मार्जिन: 15 से 30% तक।
प्रतिभूति: उपकरण/ अचल संपत्ति/ एनएससी/ एलआइसी।
चुकतान: 5 से 7 वर्ष।

5. आइओबी अक्षय

एलआइसी पॉलिसियों के प्रति ऋण।
प्रमात्रा: जीवन बीमा पॉलिसियों के अभ्यर्पण मूल्य का 90%।
प्रतिभूति: एलआइसी पॉलिसी एसाइनमेंट।
चुकतान: अधिकतम 48 ईएमआइ।

6. आभूषण के प्रति वाणिज्यिक नकद ऋण

आभूषणों की मुख्य प्रतिभूति के प्रति व्यापारिक आवश्यकताओं/ व्यापार से संबद्ध लोगों को व्यापारिक क्रियाकलापों के संचालन हेतु।

7. बेजमानती ऋण

- वेतनभोगी कर्मचारियों को व्यक्तिगत तथा घरेलू खर्चों के लिए ऋण।
- ऋण की प्रमात्रा: हमारे द्वारा वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए मासिक वेतन का दस गुना या रुपए 15 लाख, जो भी कम हो और अन्य के लिए मासिक वेतन का 5 गुना या रुपए 1 लाख जो भी कम हो।
- ऋण की प्रमात्रा: एलआईसी एजेंटों के लिए एक वर्ष के औसत मासिक कमीशन का 10 गुना, जहाँ अधिकतम प्रमात्रा 10 लाख रुपए की होगी।
- चुकतान: साठ ईएमआइ जहाँ ऋण की रकम दस माह के वेतन/ कमीशन पर आधारित है तथा अन्य के लिए 36 ईएमआइ।

8. सहायिका

- विवाह आदि सामाजिक प्रतिबद्धताओं के लिए ऋण। व्यक्तिगत रूप से नियमित आय के साथ रोजगार अथवा व्यापार/ व्यवसाय अथवा स्वरोजगार युक्त आवेदक को संपत्ति के प्रति ऋण।
- ऋण राशि की प्रमात्रा रुपए 10 लाख है।
- चुकतान अवधि: 60 ईएमआइ।

9. पेंशनभोगियों के लिए ऋण योजना

- सभी पेंशनभोगियों को निजी खर्चों की पूर्ति के लिए।
- 65 वर्ष से कम आयु वालों के लिए पेंशन राशि का भुगतान 60 ईएमआइ में तथा 65 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 30 ईएमआई में।
- ऋण की प्रमात्रा: 65 वर्ष तक की आयु वालों के लिए मासिक पेंशन का दस गुना या रु.2 लाख, जो भी कम हो। 65 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए मासिक पेंशन का 10 गुना अथवा रु.1 लाख, जो भी कम हो।

10. आइओबी रॉयल

उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों/ स्वरोजगारयुक्त के लिए उनकी वित्तीय अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु रु.15 लाख तक ऋण, चाहे वह उनके वैवाहिक खर्च, अथवा किन्हीं सामाजिक/ वित्तीय प्रतिबद्धताओं अथवा ड्रीम हॉलिडे के लिए क्यों न हो।
प्रमुख विशेषताएँ: प्रतिभूति, गारंटी, मार्जिन आदि रहित।

11. प्रतिवर्ती बंधक

- वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय आवश्यकताओं हेतु प्रतिवर्ती बंधक ऋण योजना जिसमें उनके निवास गृह/ फ्लैट के प्रति ऋण ताकि वे अपना बचा जीवन आराम से बिता सकें।
- आवासीय सम्पत्ति के बंधक के प्रति ऋण प्रदान किया जाएगा बशर्ते कि मासिक किश्त रु.50,000/- से अधिक न हो।

12. आइओबी सूर्या - सौर ऊर्जा उपकरणों के वित्त पोषण के लिए योजना

- भारत में ऑफ ग्रिड नवीकरणीय सौर ऊर्जा उपकरणों की निम्नानुसार खरीद हेतु:
  - ✓ **सौर कूकर**
  - ✓ **सौर हीटर**
  - ✓ **आवासी/ भीतरी प्रकाश व्यवस्थाएँ**
- **योजना ए (व्यक्तियों के लिए):** न्यूनतम रु. 30,000/- तथा अधिकतम रु.10.00 लाख (**परियोजना लागत पर 85%** जिसमें व्यवस्था, अतिरिक्त वस्तुओं, परिवहन तथा प्रतिष्ठापन की लागत शामिल है।)
- **योजना बी (संस्थाओं के लिए):** न्यूनतम रु.1.00 लाख तथा अधिकतम रु.10.00 लाख अर्थात (**परियोजना लागत पर 80%** जिसमें व्यवस्था, अतिरिक्त वस्तुओं, परिवहन तथा प्रतिष्ठापन की लागत शामिल है।)

13. आइओबी व्यक्तिगत ऋण

- उपभोक्ता वस्तुओं मसलन इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, लकड़ी तथा मेटल के फर्नीचर आदि की खरीद के वित्तपोषण हेतु।
- वस्तु की लागत के 90% तक (या) सकल मासिक वेतन का 10 गुना, जो भी कम हो, का ऋण।

14. आइओबी हेल्थ केयर प्लस

- काफी कम प्रीमियम पर हमारे व्यक्तिगत खाता धारकों के अभिभावकों समेत पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा। किसी चिकित्सा परीक्षा की आवश्यकता नहीं है।
- दुर्घटनाओं, आकस्मिक बीमारी, किसी भी बीमारी के संबंध में सर्जरी के मामलों में अस्पताल के खर्चे प्रदान करता है।
- प्रवेश की आयु सीमा 3 महीने से 65 वर्ष तक है, कवरेज सिर्फ 80 वर्ष तक ही उपलब्ध है। आश्रित बच्चों के लिए आयु सीमा - पुरुषों के लिए 21 वर्ष, महिलाओं के लिए 25 वर्ष या विवाह तक जो भी पहले हो।
- दावा मुक्त पॉलिसी के तीन निरन्तर वर्षों के बाद पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर किया जा सकता है।
- पॉलिसी के अन्य पक्ष प्रशासक के माध्यम से नकद रहित लेन-देन।
- कवरेज : रु.50,000/- से रु.5 लाख तक।
- दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु को अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर कवर किया जा सकता है।
- धारा 80 डी के तहत कर सुविधा

अपनी आवश्यकताओं के लिए कृपया हमारी नज़दीकी शाखा से संपर्क करें।

OUR RETAIL PRODUCTS AT A GLANCE

1.EASY TRADE FINANCE -

Hassle free working capital finance and Term Loan to Traders.
Purpose: To meet the working capital and term loan needs
Quantum: Maximum of Rs. 3.00 Crs (Fund Based) + Rs.1.50 Crs (Non Fund).
Security: Secured by immovable property/liquid security.
Margin: 10 to 50%
Repayment: Term Loan- 48 EMI/ cash credit-Annual renewal.

2.SUBHAGRUHA

Eligibility: Persons with Independent and regular income.
Purpose: Acquisition/ Construction of a flat or a house.
Quantum: Upto 80% of the cost of the House.
Margin: 20% inclusive of cost of land.
Security: Mortgage of property to be financed.
Processing Charge @0.58% of the loan amount subject to a Maximum of Rs.15,000/-
Repayment: Maximum 30 years including Holiday Period (Maximum 70 years at the time of exit)

3.PUSHPAKA

Purpose: To purchase new/old car/new Two wheelers
Quantum: New Car / Two Wheeler - 90% of cost and for Old car 75% of cost.
Margin: Varies from 10 to 25%.
Security: Hypothecation of vehicles.
Repayment: Varies from 24 to 84 EMI

4.SANJEEVINI

Eligibility: Qualified / Registered individual Medical Practitioners recognized by Indian Council of Medical Research, **including Dental Surgeons, Polyclinics etc**
Purpose: To set up New hospital/ Nursing home etc.
Quantum: Maximum loan varies from Rs.10 lakhs to Rs.5 crores.
Margin: Varies from 15 to 30%
Security: Equipments/ Immovable property/NSC/LIC.
Repayment: 5 to 7 years.

5. IOB- AKSHAY

Loans against LIC policies
Quantum: 90% of Surrender value of Life Policies.
Security: Assignment of LIC Policy.
Repayment: Maximum-48 EMI

6. COMMERCIAL CASH CREDIT AGAINST JEWELLERY

For business needs/running a commercial activity of people engaged in business, against prime security of Jewels.

7. CLEAN LOAN

- Loan for salaried employees to meet personal and domestic expenses.
- Quantum of loan-10 times the monthly salary or Rs.15 Lakhs whichever is lower for employees whose salary is routed through us and for others 5 times the monthly salary or Rs.1 Lac whichever is lower.
- Quantum of loan- for LIC agents, 10 times of average monthly commission in a year with a maximum of Rs.10 Lacs.
- Repayment-60 EMI where the loan amount is based on 10 months salary/ commission and 36 EMI for others.

8. SAHAYIKA

- Loan to meet Social commitments like marriage etc. Applicant should be an individual in employment or Business/professional or self employed with regular income against mortgage of immovable property.
- Quantum of loan amount Rs.10 Lacs
- Repayment period: 60 EMIs

9. PENSIONER'S LOAN SCHEME

- All pensioners to meet personal expenses.
- Repayment out of pension amount in 60 EMI for those below 65 years and 30 EMI for above 65 years.
- Quantum of Loan: Upto 65 years of age-10 times the monthly pension or Rs. 2 Lac whichever is lower. Over 65 years of age-10times of monthly pension or Rs.1Lac whichever is lower.

10. IOB Royal:

- Loan up to **Rs. 15.00 lacs for High net worth individuals / self employed** for fulfilling all their financial aspirations, whether it is for a dream holiday or any marriage expenses or any of their social / financial commitments.
- Unique features like No security, guarantee, margin etc.

11. Reverse Mortgage:

- Reverse Mortgage Loan Scheme takes care of the financial needs of senior citizens owning self occupied residential house / flat for leading a decent life during their twilight days.
- Loan will be granted against the mortgage of residential property subject to monthly installment does not exceed Rs.50,000/-.

12. IOB Surya - Scheme for financing Solar Energy Equipments:

- To purchase offgrid renewable solar energy equipments in India as under:
  Solar Cookers
  Solar Heaters
  Home/Indoor Lighting Systems
- **Scheme A (For Individuals):** Minimum of Rs 30,000/- and Maximum of Rs 10.00 Lacs
- (**85% on the project cost** which includes cost of the system, accessories, transportation & installation.)
- **Scheme B (For Institutions):** Minimum amount of Rs 1.00 Lac and Maximum of Rs 10.00 Lacs i.e. (**80% on the project cost** which includes cost of the system, accessories, transportation & installation).

13.IOB PERSONAL LOAN

- To finance the purchase of consumer durables such as electrical and electronic items, wooden and metal furniture etc.
- Loan up to 90% of the cost of the article (or) 10 times the gross monthly salary whichever is less.

14. IOB HEALTH CARE PLUS

- Health insurance for entire family including parents, of our individual account holders at a very low premium. No medical examination required.
- Provides hospitalization expense in case of accidents, sudden illness, surgery, in respect of any disease.
- Entry age limit is between 3 months and 65 years, coverage is available upto age of 80 years only. Age limit for dependent children- for male upto 21 years, for female upto 25 years or till their marriage whichever is earlier.
- Pre-existing diseases can also be covered after three consecutive claim free policy years.
- Cashless transaction through Third Party Administrator of the policy.
- Coverage: Rs.50,000 to Rs 5 lakhs.
- Accidental death can be covered on payment of additional premium.
- Tax benefit under section 80D.

FOR YOUR NEEDS PLEASE CONTACT OUR NEAREST BRANCH